राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का बीसवां दिवस [संख्या : 10

मंगलवार,

12 मार्च, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

197. श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 5-6 वर्ष पूर्व अधिग्रहीत कृषि भूमि में से 25 प्रतिशत विकसित भूमि सरकार ने खातेदार किसानों को लौटाई है? यदि हां, तो इसका आधार एवं स्वरूप क्या है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या जो कृषि भूमि 20 वर्ष से भी पूर्व सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई तथा अधिग्रहण का उद्देश्य समाप्त हो गया एवं खातेदारों ने मुआवजा राशि भी स्वीकार नहीं की, ऐसे मामलों में भी सरकार ने यही नीति अपनाई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें व नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : प.6(29)नविवि/3/2004 दिनांक 27.10.2005 की पालना में अवाप्त भूमि के नकद मुआवजे के बदले योजना में विकसित भूमि दिये जाने का प्रावधान होने तथा सम्बन्धित खातेदार/हितधारी के द्वारा अपनी अवाप्ताधीन भूमि का नि:शुल्क समर्पण करने सम्बन्धी विकल्प दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्थिति में 25 प्रतिशत विकसित भूमि (20 प्रतिशत आवासीय + 5 प्रतिशत वाणिज्यिक) आबंटन करने का प्रावधान अवार्ड में किया जाता है एवं तदनुसार विकसित भूमि आबंटित की जाती है। भूमि आबंटन बाबत परिपत्र दिनांक 27.10.2005 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(2) जी नहीं। पुराने अवाप्ति के प्रकरणों में तत्कालीन प्रचलित परिपत्रों/आदेशों के अनुसार निर्णय किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में भूमि की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानकारी चाहूंगा कि जो पहले 15 प्रतिशत आपसी समझौते के आधार पर भूमि ली गई उसके अन्दर आपने पहले 15 प्रतिशत रखा उसके बाद आप कह रहे हैं कि सरकार विचार कर रही है 20 प्रतिशत और 5 प्रतिशत व्यावसायिक तो इसमें और भी कुछ आगे बढ़ाने का सरकार का इरादा है क्या किसानों के हित में?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये जो कुछ भी फैसले होते हैं, सरकार निर्णय लेती है वो उस उस वक्त के हालातों को देखते हुए लेती है। 1999 के पहले 12 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि का आबंटन किया जाता था लैंड होल्डर को, प्रोपर्टी ओनर को उसके बाद 1999 में गवर्नमेंट ने सरकुलर निकाला कि 15 प्रतिशत दे दिया जाएगा क्योंकि उस वक्त कुछ कीमतें बढ़ गई थीं और कई प्रकार के विवाद इस तरीके के आया करते थे सरकार के सामने कि हितधारी और भूमिधारी वो दोनों नाखुश होते थे इसलिए इसको 15 प्रतिशत किया। 2005 में फिर उसको 25 प्रतिशत कर दिया गया, 20 प्रतिशत आवासीय और 5 प्रतिशत वाणिज्यिक। तो ये वक्त-वक्त पर फैसले बदलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई सरकार का इरादा इसको बढ़ाने का नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): ...(व्यवधान) किसानों की जमीन अवाप्त हो गई थी और उन्होंने मुआवजा नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष: यह अलग प्रश्न है। माननीय सदस्य, अलग प्रश्न है।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): सेम वो ही प्रकरण है साहब, बीस और पांच का। क्या उनको भी बीस और पांच के आधार पर मुआवजा देना चाहती है?

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हो गई आपसे सम्बन्धित नहीं था वो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): जो 15 प्रतिशत भूमि अवाप्ति के आज दिन तक पट्टे नहीं मिले हैं जो 2002-03 में...

श्री अध्यक्ष: आप तो उनका जवाब दीजिये।

जोधपुर में जोजरी नदी भूमि क्षेत्र पर अतिक्रमण

198. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में जोधपुर जिले में जोजरी नदी क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का प्रकरण प्रकाश में आया है? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में, कितनी-कितनी भूमि, किन-किन भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया गया?

(2) क्या सरकार द्वारा जोजरी नदी क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को चिह्नित कर हटवाने की कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब किन-किन भू-माफियाओं को बेदखल कर भूमि सरकारी कब्जे में ली गई?

(3) क्या सरकार सम्पूर्ण नदी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार भविष्य में उक्त नदी क्षेत्र में अतिक्रमण की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कोई कारगर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि तहसील बालेसर में कुई बालेसर खारीबेरी, दुधाबेरा नदी क्षेत्र में भी अतिक्रमण है? यदि हां, तो सरकार द्वारा नदी क्षेत्र के अतिक्रमण चिह्नित कर नदी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कब तक करा दिया जाएगा?

(6) क्या सरकार जोधपुर जिले की नदियों के क्षेत्र में हुए अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। जोधपुर जिले में जोजरी नदी पर अतिक्रमण करने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत, जोधपुर के आदेश दिनांक 16.1.2013 द्वारा सर्वे व अतिक्रमण हटाने हेतु कमेटी का गठन किया गया है। सर्वे कार्यवाही प्रगति पर है। उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार से प्राप्त सूचना अनुसार अब तक तहसील पीपाड़ में 4 अतिक्रमण, तहसील लूणी के ग्राम तनावड़ा में एक अतिक्रमण, ग्राम नन्दवान में 2 अतिक्रमण के प्रकरण चिह्नित किए गए हैं। अतिक्रमणों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

(2) अतिक्रमण चिन्हीकरण का कार्य प्रगति पर है।

(3) अतिक्रमण चिन्हीकरण के पश्चात हटाने की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।

(4) जी हां। भविष्य में अतिक्रमण ना हो इस हेतु नदी के दोनों ओर मुटान (सीमा चिन्ह) लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी हां। तहसील बालेसर के ग्राम कुईइन्दा में 11, बालेसर सता में 34 व बालेसर दुर्गावता में 82 कुल 127 व्यक्तियों द्वारा लगभग 40 वर्ष पूर्व अतिक्रमण किया जाकर मकान बाड़े बनाकर निवास किया जा रहा है। ग्रामवार सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है1 ग्राम खारीबेरी व दुधाबेरा नदी क्षेत्र में किसी का अतिक्रमण नहीं है। उक्त अतिक्रमणों के विरुद्ध भूराजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत विधि सम्मत प्रक्रिया अपनायी जाकर नियमानुसार नदी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(6) जी हां। जोधपुर जिले में नदियों के क्षेत्र में अतिक्रमणों को चिह्नित कर धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के उपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए जिला कार्यालय के पत्र क्रमांक 1649-79 दिनांक 11.2.2013 द्वारा भी सभी सम्बन्धित को निर्देश दिए गये हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-1 में आपने स्वीकार किया कि इसमें केवल मात्र सात अतिक्रमण चिह्नित किये। क्या यह सही है कि आपके जल संसाधन विभाग के एक्स ई एन और एस ई ने उस नदी का मौका मुआयना करके सर्वे किया? नदी का सर्वे करते हुए की फोटोज हैं। नदी में मिट्टी डालकर के पचास मीटर के स्थान पर मात्र आठ मीटर मौके पर नदी है। एक हजार से ज्यादा प्लाटिंग हो गई, सड़कें बन गईं, खम्बे लग गये और इतना अतिक्रमण हो गया कि डोली में जाकर वो नदी ही समाप्त हो गई। स्वयं जेडीए के अध्यक्ष, जोधपुर के मेयर और एक्सईएन, एस ई ने इस बात को स्वीकार किया, तो क्या सारी जांच करके इस नदी को बचाने के लिए आप इसको अतिक्रमण मुक्त करने का विचार रखते हैं? इसको स्पष्ट करिये। आपने सात अतिक्रमण स्वीकार किये लेकिन सातों में से एक भी अतिक्रमण हटाया नहीं।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

दूसरा प्रश्न यह है कि खण्ड-3 के अनुसार क्या नदी को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए उसका सीमांकन और मुटान लगाने के लिए जिला कलक्टर ने 3.41 करोड़ रुपये का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा? यदि हां, तो वो कब तक स्वीकृत करेंगे और उसमें कब तक सीमांकन और मुटान लग जाएंगे?

प्रश्न-3 है जोजरी नदी का अतिक्रमण। राजस्थान पत्रिका में बार-बार प्रकाशन में आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। पहले ये प्रशासन की उदासीनता क्यों थी, इसके लिए कौन दोषी है वो बतायें और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? स्पष्ट करें।

अभी बालेसर में आपने बताया है कुई इन्दा बालेसर होकर यह बहुत बड़ी नदी जो हमारी चलती है 400 फीट चौड़ी नदी है अब उसमें 127 अतिक्रमण आपने कहा कि चालीस वर्षों से है और उनमें बाड़े और मकान बना कर अतिक्रमण किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है, चालीस वर्षों से अतिक्रमण बता रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो 127 अतिक्रमण चिह्नित करके आपने सूची दी है, उस सूची में मैं चार-पांच नाम बताऊंगा। नाम तो उसमें आधे हैं जैसे प्रकाशराम, कंवराराम, मघाराम, पेमाराम, चूनाराम, मदनाराम, कानाराम, हराराम, भैंराराम, लालाराम, जियाराम, रूघाराम, नेनाराम, सुखाराम, बंसीलाल, राजूराम, मांगू खां, अकबर खां इनकी उम्र चालीस से कम है। आप कह रहे हैं इन्होंने चालीस वर्षों से अतिक्रमण कर रखे हैं लेकिन इन अतिक्रमियों की उम्र ही चालीस साल नहीं हुई तो इन्होंने जन्मते ही अतिक्रमण कर लिया था? मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि सबकी इनकी मैंने उम्र ली है कि 127 की उम्र बतायें। इनकी तो अवस्था ही चालीस साल नहीं हुई, आयु ही चालीस साल नहीं हुई तो इन्होंने अतिक्रमण चालीस साल पहले कैसे कर लिया? सरकार इनको नियमित करेगी या हटायेगी? इसको आप स्पष्ट करें। क्या सरकार नदी, नाला, औरण, गोचर, आगोर में अतिक्रमण को रोकने व हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फटकार व उनके हस्तक्षेप के पश्चात ही कोई निर्णय करेगी ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार-बार सरकार को फटकार लगा रही है कि नदी नालों को मूल स्वरूप में लाया जाए तो उनकी फटकार के बाद ही करेंगे? अधिकतर अतिक्रमण में 91 की कार्यवाही आप करते हो लेकिन 91 की कार्यवाही तो स्वयं अतिक्रमी कराता है कि मुझे इतने वर्ष पहले 91 का नोटिस

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

मिला था और मैं इतने समय से काबिज हूं। 91 होने के बाद एक अतिक्रमण हटता नहीं है। आप बता दो कि जोजरी नदी पर कितने अतिक्रमण हटाए, बालेसर नदी पर कितने हटाए? अतिक्रमण आपके हटते नहीं हैं और नदियां, आगोर, गोचर सब पर कब्जे हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): प्रश्न पूछ रहा हूं। दूसरा मैं यह कहूंगा कि इस नदी में उद्योगों का सारा जहरीला पानी जा रहा है, नदी जहरीली हो गई। सरकार की उद्योगों के साथ सांठ-गांठ है। जोजरी नदी बाड़मेर में जा रही है और डोली के बाद उसी जोजरी नदी का सारा पानी खेतों में फैल गया। नदी को जहरीला बनने से रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, मंत्रीजी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नदी के अतिक्रमण को रोकने के लिए और जो पूर्व में अतिक्रमण हैं उनको चिह्नित करके हटाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। एक नायब तहसीलदार, जोधपुर, अधिशासी अभियंता पूर्व/दक्षिण-ए, सहायक अभियंता जल संसाधन उप खण्ड प्रथम और द्वितीय, सहायक अभियंता नगर निगम, जोधपुर, थानाधिकारी डांगीयावास बासनयिक, सम्बन्धित पटवारी हल्का, एक। दूसरा, नायब तहसीलदार पीपाड़ सिटी, सहायक अभियंता जल संसाधन, उप खण्ड बीलाडा, थानाधिकारी, पीपाड़ सिटी डांगीयावास/डांगीयावास, सम्बन्धित पटवारी हल्का। तीसरा, नायब तहसीलदार लूणी, अधिशासी अभियंता दक्षिण बी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, सहायक अभियंता, जल संसाधन, उप खण्ड प्रथम/द्वितीय, जोधपुर, थानाधिकारी बासणी, लूणी/लूणी, सम्बन्धित पटवारी हल्का। इस तरह से इन कमेटियों का गठन कर दिया गया है। यह कमेटी, जो अतिक्रमण हुए हैं उनको चिह्नित करेगी और चिह्नित करने के बाद मुकाम लगाने का काम किया जाएगा। जेडीए ने जल संसाधन विभाग को 50 लाख रुपए दे दिए हैं और 2 करोड़ रुपए के दो टेण्डर लगा दिए हैं, बाकी पैसे जेडीए बाद में देगा, अभी 50 लाख रुपए दिए हैं जिससे कि दोनों तरफ मुकाम लगा कर इसका चिह्नीकरण कर दें, जिससे अतिक्रमण नहीं हो। पूर्व में जो अतिक्रमण किए गए हैं उसको हटाने की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 में प्रक्रिया दे रखी है। उस प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाती है। पूर्व में भी जब कभी अतिक्रमण हुआ, आज जैसे

(श्री हेमाराम चौधरी)

लोग कह रहे हैं कि 40 वर्ष से अतिक्रमण है, आपने कहा कि इनकी उम्र ही नहीं है, तो इनके बाप-दादाओं ने कब्जा किया होगा, वह खतम हो गए तो अब नाम तो इन्हीं का देंगे, उनके बाप-दादाओं का नाम तो अतिक्रमण में आएगा नहीं। आज की तारीख में जो मौके पर काबिज हैं, हमने उनके नाम दिए हैं। यह जरूरी नहीं कि इन्होंने ही अतिक्रमण किया हो, इनके पूर्वजों ने अतिक्रमण किए हैं तो वह 40 साल से अतिक्रमण हो गया।

रहा सवाल उन अतिक्रमणों को नियमित करने का ...(व्यवधान) अतिक्रमणों को नियमित करने का हमारी सरकार की कोई मंशा नहीं है। सरकार इनको नियमित करने नहीं जा रही है। सरकार द्वारा अब्दुल रहमान वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसकी पालना के तहत निर्देश दे दिये गये हैं और उसके तहत कार्यवाही कर दी गई है। अभी जो सुओमोटो बनाम स्टेट आफ राजस्थान, रामगढ़ का प्रकरण आया उसके तहत भी हमने पूरे राजस्थान में जितने भी नदी नाले, जो भी कैचमेंट एरिया है, उस पर जो भी अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए सम्बन्धित जिलाधीशों को निर्देश दे दिए गए हैं और उस पर कार्यवाही हो रही है। आप हमसे कार्यवाही की इतनी जल्दी अपेक्षा करते हैं, हमने तो कार्यवाही की, 50 लाख रुपए जेडीए से ले लिए हैं, बाकी पैसे उनसे और ले रहे हैं, पैसे लेकर मुकाम लगाकर कब्जा हटाने की कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन चार साल पहले आपकी भी तो सरकार रही आपने कितने अतिक्रमण हटाए? आप जैसा समझते हैं, अतिक्रमणों को हटाने के लिए नियम और प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ही चलना पड़ता है, प्रक्रिया के तहत ही हटाने की कार्यवाही की जाती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने कितने हटाए, पिछले कार्यकाल में मैं विधायक तो था लेकिन राजस्व मंत्री नहीं था।

श्री अध्यक्ष: लेकिन अब सवाल करें। पूरक प्रश्न करेंगे खाली।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह पूछ रहा हूं कि जोजरी नदी और बालेसर नदी, दोनों नदियों पर प्रोपर्टी डीलर ने प्लाट काटकर, सडकें बनाकर, खम्बे लगाकर प्लाट बेच दिए हैं। क्या सरकार की इन लोगों के साथ मिलीभगत है। इन अतिक्रमणों को हटाकर नदियों को मूल स्वरूप में आप कब लाओगे, यह स्पष्ट करो आप।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए। कर्नल सोनारामजी, मंत्रीजी एक साथ ही दे दें।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, जोजरी नदी का मुद्दा किसानों से जुडा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मैं आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आ ही जाओ आप।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): माननीय सदस्य ने बताया कि जोजरी नदी डोली में जाकर खतम हो जाती है। हुआ क्या अतिक्रमण की वजह से...

श्री अध्यक्ष: हुआ जो छोड़ो, प्रश्न क्या है ? आप प्रश्न पूछो, पूरक प्रश्न के लिए खड़े हुए हो आप।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): साहब, मैं यह बता रहा हूं कि यह नदी आगे धावाक, कंधारपुर, बाड़मेर जिले में घुस गई है और वहां की जितनी भी जमीन थी ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ...(व्यवधान) इनका प्रश्न यह है कि डोली में वह नदी बंद हो गई और उसका पूरा पानी गांव में फैल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, अंकित नहीं होगा।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ...(व्यवधान) यह पिछले तीन साल से लगातार आ रहा है। साहब, मैं वहां से तीन बार सांसद रहा हुआ हूं, वहां हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो गई है। पीने का पानी वहां नहीं है। जोधपुर से बाड़मेर हाई-वे 112 है, वह तीन-तीन महीने बंद रहता है, आपने अखबारों में पढ़ा हो तो। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों की जमीन, जो खेती के लायक नहीं है, बो नहीं सकते हैं वहां पीला पानी आ गया है। क्या मंत्रीजी जो खेत बरबाद हो गए हैं उसके बदले में और कहीं अरेंजमेंट करेंगे। दूसरा, जहां फैक्ट्रियों का पानी नीचे चला गया है, फैक्ट्रियों में पानी नहीं है, पी एच ई डी मंत्री महोदय भी बैठे हैं, उनके लिए कोई इंतजाम करेंगे?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): साहब, यह बहुत गम्भीर मामला है, चार साल से लगातार आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं, आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है, आप विराजिए। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर तो सुनिए। अंकित नहीं होगा।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ×××

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री अध्यक्ष: आप इतने सीनियर सदस्य हैं, मंत्रीजी को उत्तर देने दीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि अधीक्षण अभियंता जल संसाधन, जोधपुर के आदेश 16.1.2013 द्वारा सर्वे व अतिक्रमण हटाने हेतु कमेटी का गठन किया गया, कमेटी का उल्लेख मैंने अभी आपको किया। इस सम्बन्ध में तहसीलदारों से जो सूचना मिली है वह परिशिष्ट 'अ' में मैंने आपको दी है। उसके अलावा चिह्नीकरण का काम अभी प्रगति पर है। जब तक चिह्नीकरण का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक कब्जा हटाने के लिए आगे की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए चिह्नीकरण का कार्य जब पूरा हो जाएगा उसके बाद अतिक्रमण हटाने का कार्य तीव्र गति से शुरू कर दिया जाएगा और जो भी अतिक्रमण है वह राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 के तहत उनको हटा दिया जाएगा।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो सुन लो, अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): ...(व्यवधान) कमेटी चिह्नीकरण का काम कर रही है। चिह्नीकरण का काम पूरा होने के बाद तत्काल ... (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ×××

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): सुनो तो सही, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा चिह्नीकरण ...(व्यवधान) आप दो मिनट सुन तो लें, सुनने में क्या दिक्कत है आपको, चिह्नीकरण के लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है। चिह्नीकरण का कार्य अभी प्रगति पर है जैसे ही यह कार्य पूरा हो जाएगा ...(व्यवधान) चिह्नीकरण की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा, मंत्रीजी का जवाब सुन लें। मंत्रीजी का जवाब आ जाने दें, कोई अंकित नहीं होगा।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): ...(व्यवधान) तत्काल उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और उसके बाद में तत्काल उनका अतिक्रमण हटा दिया जाएगा।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): दूसरा, इन्होंने नदी के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न हनुमान बेनीवाल। (व्यवधान) श्री हनुमान बेनीवाल।

पुरातत्व विभाग में समायोजित कर्मचारियों का वरिष्ठता प्रकरण

199. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कतिपय कर्मचारियों को जवाहर कला केन्द्र से वित्त विभाग की बजट निर्णायक समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार पुरातत्व विभाग में समायोजित किया गया था ?

(2) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता का क्या मानदण्ड रहेगा ?

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(3) क्या सरकार द्वारा उनको पदावनत करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्यों एवं किन नियमों के तहत?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

सहकारिता मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) जी हां।

(2) उक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता का मापदण्ड राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 37 एवं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1999 के नियम 32 है।

(3) विभाग द्वारा उक्त कर्मचारियों में से किसी भी कर्मचारी को पदावनत करने की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, इसमें यह नहीं बताया गया कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको पदोन्नति दी गई, वह किस नियम के तहत दी गईं। दूसरा, क्या भटनागर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न वर्ग के लोगों को पदोन्नति का लाभ इसके अन्दर दिया गया है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 14 कर्मचारी थे। इनकी वरिष्ठता सूची री की गई थी अभी, उसमें कुछ कमियां रह गईं। उसमें माननीय न्यायालय का एक आदेश दो कर्मचारियों के सम्बन्ध में आया उसको हम एग्जामिन करवा रहे हैं। न्यायालय का जो निर्णय है उसको एग्जामिन कराकर, लॉ डिपार्टमेंट की राय लेकर, जो भी उचित होगा उसके अनुसार इसमें पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, जो पदोन्नति की गई है उसमें क्या विभिन्न वर्गों का, ओबीसी, एसबीसी, एसटी, एससी के लोगों का आरक्षण के आधार पर किया गया है या नहीं, तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है क्या कि वापस पदावनत किया जाएगा? मंत्री महोदय हम जानना चाहेंगे।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह 14 कर्मचारियों का मामला है जवाहर कला केन्द्र का, जो प्रमोशन हुए उसमें विभाग की ओर से कहीं कोई गलती से पहले एडहाक उसको प्रमोशन दे दिया, उसके बाद वापस जब डीपीसी हुई, वापस उसको फोर्थ क्लास में दे दिया, इस बीच वह न्यायालय में गया, हाईकोर्ट। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय का जो निर्देश है, गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग दे दी कि हम किसी को रिवर्ट नहीं करेंगे। इसलिए उसको रिवर्ट नहीं करते हुए एक महीने में इसका हम पूरा निस्तारण करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़, अगला प्रश्न।

फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तथा खेल अकादमी की स्थापना

200. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अपने बजट 2011-12 में झुंझुनूं में फिजिकल एजूकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तथा 2012-13 में उदयपुर में खेल अकादमी स्थापित करने की बजटीय घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त वर्षों में कितनी-कितनी राशि बजटीय घोषण को पूर्ण करने हेतु व्यय की गई ?

(2) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को देय पुरस्कार राशि बढ़ाने की भी वर्ष 2012-13 में बजटीय घोषणा की थी? यदि हो तो जनवरी, 2013 तक उक्त घोषणा के क्रियान्वयन में कितने प्रशिक्षकों व खिलाड़ियों को लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने वर्ष 2011-12 के बजट में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को नये खेल स्टेडियम के विकास हेतु 10 प्रतिशत आरक्षित दर पर भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया था? यदि हां तो उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार द्वारा चूरू में खेल संकुल के निर्माण हेतु एक खेल स्टेडियम के संधारण के लिए वर्ष 2012-13 में कोई बजटीय घोषणा की गई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
थी? यदि हां तो जनवरी, 2013 तक उक्त घोषणा अनुसार चूरू में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन (श्री मांगीलाल गरासिया): (1) जी हां। झुंझुनूं में पी.पी.पी. मोड पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी थी जो कि अब राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जायेगी। झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यालय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उदयपुर में खेल अकादमी स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। खिलाड़ियों को राशि स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। भूमि आबंटन की स्वीकृति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(4) जी हां। चूरू में खेल संकुल के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक प.10(16)खेल/2005 दिनांक 15.01.2013 के द्वारा जारी कर दी गई है। कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरे सारे सवाल वह सवाल हैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा में जिन चीजों की बजटीय घोषणा की थी। मंत्री महोदय, मैं जानना चाहूंगा वर्ष 2010-11 उसके पैरा 150 में आपने घोषणा की थी कि झुंझुनूं में पी.पी.पी. मोड पर फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी आप प्रारम्भ करेंगे। फिर इस साल, तीन साल बाद, आपने 2013-14 बजट भाषण के पैरा 189 में कहा कि अब इस खेल विश्वविद्यालय को राजकीय क्षेत्र में हम बनाएंगे, तो यह दो साल का विलम्ब क्यों? जब आपने कहा कि राजकीय क्षेत्र में इस खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करोंगे तो इसके लिए कुल कितनी राशि का बजटीय प्रावधान किया गया है? क्या यह सही है कि इसी खेल विश्वविद्यालय के भारत सरकार के इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डवलपमेंट फण्ड में, आईआईडीपी में आपने प्रस्ताव भेजे थे? 75 प्रतिशत पैसा भारत सरकार को देना था, 25 प्रतिशत आप एडीपी से ले रहे थे। आपने लैटर आफ इंडेंट जारी कर दिया, फिर क्या कारण था आपने उस मोड पर इसको ले जाकर बनाया नहीं? आपने कहा कि जनजाति क्षेत्र में, जनजाति विश्वविद्यालय, जिसका नाम शायद आपने राजीव गांधी करने का तय किया 2012-13 में पैरा 149 में आपने घोषणा की और एक वर्ष बाद आप यह कह रहे हैं कि यह प्रक्रियाधीन है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब 2012-13 में घोषणा की तब इसके लिए कितना बजट...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, खेल मंत्रीजी से आदिवासी विश्वविद्यालय का क्या सम्बन्ध है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जनजाति खेल अकादमी।

श्री अध्यक्ष: आदिवासी विश्वविद्यालय का सम्बन्ध इनसे है क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं-नहीं, खेल अकादमी, माफी चाहूंगा। जनजाति खेल अकादमी में आपने जो पांच करोड़ रुपये की बजटीय घोषणा की थी, अब आप मुझे दो साल बाद कह रहे हैं कि प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, कितनी विडम्बना है कि बजट में कहा कि अन्तरराष्ट्रीय पदक जिन खिलाड़ियों ने जीते उनको और उनके प्रशिक्षकों को...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दस गुणा ज्यादा आपने इनाम की राशि बढ़ाई थी, आपने कितने खिलाड़ियों को अब तक इनाम की बढ़ी हुई राशि के अनुसार इनाम दे दिया?

मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि इसमें परिशिष्ट 'क' दिया है उसमें लिखा है कि वर्ष 2011-12 में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को खेल स्टेडियम के लिए आपने 18.16 हैक्टेयर जमीन 10 प्रतिशत डीएलसी पर देना तय कर दिया। क्या यह भी सही है कि इन शर्तों के अन्दर, जिन शर्तों के आधार पर आपने राजस्थान क्रिकेट एकेडमी को जमीन आबंटित की है उसमें आपने यह भी लिख दिया कि वह होटल बना सकेंगे, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस बना सकेंगे ? यह होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस उस 10 प्रतिशत डीएलसी की रेट पर बनी जमीन पर बनेंगे तो इनमें कौन ठहरेगा, क्या यह पब्लिक के लिए रहेंगे, इसमें कौन-कौन रुकेगा यह बताएं? फिर आपकी बजटीय घोषणा 2012 में बूंदी, चूरू, झुंझुनूं, पाली, अलवर, चित्तौड़, हनुमानगढ़ में खेल संकुल के लिए 16 करोड़ का प्रावधान आपने किया और अब आप कह रहे हैं कि 15.1.2013 को हमने प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दीं।

श्री अध्यक्ष: कितने प्रश्न हैं? अब अंतिम प्रश्न हो गया ना आपका?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा क्वेश्चन तो हो गया पर मैं पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए। इतने प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब नहीं आ पाएगा।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से फिजिकल यूनिवर्सिटी की बात झुंझुनूं को पी.पी.पी. मोड पर जिस तरह से माननीय सदस्य ने अपनी बात को कहा है। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: कौनसी बात, पी.पी. मोड?

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): पी.पी. मोड़ पर।

श्री अध्यक्ष: पी.पी.।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पी.पी. और फिर पी.। पी.पी. और फिर पी.।

श्री अध्यक्ष: असर यहीं है। असर यहीं है।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना निवेदन है कि पी.पी.पी. मोड पर जिस तरह से फिजिकल यूनिवर्सिटी बनाने की जहां पर मानसिकता थी उस रूप में सरकार ने प्रस्ताव रखने का काम किया उसके बाद जिस तरह से डीपीआर बनाने की जहां पर स्थिति आती है उसमें भूमि का चिन्हिकरण करने की स्थिति आई, इसके बाद में, पीपीपी मोड पर सामाजिक रूप में, स्थितियां नहीं बनने के बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बार तय करने का काम किया कि यदि पी.पी.पी. मोड पर बनाने में कोई स्थिति बाधक होती है तो हम स्वयं, सरकार ने तय किया कि हम हमारे हिसाब से इसको फिजिकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम सरकार करेगी यह वृहत्तर स्तर पर निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय, अब दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट का पैरा 189 में स्पष्ट कर दिया कि खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है इसी के अन्तर्गत इसी सत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सदन में बिल भी लाया जाएगा, यह भी तय कर दिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, यहां पर पहले तो आपने उस ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात कर ली, राजीव गांधी की, हमारा वह नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह विभाग अलग है। यहां पर जनजाति अकादमी की बात है। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.पी.आर. कम्पलीट करने के बाद में हमने तय किया, वहां पर भूमि का चिन्हिकरण कर दिया, डी.पी.आर. कम्प्लीट किया गया। डी.पी.आर. करने के बाद में यह

(श्री मांगीलाल गरासिया)

प्रावधान था कि हमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सामजस्य के आधार पर इस जनजाति अकादमी की स्थापना वहां पर करनी है। तो पूरा डी.पी.आर. बनाने के बाद राजस्थान से यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया, यह आते ही हम जनजाति अकादमी की स्थापना उदयपुर में करने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आपने बात की है कि किस तरह से अनुदान की राशि को बढ़ाने की बात यहां पर आती है। यह कहते हुए मुझे गर्व है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बारे में तय करने का काम किया कि हमारे खिलाड़ियों के उत्साह के रूप में, खिलाड़ियों की अभिवृद्धि के रूप में, खिलाड़ियों में आमूलचूल परितर्वन आ सके और नये कीर्तिमान बना सकें, उस रूप में इस बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो पहले अनुदान की राशियां जिस तरह से थीं, उन राशियों को बढ़ाने का काम उस रूप में किया। पहले एक हजार रुपये थे तो इस बार संशोधन करके 10 हजार रुपये हमारे टूर्नामेंट्स के लिये 10 गुना राशि वृद्धि करने का काम कर दिया। पहले जिस तरह से 1500 रुपये थे, इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 15 हजार की अभिवृद्धि करने का काम कर दिया। यही नहीं, राज्य स्तर पर जिस तरह से काम हो रहे थे, पहले 10 हजार राज्य स्तर पर थे, इस बार माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका सानिध्य हमें मिला, 10 हजार के बदले एक लाख की अभिवृद्धि करने का काम कर दिया। अन्य क्षेत्रों में जहां पर 5 हजार की राशि थी, इस बार कल्याणकारी सरकार ने इस राशि को बढ़ाने का काम कर दिया, 5 हजार से 50 हजार कर दिया।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, आप विराजिये। कटारिया जी।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): अध्यक्ष महोदय, मैं इस रूप में निवेदन करना चाह रहा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं जानना यह चाह रहा हूं कि 2012-13 के बजट में अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक जीतकर राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को देय पुरस्कार राशि को 2012-13 में आपने बढ़ाने की, उनको चिह्नित करना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और उन तक पैसा पहुंचाना, इतना ही काम था। तो इस काम में खिलाड़ियों को राशि स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 11 महीने तक क्या बच्चों को ढूंढ रहे हो कि लड़के कौन हैं, या वह राशि ढूंढ रहे हो, कहां पड़ी है।

श्री अध्यक्ष: यह तो प्रक्रिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार का यह 2012-13 के बजट का अन्तिम महीना है और 11 महीने जिस सरकार को बीत जाएं और वह उन विद्यार्थियों को या उन खिलाड़ियों को ढूंढ नहीं सके नामजद कि किसको पुरस्कार देना है, या तो इसको ढूंढ रहे हो आप, या आपकी यह राशि किस फण्ड में पड़ी है जहां निकालने का पता नहीं लग रहा है, उसको ढूंढ रहे हो। क्या चीज है, क्या ढूंढना है? मतलब, दुर्भाग्य है, अगर हम इतनी बड़ी घोषणा करते हैं और इतनी तालियां पिटवाते हैं तो वह विद्यार्थी या वह खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया उसको 11 महीने तक वह राशि नहीं पहुंचाना यह हमारी प्रशासनिक संवेदनशीलता है ना?

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): प्रक्रियाधीन है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या प्रक्रियाधीन है। कोई जमीन हो तो उसमें ढूंढना पड़े, कुछ आदमी ढूंढना पड़े। क्या ढूंढ रहे हो।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछना है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): खिलाड़ियों की सूची आपके पास नहीं हो तो हमसे ले लो।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। मंत्रीजी, केवल कटारिया साहब का जवाब दीजिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, जिस तरह से हमारे प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने अपनी बात को उस रूप में उठाने का किया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप भी जानते हैं और सदन भी जानता है इस बात

(श्री मांगीलाल गरासिया)

को और मोटा मामला इस रूप में है, आप और हम जानते हैं कि यह जो खेलों का...

श्री अध्यक्ष: आप तो जवाब दे दें स्पेस्फिक प्रश्न का, भाषण लम्बा मत दो। दूसरे प्रश्न भी लेने हैं मुझे।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन): हां, हां, अध्यक्ष महोदय, जवाब ही दे रहा हूं। जो खेल होते हैं, वह किसी एक महीने तक नहीं होते हैं। खेल कोई दो महीने के अंतराल में खतम नहीं होते हैं। एक सतत प्रक्रिया के रूप में खेल पूरे वर्ष तक होते हैं। हमारे पास में 91 आवेदन आये हैं, 91 आवेदन के रूप में अब हमने 24 की स्क्रूटनी कर ली है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक महीने के अन्दर-अन्दर यह सब प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री रोहिताश कुमार। अंकित नहीं होगा किसी का।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री रोहिताश कुमार। (अनुपस्थित) आपके मित्र हैं। आप प्रश्न बोलिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर में व्याप्त अनियमितताएं

201. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) व **श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माह फरवरी, 2013 में पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर के आई.सी.यू. में आक्सीजन समाप्त हो जाने के कारण महिला की मौत हो गई थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) प्रदेश के किस-किस चिकित्सालय में कौन-कौन से कितने-कितने चिकित्सकीय उपकरण कब से खराब हैं तथा इन्हें सही कराने अथवा नये उपकरण खरीदे जाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी(डा. राजकुमार शर्मा): (1) जी नहीं।

(2) प्रदेश चिकित्सालयों में खराब चिकित्सकीय उपकरण एवं उन्हें सही कराने अथवा नये उपकरण खरीदने से सम्बन्धित चिकित्सालयवार सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर के खण्ड-एक में आपने कहा, जी नहीं। मैंने पूछा था फरवरी, 2013 में पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर के आई.सी.यू. में आक्सीजन समाप्त हो जाने पर महिला की मौत हो गई थी? अगर हां, तो इसमें कौन दोषी है, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की। आपने कहा, जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को यह उत्तर विभाग ने सही नहीं भेजा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि 07 फरवरी, 2013 को सुबह साढे सात बजे बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल में अचानक आक्सीजन सप्लाई बंद हो गयी। आई.सी.यू. में उस समय पांच मरीज वेंटिलेटर पर थे। उसमें से एक खेमादेवी, गांव लिखमीदेसर, उम्र 65 साल, उनकी आक्सीजन सप्लाई नहीं होने से मौत हो गई। उसके बाद जब यह हंगामा हुआ तो कार्यवाहक सुपरिटेन्डेन्ट आर.पी. अग्रवाल ने, खुद ने, ई-टी.वी. और मीडिया के सामने जाकर कहा कि आई.सी.यू. में एक रात में इतने सिलेण्डर खत्म हो जाएंगे, इसका अनुमान नहीं था। आक्सीजन की सप्लाई में कुछ सुधार की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं यही कह रहा हूं, जो खण्ड-एक में इन्होंने उत्तर दिया। मैं इनको नाम बता रहा हूं कि इस महिला की मौत आक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण हुई और उसमें खुद जब कार्यवाहक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सुपरिटेन्डेन्ट ने वहां ई.टी.वी. और मीडिया के सामने जाकर गलती स्वीकार की, वहां हंगामा हुआ। समाचारपत्रों में बड़े-बड़े समाचार प्रकाशित हुए और उसके बाद में मंत्री महोदय कहते हैं, जी नहीं, मौत नहीं हुई। मैं समझता हूं उत्तर ठीक नहीं है। नम्बर-दो, आपने मुझे यह कहा कि वहां प्रदेश के चिकित्सालयों में खराब चिकित्सकीय उपकरण और उन्हें सही कराना या नये उपकरण के खरीदने के सम्बन्ध में चिकित्सालयवार सूची पेश की है। अध्यक्ष महोदय, मैंने सूची का अध्ययन किया। यह जो सूची इन्होंने परिशिष्ट-अ में दी है, इसमें कुल 429 मशीनों का जिक्र किया है। उसमें से 63 मशीनें ऐसी हैं जो 3 से 6 वर्षों से खराब पड़ी हैं। इन्होंने लिखा है, इनको हम नष्ट करेंगे, कण्डम करेंगे। इसमें 366 मशीनें ऐसी हैं जो वर्ष 2008 से लेकर 2013 के बीच में खराब हुई हैं, अलग-अलग चिकित्सालयों में। मतलब एक तरफ बात हो रही है, मुफ्त में आप सारे के सारे इन्वेस्टीगेशन करेंगे और 366 मशीनें खराब हैं। मंत्री महोदय, यह सूची आप ही की है, मेरी नहीं है। इस सूची में अलग-अलग अंकित किया है। आप इन सारी मशीनों को कब तक ठीक कराएंगे, नम्बर-एक। क्या यह आपने जो उत्तर दिया, जो उत्तर गलत आपका है, उस पर उत्तर गलत है या सही है, आप क्या जांच समिति बनाकर, मैंने जो तथ्य रखे हैं, उसकी जांच करवाएंगे। इनका उत्तर दीजिए।

श्री अध्यक्ष: दो स्पेस्फिक प्रश्न हैं इनके।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): हां, दो हैं, अध्यक्ष महोदय। श्रीमती खेमी देवी, उम्र 65 साल, पी.बी.एम. अस्पताल में 01/02/2013 भर्ती हुई थी। उसके सात दिन बाद 07/02/2013 को सुबह करीब दो बजे इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु का कारण जो माननीय सदस्य बता रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे प्रश्न का जो उत्तर है, वह असत्य है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो मरीज थीं, वह कई रोगों से ग्रसित थीं। लगभग 3-4 महीने से वह बीमार थीं। जिसमें सेप्टिसीमिय, लैफ्ट-फुट-गैंग्रीन, ओल्ड टयुबरक्युलोसिस एवं श्वांस सम्बन्धी रोगों से, वह गम्भीर बीमारियों से पीड़ित थी। आप कह रहे हैं कि हमारे पी.एम.ओ. ने मीडिया के सामने आकर कहा तो उस समय के जो हमारे मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल हैं उनके निर्देश पर वहां दो सदस्यों की एक कमेटी गठित हुई। आप अगर चाहेंगे तो वह कमेटी की जो रिपोर्ट है, वह आपके सामने पढ़ दूंगा और सारी चीजें

(डा. राजकुमार शर्मा)

बता दूंगा। यह गम्भीर बीमारियों से ग्रसित थीं। 7 तारीख को सुबह साढ़े सात बजे जो आप बता रहे हैं कि उस दिन छह मरीज तो थे वेंटिलेटर पर और चार मरीज थे माक्स पर आक्सीन पर थे। हमने वहां पर पूरी व्यवस्था की थी। आक्सीजन की पाइप लाइन डली है हमारे आई.सी.यू. में और छह सिलेंडर वहां पर लगातार रहते हैं लेकिन कई बार मरीजों को वेंटिलेटर पर रखने से आक्सीजन की कमी होती है। थोड़ी सी देर के लिए, करीब पांच-सात मिनट के लिए जब पता चला की आक्सीजन का दबाव वहां पर कम है तो उस समय हमारे डाक्टर्स ने वहां पर उस पेशेंट को एम्बू बेग, जो एक कृत्रिम प्रेशर वाला एम्बू बेग होता है, उसके तहत उसको ले लिया और पांच मिनट बाद दो सिलेंडर लगाकर वह आक्सीजन की सप्लाई निश्चित रूप से वहां पर दुरुस्त कर दी गई। जब हमारी रिपोर्ट आई उस समय उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है। या तो हम जांच रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते अब कैसे मौत हुई वह तो हमारे जो वहां पर पैनल बना था, उनकी रिपोर्ट आई, उसके अनुसार ही कह सकते हैं। तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं सदन के सामने, आपके सामने माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी गम्भीर बीमारी से मौत हुई थी।

दूसरा इनका जो सवाल है उपकरण खराब सम्बन्धी। पूरे राजस्थान में हजारों उपकरण हैं मेडिकल कालेज सम्बन्धित हमारे अस्पतालों के अन्दर और जिला अस्पतालों के अन्दर। जो थर्मामीटर से शुरू होकर सोनोग्राफी मशीन, सीटी स्कैन मशीन आदि बड़े उपकरण तक जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है कि कई बार इंस्ट्रूमेंट खराब होते रहते हैं, उपकरण खराब होते रहते हैं लेकिन हमने वहां पर जो मेडिकल रिलीफ सोसाइटी है, उसके माध्यम से उनको आदेश दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं कि वे अपने स्तर पर उनको ठीक करवाएं। आप कह रहे थे कि 'मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना' का जो मुख्य मंत्रीजी का सपना है, मुझे कहते हुए खुशी है कि इस जांच योजना के तहत पूरे राजस्थान के अन्दर अभी 2.2.2013 को एक आदेश जारी किया है जिसमें 25 करोड़ रुपए जिला अस्पतालों को नए उपकरणों को खरीदने के लिए दे दिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने।

इसके अलावा मेडिकल कालेजों को 1630 लाख रुपए नए उपकरण खरीदने के लिए दे दिए हैं ताकि 07 अप्रैल से शुरू होने वाले हमारे 'मुख्य मंत्री

(डा. राजकुमार शर्मा)

नि:शुल्क जांच योजना' को प्रभावी तरीके से हम लोग शुरू कर सकें और लोगों को उसका फायदा मिल सके।

उपकरणों के खराब होने से किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं होने दी है। कहीं पर अगर ओ.टी. लाइट खराब है तो दूसरी ओ.टी. लाइट की वहां पर व्यवस्था है। कहीं पर अगर एक एक्स-रे मशीन खराब है तो वहां पर दूसरी एक्स-रे मशीन की व्यवस्था है। मरीज को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हमने नहीं होने दी है। कहीं पर कोई जांच का साधन अगर नहीं मिल रहा है तो उस मरीज को हमने यह व्यवस्था कर दी है कि आप बाहर करवाकर लेकर आइए और सरकार वह पैसा आपको रिएम्बर्स कर देगी।

श्री अध्यक्ष: डा दिगम्बर सिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा सवाल है साहब, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने दो सवाल पूछ लिए, उसका जवाब दे दिया। डा. दिगम्बर सिंह। वे आपकी बात ही कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने दो प्रश्न पूछे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वह कोई बात नहीं। एक पूछा है।

श्री अध्यक्ष: स्पेसिफिक दो। मैंने कहा कि दो का जवाब दें तो इन्होंने दो का जवाब दिया। आपने दो प्रश्न पूछे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप अलाउ नहीं करेंगे तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंहजी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उस मरीज की मौत आक्सीजन की कमी से नहीं, वह कई बीमारियों से ग्रसित थीं। जो मरीज आई.सी.यू. में एडमिट है तो वह वहां पर घूमने फिरने तो आया नहीं है। सीरियस पेशेंट होगा ही। आई.सी.यू. में हो, वेंटिलेटर पर हो तो इसका मतलब तो सीरियस पेशेंट ही है। आपने बाद में यह कहा कि कुछ देर के लिए आक्सीजन का प्रेशर कम हुआ और एम्बू बेग से हमने उसको मैनेज किया। यह एम्बू बेग माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पुराने जमाने की बात है, जब गांवों में कुछ भी नहीं हुआ करता था तो उसको पेशेंट के मुंह पर लगाकर हाथ से वह आक्सीजनेट करते थे।

श्री अध्यक्ष: ये भी डाक्टर हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ये दूसरे डाक्टर हैं और मैं वही डाक्टर हूं जिसकी आप बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ये पीएच.डी. वाले डाक्टर हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): तो मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय ने स्वीकार तो किया है कि आक्सीजन का प्रेशर कम हुआ और यह केवल बीकानेर की ही बात नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच पेशेंट की डेथ जोधपुर के अन्दर हुई, मुख्य मंत्रीजी के गृह जिले में हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह केवल बीकानेर का प्रश्न है। बीकानेर का प्रश्न है केवल। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जितने भी खराब इंस्ट्रूमेंट्स हैं ... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप पूरे राजस्थान की बात करो। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): जितने भी खराब इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट दी है कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स थे और कितने खराब हैं तो...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, सीटी स्कैन जो डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में मशीन लगी हुई है, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या उनका एनुअल मेंटिनेंस कांट्रेक्ट दिया हुआ है? इन्होंने जो वहां की लोकल कमेटी के ऊपर छोड़ रखा है, उसमें एक बार मशीन खराब हुई तो छह महीने बाद इंजीनियर आता है, इतना लम्बा बिल बनाकर देता है और उसको ठीक करवाते नहीं हैं। जबकि एनुअल मेंटिनेंस कांट्रेक्ट अगर दें तो मेरे ख्याल से शायद समस्या नहीं आए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए आप।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या मंत्री महोदय एनुअल मेंटिनेंस कांट्रेक्ट, ए.एम.सी. का देने का इरादा रखते हैं?

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप भी चिकित्सा मंत्री रहे हैं तो जो खराब उपकरण छोड़कर गए थे, दो साल तो हमको उनको ठीक करने में लग गए। उसके अलावा चूंकि आप डाक्टर हैं और वह भी एम्बू बेग वाले तो मुझे तो थोड़ा सा संदेह होता है। इसलिए संदेह होता है कि आपने उस समय स्वाइन फ्लू को महामारी बता दी।

श्री अध्यक्ष: जवाब क्या है? नहीं, आप जवाब पर आओ।

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): जवाब बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब स्वाइन फ्लू को जो महामारी बता सकते हैं तो वे डाक्टर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि महामारी तो ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्वाइन फ्लू की वजह से इतनी मौतें हो जाएं, सरकार अब भी अगर गम्भीर नहीं हो तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। आज जोधपुर में, जयपुर में...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पूरे राजस्थान में मौतें हो रही हैं। (व्यवधान)

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अंकित नहीं करने के निर्देश)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, विराज जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा तेज आवाज में बोलने से कोई चीज सही नहीं हो जाती है। आप हर बात पर जो तेज-तेज बोलते हो, उससे वह सही नहीं हो जाती है। मैंने आपसे सीधी सी एक बात कही है कि यह महामारी नहीं है। महामारी नहीं है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री कालीचरण सराफ। आपका किसी का भी अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्या। जवाब आने दीजिए कालीचरणजी के प्रश्न का।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: कौनसी महामारी? जो सदन में फैल रही है।

ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता राशि

202. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत तीन वर्षों में राज्य में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को कितनी राशि का मुआवजे के रूप में भुगतान किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ओलावृष्टि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी सहायता प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) गत तीन वर्षों में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को सीआरएफ/एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के मानदंडानुसार निम्न प्रकार कृषि आदान अनुदान का भुगतान किया गया है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**राशि (लाखों में)**
1.	2009-10	224.83
2.	2010-11	963.45
3.	2011-12	554.61

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

(2) केन्द्र सरकार से ओलावृष्टि के लिए पृथक से सहायता नहीं दी जाती है बल्कि अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के लिए एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नलिखित है-

क्र.सं.	**वर्ष**	**राशि (करोड़ों में)**
1.	2009-10	494.02
2.	2010-11	450.50
3.	2011-12	473.02

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से आपको 2009-10 में प्राकृतिक आपदा के लिये 494.20 करोड़ रुपये मिले और आपने ओलावृष्टि पर खर्चा किया केवल 2 करोड़ 24 लाख और 2010-11 में 450.50 करोड़ मिला, उसमें से खर्चा किया 9 करोड़ 63 लाख और 2011-12 में आपको मिला 473 करोड़, उसमें से आपने खर्चा किया 5 करोड़ 54 लाख। मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अपने मद में जो हजारों किसान बरबाद हो गये ओलावृष्टि से, उसमें आपने अपने मद से कितना पैसा उनको मुआवजे के रूप में दिया? दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में वर्षवार यह बतायें कि कितने-कितने किसानों को आपने मुआवजा दिया? तीसरा मुआवजा देने के आपके मापदण्ड क्या हैं? चौथा जिन गांवों में 50 प्रतिशत से कम खराबा हुआ है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनको कितना मुआवजा आप देंगे? इन चार प्रश्नों का आप जवाब दे दें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि यह राशि हमको ओलावृष्टि के लिये नहीं मिली थी। यह सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिये भारत सरकार से मिली थी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, उस प्राकृतिक आपदा में ओलावृष्टि भी तो है।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): ओलावृष्टि में, जहां-जहां गिरदावरी में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा आया, वहां-वहां यह राशि दी गयी है। जहां तक आप कह रहे हो राज्य सरकार का, तो यह राशि मिली हमको भारत सरकार से। यह 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार से मिलती है, 25 प्रतिशत राशि इसमें राज्य सरकार का हिस्सा होता

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

है, तो राज्य सरकार का भी हिस्सा है। यह राशि हमको एस डी आर एफ नोर्म्स से मिलती है। आप कह रहे हैं तो उनको ही देंगे न जिनका खराबा आयेगा। यह हर व्यक्ति को देने के लिये नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 50 प्रतिशत से कम खराबा वालों के लिये आप क्या कर रहे हैं?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): एस डी आर एफ, एन डी आर एफ नोर्म्स में सिर्फ 50 प्रतिशत या उससे अधिक खराबा होने पर ही देने का है और आपने भी अपने कार्यकाल में उनको ही दिया था।

श्री अध्यक्ष: केवल खराबे की बात ही कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मुझे अब नहीं पूछना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपने जिस राशि का वर्णन किया, वह सारी की सारी राशि भारत सरकार के एस डी आर एफ के नोर्म्स के अनुसार मिली वह राशि है। क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि पाला और ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों के लिये हम अलग से मुआवजा नीति बनायेंगे। क्या आपकी वह मुआवजा नीति बन गयी है? और अगर वह मुआवजा नीति बन गयी है तो उस मुआवजा नीति के अन्तर्गत आपने कितनी राशि दी? दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि इस बार जो किसान ओलावृष्टि से बरबाद हुए हैं, जिनकी गिरदावरी आपने अभी चालू कराई, वह गिरदावरी रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी और उसकी राशि कब वितरित कर देंगे? इन दो बातों का आप जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आ जाने दीजिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय सदस्य, आपने पाला और शीतलहर का कहा, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के अथक प्रयास से पाला और शीतलहर प्राकृतिक में शामिल नहीं थी, उसको हमारे प्रयत्नों से उसमें शामिल कर लिया गया है।

श्री अध्यक्ष: इनका ज्यादा जोर ओला पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं ओलावृष्टि की बात कर रहा हूं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): इस बार की जो आप कह रहे हैं, उसका मैं एक विस्तृत वक्तव्य सदन में दे चुका हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, गिरदावरी की प्रारम्भिक रिपोर्ट हमको 31 मार्च को प्राप्त होगी और हमने इन्टरिम आधार पर जिला कलक्टरों को 40 करोड़ रुपये आबंटित कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न और ले लें। (व्यवधान) आपको अलाउ किया क्या? अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। आपको अलाउ किसने किया?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट प्रश्न। श्री प्रभुलाल सैनी।

नैनवां (बूंदी) में संचालित भगवान आदिनाथ जयराज मारवाड़ा महाविद्यालय

203. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि भगवान आदिनाथ जयराज मारवाड़ा महाविद्यालय नैनवां (बूंदी) में 2003 से स्ववित्त पोषित योजना चल रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उसे सार्वजनिक क्षेत्र में घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (डा. दयाराम परमार): जी हां। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के कारण भगवान आदिनाथ जयराज मारवाड़ा महाविद्यालय, नैनवां (बूंदी) को राजकीय क्षेत्र में लिया जाना प्रस्तावित नहीं है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपकी जवाबदेही और पारदर्शी सरकार शिक्षा के प्रति इतनी गम्भीर है कि आपने अपने जवाब में कहा है कि सीमित संसाधनों के अभाव में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय को राजकीय करने में असमर्थ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कमिश्नर, कालेज शिक्षा राजस्थान में कितने कालेजों के बारे में, जो स्ववित्त पोषित थे, उनके बारे में परीक्षण कराया और परीक्षण में उन सात कालेजों में क्या नैनवां कालेज भी उसमें सम्मिलित था? यदि नहीं, तो उसके क्या मापदण्डों में कमी रही? दूसरा, मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि सर्वशिक्षा अभियान हो या सबको शिक्षा का अधिकार का जो कानून बना है, क्या आप उप खण्ड स्तर पर, तहसील स्तर पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखते हो? यदि नहीं रखते हो तो क्यों नहीं रखते हो? इसका आप मुझे जवाब दो।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत हमारे सात महाविद्यालय प्रदेश में चल रहे हैं और हम चाहते थे कि सातों महाविद्यालय सरकारी क्षेत्र में लिये जायें, लेकिन वित्त विभाग ने 7 में से 2 महाविद्यालय सरकारी क्षेत्र में लेने के लिये बजट में प्रावधान किया, वित्तीय प्रबन्ध किया। जहां तक हर तहसील मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने का प्रश्न है, पी पी पी मोड पर हम सभी तहसील मुख्यालय, उपखण्ड मुख्यालय, जहां किसी भी प्रकार का महाविद्यालय, न प्राइवेट है, न गवर्नमेंट का है, वहां पर हम पी पी पी मोड फर्स्ट, जहां पर हम दो करोड़ रुपये और लैण्ड अवेलेबल करायेंगे और जहां किसी मुख्यालय पर किसी भी तरह का कालेज है और वहां पर दूसरे कालेज की आवश्यकता है तो वहां पर 1 करोड़ रुपया देने का प्रावधान है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जयराज मारवाड़ा महाविद्यालय नैनवां वहां पर 2003 से स्ववित्त पोषित चल रहा है। 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर हैं, 250 से ज्यादा गर्ल्स वहां पर अध्ययन कर रही हैं। आर्टस, कामर्स और कम्प्यूटर शिक्षा उनको दी जा रही है और एस सी, एस टी, ओबीसी और एस बी सी तथा

(श्री प्रभुलाल सैनी)

बी पी एल परिवार के स्टूडेण्ट्स से साढ़े 5 हजार रुपये सालाना फीस ली जा रही है। आपने जैसा कहा कि पी पी पी मोड पर सरकार ने महाविद्यालय खोलने की योजना रखी है। क्या वहां पर जब तक पी पी पी मोड पर महाविद्यालय नहीं खुलेगा, तब तक क्या उन लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जायेगा? इसके बारे में भी आप मुझे जानकारी देने का कष्ट करें।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा से वंचित रखने का तो कोई प्रश्न नहीं है। स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आलरैडी वहां पर हमारा कालेज चल रहा है। लेकिन स्ववित्त पोषित योजना लम्बे समय तक नहीं चल सकती है। ऐसी स्थिति में भविष्य में सरकार को पांच कालेज, जो हमारे रह गये हैं स्ववित्त पोषित योजना के, उनको एडाप्ट करना चाहिये। लेकिन आप जान रहे हैं कि इस साल चुनाव होने वाले हैं, अब मैं किसी तरह का एश्योर करता हूं तो उसका मतलब नहीं होता है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय मंत्री महोदय, प्रस्ताव तो आपके पास विचाराधीन है। जैसा कि वहां पर भवन उपलब्ध है, अच्छी गुणवत्ता वाले टीचर्स पैसे के अभाव में अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। बच्चों का शिक्षा का स्तर दिनों-दिन गिरता जा रहा है। क्या जवाबदेही और पारदर्शी सरकार की यही पहचान है। आखिरी में आप यह भी बता दें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्ष महोदय, गर्ल्स कालेज की इन्होंने घोषणा की है घोषणा पत्र में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपसे सम्बन्धित नहीं है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मंत्रीजी आप तो घोषणा करो।

श्री अध्यक्ष: श्री नरपत सिंह राजवी।

प्रश्न संख्या-204

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री छोटू सिंह भाटी।

समरी सैटलमेंट के समय तरमीमों में रही त्रुटियों के सुधार हेतु रिसैटलमेंट कार्यक्रम

205. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

पूर्व में हुए समरी सैटलमेंट के समय तरमीमों में हुई त्रुटियों के कारण काबिल काश्त भूमि गैर मुमकिन मगरा एवं अन्य गैर मुमकिन श्रेणियों में दर्ज हुई व गैर मुमकिन भूमि मुमकिन के रूप में दर्ज हुई तथा कई काश्तकारों की भूमियां समरी सैटलमेंट एवं 1970 नियम के तहत अलाटमेंट के समय गलत तरमीमों की वजह से मूल स्थानों से हटकर अन्य स्थानों पर तरमीमें हो गई, परन्तु काश्तकार अपने कब्जे के हिसाब से पुरानी भूमियों पर काश्त कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में क्या सरकार जैसलमेर जिले के लिये अथवा सभी जिलों के लिये रिसैटलमेंट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(12.00 बजे)

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): पूर्व में हुए समरी सैटलमेन्ट के समय तरमीमों में हुई त्रुटियों की दुरुस्ती राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकार्डस) रूल्स, 1957 के नियम 60 में अंकित किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा की जाती है1 वर्तमान में जिला जैसलमेर में भू-प्रबन्ध संक्रियाएं जैरकार नहीं हैं, न ही कोई रिसैटलमेन्ट के प्रस्ताव राज्य स्तर पर विचाराधीन हैं।

राज्य में वर्तमान में 22 जिलों की 43 तहसीलों में भू-प्रबन्ध संक्रियाएं जैरकार हैं। उक्त तहसीलों का भू-प्रबन्ध कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही नवीन तहसीलों का भू-प्रबन्ध कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो त्रुटियां रही हैं भूअभिलेख में, (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): हिन्दुस्तान को आजाद हुए कितना लम्बा समय हो गया लेकिन वे त्रुटियां दूर नहीं हुई। काबिल काश्त होते हुए भी किसान दूसरी जगह काश्त कर रहा है और सैटलमेंट में समय के हिसाब से

(श्री छोटू सिंह भाटी)

गलत तरमीम हो गई। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन त्रुटियों को कब ठीक किया जायेगा? कब किसानों से बात की जायेगी?

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

1. श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर शहर में फैली स्वाइन फ्लू की महामारी को रोकने हेतु विशेष प्रयास नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राजाखेड़ा उपखण्ड मुख्यालय को चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।
3. श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से गोविन्दगढ़ जिला अलवर को तहसील घोषित करने के सम्बन्ध में।
4. डा. जसवन्त सिंह यादव एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से तहसील बहरोड़ को जिला घोषित नहीं करने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
5. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी सदस्य की ओर से यूआईटी भीलवाड़ा द्वारा तिलक नगर योजना में 968 प्लाटों की निकाली लाटरी में कथित अनियमितता होने के सम्बन्ध में।
6. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में विगत 7 दिन से अराजकता तथा कानून विहीन वातावरण बना होने से आम आदमी के परेशान होने के सम्बन्ध में।
7. श्री बाबूलाल खराड़ी एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में कोटड़ा व झाड़ोल में कृषि उपज मण्डी की स्थापना करने के सम्बन्ध में।
8. श्री अनिल जैन सदस्य की ओर से प्रदेश के सरकारी तथा अनुदानित स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावास आदि गृहों को अनुदानित कीमत पर गेहूं व अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।
9. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से खनन रायल्टी से प्राप्त एक प्रतिशत राशि से पंचायतों को सीसी रोड बनाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

10. श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के रेवदर एवं आबू रोड में कृषि मण्डी की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

11. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से जिला पाली के जवाई बांध के क्षेत्र को फोरेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने से वहां के किसान, मजदूर एवं पशुपालकों में आक्रोश की भावना उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

12. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से जिला पाली के दूसरे सबसे बड़े सरदारसमंद बांध के केचमेंट क्षेत्र में अनेक अवैध निर्माण हो जाने से किसानों में भारी रोष के सम्बन्ध में।

13. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से आनासागर झील के किनारे बसी रिहायशी कालोनियों व शहर के विभिन्न स्थानों की ड्रेनेज सिस्टम में व्याप्त कमियों से शहरवासियों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

14. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से जयपुर व भरतपुर जिले सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बाल श्रम व मानव तस्करी की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मा. सदस्य श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री ज्ञानचन्द पारख, श्री वासुदेव देवनानी एवं श्री ओम बिरला को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से जिला चिकित्सालय कोटा में जननी शिशु सुरक्षा का लाभ गर्भवती महिलाओं को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर नगरपरिषद क्षेत्र की गुरूनानक बस्ती, पुरानी आबादी में गन्दे पानी के गड्डों में अतिक्रमणों की बाढ़ आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से जिला सीकर की स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री बाबूलाल बैरवा सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर के खेडली में उप तहसील खोलने के सम्बन्ध में।

5. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की सड़कों का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में।

6. श्री बाबू सिंह राठौड सदस्य की ओर से शेरगढ़ उपखण्ड की वृहद जलप्रदाय योजना आर.डी. 134 देवानिया-नाथडाउ-कनोडिया-54 मील-चौरड़िया-शेरगढ़ का कार्य करवाने के सम्बन्ध में।

7. श्री कानसिंह कोटड़ी सदस्य की ओर से उपखण्ड मुख्यालय सिवाना पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

8. कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से राज्य के सीमावर्ती जिलों के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भादवाडी (खण्डेला) में शिक्षक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से बूंदी से केशवरायपाटन वाया माटून्दा रायथल, बूंदी से गरड़दा तथा बूंदी से डाबी के लिए रोडवेज की बसों का संचालन करने के सम्बन्ध में।

11. श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से राज्य के समस्त पुजारियों की वंशानुगत भूमि उन्हें वापिस दी जाकर खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में।

12. श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम लेवरोकलां में बनी रपट पर पुलिया का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

आज समय का कुछ अभाव रहेगा इसलिए 295 के प्रस्तावों को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आज 6 बजे फोटो ग्रुप होगा इसलिए आप कृपया उसमें सम्मिलित हों। श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

(12.10 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जवाई बांध के क्षेत्र को फोरेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने से स्थानीय लोगों में उत्पन्न आक्रोश

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उपाध्यक्ष महोदय, 2013-14 के बजट अभिभाषण पर 120-121वें पैरे पर जवाई बांध के आसपास के क्षेत्र फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के तहत 19.8 किलोमीटर एरिया को रिजर्व रखा गया है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा मंत्रिमण्डल में पास करके इसका गजट नोटिफिकेशन भी निकाला गया है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि दो वर्ष पहले कुम्भलगढ़ गेम्स सैंक्चुअरी के तहत पूरा क्षेत्र पर्वतीय है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे हैं लेकिन देखिए मंत्री महोदय और माननीय सदस्यगण आपस में किस तरह बात कर रहे हैं। ऐसा तो सार्वजनिक पार्क में भी नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष: सचेतक महोदय, आप अपने विधायक को कन्ट्रोल में करिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): कुम्भलगढ़ सैंक्चुअरी में उसको सम्मिलित किया गया है, उससे लोग परेशान हैं। उनको कोई न्याय नहीं मिलने के कारण, आज अभी विधान सभा के माध्यम से मालूम पड़ा कि जवाई बांध के आसपास के क्षेत्र को फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के तहत 19.8 किलोमीटर एरिया को रिजर्व किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जवाई बांध के डूब में स्याणा, जीवदा, दूदनी, बीसलपुर, बलरना और उसके आसपास का क्षेत्र कोठार, बैलार, मालनू, लुंदाणा, नाना, सियाणा, पैरवा ऐसे कई गांव फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के तहत शामिल किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब से टीनेंसी एक्ट लागू हुआ है, उसमें जो खातेदार थे और जब यह जवाई बांध बना तब लोगों को मुआवजा मिला। लोगों

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

ने सरकार को मुआवजा वापस लौटाया। पहली जमाबन्दी में उनका नाम था और आज भी उनका कब्जा है उनको सरकार ने 6-1-ए के तहत उनको गैर खातेदारी राइट्स दिए। ऐसी कई सिवाय चक जमीनें वहां पड़ी हुई हैं। कमेटी के द्वारा विधायक और सरपंच के माध्यम से सिवाय चक गैर खातेदारी राइट्स अस्थायी तौर पर देकर जो गैर भूमिहीन काश्तकार हैं, उनको काश्तकारी नियम के तहत चार बीघा, पांच बीघा जमीन खेती के लिए हम उसको देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे कई काश्तकार हैं जिनके केस आज भी राजस्व मण्डल और विभाग में लम्बित हैं और 6-1-ए में आज भी उप खण्ड अधिकारी के यहां लम्बित हैं। वह जमीन आज भी सिवाय चक बोल रही है लेकिन वह वर्षों से काबिज हैं। उनके पुराने खातेदारी राइट्स हैं और वे खेती कर रहे हैं। वह भूमिहीन काश्तकार है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि कि यह फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट लागू तो कर दिया आपने लेकिन काश्तकारों की यह हालत हो जाएगी कि वह खेती भी नहीं कर पायेंगे। उनकी जो पूरी जमीन है, ये मैं जो आपको गांव बता रहा हूं स्याणा, जीवदा, दूदनी, बीसलपुर, बलरना की 80 परसेंट जमीन जवाई के डूब क्षेत्र में है। जब यह क्षेत्र सूखता है तो सूखने के उपरान्त यह लोग गैर काश्तकार खेती करते हैं तो फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट लागू होने से उनकी खेती बरबाद हो जाएगी। वह खेती नहीं कर पायेंगे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो कोठार, बैलार, मालनू, लुंदाणा, नाना, सियाणा, पैरवा में जो फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट लागू किया है..

श्री उपाध्यक्ष: आप क्या चाहते हो? फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट लागू किया है उसे खतम कर दें। बस बात यही है न? और क्या चाहते हो?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): वहां हजारों की संख्या में पशुपालक हैं। उनका मेन काम है, वह भेड़, बकरी, गाय, भैंस चराते हैं। (व्यवधान) सौ से ज्यादा वहां पैंथर हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, ये आपस में बात कर रहे हैं। कुछ तो करो, श्रीमुख खोलो उपाध्यक्ष महोदय। कुछ तो बोलो,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय। सदन में बचेगा क्या ...(व्यवधान) माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं, मंत्रिमण्डल के सदस्य देखो आप, हालत क्या है, कुछ तो श्रीमुख खोलो +++

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आसन को +++ कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मुद्दा माननीय सदस्य ने उठाया, यही मैटर है मेरे वाला भी। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आज हजारों की संख्या में उनकी भेड़ें मरती हैं ...(व्यवधान) उनकी बकरियां मरती हैं ...(व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार, हर रात, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह कोई न कोई मरे हैं, दस-बीस भेड़ मार दीं ...(व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): यह पशुपालन का मैटर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): गायें मार दीं, भैंस मार दीं और सरकार से उनको मात्र दो हजार रुपये मुआवजा मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उसमें भी दो-दो साल लग जाते हैं उनको मुआवजा मिलने के लिए...(व्यवधान) यह फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट लागू हुआ है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इतनी बड़ी संख्या में वहां पैंथर हैं ...(व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालकों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): पिछले दस साल में जो पैंथर मात्र पांच-छह थे आज वहां इनकी संख्या 100 से ज्यादा है। आज सुबह मेरे पास एक काश्तकार मेवाराम का फोन आया कि मैं पूरी रात भटकता रहा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ज्ञानचन्दजी पारख। आप समाप्त करें। केवल ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजें, आपका अब समाप्त हो गया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्दजी पारख, शुरू करिये, आप बोलिये। केवल ज्ञानचन्दजी पारख का। आप उनको बोलने दें, माननीय पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ज्ञानचन्दजी, आपका आयेगा। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, आप विराजिये। माननीय ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सरकार का अधिकार है जवाब दे या नहीं दे पर मंत्रिमण्डल के सदस्यों को शून्य काल में तो होना चाहिए। माननीय सदस्य ने कितनी व्यथा, पीड़ा व्यक्त की है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रिमण्डल के पांच सदस्य हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कौन नोट कर रहा है? हम इस सदन में आते हैं, जनता की आवाज बन कर आते हैं। आपने इतना महत्वपूर्ण विषय यहां रखा, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई लिखने को तैयार नहीं, कोई जानकारी लेने को तैयार नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: सहकारिता मंत्रीजी।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जवाई बांध वाला मामला उठाया, इसमें किसी भी किसान की कोई खातेदारी जमीन कोई भी इसमें रिजर्व में नहीं आयेगी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी कई ऐसे प्रकरण लम्बित हैं, जो जमीन सिवायचक है पर 61(ए) के तहत जहां मुआवजा वहां पर सरकार को बताया जाता है, उसका कब्जा है, उसको 61(ए) के तहत आज भी राजस्व मण्डल में उनकी अपील पेंडिंग है और यह उपखण्ड अधिकारी के भी पेंडिंग है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारी की सारी जमीन सरकारी जमीन है, किसी भी खातेदार की एक बिस्वा भी जमीन इस रिजर्व फोरेस्ट में नहीं आयेगी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): तो सिवायचक जमीनें हैं, जो आज भी सिवायचक जमीन है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सरकार की है वो तो, सरकार की जमीन है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): जो मामला आज भी पेंडिंग है उसको गैर खातेदारी मिली है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सरकार की जमीन है, उसमें क्या है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): उनको गैर खातेदारी मिली है, मुआवजा जमा करने के बाद उनको खातेदारी मिली है, जब पूर्व में वो खातेदार थे और वो जमीन सिवायचक की गयी और उनको मुआवजा सरकार को वापस लौटाया गया, ऐसे प्रकरणों को 61(ए) के तहत गैर खातेदारी दी गयी है।

आज भी खातेदारी नहीं दी जाती है, आज भी वहां गैर खातेदारी दी जाती है। आज जो वहां की कमेटी है, वहां का प्रधान, एम.एल.ए. और सरपंच, हम गैर खातेदारी टेम्परेरी राइट्स देते हैं, वो भी हम नहीं दे पायेंगे इस भूमिहीन काश्तकार को । इसके अलावा ऐसे कई प्रकरण हैं, पुराने जमाने में उनकी जमाबंदी, उनकी आज भी खातेदारी थी और आज भी उनके प्रकरण विचाराधीन हैं एस.डी.एम. कार्यालय में और रेवेन्यू बोर्ड में आज भी पेंडिंग हैं। ऐसे मामले में आप क्या करेंगे?

दो-दो साल से मुआवजा नहीं मिल रहा है और मुआवजा भी आप क्या देते हो, दो हजार रुपये, एक हजार रुपये। उसकी गाय मर जाती है, किसी की भैंस मर जाती है, किसी की बकरियां, भेड़ सब हैं और इससे आम आदमी परेशान है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि इससे संख्या बढ़ी है, इस कन्जर्वेशन एक्ट के लागू होने से आपको कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से इस कन्जर्वेशन एक्ट में आप नहीं लायें। आज से दस साल पहले जहां खाली पांच पैंथर थे, आज वहां 100 से ज्यादा पैंथर हैं, पहले 200 मगरमच्छ थे आज वहां कम से कम एक हजार से ज्यादा मगरमच्छ हैं जवाई

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

बांध में। जब आप कन्जर्वेशन नहीं लाये, उससे पहले ही वहां इसकी संख्या बढ़ रही है तो कन्जर्वेशन एक्ट लाने की क्या जरूरत है, इससे आम आदमी को परेशानी है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

सरदारसमंद बांध के कैचमेंट क्षेत्र में अवैध निर्माण से व्याप्त रोष

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले का दूसरा सबसे बड़ा बांध है सरदारसमंद बांध जो लगभग 100 साल पहले स्टेट के माध्यम से बना, महाराजा के माध्यम से बना है और उसका एक मात्र उपयोग सिंचाई के लिए हो रहा था और उस बांध के कमाण्ड क्षेत्र में 12 गांवों की 65 हजार बीघा जमीन आती है। बांध में पानी आता है तो 65 हजार बीघा जमीन में सिंचाई के माध्यम से कृषि होती है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय संसदीय सचिवजी, या तो इधर विराजिये या उधर।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1994 में राज्य सरकार ने एक निर्देश जारी किया कि इस बांध के कैचमेंट क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अन्य बांध, एनिकट या कोई सुरक्षा दीवार या अन्य कोई निर्माण न किये जाएं जो पानी की आवक में बाधक हों या बाधा बनें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2004 में माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस तरह के आदेश राजस्थान के कई बांधों के लिए किये, उसमें पाली का यह सरदारसमंद बांध भी, और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि इस बांध के कैचमेंट क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा निर्माण, जो पानी की आवक में बाधा पहुंचाता हो, किसी भी सूरत में न किया जाए और साथ में माननीय उच्च न्यायालय ने यहां तक निर्देश दिये कि यदि पूर्व में कोई बांध या एनिकट बन गया हो, जिसकी ऊंचाई दो मीटर से ज्यादा हो तो उसकी ऊंचाई भी कम कर के दो मीटर तक सीमित की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे आदेश सरकार ने दे दिये, माननीय उच्च न्यायालय ने दे दिये पर हालत क्या है? उसके बावजूद भी कई अवैध निर्माण सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से, अनदेखी से, मिलीभगत से इस बांध के कैचमेंट क्षेत्र में हो गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बार हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा मानसून आया और इस बांध के कैचमेंट क्षेत्र में सात साल बाद औसत से भी अधिक बरसात हुई। जितनी बरसात हुई उससे यह लगता था कि यह बांध

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

इस बार पूरा भरेगा, इस पर चादर चलेगी लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात है कि भारी वर्षा होने के बाद भी इस बांध में नाम मात्र कापानी आया जबकि बरसात इतनी कि यह बांध कम से कम दो बार भरना चाहिए पर नाममात्र का पानी आया। यहां के काश्तकारों को चिंता हुई कि पानी आया क्यों नहीं जबकि कैचमेंट क्षेत्र में बहुत ही व्यापक बरसात हुई है। तो काश्तकारों ने अपने स्तर पर इसके कैचमेंट क्षेत्र का पूरा का पूरा सर्वे किया, काश्तकार कैचमेंट के ठेठ पहले सिरे तक पहुंचे और एक-एक जगह को देखते हुए गये तो उनको बहुत सारे आश्चर्यजनक निर्माण मिले। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीलावास में तो पूरा का पूरा बांध बन गया, नदी की सुरक्षा दीवार, बाढ़ बचाव कार्य के नाम से स्वीकृति जारी हुई और बाढ़ बचाव होता है नदी के दोनों किनारों पर। तो बाढ़ बचाव के नाम से नदी के बीच में दीवार छोटा बांध बनाकर इस पानी की आवक को रोका और छोटे-मोटे एनीकट अनेक जगह निर्माण कर लिये और पानी ऊपर का ऊपर रह गया और जिस बांध में पहुंचना था उस बांध में पहुंचा नहीं।

इसके साथ ही पी.डब्ल्यू.डी. या अन्य विभाग, जिन्होंने वहां सड़कें बनायीं, जो पहले रपट नीचे थी उसको ऊंचा भी नहीं लिया उन्होंने और नीचे जहां पाइप लगाने थे वहां पाइप लगाये नहीं तो पानी वहीं पर रुक गया, वो पानी भी यहां नहीं पहुंचा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे अनेकों बांध खड़े हो गये, ऐसे अनेकों एनीकट खड़े हो गये, अनेकों रपट बन गयीं और इस बांध का पूरा का पूरा मटियामेट सरकारी अधिकारियों की लापरवाही, उदासीनता और अनदेखी से हो गया और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सारी स्वीकृति जारी हुई न ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट की बात और है।

जो सारी स्वीकृतियां जारी हुईं, कोई न कोई सरकारी विभाग से जारी हुईं। चाहे कोई एनिकट बना, चाहे छोटा बांध बना, चाहे सुरक्षा दीवार बनी, जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिये कि ऐसा नहीं होना चाहिए उसके बावजूद भी करोड़ों की राशि सरकार की इस बांध में एनिकट या इस बांध के पहले एनिकट या रपट या छोटे बांध हैं, इसके निर्माण में खर्च हो गयी।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से यही आग्रह है कि वहां कम से कम पांच हजार काश्तकारों की रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया। पैंसठ हजार बीघा में सिंचाई होती थी वह सारा का सारा इलाका अब सिंचाई से वंचित हो गया और वह अधिकारियों की लापरवाही, अनदेखी और मिलीभगत से हुआ। मेरा आग्रह है वह किसान आन्दोलित है, गुस्से में है।

श्री उपाध्यक्ष: आप क्या चाहते हैं?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं सरकार से चाहता हूं कि जो सरकार ने आदेश दिये और जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए, उन निर्देशों की पालना यह सरकार करवाए। अगर कोई अवैध निर्माण इसके कैचमैंट क्षेत्र में हुआ तो उस अवैध निर्माण को सरकार तत्काल हटवाए ताकि अगली बार इसका लाभ इन काश्तकारों को हो सके। जिन अधिकारियों ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की अनदेखी करके सरकार के निर्देश की अनदेखी की और सरकारी राशि का वहां अपव्यय किया उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। ऐसी मेरी सरकार से मांग है।

श्री उपाध्यक्ष: यह अवैध निर्माण माना जाएगा, गवर्नमेंट ने स्वीकृति जारी की है उसकी? आप कोर्ट डिसीजन की बात मत करिए, आप रियलिटी की बात करिए। आप सदस्य पहली दफा नहीं आए हैं। उसको अवैध माना जाएगा क्या? कोर्ट क्या डिसीजन देता है उसको अलग रखिए, गवर्नमेंट इसको अवैध मानेगी क्या?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप मेरी बात तो सुन लें। आप मुझसे पूछ लेना।

श्री उपाध्यक्ष: आप मेरी सुनकर के जवाब दे दीजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): वह अवैध निर्माण इसलिए माना जाएगा कि स्वीकृति तो किसी और काम की जारी की कि सुरक्षा दीवार बनाई जाए और काम कोई और मौके पर दूसरा करके वहां बीच में दीवार बनाकर बांध खड़ा कर दिया। राशि किसी और काम के लिए स्वीकृत हुई और गांव वालों ने अधिकारियों से मिलकर दूसरा काम कर दिया जो पानी की आवक में बाधक बना। यह बहुत बड़ी मिलीभगत है, यह वाकई में अवैध है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार को इस बात के निर्देश दें आप कि इसकी एक बार जांच कराएं और जो भी गलत निर्माण हुआ है, जिस काम की स्वीकृति जारी हुई वह

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

निर्माण करें, कोई दिक्कत नहीं है पर काम किया कोई और स्वीकृत और बनाया कुछ और।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय वासुदेव देवनानीजी।

अजमेर में अकुशल ड्रेनेज सिस्टम से उत्पन्न असुविधा

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर एक ऐतिहासिक नगर है। बहुत पुराना शहर है, इसकी बसावट भी काफी पुरानी है। इस आधार पर शहर का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत पुराना है। वर्षा जब भी आती है कालोनियों में पानी भर जाता है, लोगों के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शहर में लगभग 58 नाले हैं जो पूरे के पूरे कच्चे हैं। यह नाले ठोस कचरा डालने, अतिक्रमण, झाड़ियां, पेड़ आदि उगने के कारण सक्रिय हो गये हैं। कई स्थानों पर तो यह क्षमता के अनुरूप भी नहीं रह गये हैं। ज्यादातर नाले पक्के नहीं होने के कारण गंदगी का पानी भी बाहर आ जाता है जिसके कारण पूरा शहर आज गंदगी से परेशान है।

शहर का जो नगर निगम है वह पूरी तरह से नाकारा है। यहां तक पिछली बार बरसात आने तक उन्होंने नालों के टेण्डर तक नहीं खोले। यह स्थिति आज शहर की बनी हुई है। शहर के चारों ओर जो आज स्थिति है वह बड़ी भयानक बनी हुई है। हमारे शहर में एक आनासागर झील जिसके चारों ओर रिहायशी कालोनियां भी बनी हुई हैं, गत वर्ष अच्छी बरसात हुई और बरसात के कारण जो स्थिति बनी उसके अन्दर सागर विहार कालोनी, आम का तालाब, मोती विहार कालोनी ऐसी कई कालोनी थीं जो पानी में डूब गयीं और पम्पों को लगाकर के पानी निकालना पड़ा। इनमें से एक-दो कालोनी तो ऐसी हैं जिनमें लगातार आज भी पम्प चल रहा है।

ऐसी दुखदायी स्थिति के बाद भी हमारी सरकार के कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही है और इसीलिए मोती विहार कालोनी के अन्दर जो एस्केप चैनल है बाड़ी नदी का वहां पानी भरा हुआ है। जिसके कारण बच्चे दो-तीन बार तो उसमें गिर चुके, डूबते-डूबते बचे हैं। दो इंच भी बरसात हुई तो वह पानी आकर के पूरी कालोनी को डूबो देगा। इसके साथ ही यदि इस झील के किनारे पुष्कर रोड पर एक विश्राम स्थली भी बनी हुई है जहां उर्स के मेले में और अन्य समय में वहां पर जायरीन ठहरते हैं। आज भी उसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है और अगली बरसात यदि अच्छी हुई तो मैं समझता हूं कि विश्राम स्थली का पानी बाहर मेन पुष्कर रोड पर आ जाएगा और इन कालोनियों के

(श्री वासुदेव देवनानी)

अन्दर घुस जाएगा। जिसके कारण से परेशानी अधिकतर कालोनी निवासियों को हो जाएगी।

आज सागर विहार कालोनी, मोती विहार कालोनी, वन विहार कालोनी, नगरा, प्रकाश रोड, अलवर गेट, गुलाब बाड़ी आदि ऐसे क्षेत्र हैं जो इस समस्या से पूरी तरह ग्रस्त हैं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एक मिनट लूंगा। इसके अलावा आज भी कभी नाले जैसे ओवर फ्लो हुए, सारे शहर के मुख्य मार्गों तक गंदा पानी बहता रहता है। जिससे जो हमारे मेन शहर की जान है मदार गेट, स्टेशन रोड, कचहरी रोड, महावीर सर्कल, गंज नला बाजार, यह क्षेत्र पूरी तरह से पानी से बह जाते हैं। अत: हम इस समस्या से परेशान हैं। अभी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वह पूरी खामियों के कारण भरा हुआ है इससे हमको परेशानी उठानी पड़ रही है।

मेरी मांग है कि इन सारे नालों का पुनर्निर्माण किया जाए। सरकार बार-बार कहती है प्रस्ताव विचाराधीन हैं जब भी वित्तीय संसाधन होंगे तो हम इसको पूरा करेंगे। कब आयेंगे वित्तीय संसाधन? आज उर्स का मेला जल्दी आने वाला है, उस समय यह जायरीन कहां ठहरेंगे? आज कोई भी विदेशी आता है वह मदार गेट या कचहरी रोड से निकलता है या दरगाह में जियारत करने के लिए लोग आते हैं, फव्वारा सर्कल से निकलते हैं उस समय गंदा पानी भरा हुआ रहता है।

मेरी मांग है कि यह सारे जो 58 नाले हैं जिसमें मेन दरगाह बाजार है, धान मण्डी है, देहली गेट है, जी पी ओ मार्ग है, मेन उसका दाता नगर का जो नाला है, आहूजा पुलिया है, फाई सागर से ज्ञान विहार तक बाड़ी नदी नाला है, काजीपुरा, आतेड का नाला है, केशवनगर है, राजीव कालोनी है, रातीडांग है, नौसर से आना सागर तक कैलाशपुरी है, कोटड़ा है, नागफणी है, इससे गुजरने वाले नाले हैं कुन्दन नगर है, पलटन बाजार है, पुलिस लाइन आना सागर इसके चैनल तक के नाले हैं जो शहर में बहुत पुराने हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरुरत नहीं है। अपने आपको कहते हैं कि पैसों की कमी विकास के लिए नहीं है लेकिन अजमेर जैसे शहर के लिए 60-70-80 करोड़

(श्री वासुदेव देवनानी)

रुपए की जरुरत होती है, सर्वे भी कई बार हो चुका है लेकिन इसके लिए सरकार ने प्रावधान नहीं किया है। अगले उर्स के मेले से पहले आप इन नालों का पुनर्निर्माण कराएं ताकि शहर को समस्याओं से निजात मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओमजी बिरला।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बेटा बेटी तो कराओ जब थाली बजाएं।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी सीट से बोल सकते हैं। दूसरे की सीट से बोलना मना है यहां।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): खड़ा कहां हुआ मैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी आवाज कैसे आ रही है फिर?

प्रदेश में व्याप्त बाल श्रम व मानव तस्करी

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इक्कीसवीं सदी में चलने के बाद भी इस देश और प्रदेश के अन्दर मानव तस्करी का घिनौना अपराध, बाल श्रमिकों से मजदूरी, नाबालिग लड़कियों की तस्करी, बेचना यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। राजस्थान के अन्दर 1 फरवरी,तक 38 हजार 43 लोगों के लापता की रिपोर्ट सरकार ने दर्ज की। इसमें जीरो से 18 साल की नाबालिग बच्ची जिसकी संख्या 6749 थी उसमें से आज भी 932 बालिकाएं केवल फरवरी तक और मैं अगर आंकड़े मार्च तक रखूं तो 1400 से 1500 बालिकाएं जो नाबालिग हैं वह प्रदेश से अभी भी लापता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत चिन्ता का विषय है कि हमारे सराउण्डिंग स्टेट में जहां गरीबी है, जहां पर आज भी हम दो समय के खाने का इन्तजाम नहीं कर पाए। उन बच्चियों को पालने के लिए धन नहीं है, जिसके कारण बड़ी संख्या के अन्दर मानव तस्करी भी होती है और बड़ी संख्या में बच्चियों की तस्करी भी होती है1 सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने भी इस विषय पर गम्भीर टिप्पणी की है। नवम्बर में हाई कोर्ट की डबल बैंच ने यहां तक कहा है कि सरकार कमजोर तबकों को सुरक्षित रखने में असक्षम और लाचार है। यह बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, हम सबको भी चिन्ता है कि जिसकी बच्ची गायब होती है, नाबालिग बच्ची गायब होती है वह ढूंढ-ढूंढकर थानों में जाता है लेकिन थानों में केवल एम पी आर दर्ज की जाती है, मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। कई उदाहरण मैं पेश कर सकता हूं जिसके

(श्री ओम बिरला)

अन्दर फरियादी के मां-बाप अपनी नाबालिग बच्ची को ढूंढने के लिये थानों के एस पी से लेकर डी जी और मुख्य मंत्री के दरवाजे तक दस्तक देते रहे। उसकी आंख के आंसू सूख गये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन सरकार को उस नाबालिग बच्ची को ढूंढने की चिन्ता नहीं। वह छोटा बच्चा आखिर घर से लापता हुआ तो कहां गया? सरकार उसको ढूंढकर ला नहीं सके। सारे प्रदेश, सारे देश इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी लापता बच्चों के लिये गम्भीर है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी 2 दिन पहले की घटना यहां राजस्थान में घटी है। जिस तरीके से राजस्थान के अन्दर मानव तस्करी हो रही है, छोटे-छोटे बच्चों को, बाल श्रमिकों को राजस्थान में काम लिया जाता रहा है, कहां से आये वह बाल श्रमिक? कभी सरकार ने कोशिश नहीं की कि इन बच्चों को कहां से कहां ले जाया जा रहा है। कहां-कहां 500 रुपये में बंधुआ मजदूर बनाकर काम लिया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा और विधान सभा के बाहर पहले भी कह चुका हूं अगर हम संवेदनशील नहीं होंगे उन बच्चे-बच्चियों के लिये जो नाबालिग है, जो घर से गुस्सा करके चले गये हैं, या जिनके माता-पिता ने बेच दिया है, श्रम कानून बने हुए हैं। मानव तस्करी के कानून बने हुए हैं लेकिन सरकार यह बताए कि राज्य में क्या मानव तस्करी नहीं हो रही ? क्या राज्य में जिस तरीके से राज्य सरकार अपने प्रश्न में जवाब देती है कि यहां कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, राजस्थान के अन्दर जयपुर के दरवाजे के नजदीक चले जाओ, भट्टा बस्ती के तमाम इलाके में चले जाओ। वह 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा जिसकी जिन्दगी खेलने के लिये है और जिसकी जिन्दगी अभी बची है। कई लेख भी लिखे हैं उनका बचपन मत छीनो, उन बच्चों की खेलने की उम्र है लेकिन मजबूरी में उनसे काम कराया जा रहा है। बंधुआ मजदूर कानून, बाल श्रम कानून के तहत करोड़ों रुपये पड़े होने के बाद भी सरकार उन बंधुआ मजदूर और बाल श्रमिकों को छुड़ा न सके, बाल श्रमिकों को किस तरीके से काम मिले? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा गम्भीर, मेरा कहना है कि...

श्री उपाध्यक्ष: आपको कितना समय हो गया आप ही बताओ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): राजस्थान सरकार अगर उन नाबालिग बच्चों को ढूंढ नहीं पायेगी तो राजस्थान की जनता...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बैठ जायेंगे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मुख्य मंत्रीजी, आपके दरवाजे पर भी दस्तक देगी। क्योंकि कोटा की सरोज आज भी जो दीपावली के उजाले में गायब हुई...

श्री उपाध्यक्ष: आप भी गये थे क्या...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उसके मां-बाप दस्तक देते हुए आत्महत्या के कगार पर पहुंच गये हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनको मैं कोटा, आई जी के पास भी लेकर गया, डी जी के पास भी लेकर गया, मिनिस्टर के पास भी लेकर गया और मुख्य मंत्री के पास भी लेकर गया...

श्री उपाध्यक्ष: हां तो बिरलाजी...(व्यवधान) श्री रामहेत सिंहजी... (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हुआ क्या ?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): दरवाजे दस्तक तक, लेकिन यह निकम्मी सरकार न बच्चों की चिन्ता करती, न बालिकाओं की चिन्ता करती...

श्री उपाध्यक्ष: आप शुरू करिये आप रामहेत सिंहजी। ऐसे नहीं... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ऐसे संवेदनशील विषय पर भी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री रामहेत सिंहजी। अब आप विराजो। आपको 10 मिनट हो गये। माननीय श्री रामहेत सिंहजी...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अगर गम्भीर नहीं है तो इसका मतलब...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल रामहेत सिंहजी...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: रामहेत सिंहजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल रामहेत सिंहजी। अंकित नहीं होगा इनका। रामहेत सिंहजी...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल रामहेत सिंहजी...

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: रामहेत सिंहजी, एक मिनट। मंत्रीजी कुछ बताना चाहते हैं इस सदन को। इसके बाद...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): देखो मैं तो जिम्मेदारी का जवाब दूंगा आपको...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हां-हां बिलकुल। आप तो मंत्री का जवाब...(व्यवधान) रोक देंगे तस्करी...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप सरकार हैं। ऐसे ये दूंगा, वो दूंगा, नहीं। आप खड़े हुए हैं, सरकार की तरफ का वर्जन है, वह बोलिये जो सरकार को बोलना है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सरकार की तरफ से ही बोल रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष: यस।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मानव तस्करी का मामला नहीं, यह बाल श्रमिकों का मामला है। जयपुर से सियालदेह एक्सप्रेस में बच्चे जा रहे थे। हमारे विभाग को जानकारी मिली। हमारे बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने थाना जी आर पी से मिलकर वहां रेस्क्यू टीम बनाकर अचानक सियालदेह एक्सप्रेस पर बच्चों को ढूंढा और 63 बच्चों को हमने उनसे मुक्त कराया है जिनको हमने 7 बच्चों को सेठी कालोनी, जयपुर के किशोर बाल गृह में भेजा है, 16 बच्चे आई इंडियन संस्थान, जयपुर में भेजे हैं, 13 बच्चे जन कल्याण संस्थान, जयपुर में भेजे हैं, 15 बच्चे डिजर्व संस्थान, जयपुर में भेजे हैं, 10 टाबर संस्थान, जयपुर भेजे हैं...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये। आप सुनिये...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी। केवल मंत्रीजी का भाषण।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग को जिम्मेदारी से काम करना था वह हमने

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

किया है। उसके लिये हमारी बाल आयोग की अध्यक्ष खुद उनसे मिलकर आयी हैं। भरतपुर में पूरी टीम ने काम किया है। बाल श्रमिक जो हमारी नजर में आते हैं हम उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं, उनकी देखरेख के लिये हमारे संस्थान हैं उनमें हम रखते हैं। उनका पूरा ख्याल रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: उनका यह कहना है कि इसको थोड़ा सा रेपिडली और कैसे करें...

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बिलकुल, हम और जिम्मेदारी से आगे बढ़ाकर ऐसे कामों को करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: रामहेत सिंह जी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें। माननीय रामहेत सिंहजी, केवल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

मेवात क्षेत्र में गतिहीन विकास कार्य

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर, भरतपुर को मिला करके मेवात क्षेत्र कहलाता है। मेवात क्षेत्र में इतना पिछड़ापन है आज जिसके कारण से लोग बहुत दुःखी हैं, पीड़ित और व्यथित हैं। कांग्रेस ने अपना राज आया तो यह घोषणा की थी कि मेवात क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, स्कूल, कालेज, प्रशिक्षण आदि दिया जायेगा लेकिन हालत यह है कि 2 आई टी आई कालेज खुले। एक तिजारा में गत वर्ष और एक किशनगढ़ में, दोनों को वहां स्थापित नहीं करके अलवर में चलाया जा रहा है। इसी तरह से पूरे मेवात क्षेत्र में एक भी सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। मेरे क्षेत्र में बरसिंहपुर बाघोड़ा से पढ़ने वाले बालकों को 18 किलोमीटर किशनगढ़ आना पड़ता है। बाई बरेड़ा थौंस के बालकों को पढ़ने के लिये 27 किलोमीटर तिजारा जाना पड़ता है। इसी तरह से दूरदराज के इलाके में एक भी स्कूल नहीं है। इसी तरह से एक भी डिग्री कालेज मेवात क्षेत्र में नहीं है। उसका कारण है कि सरकार का इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं है। माननीय भैरोंसिंहजी ने गोविन्दगढ़ में कालेज खोला था उसमें आज की डेट में न साइंस है, न कामर्स है और न ही उसको पी जी किया गया।

(श्री रामहेत सिंह)

इसी तरह हम बात करें स्व-रोजगार की। वहां रोजगार उपलब्ध कराने के लिये जो ऋण व्यवस्था है, या शिक्षा ऋण है। पढ़ने के लिये बच्चे बैंक से जो ऋण लेते हैं, मात्र 4 साल के अन्दर 59 लाख रुपये ऋण स्वीकृत किये हैं 98 लोगों को और उसमें से भी 29 लाख रुपये इस वर्ष 2012-13 के बजट से ही दिया गया है, जबकि 2009-10-11 में 6600 लोगों ने ऋण के लिये आवेदन किया था और अधिकतर जो ऋणी हैं उन्होंने भैंस के लिये किया है। एक भी ऋणी को 1 लाख से ज्यादा ऋण नहीं दिया।

इसी तरह से मेवात विकास बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा अभी बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 60 लाख की घोषणा की है और पिछले 4 साल में जो बजट दिया वह मैं बताना चाहता हूं कि मेवात विकास बोर्ड में स्वीकृत जो बजट है मेवात का वह 5472 लाख आबंटित किया। उसमें से 2985 लाख और जो खर्च हुआ है वह मात्र 15 करोड़ 4 साल में हुआ है, यानि 27 परसेंट। यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के राज में 18 करोड़ रुपये बजट में रखे थे। आबंटित किये 18 करोड़ और खर्च हुए 19.9 करोड़, 105 परसेंट बजट खर्च किया गया...

श्री उपाध्यक्ष: यह पर्ची है, बजट की स्पीच नहीं है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): पर्ची की ही बात है साहब...

श्री उपाध्यक्ष: आप तो उप सचेतक हैं पार्टी के...

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): पर्ची की ही बात कर रहा हूं। जो 105 परसेंट था। इसी तरह से सरकार ने एक भी स्कूल नहीं खोले, एक भी कालेज नहीं खोले। मेरा आपके माध्यम से सरकार से, मंत्री महोदय से आग्रह है कि किशनगढ़ बास में, तिजारा में, गोविन्दगढ़ कालेज को पी जी करें। इसी तरह से गोविन्दगढ़ जो उप तहसील है उसको तहसील बनाएं इसको रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए जिस तरह से शिक्षा का मामला है, वहां पर मेवात में 158 मदरसे चलते हैं जिसमें से 60 मदरसे ऐसे हैं जिनमें एक भी पैराटीचर नहीं है। इसी तरह से आवासीय विद्यालय जो वसुन्धराजी ने खोले थे, 16 आवासीय विद्यालय खोले थे। उन आवासीय विद्यालयों की दुर्दशा है। भरतपुर में 5 आवासीय विद्यालय खोले थे।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): कैथवाड़ा में तो थाना खोल दिया। जौहरुकला में आंगनबाड़ी खोल दिया। डोडा और गुलपाड़ा आज तक खाली पड़े

(श्री रामहेत सिंह)

हैं, उनको चलाया नहीं गया। जो हमारे यहां 11 आवासीय विद्यालय खोले थे बालिकाओं के, उनमें से एक भी विद्यालय को ढंग से संचालित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें माननीय सदस्य। धन्यवाद, विराजिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): किसी में बाउंड्री नहीं है, किसी में पानी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री रमेश चन्द्रजी मीणा।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को मेवात पर ध्यान देना चाहिए वर्ना वहां पर अपराध बढ़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: रमेश चन्द्रजी आप बोलिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): चिकित्सा और शिक्षा की उचित व्यवस्था हो। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इतनी अंधी, गूंगी हो गयी कि लापता बच्चों और बच्चियों के बारे में ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ मूंडला की बच्ची 15 दिन से गायब है, नाबालिग बच्ची है ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बच्चे गायब हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय रमेश चन्दजी का अंकित होगा। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के ...(व्यवधान) आयुर्वेद, यूनानी ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल रमेश चन्दजी का अंकित होगा ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

टोडाभीम में चिकित्सा सुविधाओं में अपेक्षित सुधार

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): राजस्थान में सब जगह आयुर्वेद से सम्बन्धित संस्थान खोले गये हैं। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि करौली, सवाई माधोपुर जिलों की पर्वत श्रृंखलाओं में विभिन्न प्रकार की बहुत ही उपयोगी औषधियां हैं, इसलिए यहां पर एक अनुसंधान संस्थान खोला जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वर्तमान में जो चिकित्सा सेवा की स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए सम्भागीय मुख्यालयों पर ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट हैं, लेकिन सातों सम्भागीय मुख्यालयों में से केवल अजमेर में एक ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यरत है। बाकी 6 पोस्ट खाली हैं। इसी प्रकार से जयपुर में विभिन्न निदेशालयों में जो रिक्त पदों की स्थिति है, उसके कारण से कार्य का सुपरविजन प्रभावित होता है। इससे पूरे प्रदेश का चिकित्सा तंत्र प्रभावित होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ विभिन्न जिलों में जो टीकाकरण की स्थिति है, उसमें भी करौली, सवाई माधोपुर और यह पूरा राजस्थान ही काफी पीछे है। उसका मुख्य कारण यह है कि चिकित्सा कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। भर्ती के मामले में विभाग काफी पिछड़ा हुआ है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में तो चिकित्सा की अत्यन्त ही दयनीय हालत है। वहां कर्मचारी 24 घंटे रुकते नहीं हैं। बिना परमिशन के मुख्यालय छोड़ देते हैं। इसके उदाहरण आपको पूरे राजस्थान में ही मिलेंगे। सौप, नादौती, जिला करौली में और उसके साथ बालघाट में यहां पदस्थापित चिकित्सकों को जब भी हमने देखा तो वह अपने कार्य स्थल पर कभी उपलब्ध नहीं रहते हैं। वहां 2 बार बड़े एक्सीडेंट हो गये तो सौप में जो पदस्थापित कर्मचारी हैं वह वहां नहीं थे। इसी तरह से गुढाचन्द्रजी में भी कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे।

उपाध्यक्ष महोदय, 2010-11 की बजट घोषणा में 300 बैड का अस्पताल जिला करौली में घोषित किया गया था। घोषणा करने के बाद भी आज तक उस भवन का निर्माण नहीं हुआ है। 150 बैड अतिरिक्त क्षमता की करौली के लिये घोषणा की गयी, वह असत्य निकली। आज तक भवन का भी निर्माण नहीं हुआ। करौली जिला मुख्यालय पर जांच के लिए मशीनें उपलब्ध हैं लेकिन वहां पोस्ट खाली होने के कारण करोड़ों रुपयों के इंस्ट्रूमेंट बेकार पड़े हुए हैं।

(श्री रमेश चन्द मीणा)

उपाध्यक्ष महोदय, रिक्त पदों की स्थिति के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 102-31.08.2010 के उत्तर में यह बताया गया था कि करौली जिले में चिकित्सकों के 21 पद रिक्त हैं। लेकिन आज की तारीख में वहां 70 से अधिक पद रिक्त हैं अकेले करौली जिले में। उसमें से विशेषकर टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र की दोनों तहसीलें, जिनमें से टोडाभीम में 8 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, नादौती में 11 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। इस तरह से 19 पद रिक्त हैं। जबकि 31.08.2010 को आश्वासन दिया गया था कि जल्दी से इसको भर देंगे। लेकिन यह आज तक नहीं भरे गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इसको थोड़ा छोटा करें।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सुधार किया जाये। पिछले सितम्बर, अक्टूबर में करौली जिले में 40 मरीजों की मृत्यु हो गयी थी। सीएमएचओ ने स्वीकार ही नहीं किया कि यह डेंगू के केस हैं। लेकिन जयपुर से भेजी गयी टीम की जांच के बाद पता चला कि यह सभी मरीज डेंगू के थे। वहां इसकी जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। करौली जिले में इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, इसको देखा जाये और आगे उसके लिये क्या उपचार किया जा सकता है यह भी देखें।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय डा. जसवन्त सिंह यादव।

बहरोड़ को जिला बनाया जाना

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बजट 2012-13 के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हम राजस्थान के अन्दर जिले घोषित करेंगे लेकिन इस बार कोई चर्चा नहीं की। जब उन्होंने पिछले बजट में ही घोषणा कर दी तो लोगों के मन में आया कि हमारी अपनी तहसील भी जिला बन जाये।

मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिये बहुत ही जोर-शोर से प्रचारित किया कि हमने एक कमेटी बना दी और जो कमेटियों के सामने अपना प्रतिवेदन रखेगा

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

या जो कमेटी निर्णय करेगी वह फैसला हमको मंजूर होगा। कमेटी के लोग जिलों में भी गये, तहसील में भी गये। आप देखिये, बहरोड़ से ऐसा कोई संगठन नहीं है जो उस कमेटी से नहीं मिला हो, मुख्य मंत्री से डेपुटेशन लेकर आये और नहीं मिला हो और जिसने अपनी बात नहीं रखी हो। अब आने-जाने में ही लोगों के कितने तो पैसे बरबाद हो गये। अगर हम सरकार पर दबाव बनायेंगे, अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगे तो शायद सरकार सुन सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को यह पता नहीं था कि मुख्य मंत्रीजी की जो घोषणा है वह बजट वाले दिन पूर्ण होगी या नहीं होगी। लेकिन लोगों ने अपने मन में इस बात को रखा। बाजार भी बंद हुए, लोग मिले भी। बहरोड़ वैसे भी कमेटी के हर मापदंड पर जिला बनने के लिये खरा है। एक तो वहां औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र पूरे वर्ल्ड के मैप पर है। जापानी जोन, कोरिया जोन, इतनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री आ गयीं कि वह अब छोटे-छोटे काम के लिये अलवर जायेंगे तो कुछ दिनों के अन्दर ही यह क्षेत्र पिट जायेगा। इसी तरह से रिसोर्ट भी बने हुए हैं। नेशनल हाइवे पर भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भिवाड़ी, कोटकासिम, मुण्डावर, बानसूर, कोटपूतली इनको मिलाकर के बहरोड़ को जिला आज ही जब मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तो उसमें घोषित करें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): डिफेन्स के अन्दर भी मेरे क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा हैं। 100 प्रतिशत लिट्रेट हैं। सभी तरह से क्षेत्र के लोग अपनी बात को कहने में सक्षम हैं। डिफेन्स में शहादत देने वाले, देश के लिये कुर्बानी देने में भी अगर कहीं के लोग सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं तो बहरोड़ के हुए हैं। बहरोड़ के साथ न्याय करें। मुख्य मंत्रीजी अपनी बात को यथार्थ करके दिखायें, उन्होंने घोषणा की है। बहरोड़ को जिला घोषित करें, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानसिंहजी।

गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सार्थक प्रयासों की आवश्यकता

श्री मानसिंह (परबतसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के लिये बहुत ही संवेदनशील और आवश्यक विषय की ओर आपका ध्यानाकर्षित करना

(श्री मानसिंह)

चाहूंगा। कल अमरुदों के बाग़ में राजस्थान भर के किसान, गौ सेवक और गौ पालक धरना देने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान की आय का मुख्य स्रोत गौ सेवा, पशुपालन हमारे राजस्थान में है। राजस्थान की जनता भावनात्मक, धार्मिक रुप से भी इन सभी विषयों से जुड़ी हुई है। आज किसान कृषि से ज्यादा अगर पूर्ति कर रहा है अपने परिवार की तो वह गौ सेवा या पशुपालन से कर रहा है। लेकिन गौ वंश को लेकर सभी गौ पालक और किसान चिंतित हैं। क्योंकि राजस्थान में जो संस्थाएं गौ सेवा से जुड़ी हुई हैं वह तीन तरह की हैं। एक तो जो कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट के अन्दर रजिस्टर्ड हैं या एनजीओ के साथ चला रही हैं, दूसरी सरकार चला रही है, तीसरी जो ट्रस्ट हैं या देव स्थान विभाग के द्वारा चलाई जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब माननीय वसुन्धरा राजे मुख्य मंत्री थीं तब गौ सेवा के लिये गांवों में गायों के भरण-पोषण के लिये 24 रुपये प्रतिदिन प्रति गौ वंश के हिसाब से दिये जाते थे और छोटे बछड़ों के भरण-पोषण के लिए 12 रुपये प्रतिदिन दिये जाते थे। इसके अलावा गौ शालाओं को 50 प्रतिशत तक बिजली के बिल में भी छूट थी। गौ शालाओं के लिए जमीन खरीदी जाती थी उसके लिए 50 प्रतिशत तक रजिस्ट्री शुल्क में भी छूट दी जाती थी। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में आज भी गौ वंश के लिए आजीवन छूट दी जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने अनुदान बंद कर दिया है, इसको चालू कराये। इसके अलावा गौ वंश खाली भरण-पोषण से ही नहीं बच सकता। इसके लिये अनुसंधान की भी आवश्यकता है। इनकी जो प्रसिद्ध पशु नस्लें हैं उन नस्लों को बचाने की भी आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यकता है अनुसंधान की, अनुसंधान भी हो, अनुसंधान विश्वविद्यालय खोले जायें और साथ में प्रसिद्ध पशु नस्ल के सीमन बैंक भी खोले जाएं जिससे हमारे यहां के किसान अच्छी नस्ल के पशु के लिए बैंक की सुविधा प्राप्त कर सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार ने कामधेनू विश्वविद्यालय की स्थापना की है जिसमें 222 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान भी किया है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, राजस्थान में भी यूनिवर्सिटी नहीं है क्या?

श्री मानसिंह (परबतसर): गौ संवर्द्धन के लिये, गौ विकास के लिये खाली।

श्री उपाध्यक्ष: उसी में सब चीज है, उसी में राठी नस्ल की गायें हैं।

श्री मानसिंह (परबतसर): नहीं। वह अलग है, उसमें गौ वंश के लिए अनुसंधान नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: बीकानेर हैडक्वाटर है उसका, ए.के. गहलोत वाइस चांसलर हैं। सारा काम वहीं होता है यह। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): गायों की हालत क्या हो रही है यह तो आपको मालूम है। गंगानगर में 24 बार ट्रक पकड़े गये, जो गौ वध करने के लिये लोग ले जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कहां जा रहे हैं वह गौ वंश लेकर ...(व्यवधान) माफी चाहता हूं, कहां जा रहे थे?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): दिल्ली जा रहे थे, पकड़े गये। एफआईआर दर्ज हुई है। गौ शालाओं को अगर आप अनुदान दे दें ... (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं गांवों का बता रही हूं। रामगंजमण्डी के अन्दर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सौ-सौ गायें एक साथ गायब होती हैं, बाड़े चल रहे हैं कटनी के, आप करवाइये कार्यवाही।

श्री मानसिंह (परबतसर): उपाध्यक्ष महोदय, जो गौ वंश की प्रसिद्ध नस्लें हैं उनके विकास के लिए अलग से ही कोई विश्वविद्यालय खोला जाये जिसमें सभी पशुओं के लिए हो लेकिन गौ वंश के लिए अलग से जैसे छत्तीसगढ़ में कामधेनू विश्वविद्यालय खोला है, गुजरात में गौ पालन विश्वविद्यालय अलग से खोल रहे हैं, इसमें विशेषकर गौ वंश का ध्यान दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, गौ शालाओं के लिए हमारी सरकार 10 साल के लिए लीज पर भूमि दे रही है जबकि अन्य राज्यों में 30 साल के लिए इसकी लीज का प्रावधान रखा हुआ है। अन्तरराष्ट्रीय सहायता भी तभी मिलती है जब इस अवधि के लिए भूमि आपके पास हो। इसके लिए मेरा निवेदन है कि यह अवधि 30 साल राज्य सरकार से करवाये। इस प्रकरण में गौ वंश बचाने के लिए जो सुझाव दिए हैं इन बिन्दुओं पर आप गौर करें। कल जो अमरूदों के बाग़ में बाहर से आ रहे हैं साधु संत, गौ पालक और किसान, उनसे समझौता

(श्री मानसिंह)

करके उनकी मांगों पर विचार किया जाये और वकीलों जैसी स्थिति नहीं आये, कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए मेरा आपसे सुझाव है कि समझौता करके सरकार उस पर ध्यान दे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ साहब, आपने सब्जैक्ट नहीं लिखा, इससे पर्ची की वेल्यू खतम हो जाती है। आइन्दा ध्यान रखें और संक्षेप में थोड़ा सा।

सूचना

अधिवक्ता-पुलिस टकराव प्रकरण में अपेक्षित सरकारी कदम

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आज पूरे प्रदेश के अन्दर पिछले एक सप्ताह से जो अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। आज इस प्रदेश के दो वर्ग, एक को हम प्रबुद्ध वर्ग कहते हैं, कानून विज्ञ कहते हैं, वह और हमारा कर्तव्यनिष्ठ पुलिस बेड़ा एक दूसरे के आमने-सामने है। आज भी 2 हजार हमारे अधिवक्ता मौन जुलूस लेकर विधान सभा की तरफ बढ़ रहे हैं। बाहर तनाव है और तनाव हो भी क्यों न, एक तरफ पुलिस के एडिशनल एसपी कहते हैं कि जहां अधिवक्ताओं के पैर पड़ गये, शहीद स्मारक पर उसको शुद्ध होना चाहिए। दूसरी तरफ अधिवक्ता कहते हैं कि जिस न्यायालय परिसर में पुलिस ने प्रवेश कर लिया, वह शुद्ध होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद उस वर्ग से आते हैं। मैं किसी वर्ग की पैरवी नहीं कर रहा हूं लेकिन इन सब चीजों के जन्म का कारण वह घोषणा पत्र, जिस घोषणा पत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा कर दी थी कि अधिवक्ताओं को, सीए को, प्राइवेट डाक्टर्स को हम राजकीय आवास योजना के अन्दर प्राथमिकता देंगे, न्यूनतम दरों पर मकान देंगे। अब साढ़े चार साल तक जब उनकी घोषणाएं पूरी नहीं हुई तब उन्होंने अपना आंदोलन चालू किया। अगर 28 फरवरी को मुख्य मंत्रीजी बात कर लेते तो शायद यह नौबत नहीं आती, अगर 6 मार्च को सरकार के विधि मंत्री बात कर लेते तो यह नौबत नहीं आती। आज राजस्थान की बदनामी पूरे देश में हो रही है। देश के 82 लाख वकीलों ने हड़ताल की है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता आज हमारे पुलिसकर्मी भी हैं वह भी हमारी रक्षा के लिए हैं, उन्होंने लाठियां छोड़ दी हैं और पुलिस मैस का बहिष्कार करना चालू कर दिया। आपको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सुनकर आश्चर्य होगा कि बाड़मेर में पुलिसकर्मियों ने वाहन रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारे लगाने चालू कर दिये। यह एक तरह से संवैधानिक संकट की ओर राजस्थान बढ़ रहा है। राज्यपाल महोदय ने चिंता व्यक्त की है, उन्होंने सार्वजनिक अपील की है और हमारे मुख्य मंत्रीजी जब बजट का जवाब दें तो आज राजस्थान जिस विस्फोटक कगार पर खड़ा है, मेरी मांग है आपके माध्यम से, यहां मंत्रीगण सुन रहे होंगे, मुख्य मंत्रीजी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अधिवक्ताओं से बात करनी चाहिए, पुलिस से बात करनी चाहिए, दोनों में सामंजस्य बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा हो जाये कि मंगल पाण्डे की सैनिक क्रांति के बाद पहली बार किसी डिसिप्लिनरी फोर्स ने यहां राजस्थान के अन्दर एक तरह से पुलिस ने बगावत की है।

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा आपसे निवेदन है, आसन से निवेदन है कि आप व्यवस्था फरमायें इस पर और सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। दोनों वर्गों से बात करे, अधिवक्ताओं से बात करे और उनकी न्यायसंगत बातों को माने, मेरी यही आपसे मांग है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री कैलाश चन्दजी भंसाली। माननीय श्री कैलाश चन्दजी भंसाली (अनुपस्थित)।

डाक्टर जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2009-2010 के लेखों की आडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के लेखे वर्ष 2009-10 की आडिट रिपोर्ट व टिप्पणी

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2009-10 के लेखों की आडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

याचिका

सूरसागर की भूरंटिया कच्ची बस्ती का नियमन

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में भूरण्टिया कच्ची बस्ती के 2500 घरों की कालोनी के नियमन सहित मूलभूत सुविधाएं विकसित करने बाबत एक याचिका उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनीता सिंह, सदस्य, विधान सभा, एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

नगर के झंझार स्थित बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र नगर के झंझार पंचायत स्थित बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं-

जहाजपुर के जोधपुरिया ग्राम में नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय

(1) जहाजपुर पंचायत समिति की टीटोड़ा जागीर ग्राम पंचायत के ग्राम जोधपुरिया में नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने बाबत एवं

धुंवाला-जहाजपुर-पण्डेर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की स्वीकृति

(2) फ्लोराइडयुक्त पानी वाले गांवों के लिये धुंवाला-जहाजपुर-पण्डेर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को स्वीकृत करवाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, प्रभारी मंत्री राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(13.00 बजे)

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2013-14 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।
2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2013-14 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।
3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में

(डा. रघु शर्मा)

से प्राक्कलन समिति 'ख', 2013-14 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2013-14 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।"

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

डा. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्तुत करता हूं:-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जन लेखा समिति, 2013-14, प्राक्कलन समिति "क", 2013-14, प्राक्कलन समिति "ख", 2013-14 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2013-14 प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230 (1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा (1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल

(डा. रघु शर्मा)

अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।"

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-14, वाद विवाद।

श्री अलाउद्दीन आजाद।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष माननीय सदन के नेता मुख्य मंत्रीजी ने 2013-14 का जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके पक्ष में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरे प्रदेश के किसी भी क्षेत्र को, इलाके को, व्यक्तियों को और इसमें रहने वाले किसी भी क्षेत्र के व्यक्तियों को कुछ न कुछ राहत देते हुए नहीं छोड़ा है। हमारा शुरू से यह मत रहा है, सरकार का मत रहा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी का मत रहा है कि जितने पिछड़े हैं, जितने शोषित हैं, इतने लोगों की वर्षों से कोई सुध नहीं ले रहा था, उन लोगों को कुछ न कुछ राहत दे दी जाए। जब यह बजट आया तो पूरे सदन में, पूरे राजस्थान में एक भूचाल आ गया। यह ऐसा बजट था जिस बजट ने गरीबों की नब्ज टटोली थी और इसके बारे में जिन लोगों ने अपने विचार प्रकट किये कि न कोई विजन है, न कोई दशा है, न कोई दिशा है और यह केवल एक चुनावी बजट है, मगर इसका जवाब देते हुए उन लोगों ने, जो लोगों की भावनाओं को जानते थे, इस प्रदेश का लाभ चाहते थे, भला चाहते थे, उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक बजट है, ऐसा ऐतिहासिक बजट है, जिसने भूतो न भविष्यति, न पहले कभी रखा है और बाद में भी ऐसा बजट रखने के लिए जोर लगाना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विजन भी होता है तो किसी पार्टी का होता है, किसी व्यक्ति का होता है। वह विचारधारा जो मुख्य मंत्री की

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

विचारधारा है, वह गरीबों के आंसू पोंछने की है। पार्टी की जो विचारधारा है, वह गरीबों के पक्ष में बात कहने की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने याद दिलाते हुए कहा था कि महात्मा गांधी का क्या विचार था गरीबों के बारे में "The greatest man of our generation, Mahatama Gandhi, has to wipe every tear from every eye. As long as there are tears, our work will not be over." आंसू पोंछने का गरीबों के लिए प्रयत्न खूब करें, मगर वह कभी पूरा होगा, यह नहीं सोचना चाहिए, उसके लिए निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए। उसी के आधार पर दलितों को, महिलाओं को, वृद्धों को, विधवाओं को, सहरियाओं को, भीलों को और महिलाएं और वह लोग जो हर तरह से अपाहिज हैं और जिनके बारे में हमने कई योजनाएं भी बनाई हैं, उन सब को, उन्होंने राहत देने की कोशिश की है। इस बजट में सबसे पहली बात जो हमारे साथियों ने कही कि एक रुपये में गेहूं दे दो, दो रुपये में क्या दे दो, पांच रुपये में क्या दे दो। यह वह लोग जानते थे जो अपने बाल बच्चे लेकर के ऐसे सुदूर इलाके में झोंपड़ी में रहते हैं, जिनको एक एक दाने के लिए अपनी जिंदगी सहन करनी पड़ती है। सब लोग इस बात को नहीं जान पाते, वह लोग नहीं जान पाते जिन्होंने गरीबों का कभी हाल नहीं देखा, महलों में रहने वाले बड़े-बड़े सेठ, पूंजीपतियों का पक्ष लेने वाले व्यक्ति इन लोगों की बात नहीं जानते। मुख्य मंत्री ने ऐसे लोगों को 25 किलो गेहूं एक रुपये में देने का, 10 रुपये किलो में चीनी देने का और 5 रुपये किलो में फोर्टिफाइड आटा देने का जो पहले अधिक कीमत में दिया जाता था, सस्ता करके पूरे राजस्थान के 38 लाख 83 हजार आदमियों के आंसू पोंछने की कोशिश की है। इन घरों में चूल्हा जलेगा, इन घरों में खुशी की लहर चलेगी। इन सभी लोगों को यह मालूम पड़ेगा कि यह सरकार पहली बार आई है जिसने हमारी सुध लेकर हमारे चूल्हे जलाने की, हमारे बच्चों के खाने-पीने का इंतजाम करने की बात की है। यह सोच थी मुख्य मंत्रीजी की और इसको लोग बरदाश्त नहीं कर सके और कई तरह की बातें, ये हंसी मजाक करके कहने लगे। याद रखिए, महिलाएं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम करती हैं, गांव के लोगों को संभालने का काम करती हैं, उनका मानदेय बढ़ाया गया, दो- दो साड़ियां महिलाओं को और एक-एक कम्बल आदमियों को देने की बात की गई और जो छात्र हैं, वहां पर आंगनबाड़ी में जाने वाले, उनको भी दो-दो ड्रेस देने की व्यवस्था की गई है।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

याद रखिए कि आजकल 50 तरह की महिला उत्पीड़न की बात सामने आती है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार इस बात को लेकर महिला सुरक्षा के लिए टोल हैल्प लाइन चालू की है। सबसे पहले पहले चरण में यह सम्भागीय स्तरों पर चालू होगी। वृद्धावस्था पेंशन जिसके बारे में हम तीन साल से लगातार यह प्रयत्न कर रहे थे कि इसके हर्डल हटाए जाएं, इसमें जो शर्तें लगी हैं, हटाई जाएं। पहली बार मुख्य मंत्री ने उस हर्डल को हटाया है और मैं आपको बात बता दूं, आप बार-बार कहते हैं कि ताली बजाओ, ताली बजाओ, इस बात पर जब यह हर्डल हटाई गई, पूरे पक्ष और विपक्ष ने एक बार सब ने साथ ताली बजाकर यह साबित कर दिया कि ऐसे निर्णय भी किये जाते हैं, जो सर्वमान्य निर्णय हैं, सब के लिए लाभदायक निर्णय हैं। इस तरह का निर्णय किया गया, यह पहली बार ही पूरे सदन ने ताली नहीं बजाई, इससे पहले भी एक अवसर आया था, जब पूरे सदन ने ताली बजाई थी और यह था विधान परिषद् के निर्णय करने का।

अब यह निर्णय हमने अपने सामने किया। जो इन निर्णयों की बात करते बार-बार यह कहते हैं कि इधर चले जाओगे, उधर चले जाओगे, अगली बार भी जब हम बजट पेश करेंगे तो उसी तरह से आपको एक बार फिर ताली बजाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और यह कहने वाले कि आप चले जाएंगे, हम आ जाएंगे वो यह कहना भूल जाएंगे। मैं आपको यह बता दूं कि हमारी बालिकाओं पर मुख्य मंत्रीजी ने पैदा होने पर एक हजार रुपये देना, एक साल बाद दो हजार रुपये देना और पांच साल बाद दो हजार रुपये देने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि जो शादी होती है उन शादियों में पहले के मुकाबले में पैसा बढ़ाकर जो संस्थाएं सामूहिक शादी कराती हैं उनके रुपये बढ़ाने के लिए कहा है और सामूहिक विवाह को आगे बढ़ाने की कोशिश की है।

पालनहार योजना राजस्थान में बहुत ही मशहूर योजना रही है। इस पालनहार योजना में 675 रुपये मिलते थे उसे बढ़ाकर एक हजार रुपये करने की बातचीत की गई है। युवतियों को रोजगार देने की जो बात की गई है उसमें दो लाख युवतियों को रोजगार के किट देने का निर्णय किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां बहस में कई तरह की बातचीत चली और जयपुर को जब वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बातचीत की तब लोगों ने उसको बहुत कम आंका। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जयपुर एक ऐसा शहर है

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

जिसमें एक कवि ने कहा कि Jaipur is a city which might have been built in dream by a poet. वो शहर है जिसकी कल्पना अपने मन में किसी कवि ने की होगी मगर दूसरी कल्पना माननीय अशोकजी गहलोत ने की है। अशोक गहलोतजी ने दूसरी कल्पना यह की कि आप जब यहां आये थे तो मैट्रो का मामला यहां पर नहीं था, टनल का मामला नहीं था, यहां पर रिंग रोड का मामला नहीं था। आप जब यहां से जाएंगे तो यह देखेंगे कि जयपुर में आपको मैट्रो चलती हुई नजर आयेगी। आप टनल देखने चले जाइये आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि एक ही कार्यकाल में योजना बनाकर योजना को पूरा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो राजस्थान का मुख्य मंत्री अशोक गहलोत है। आपने यह भी देखा होगा पिछली बार कि जितने आर.ओ.बी. की घोषणा की गई, 13 के 13 आर.ओ.बी. का जब टाइम रख दिया गया कि इस टाइम पर पूरे होंगे तो उसी टाइम पर पूरे हुए। यह वो सरकार है, यह वो मुख्य मंत्री है जो कहता है वो करता है, जनता के हित में करता है, गरीबों के हित में करता है, शोषितों और पीड़ितों के हित में करता है। अब मैट्रो की बात दूसरे फेज में आई कि मैट्रो चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक भूमिगत चलेगी। 1123 करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा जिसमें 969 करोड़ रुपया एडीबी से लिया जाएगा। आप मैट्रो में ऊपर से चलते हुए इस शहर और मंजर को देखोगे तो डाक्टर साहब, आप नीचे से चलते हुए भी मैट्रो को देखेंगे। (व्यवधान) यह बताता हूं आपको कि वर्ल्ड क्लास सिटी की तरफ चलाया गया यह पहला कदम है। इस शहर के लिए इस बजट में और क्या किया गया कि... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप उनको उत्तेजित मत करो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इस माइक को काम में लो। आवाज नहीं आ रही है। आपकी बातें जोरदार हैं पर सुनना भी तो जरूरी है। थोड़ा झुकना सीखो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): हर व्यक्ति जो एसएमएस हास्पिटल में जाता है, वहां मरीजों की मारामारी रहती है, परेशानी रहती है और बरसों से यह कहा जाता रहा है कि इस बारे में कोई निर्णय कीजिये। अब निर्णय कर दिया है कि एक मेडिकल कालेज यहां पर खुलने जा रहा है। मानसरोवर, सीतापुरा, सांगानेर, टोंक रोड के 20 लाख आदमियों को एक साथ इस मुख्य मंत्री ने चिकित्सा सुविधा का अधिकार दिया है जो इस शहर की

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

स्वास्थ्य के मामले में शक्ल बदल देगा। उसके अलावा मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि रामगढ़ बांध के लिए अब तक फर्जी और थोथी बातें बरसों तक होती रही हैं। न्यायपालिका भी उसके रास्ते को साफ करने में अब तक सफल नहीं हो पाई है पर पहली बार एक भागीरथ प्रयत्न किया है। नदियों के जोड़ने की बात तो हम पहले सुनते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे, किताबों और अखबारों में रह गई मगर मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार मेज नदी से 100 किलोमीटर दूर से रामगढ़ बांध में पानी लाने का काम किया है। यह पानी 30 प्रतिशत पीने के काम में और 70 प्रतिशत सिंचाई के काम में आयेगा। यह जिस-जिस रास्ते से होकर आयेगा वहां पर हरियाली होगी, पैदावार होगी, लोगों में खुशहाली आयेगी और देश-विदेश के आने वाले पर्यटक जब मैट्रो में सफर करेंगे, जब अण्डरग्राउंड मैट्रो में सफर करेंगे, जब इस तरह के हालात यहां पर देखेंगे और हर तरह की सुविधाएं होंगी तो पर्यटन का कार्य जो बंद हो गया था वो दुबारा चालू हो जाएगा। इस तरह से इस शहर में एक बहुत ही नया अध्याय जुड़ेगा। यहां पर एसएमएस स्टेडियम में सारे कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम यहां पर होते हैं, करते हैं और मुख्य मंत्रीजी ने 15 करोड़ रुपये देकर इस स्टेडियम का कायाकल्प करने का निर्णय किया है, जयपुर शहर में यह भी एक देखने लायक बात होगी। आपने पिछले साल देखा होगा कि देश-विदेश के सारे लेखक, उच्च कोटि के लेखक यहां आकर लिटरेचर फेस्टिवल करते हैं। वो भी यहां दो-तीन साल से आने लगे हैं तो पूरे प्रदेश में जबरदस्त झगड़े-फसाद चालू हो जाते हैं। वो पाश्चात्य संस्कृति जिससे हम दूर रहते आये हैं, वो साहित्य को, मनुष्य को बनाने के बजाय बिगाड़ता है, जो आदमी में विद्वेष फैलाता है इस तरह के फेस्टिवल से यहां एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी दूरदर्शिता से यह निर्णय लिया है कि हिन्दी फेस्टिवल हिन्दी साहित्य समिति द्वारा यहां पर आयोजित किया जाएगा, लोग साहित्य का आनन्द लेंगे और हर तरह से देश-विदेश से आने वाले साहित्यकार जो एक सही विचारधारा के होंगे, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के होंगे वो वहां जाकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे और यह एक बहुत बड़ी बात होगी। माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर ठहरने के लिए खासा कोठी का भी बड़ा महत्व है। खासा कोठी का रूप रंग संवारने, जीर्णोद्धार करने की पहली बार मुख्य मंत्रीजी के दिमाग में बात आई है और उसके लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपये देकर इस जयपुर की दशा और दिशा को बदलने के लिए वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयत्न किये हैं उनको कोई इन्कार नहीं कर

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

सकता। आधे तो पूरे हो रहे हैं और इनको पूरे होने के बाद में आप महसूस करेंगे कि वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखिये कि जितनी योजनाएं बनाई हैं, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष बनाया है, जननी सुरक्षा योजना बनाई गई है, मुफ्त दवा योजना बनाई गई है, इन सारी योजनाओं ने राजस्थान की किस्मत बदलकर रख दी है। 15 अगस्त से जांच फ्री करने के लिए हम जा रहे हैं, 15 अन्य जिलों में भी मेडिकल कालेज खोलने की बात हो रही है, 108 एम्बुलेंस में बढ़ोतरी की गई है और 200 जननी एक्सप्रेस के आदेश दे दिये गये हैं। किसी भी दिन आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखकर देंगे तो माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्रीजी, वो आपके यहां पहुंचकर सेवा करने लग जाएंगे। एक करोड़ की लागत लगाने पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा और हास्पिटल खोलने वाली बात भी होगी। जननी सुरक्षा योजना में तो आप जानते ही हैं कि 10 लाख 47 हजार प्रसव, 16400 महिलाएं लाभान्वित, 3 लाख 16 हजार शिशु नि:शुल्क दवा से लाभान्वित हो गये हैं। मुफ्त दवा योजना में अब 400 की सीमा बढ़ाकर 600 कर दी गई है। आप गिनाते रहे कि 553 ही है, 252 ही हैं मगर 600 दवाओं की सूची निकाल दी गई है ताकि गरीबों को मुफ्त मिलकर राजस्थान दूसरे राज्यों के बीच में यह कह सके कि वास्तव में राजस्थान का प्रशासन, राजस्थान का वित्तीय प्रबन्धन इतना बढ़िया है कि दूसरी सरकार इससे प्रेरणा ले और इसी तरह से करने की बात करे। मैं जननी सुरक्षा योजना सवाई माधोपुर के सम्बन्ध में भी एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे यहां 100 बैड का जननी सुरक्षा हास्पिटल बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। 15 करोड़ रुपये के मंजूर होने के साथ-साथ भूमि आबंटित कर दी गई है, टेंडर निकल गये हैं और किसी भी दिन वर्क आर्डर होकर वहां पर काम चालू हो जाएगा। फर्टिलिटी सेंटर के लिए भी सवाई माधोपुर को चुना गया है और एक करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया गया है।

जमीन मंजूर हो गई है, स्वीकृत हो गई है और अलाट हो गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रीजी को और सड़कों के मामले में माननीय सड़क मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र इस सम्बन्ध में बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और दूसरी अन्य पिछड़ी जातियों का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। आज सवाई माधोपुर के जनरल अस्पताल में पहले ये यूनिट्स नहीं थीं। आज आईसीयू यूनिट है, रीहेबिलिटेशन यूनिट है,

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

इमरजेंसी यूनिट है, छोटे बच्चों की यूनिट है, बर्न यूनिट है। इस प्रकार ये पांच यूनिट्स तीन साल में बनकर तैयार हो गई हैं, जो राजस्थान के किसी भी जिले के मुकाबले एक रिकार्ड है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के मामलों में इस सरकार ने बहुत ही कार्य करने की कोशिश की है...

श्री उपाध्यक्ष: 15 मिनट हो गये हैं आपको। थोड़ा शोर्ट करें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): मैं शोर्ट कर देता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप उत्तेजना पैदा करने वाली बात क्यों करते हो? अभी तो हास्पिटल वाली बात सुनी है आपने।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सूरवाल और गोपालगढ़ की बात बतायेंगे वह।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये। वह डवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डवलपमेंट इस वर्ग के लिए भी किया जा रहा है, यह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सूरवाल इनके ही इलाके में है ना इसलिए बता रहे हैं, बताने दो साहब, हम सुनना चाहते हैं।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): 22 जगह क्या हुआ? 22 जगहों पर कितनी गोलियां चलाकर मार बैठे? 70 आदमियों के खून से रंगे हुए हैं आपके हाथ, उसके बाद भी आप और कुछ बोलने लायक बचे हो क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गोपालगढ़ की घटना ठीक हुई है ना? आप उसका समर्थन कर रहे हो ना? गोपालगढ़ का और सूरवाल की घटना का आप समर्थन कर रहे हो ना? यह अच्छी बात है, आप कर रहे हो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सूरवाल और गोपालगढ़ के मामलों में सीबीआई जांच हो रही है। आपमें और आपके समर्थकों में से कई के नाम निकल सकते हैं, आप इंतजार करो।

माननीय उपाध्यक्षजी, जंगली जानवरों से सवाई माधोपुर में किसानों को बड़ा जबरदस्त नुकसान होता है। यह किसानों की बड़ी प्रबल समस्या है। वहां पर रोजड़े और दूसरे जानवर फसलों को बहुत नुकसान करते हैं। मेरी यह मांग है इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी अगर वहां दो किलोमीटर दूर तक के किसानों को तार की बाउण्ड्री करने के लिए 90 प्रतिशत अनुदान देकर वह

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

काम करे तो बड़ा लाभ होगा। जंगली जानवर खासतौर से टाइगर हर वक्त आदमी को मारते रहते हैं। यह सही था कि पहले मुख्य मंत्रीजी ने 50,000 रुपये की जगह एक लाख किया, दो लाख रुपये किया। मेरी मांग है कि अगर इस तरह से कोई जंगली जानवर किसी आदमी को खा लेता है तो कम से कम उसको पांच लाख रुपया दिया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, सवाई माधोपुर बहुत पुराना शहर है। राजस्थान से मध्य प्रदेश जाने के लिए उस स्थान से एकमात्र रास्ता है। शहर जाने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है, जो मात्र आठ फुट चौड़ा है। पास में वैकल्पिक रास्ता बनाया जा सकता है। सर्वे करवा लिया गया है। 25 करोड़ रुपया उस पर आ सकता है। मेरी मांग है कि एक वैकल्पिक रास्ता निकाल दिया जाये तो वह जो बंद रास्ता है, उससे आने जाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, मेगा हाइवे हमारे यहां बन गया है। वह बहुत बढ़िया सड़क होने से लोगों की दौड़भाग बहुत हो गई है और मलारना चौड़ से लेकर थाड़ोती तक बड़ी जबरदस्त दुर्घटनाएं होती हैं। मेरी मांग है कि वहां पर ट्रोमा सेंटर खोला जाये तो उससे हमको बड़ा लाभ मिलेगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। सवाई माधोपुर में ईको सेंसिटिव जोन बनाने के लिए एक आदेश निकला हुआ है। वह आदेश निकलने से सवाई माधोपुर, शेरपुर, खिलचीपुर, कुंडेरा, शहर के अलावा 142 गांवों में 23 प्रकार की गतिविधियां बंद हो जायेंगी। न वह बोर खोद सकेंगे, न आरा की मशीनें लगा सकेंगे और सैकड़ों तरह की बात हैं। उसमें हमारी मांग यह है, जो वहां से लिखकर भेजा गया है। उसमें पाइंट नापने का माना जाये, वह सवाई माधोपुर से शून्य मानकर माना जाये तो इतने लोग उजड़ने से बच जायेंगे और उनका नुकसान होने से बच जायेगा। मैं यह मांग करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता हूं, उनके लिए अगर आप मुझे दो मिनट और भी कहने दें तो मेरे लिए यह सबसे बड़ी बात होगी। अल्पसंख्यकों के रोजगार के लिए...

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिनिधित्व तो आप जनता का करते हो लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग का भी पूरा ध्यान रखते हो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ...ये मदरसे खोले गये हैं, पैराटीचर्स लगाये गये हैं और सब जगह करोड़ों रुपया दिया गया है मगर मेरी

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

मांग यह है, जब तक उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, जिस तरह से और राज्यों ने पिछड़े मुसलमानों को साढ़े चार प्रतिशत रिजर्वेशन दिया है, वैसा उनको नहीं दिया जाता है, तब तक वह नौकरी में दूसरों के मुकाबले में आगे आ नहीं सकेंगे। आज बड़े-बड़े पदों पर अल्पसंख्यकों का आना बिलकुल बंद हो गया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इनको साढ़े चार प्रतिशत आरक्षण, जैसा कि घोषणा पत्र में कहा गया है और अन्य राज्यों ने दे रखा है, साढ़े चार प्रतिशत आरक्षण पिछड़े मुसलमानों को दिया जाये।

मैं मुख्य मंत्रीजी की इस बात की प्रशंसा करना चाहता हूं कि पहली बार उन्होंने 12वीं क्लास तक 60 प्रतिशत नम्बर लाने वाली छात्राओं को, बालिकाओं को स्कूटी देने का निर्णय किया है। इस स्कूटी देने के निर्णय से पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में यह संदेश जायेगा कि और जाति की पिछड़ी लड़कियों को जो मिलता है, वह हमको भी मिलने लग जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, मैंने अपनी बात कही और शांति से सब लोगों ने सुना। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम था।

श्री उपाध्यक्ष: राव राजेन्द्र सिंहजी, एक मिनट विराजेंगे आप। देखिये बेनीवाल साहब, कोई उत्तेजनात्मक बात नहीं आनी चाहिये। यह आपसे अनुरोध है, नहीं तो फिर उसी टाइम बंद कर दूंगा। आप उत्तेजनात्मक बात कर जाते हो कभी-कभी।

सूचना

विद्यार्थी मित्रों का आन्दोलन

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो अच्छी बात ही करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार का आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज प्रदेश के हजारों विद्यार्थी मित्र जयपुर के अन्दर इकट्ठा हो रहे हैं। बीकानेर में विद्यार्थी मित्रों का सरकार के साथ जो समझौता हुआ, उस समझौते को लागू करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। उनकी प्रमुख मांग है कि जिस तरह पंचायती राज विभाग में नरेगा कर्मियों को भर्ती के अन्दर बोनस अंक दिये जा रहे हैं। कल चिकित्सा मंत्रीजी का बयान आया कि एनआरएचएम कर्मियों को भी, जो संविदा पर हैं, उनको नियमित किया

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जायेगा। 30,000 विद्यार्थी मित्रों में से 4,000 विद्यार्थी मित्र आरटेट के माध्यम से टीचर बन चुके हैं और 26,000 विद्यार्थी मित्र पिछले पांच वर्षों से 133 रुपये और 140 रुपये तक की जो दैनिक मजदूरी मिलती है, उस रेट पर काम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर भी सरकार ने विद्यार्थी मित्र ग्रेड-तृतीय को 4,200 रुपये की जगह 600 रुपये बढ़ाकर 4,800 रुपये, विद्यार्थी मित्र ग्रेड-द्वितीय को 4,600 की जगह 700 रुपये बढ़ाकर 5,300 रुपये और व्याख्याताओं के 900 रुपये बढ़ाये। आज इस महंगाई के युग के अन्दर विद्यार्थी मित्र का 4,500-5,000 रुपये में पेट नहीं भर सकता। आज हजारों जगह स्कूलों के अन्दर पद रिक्त हैं और विद्यार्थी मित्र ही दूर-दराज की ढाणियों, स्कूलों के अन्दर जाकर शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं और राजस्थान को शिक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आज वह हजारों की तादाद में जयपुर में इकट्ठा हुए। पहले वकीलों की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया...

श्री उपाध्यक्ष: आप केवल यही बात करते हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट साहब। स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति और पैदा नहीं हो जाये, इसलिए उनके प्रतिनिधि मण्डल से सरकार बात करे और बेरोजगारी की समस्या से राजस्थान में आये दिन लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिये। आपने सूचना दे दी। माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप इस मुद्दे पर विद्यार्थी मित्रों के एक डेलीगेशन को बुलाकर विधान सभा में उनसे बात करें। इनकी वाजिब मांग है। जो बीकानेर समझौता है, उसको लागू करायें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिये। माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस संवैधानिक व्यवस्था की अनिवार्यता से आज आप और हम जिस विषय पर वाद-विवाद के माध्यम से लेखा परीक्षण कर रहे हैं। इस विषय पर संविधान ने एकाधिकार अगर किसी शख्सियत को दिया है या किसी संस्था को दिया है तो वह विधान सभा है। यह वह सदन है जो यहां से कानून बनता है। यह वह सदन है जो संविधान के अनुरूप मर्यादा और आचरण को निभाते हुए यह भी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सुनिश्चित करता है कि जनतंत्र के माध्यम से जन की आवश्यकताओं की, आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु यह विधायिक अपने कर्त्तव्य को कर्त्तव्य परायणता से करे और दलों की हदों से ऊपर उठकर आम जन की मर्यादा को और भावनाओं को ध्यान में रखकर अपने विशेष महत्व के इस सदन के उल्लेखित कार्य को कर्तव्यता के निष्ठापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने की चेष्टा करे। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अधिवक्ता हैं, अगर सदन में ही कानून का उल्लंघन हो, संविधान की मर्यादा से सीमित इस सदन का अधिकार सदन में बैठकर कोई सरकार उल्लंघन करे तो सदन के समस्त सदस्यों को इस सदन के अधिकार को संरक्षण प्रदान करने के लिए दलों की हद से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब आप यह फरमा रहे होंगे कि आखिर इस बात की आवश्यकता कहां पड़ गई, मैं इस सदन को आंकड़ों के मायाजाल से बाहर निकालना चाहता हूं। मैं सम्माननीय मंत्री महोदय, आप लोगों से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि लेखा परीक्षण के माध्यम से जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम बजट है, आपने अंग्रेजी में गवर्नर साहब का अभिभाषण नहीं होने दिया क्योंकि हम हिन्दी भाषी प्रदेश हैं और अंग्रेजी के शब्द निकल जाते तो पता नहीं कितना अनर्थ हो जाता।

मैं, आदरणीय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह बजट शब्द है कहां का, यह हिन्दी का तो शब्द नहीं है, यह पूरा सदन उद्वेलित क्यों नहीं हुआ कि बजट नाम से जिस संग्रह का संस्थागत सदन परीक्षण कर रहा है वह शब्द अंग्रेजी का भी नहीं है, वह फ्रेंच है, यूरोप का शब्द है और यूरोप का शब्द है तो आज एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस राष्ट्र के सर्वोत्तम सदन राज्य सभा में और लोक सभा में हमारे प्रधान मंत्रीजी ने और राज्य सभा के प्रतिपक्ष के नेता ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, मैं आपकी इजाजत हो तो क्योंकि वह उदाहरण अंग्रेजी में है और दोनों ने ही अंग्रेजी में यह प्रस्तुत किया, मैं अपनी बात वहां से शुरूआत करना चाहता हूं। राज्य सभा के प्रतिपक्ष के नेता ने वर्तमान परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए एक बात कही, उन्होंने रोमन एम्पायर के उस हिस्टोरियन का नाम लिया, इतिहासकार का नाम लिया, सीनेटर का नाम लिया, गवर्नर का नाम लिया जिसको हम टेसीटस के नाम से जानते हैं। ए.डी. 56 में उनका जन्म हुआ और ए.डी. 56 में जन्म होने के बाद ए.डी. 117 तक उनका जीवनकाल रहा। चार बहुत महत्वपूर्ण राजा,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पराक्रमी राज का कार्यकाल उनके समय रहा। टेसीटस ने आखिर अपने विवेचन में क्या कहा, वह मैं आपको सूचीबद्ध कराना चाहता हूं। ''In any country the more the number of laws." इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, हम रोज कोई न कोई कानून पास करते हैं, हिन्दुस्तान का संविधान पूरे संसार में सबसे लम्बा संविधान है और यह भी पराक्रम हमने किया है कि जितने इस संविधान में हमने अमेण्डमेंट किये हैं उतने अमेण्डमेंट शायद और किसी देश ने अपने संविधान में नहीं किये हैं। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं In any country, the more the number of laws, the greater will be the corruptions. इसका कारण बताया है, यह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं कह रहा, विपक्षी दल के नाते मैं नहीं कह रहा हूं, टेसीटस की जबान से निकला हुआ वह वाक्य है जो ए.डी. 56 से लगाकर 117 तक का सीमित है। They have plundered. सरकार के नाम पर वह बात कर रहा है, वह गवर्नर, काउंसलर की हैसियत से बात कर रहा है, उसने कहा है ''They have plundered the world stripping naked, the land in their hunger, their enemy be rich, the ambition if poor." हमारा दुश्मन अमीर हो जाए और हमारी महत्वाकांक्षाएं गरीब हो जाएं, इस यथार्थ को अगर हम यह कहें कि ''if their enemy be rich, by ambition if poor. They ravage, they slaughter, they seize by false pretenses and all of this they hail as the construction of Empire. And when in their wake if nothing remains but a desert they call that peace." अब इसका साधारण नवयुवक से यह पूछा जाए, आपको अगर टेसीटस के बारे में बता दिया जाए तो मैंने एक साधारण से व्यक्ति से पूछ लिया कि आदरणीय, आपको बजट से क्या अपेक्षा थी, इतने बजट देख लिये आपने, आपको क्या अपेक्षा थी, तो उसने दो टूक जबान में एक बात कही, मेरे हिस्से की जमीन बंजर थी, कि मेरे हिस्से की जमीन बंजर थी मुझे यह मालूम न था, मैं बेसबब इलजाम देता रहा उस बरसात को। इस सदन के बजट का यही हाल है। आज से पहले जितने आये और अब जितने आ रहे हैं उनका आम जन के ऊपर यही प्रभाव है। आम जन यह जानता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, आवश्यकताओं की मर्यादा को इसमें मर्यादित करते हुए सत्ता और विपक्ष अपनी-अपनी भावनाओं को व्याकरणों के और भावनाओं और अभिव्यक्ति के माध्यम से इस सदन के अभिलेखों तक सीमित करके रख जाता है। यह कोई नहीं देखता कि आम आदमी के घर पर उन भावनाओं से व्यक्त किये हुए व्यवहार, आचरण और सुविधाएं उसके घर तक

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पहुंची या नहीं पहुंची और इसके लिए मैं आपसे उदाहरण स्वरूप कुछ बात प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं विषय वहां से उठाउंगा जहां से हमारे झोटवाड़ा से आने वाले सम्मानीय सदस्य या हमारे प्रोफेसर साहब अजमेर से आने वालों ने जहां से छोड़ा, मैं वहां से उठाना चाहूंगा। आप और हमने कुशल वित्तीय प्रबंधन के सम्बन्ध में बहुत बड़ी-बड़ी बातें सुनीं, बहुत बड़े-बड़े हमने वाक्य सुने, मैं पिछले पन्द्रह साल का आज तक का लेखा-जोखा एक अंकन के रूप में प्रस्तुत करता हूं जब 1998 में निवर्तमान भैरोंसिंहजी के शासन का शासनकाल समाप्त हुआ और निवर्तमान मुख्य मंत्री और वर्तमान मुख्य मंत्री ने सत्ता संभाली उस वक्त से और 2003 तक का टोटल राजस्व प्राप्ति का जो आंकड़ा है वह 13081.86 है। आदरणीय, 2003 और 2004 के बाद में जब आज के परिप्रेक्ष्य में और उस वक्त की निवर्तमान मुख्य मंत्री का शासनकाल रहा, जो 2008-09 तक रहा, 13081 से जो राजस्व प्राप्तियां थीं वह बढ़कर 33468.85 करोड़ हो गई। अगर इसको प्रतिशत में हम लायेंगे तो पिछली सरकार की तुलना में हमारी सरकार ने 155.84 प्रतिशत इसमें इजाफा किया। आज तक का अनुमानित जो बजट आपने दिया है वह 14 के अंत तक का दिया है उसका लेखा भी हम ले लें और 2002-03 से 2008-09 के बाद में 2008-09 से लगाकर 2013-14 का अगर लेंगे तो आपका जो आंकड़ा है वह आंकड़ा आयेगा 77220.60 और अगर इस आंकड़े को पूरा कर भी लेंगे तब भी आप 130.72 प्रतिशत ही इजाफा करेंगे, अब सरकार हमारी ठीक थी या सरकार आपकी ठीक है, यह आपको आंकलन करना है। और एक निवेदन और करूंगा, यहां बहुत से लोग-बाग इस बात को नहीं जानते, आदरणीय, अगर आप 2009-10 का यह इकोनोमिक रिव्यू देखेंगे और आज का इकोनोमिक रिव्यू देखेंगे, उसी साल के आंकड़े, 2009-10 के और 2008-09 के इस इकोनोमिक रिव्यू में बदले हुए मिलेंगे।

क्योंकि हमने 2005-06 में बेस ईयर को चेंज कर दिया। जब हम बेस ईयर को बदलते हैं तो भूतलक्षी और भविष्यलक्षी दोनों ओर के वर्तमान के आंकड़े आ जाते हैं। आप कहते हैं ना कि पर-कैपिटा इनकम पचास हजार तक जा रही है तो पर-कैपिटा इनकम पचास हजार तक इसलिए जा रही है कि 2004-05 का बेस ईयर 2010-11 में लागू हो गया इसलिए इजाफा होना स्वाभाविक था। वरना अगर आप बेस ईयर 2001 का लेंगे तो आज भी 35 हजार पर आम जन की आय हांफती हुई नजर आएगी। अब मैं आपसे निवेदन

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

करना चाहता हूं यह कह रहे होंगे कि आपने राजस्व की वृद्धि की है तो आपने कर्ज भी लिया होगा। आदरणीय, आप मुझे फ़रमाते रहना कितना मेरा समय है, मैं तो फिर उस हिसाब से बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: भूमिका बनाने में ही पन्द्रह मिनट गुज़ार दिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैंने भूमिका इतनी सी बनाई कि आमजन की भावना रोमन लैंग्वेज में प्रस्तुत कर दी, अंग्रेजी में आप एतराज करते।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो आश्चर्यजनक है कि आप बोलते हो तब कोई बोलता ही नहीं है, सब शांत हो जाते हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): इन सबकी कृपा है, आदरणीय, मेरे पर।

श्री उपाध्यक्ष: कहीं-न-कहीं कुछ-न-कुछ बात तो है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): इस कृपा की पात्रता इन्होंने जो मेरे पर लगा रखी है इसलिए मैं भी इनका नमन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं भी सोच रहा था कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं लेकिन आपने खुद बोल दिया तो मुझे....

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): विद्वान सदस्य को सब सुनना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह अपने आपको विद्वान नहीं मानते हैं इसलिए विद्वान हैं। आप शब्द की त्रुटि को दुरुस्त कीजिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): हमारा जो कैपिटल रिसीट्स हैं उसके माध्यम से हम कर्ज लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह अलवर नहीं है, यह राजस्थान विधान सभा का सदन है। यह अलवर नहीं है, शांत रहिए, डिस्टर्ब मत करिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आपके समय आपने जो कर्ज लिया, मैं 2003, 2008 और 2014 तक की बात कर रहा हूं। 2002-03 तक जो आपने टोटल कर्ज लिया, जिसको हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं उसमें कैपिटल अकाउंट भी आ गया, पब्लिक डैट आ गई, अदर बोरोइंग्स भी आ गई, नैट रिसीट्स भी आ गई और कंटिंजेंसी फण्ड का एडजस्टमेंट भी आ गया। आपने 18,638.64 लिया और हमारे समय में हमने अगर कर्ज लिया, मैं आपको कह

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

रहा हूं राजस्व बढ़ रहा था हमारा, हमने कर्ज 10,209.09 का लिया यानी इनसे 45.23 परसेंट कम लिया। कर्जदार हमने बनाया इस प्रदेश को या कर्जदार आपने बनाया इस प्रदेश को? और आज की परिस्थिति ले लीजिए, आपका अगर 2013-14 का आंकड़ा देख लें तो आपका आंकड़ा पहुंचेगा 17,987.87 करोड़ यानी 76.19 परसेंट आप ज्यादा और कर्जा ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप सीरियसनैस समझिये, ऐसे नहीं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप विभूति की बात करते हैं, हम उस आमजन को कर्जदार बनाने की बात करते हैं और अगर कर्जदार बना रहे हैं तो फिर इस कर्ज का पैसा उसके घर तक क्यों नहीं जा रहा? यह आज हमारे लिए सबसे प्रमुख सवाल है। मैं इसके लिए फिर निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपको मोंटेक सिंहजी अहलूवालिया के 12वीं पंचवर्षीय योजना पर टिप्पणी करा हुआ वह वाक्य जरूर सुनाना चाहूंगा। क्योंकि आप लोग यह बात मानते हैं कि मोंटेक सिंहजी, अच्छा एक बात तो अचरज की है आदरणीय, 40 हजार करोड़ की वार्षिक योजना अभी तक प्लानिंग कमीशन से पास नहीं हुई है हम सैद्धांतिक रूप पर ही उसमें बात कर रहे हैं। 40 हजार करोड़ की योजना सैद्धांतिक रूप से बात कर रहे हैं, आज अप्रूवल नहीं है इसमें कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन मैं अहलूवालिया साहब के उस कथन का विवेचन जरूर करना चाहूंगा। क्योंकि अहलूवालिया साहब के कथन को बता-बताकर बहुत सी बातें, बहुत से लोग कहते हैं। मैं कम से कम यह जरूर चाहूंगा कि यह अहलूवालिया साहब का इकॉनोमिक फोरम पर दिया हुआ प्रोसपैक्ट एंड चैलेंजेज आफ दी ट्वेल्थ प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना के जो चैंलेजेज हैं उसका उन्होंने वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य के उस पार्ट को पढ़ना चाहूंगा जहां उन्होंने राजस्थान का जिक्र किया। मेरे खयाल से ऐसी अंग्रेजी है कि सबको समझ में आ जाएगी। It is true. यह बीमारू शब्द का बार-बार इस्तेमाल होता है ना, यह बीमारू शब्द आखिर आया कहां से? बीमारू का मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इसमें अब उ पर लग गया आज, बीमारो हो गया है यह, जिसमें उड़ीसा जुड़ गया है। लेकिन मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, उन्होंने यह कहा है, ''It is true that the poor states notably the so called BMARO states i.e. Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh stroke down in 1990." जिनका विकास दर 1990 में कम हुआ 1980 के दशक के मुकाबले ''..however, they have accelerated.." अब आप सुनियेगा डाक्टर साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ''..however,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

they have accelerated after 2000 except in the case of State of Rajasthan.” यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रोसपैक्ट एंड चैलेंजेज पर इन्टरनेशनल इकोनोमिक फोरम पर मोंटेक सिंह अहलूवालिया का दिया हुआ वक्तव्य है और अगर कोई यह कहता है कि यह डोक्युमेंट मैंने टाइप कराया है तो इस वक्तव्य को मैं प्लेस भी कर सकता हूं। आदरणीय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं जिस वक्त यह बात मैंने पहले कही थी लेकिन लोगों ने इस बात को गलत समझा। जिस वक्त राजस्थान आजाद हुआ था और जिस वक्त यह प्रदेश और देश आजाद हुआ था। इसकी जनसंख्या पूरे के पूरे भारत राष्ट्र की 33 से 34 करोड़ थी। आज आपकी तेंदुलकर कमीशन ले लीजिए, वधवा कमीशन ले लीजिए, आपके यूएनओ का ह्यूमन डवलपमेंट ग्राफ ले लीजिए, 22 से 24 परसेंट लोगों को इस हालत में बताता है जिनकी निजी आय एक डालर से भी कम है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं घड़ी की तरफ देख रहा था आपको बीस मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको मना करुंगा तो सदन कहेगा बोलने दो। इसलिए आप अपने स्व-विवेक से जितना जल्दी समाप्त करें, कर दीजिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज जितनी जनसंख्या 1947 में भारत राष्ट्र की थी उतनी जनसंख्या तो आज यहां गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की है। हम बात कर लें दलों के सम्बन्ध में, हम बात कर लें सरकारों के सम्बन्ध में, अगर राजस्थान में भी आपकी सरकार है तो राजस्थान में तीन बार हमारी भी सरकार रही है। 63 वर्ष में अगर आपकी सरकार रही है तो 63 वर्ष में केन्द्र में भी हमारी सरकार रही है लेकिन आमजन के बारे में एक दल का ऐसा चुनावी घोषणा पत्र नहीं है जिसमें किसान और गरीब का उल्लेख न किया गया हो। हमने किसान का उल्लेख किया, गरीब का उल्लेख किया, हमने उसको लाचार बताया, दलित बताया, गरीब बताया, हमने उसकी बेचारी और लाचारी को लाकर हर रोज चौराहे पर खड़ा कर-कर विज्ञापन प्रदर्शित कर उसको विकास की मूल धारा में लाने के बड़े लम्बे-लम्बे वादे किये। मैं पूछना चाहता हूं आज भी 52 करोड़ लोग दो वक्त की रोटी के लिए क्यों तरस रहे हैं? आखिर सदन इस बात का तो व्याख्यान करें। आप विधिवेत्ता हैं इसलिए मैं मेरी बात, मेरे पास में कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं दो बात कहना चाहता हूं। डाक्टर साहब, इसमें आपके ही डिपार्टमेंट सीधे इन्वाल्व हैं। जिस दिन यहां एक

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सप्लीमेंट्री के बारे में एक जो फाइनेंस बिल आया था और मैंने आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री से कहा था कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आदरणीय, संविधान की धारा 115...

श्री उपाध्यक्ष: अनुच्छेद हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अनुच्छेद है सारी, सप्लीमेंट्री एंड एडिशनल एक्सेस ग्रांट। इसमें सप्लीमेंट्री एंड एडिशनल ग्रांट के बारे में परिभाषित है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अगर इस परिभाषा को आप पढ़ेंगे तो यह पाएंगे कि आर्टिकल-115 का सैक्शन (1) (ए) और आर्टिकल-205 का सैक्शन (1) (ए) दोनों...

श्री उपाध्यक्ष: आसन ज्यादा समझदार निकला, धारा का अनुच्छेद बता दिया, इन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, इससे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। आप बोलिये। आसन मैं नहीं हूं ना, मैं समझदार होता तो पता नहीं...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय, आपको एक चीज और मंगानी पड़ेगी इसके साथ में, इस 115 और 205 को समझने के लिए स्टेट बजट मैन्युअल का आइटम-21 और पैरा-16 को भी साथ पढ़ना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: ये काली टोपी पहनना कंडक्ट आफ ड्रेस में आता है कि नहीं आता है ये भी है कि नहीं है मैं देख रहा हूं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): संविधान में देखो।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...(व्यवधान) जा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: इनका बोलना कमजोर हो जाएगा, ये आप ही को सुना कर कह रहे हैं, आप भी शामिल हो उसमें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय, मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं इसके साथ-साथ आपको स्टेट बजट मैन्युअल का आइटम-21 पैरा-16 भी पढ़ना पड़ेगा जो न्यू सर्विसेज को डिफाइन करता है। इसमें तो यह कहा गया है कि एप्रोप्रियेशन में अगर आप एक्सेस में जा रहे हैं तो इन नियमों के तहत आप यहां आएंगे लेकिन न्यू सर्विसेज को डिफाइन बजट

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मैन्युअल में किया है। उन्होंने किया है, ''further, any expenditure exceeding 5 lakhs.''

मैं सप्लीमेंट्री ग्रांट की बात कर रहा हूं जो यहां से अप्रूव्ड आप सबका अधिकार है आप चाहें तो राजस्थान की सरकार को एक लाख करोड़ और कर्ज लेने के लिए स्वीकृति दे सकते हैं लेकिन अधिकार इस सदन का है। इस सदन का अधिकार अफसर गैलेरी में बैठकर तय नहीं कर सकता यह आप कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ''including anything that falls in new service.'' अब न्यू सर्विसेज में क्या आता है ऐसा जो पहले से हैड नहीं है, ऐसे जिसके कोई मेजर हैड नहीं हो, माइनर हैड नहीं हो और सब हैड नहीं हो लेकिन इसमें यह भी कहा है कि ''further large expenditure exceeding 5 lakhs or 20% of the existing budget provision under sub head or that there is no sub head under a minor head whichever is more arising out of an extension of an existing activities, shall also be treated as new service.''

और न्यू सर्विस जब तक लैजिस्लेचर में उस हैड के सम्बन्ध में चर्चा होकर स्वीकार नहीं कराया जाए तब तक आपको उस पर खर्चा करने का अधिकार नहीं है और इस अधिकार का उल्लंघन आपने किया है। 24 ऐसे हैड्स में 28.80 करोड़ का आपने व्यय किया जिसके एक्सपैंडिचर का इस सदन में आपने कभी लाकर अनुमोदन नहीं कराया। जो सदन को गुमराह करे, जो सदन के और संस्था के संविधान का उल्लंघन करे आखिर हम उसे क्या कह सकते हैं, यह आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे और करना चाहता हूं कि हम यह बात मानते हैं कि हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है, इस भौगोलिक परिस्थिति में हमारे पास में जितनी विषमताएं हैं उन विषमताओं को एक साथ पार करना किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है। लेकिन सरकार को ये तो मालूम होना चाहिए कि मेरे पास में पैसा कहां-कहां पड़ा है। आप कर्ज ले रहे हैं आम आदमी के वैभव के लिए, आवश्यकताओं के लिए लेकिन आपको ये भी मालूम है क्या कि जितना पैसा आपके पास में है वो कहां पड़ा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 161 करोड़ रुपये उस वक्त की सरकार ने महिला सशक्तिकरण योजना के नाम से भामाशाह योजना का लिया और अदालत की वजह से उस पर रोक लग गई। आपने 2009 में 5 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई और 5 मंत्रियों की कमेटी बनाकर यह कहा कि इस 161 करोड़ रुपये को ये सुनिश्चित करें कि इस योजना को लागू रखना है या नहीं रखना और लागू रखना है तो इस योजना की क्रियान्विति कैसे होगी। उस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

योजना में क्या-क्या और चीज थी, महिला सशक्तिकरण था, लघु और सीमान्त काश्तकार के सम्बन्ध में उसका अनुदान था, आम गरीब को इंश्योरेंस तीस हजार रुपये तक का देने का था। महिला तो उसमें एक और अंश था। आदरणीय, इनसे पूछिये 2009 से लगाकर 2014 आ गया। 2009 में 5 मीटिंग्स इन्होंने कीं। 3 मीटिंग्स की तो इनकी मिनट्स भी हैं उसके बाद की दो मीटिंग्स के तो मिनट्स तक नहीं हैं। गंगानगर कलक्टर को अगर आपने बुलाया था तो कुछ कारण से तो बुलाया होगा उस मीटिंग में। वो आया था तो कुछ चर्चा तो हुई होगी और अगर मंत्री महोदय चर्चा होती है किसी मंत्री या मंत्री परिषद् या मंत्रिमंडल की मीटिंग की तो उसका लेखा-जोखा तो होता है या नहीं होता या ये भी अधिकार इस सदन को नहीं है। मैं पूछता हूं कि उस अधिकारी को लाकर आप आन ओथ पुछवा लें।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): उस मीटिंग के मिनट्स कहां हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी तरफ से कोई नहीं बोलना क्या और?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक बात और निवेदन करके मैं समअप कर दूंगा आदरणीय, क्योंकि समय का अभाव है। मैं मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपके तीन डिस्काम्स हैं और दो पावर कंपनीज हैं। मुझे एक बात बताइये आप यूजर चार्जेज आपकी संस्था से या आपके डिस्काम से किस अथोरिटी से आप चार्ज कर रहे हैं? कोई भी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है आपकी और पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होने के बाद भी इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 से आप प्रभावित हैं वह उस पर राइडर रहता है। अब मुझे यह बताइये कि कम्पनी का कांस्टिट्यूशन है आदरणीय, ये तो आप भी समझते हैं उसकी सर्विसेज उसमें निहित हैं तो किसी नगर निगम के यूजर चार्जेज लेने का कांस्टिट्यूशन में प्रोविजन है क्या जब डिस्काम का निर्माण हुआ था? आखिर आपकी संस्था के कार्य का उन्होंने, वर्तमान रूप में आपने अपनी संस्था के संविधान का उल्लंघन किया है और अगर आपने कर भी लिया और उस यूजर चार्जेज से आपके घाटे को वित्त पोषित भी कर लिया तो किस अधिकार से आपने सरकार को दिया? अगर आपने दिया और ये सर्विसेज में अमेंडमेंट कर लिया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने सर्विस टैक्स चुकाया क्या? क्योंकि केन्द्र द्वारा इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करने वाले पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सर्विस टैक्स लागू होता है। आपने केन्द्र के कर की चोरी की। मैं एक चौंकाने वाली बात और करता हूं आदरणीय, आपके डीजल की ड्युअल पालिसी हो गई। पैट्रोल को तो डिरेगुलेट कर लिया इन्होंने और डीजल की ड्युअल पालिसी हो गई। आपके यहां जो पैट्रोलियम पदार्थ हैं न वो कौन से लाइसेंस से गवर्न हैं, वो पैट्रोलियम प्रोड्यूस एंड लाइसेंस, 1990 एप्लीकेबल है और हमारे राजस्थान में ये है हजार लीटर से ज्यादा एक मुश्त लेने वाले को हम बल्क यूजर कहते हैं। आपके वहां ड्युअल डीजल पालिसी लागू हो गई, जनवरी में पैट्रोलियम मिनिस्ट्री ने लागू कर दी। अब वो मंत्री महोदय नहीं विराजे हुए हैं को-आपरेटिव मंत्री महोदय, वो आपकी बगल में विराजते हैं मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं। ट्रांसपोर्ट मंत्रीजी के पास में एक राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन है। ये तो आप भी मानेंगे कि हजार लीटर से तो ज्यादा ही वो लेते होंगे। आदरणीय, आप केन्द्र की ही चोरी नहीं कर रहे हैं इन्होंने एक-एक हजार लीटर के खाते अलग-अलग पैट्रोल पम्प पर खुलवा दिये। अगर ड्युअल प्राइस पालिसी आती है आदरणीय, तो पचास रुपये का जो डीजल है उस पर ग्यारह रुपये और बढ़ता है। 61 रुपये का डीजल मिलता है और 61 रुपये पर अगर आप 18 प्रतिशत का वैट लगाते हैं तो आपको वैट के माध्यम से राजस्व कर के रूप में कामर्शियल टैक्सेज के रूप में इस राजस्थान की जनता को फायदा होता है।

आदरणीय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार केन्द्र का कर भी चुरा रही है और यह सरकार खुद के कर के नियमों को भी चुरा रही है। आखिर कर चोरी करने वाली सरकार को, अगर कोई आम जन होता तो अब तक आप कठघरे में खड़ा करके उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिये होते। जो सरकार खुलेआम कर की चोरी कर रही है उनको ब्लैक लिस्टेड करने का अधिकार इस सदन को है और इस आम जनता को है। इस कर चोरी करने वाली सरकार के सम्बन्ध में भी कुछ न कुछ यहां विवेचन होना चाहिए। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री ओम प्रकाश जी जोशी।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 का बजट राजस्थान के मुखिया और वित्त मंत्री की हैसियत से गीता के कर्मयोगी और सत्य के पुजारी हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने बहुत ही

(श्री ओम जोशी)

सरल शब्दों में आम आदमी के हित के दृष्टिकोण को उजागर करते हुए प्रस्तुत किया है। अभी वर्तमान में शाहपुरा से पधारने वाले माननीय सदस्य ने जिस तेज आवाज में और आंकड़ों के माध्यम से यह बात रखने की कोशिश की

(14.00 बजे)

कि जो बजट प्रस्तुत हुआ, जो आंकड़े प्रस्तुत हुए, आम आदमी की भलाई के लिए एक चिंतन परिलक्षित हुआ वह सभी इनको मिथ्या लग रहा था। मैं बजट के अंत में महात्मा गांधी जी की जो उक्ति अंकित है उसका उच्चारण करना चाहूंगा। 'व्यक्ति को अपने विचार, शब्द और कर्म में हमेशा पूरा तालमेल बनाने का ध्येय रखना चाहिए। अपने विचारों को सदैव निर्मल रखने का ध्येय रखना चाहिए, ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। विचारों से अन्य दूसरी कोई चीज मजबूत नहीं होती है। जब आपके विचार मजबूत और निर्मल होंगे तो नतीजे भी हमेशा मजबूत और निर्मल होंगे।' यह सोच माननीन मुख्य मंत्री ने लिया। जब बजट प्रस्तुत किया गया तो प्रतिपक्ष की ओर से प्रथम प्रतिक्रिया यही व्यक्त की गई कि यह चुनावी बजट है। जब गीता की अवधारणा लेते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस सोच को अपने हृदय में हृदयंगम करने वाले मुख्य मंत्रीजी ने केवल यही नहीं सोचा था कि आने वाले समय के दृष्टिकोण से यह बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले पांच साल से उनके मन में एक ही चिंता और चिंतन रहा है कि राजस्थान के आम आदमी, गरीब आदमी को छत मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले और हर सरकारी प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया से चले, इस सोच को लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया। जब आंकड़े देखे जाते हैं तो इस बजट में निरन्तर वृद्धि हुई है। 2011-12 जब 78530 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया था तो यह बढ़ता हुआ 2012-13 में 86512 करोड़ रुपए हुआ और वर्तमान में यह बजट 94872 करोड़ का आपके समक्ष रखा गया है। जैसा कि बताया गया राजस्थान की योजना का आकार भी इन पांच वर्षों में निरन्तर बढ़ा है और उसी के आधार पर आज 40139 करोड़ की योजना का आकार हमारे समक्ष आया है। जबकि 2012-13 में यह करीब 36 हजार करोड़ की योजना का आकार था। राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति स्थिर आय है उसका आधार 2004-05 को मानते हुए अगर देखा जाए तो 2009-10 में यह आय 24304 रुपये थी। 2010-11 में 27625 रुपए, 2011-12 में यह आय 28851 रुपए, 2012-13 में यह आय 29917 रुपए हुई। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के बाशिन्दे की आय

(श्री ओम जोशी)

में निरन्तर वृद्धि हुई है। साथ ही साथ लोक कल्याणकारी कार्य की बात आती है उसमें सरकार ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि एक तरफ जब लोक कल्याण के कार्य किये जाते हैं तो उनमें भी राशि का समुचित विनियोग हो और उसके साथ-साथ जो विकास के कार्य हैं उनमें भी पूरी तरह से राशि दी जाए, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए लोकहित के कार्यों के लिए राज्य सरकार ने 65 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। विकास योजनाओं के लिए करीब 6328 करोड़ का प्रावधान रखकर यह प्रमाणित कर दिया है कि हमारी सरकार का उद्देश्य लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने का है। हम चाहते हैं कि आम गरीब आदमी का पेट भरे, उनको दो वक्त की रोटी मिले। मैं अपेक्षा रखता था शाहपुरा से आने वाले विद्वान माननीय सदस्य से कि इन आंकड़ों के मायाजाल के साथ-साथ अगर हमने एक रुपए किलो गेहूं एक गरीब को देने की बात की है तो उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते, उसमें संविधान की कोई धारा अगर बताते, पांच रुपए किलो आटा देने की बात अगर की है उसमें राजस्थान सरकार की ओर से कहां गलती हो गई, 10 रुपए शक्कर देने की बात अगर हम करते हैं तो यह राजस्थान सरकार आम आदमी के लिए कहां गलत काम कर रही है, मैं समझता हूं कि अभी वर्तमान में जो यह सब बातें कही गई वह केवल मात्र आंकड़ों का मायाजाल है और जोरदार शब्दों के माध्यम से कहने की कोशिश थी, उसमें वास्तविक तथ्य यह है कि आम आदमी को इन पांच वर्षों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, अपना कल्याण करने में पूरी तरह से सक्षम किया गया है, यह प्रयास किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, योजनाओं के सम्बन्ध में मेरे साथी सदस्यों ने बड़े विस्तार से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का उल्लेख किया है, मैं उसमें भूमिका नहीं बांधूगा, उसके अन्दर ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करुंगा लेकिन यह अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा कि बजट में जो करों का पक्ष है उसके सम्बन्ध में किस प्रकार की छूटें दी गई, व्यवसायियों को किस प्रकार से अपने कर निर्धारण में सरलीकरण दिया गया, वह भी अपने आप में महत्व रखता है क्योंकि वह व्यवसायी भी हमारे समाज के एक अंग हैं। राज्य के सभी नागरिक ई-पेमेंट करके भुगतान कर सकते हैं जो कि एक नये सिस्टम की शुरूआत है, ई-ग्रास, जिसका 50 लाख का कारोबार था उसको बढाकर 60 लाख रुपए किया गया है जिससे कि उनको कम्पोजिशन योजना का लाभ मिलेगा। आने वाले समय में वैट करदाता व्यवहारी पर आरोपित होने वाली लेट फीस को 50

(श्री ओम जोशी)

हजार से घटाकर 25 हजार किया गया है। घोषणा पत्र वैट 15 प्रस्तुत करने की समय सीमा बढाकर 30 जून, 2013 कर दी गई है। आनलाइन टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलने लगेगा। इलेक्ट्रोनिक, दवा व वाहन क्षेत्र में आने वाली इकाइयों से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर व विलासिता कर से सम्बन्धित 19 प्रकार के फार्मों को समाप्त कर दिया गया है। विभागीय वैबसाइट पर आनलाइन टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलने से वाणिज्य कर विभाग में धक्के खाने से मुक्ति मिलेगी। एक तरफ यह सब सुविधाएं दीं उसके साथ ही फार्मास्यूटिकल में 700 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उदयपुर में इसके लिए स्पेशल जोन स्थापित किया गया है। आरएफसी में भी 500 करोड़ की पूंजी लगेगी। बिक्री कर से हमारी सरकार को 21 हजार करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। जिससे विभिन्न प्रकार के सैक्टर में विनियोग किया जाएगा। आटोमोबाइल क्षेत्र में 160 करोड़ का प्रहलादपुरा में, इलेक्ट्रोनिक क्लस्टर में 500 करोड़ रुपए के निवेश से 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। लिग्नाइट में 4000 करोड़ रुपए लाइम स्टोन व लिग्नाइट की खोज के लिए ड्रिलिंग पर खर्च होगा और पवन ऊर्जा में 400 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा इकाइयां स्थापित होंगी। इस बजट के ऐसे कई मुख्य बिन्दु इस बात के द्योतक हैं कि इस बजट को देकर सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम विकास की गति बढ़ाने के लिए लिया है।

सहकारिता के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विशेष रूप से किसानों के लिए जो ब्याज मुक्त ऋण देने की बात कही थी, उसको डेढ़ लाख रुपए कर दिया है। इसके लिए 15 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे उपकरण सस्ते किये गए हैं जो आम आदमी के उपयोग में आते थे जिसमें साबुन, जीरा, सौंफ, हल्दी, सूखी मिर्च, धनिया, मेथी, अजवायन, सूवा, असालिया तथा कथोडी वैट से कर मुक्त किये गये हैं। ऐसा करने से आम गृहणी को महंगाई की दृष्टि से राहत मिलेगी। हैण्डीक्राफ्ट निर्माण के लिए उपयोग होने वाली कदम्ब/केम तथा चंदन की लकड़ी पर भी वैट की दर को 14 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। स्टेनलैस स्टील वायर व वायर राड पर वैट की दर 14 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। यह सब बातें कर के दृष्टिकोण से सुविधा देने के लिए की गई है। इन सबसे 310 करोड़ की आय प्राप्त होगी जबकि उसके एवज में 400 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करेगी। राज्य सरकार ने जो विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की हैं उनमें माननीय मुख्य

(श्री ओम जोशी)

मंत्रीजी ने विख्यात वैज्ञानिक डी.एस. कोठारी की स्मृति में 5 लाख रुपए का विज्ञान श्रेष्ठता पुरस्कार देने का प्रावधान रखा है। विदेशों में रोजगार इच्छुक व्यक्तियों के लिए स्पेशल स्किल्स डवलपमेंट कोर्स शुरू होंगे। परम्परागत पेशों से जुड़े युवाओं को आन द जाब ट्रेनिंग और वित्तीय मदद मिलेगी। 25 आईटीआई की स्थापना होगी और 10 महिला कालेज होंगे जिससे युवा साथियों को शिक्षा के क्षेत्र में और अवसर मिलेंगे। सभी तहसील मुख्यालयों के स्कूलों में विज्ञान, कला व वाणिज्य के संकाय खुलेंगे। एक हजार प्राइमरी स्कूलें खुलेंगी, एक हजार मिडिल स्कूलें खुलेंगी और इसी प्रकार माध्यमिक और सैकण्डरी स्कूलों में भी बढोत्तरी की गई है। ट्रांसपोर्ट वाउचर के माध्यम से 20 रुपए मिला करेंगे। मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में भी बढोत्तरी की गई है। लोक जुम्बिश के अधीन आने वाले शिक्षकों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य में 15 नए राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय किया गया है।

स्कूल और कालेज में छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए कोर्स कराया जाएगा। राज्य में एक हजार नये प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। उससे ड्राप आउट बच्चे हैं और जो बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। यह केवल मात्र स्कूलें खोलने की ही बात नहीं बल्कि भर्तियों के लिए भी पूरी तरह से इसकी व्यवस्था की गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेटियों को शिक्षा के लिए, कालेज जाने के लिए स्कूटी का प्रावधान किया गया है। रोजगार किट देकर युवाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे उनको नौकरी मिले। नौकरी नहीं मिल सके तो वह अपने काम को किट के माध्यम से कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भर्तियों की प्रक्रिया की गई है वह संख्या अपने आप में ध्यान देने योग्य है, 40 हजार शिक्षा विभाग में शिक्षा सहायक लगाए जाएंगे। 12 हजार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। 20 हजार तृतीय श्रेणी के शिक्षक भर्ती होंगे। 9177 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 10 हजार द्वितीय श्रेणी के शिक्षक भर्ती होंगे। 5 हजार शारिरिक शिक्षक। 10 हजार शिक्षा प्रबोधक। 1175 मेडिकल कालेजों में विभिन्न पदों की भर्ती। 1424 भू अभिलेख निरीक्षक। 20 हजार नर्सिंग कर्मी। 8 हजार चिकित्सा एवं तकनीकी स्टाफ। 4475 नर्सिंग अस्पताल की देखभाल के लिए। 3500 स्वास्थ्य सहयोगिनों की भर्ती। 641 राजस्व विभाग में पटवारी भर्ती होंगे। 600 जेल कर्मियों की भर्ती की जाएगी। 1206 ड्राइवर-कन्डक्टरों की भर्ती की

(श्री ओम जोशी)

जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से सरकार ने बम्पर भर्तियों की घोषणा की है, आने वाले समय में स्कूलों में जो रिक्त पद पड़े हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में जो रिक्त पद पड़े हैं उनकी पूर्ति होगी। बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय, अनुसूचित जाति के युवक-युवती को सामान्य जाति के युवक-युवती से विवाह करने पर 5 लाख रुपये मिलेंगे। 3 हजार गांव और ढाणियों को पेयजल मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान के जो खासतौर से हमारे इलाके आते हैं वहां पर पेयजल की बडी किल्लत है, मीलों से पानी लाना पड़ता है। इन पांच सालों में जिस तरह से योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पेयजल की योजनाएं लागू की गई हैं, हमारे रेगिस्तानी इलाके के लिए वरदान साबित होगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी करीब 300 करोड़ रुपये की पेयजल की योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने दी है। उसके कार्य के लिए पूरी प्रक्रिया भी अपनाई जा चुकी है। इससे यह कहा जा सकता है, हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य हमेशा यह आरोप लगाते हैं कि केवलमात्र यह घोषणा है। मैं यह विश्वास के साथ और दावे के साथ कहता हूं कि गत पांच वर्षों में जो बातें कही गई उनको धरातल स्तर पर लागू करने की कोशिश की गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आदेश जारी हो रहे थे, मैं देख रहा था पूरे साल तक, जो बजट के प्रावधान रखे थे उसके बिन्दु संख्या के आधार पर निर्णय करके सभी क्षेत्रों में, चाहे उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात हो, चाहे स्कूल खोलने की बात हो, चाहे पीएचसी खोलने की बात हो, सब किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ईसरदां बांध का 500 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य होगा। 15 स्थानों पर महिला चिकित्सा महाविद्यालय खुलेंगे। विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना चालू होगी। 15 अगस्त, 2013 से राज्य के सभी अस्पताल और डिस्पेंसरी में नि:शुल्क जांच होगी। जयपुर में नया चिकित्सा महाविद्यालय खुलेगा। अल्पसंख्यक के लिए भी छात्रावास खुलेंगे। बालकों की सुरक्षा के लिए बाल निदेशालय स्थापित किया जाएगा। राजस्थान वृद्धाश्रम योजना लागू करने की घोषणा की गई है। बाजार भावों की जानकारी के लिए एग्री मार्केट इंटेलीजेंस एवं बिजनस प्रमोशन सेंटर जयपुर में स्थापित हो रहा है। रसद सामग्री की दरों में कमी से गरीबों को राहत मिलेगी। जनता को शुद्ध पानी पीने की पूरी उम्मीद जगी है। फसली ऋण सीमा बढ़ाने से कर्जा लेने में आसानी होगी। 2076 करोड़ रुपये की जल संसाधन से सम्बन्धित ....

श्री उपाध्यक्ष: थोड़ा शोर्ट ।

श्री ओम जोशी (फलौदी): नई परियोजनाओं को लागू...

श्री उपाध्यक्ष: कुछ बचा हो तो...

श्री ओम जोशी (फलौदी): बहुत स्पीड से बोल रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, कुछ बचा हो तो बता दीजिए आप।

श्री ओम जोशी (फलौदी): 5 तहसीलें नई बनाई जाएंगी और 61 उप तहसीलें खोली जाएंगी। 43 स्थानों पर उपखण्ड अधिकारी बैठेंगे, यह सत्ता का सबसे बड़ा विकेन्द्रीकरण है मैं यह कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, शुभलक्ष्मी योजना के माध्यम से जो दृष्टिकोण दिया गया है, मुख्य मंत्रीजी ने पांच नारे दिए हैं। उन नारों को सार्थक करने के लिए इस बजट में सभी प्रकार के प्रावधान रखे हैं। उनका यह सोच है पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, बेटी बचाओ, यह पांच सूत्र दिए हैं, अपने आप में महत्व रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम जी बिरला, आप तो नियम जानते हैं। सामान्यतया माननीय सदस्य अपनी ही सीट पर विराजें, नियमों में है। यह कोटा नहीं है, राजस्थान विधान सभा का सदन है, आप जानते हो। आप समाप्त करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): बिरलाजी और इनकी जो सोच है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसका भी थोड़ा उल्लेख करना चाहूंगा। इनके यहां परम्परा नहीं है, इनके यहां पर एक संस्कार नहीं है, इनकी परम्परा हमेशा बदलती रही है। कभी पार्टी का झण्डा बदलता है, कभी पार्टी का डण्डा बदलता है, कभी पार्टी का नाम बदलता है, कभी पार्टी के जो मुद्दे होते हैं वह बदलते हैं। कभी गाय को लेकर चलते हैं, कभी गंगाजल को लेकर चलते हैं, कभी राम मंदिर को लेकर चलते हैं, कभी रामसेतू को लेकर चलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: लेकिन इनकी शक्ल सूरत नहीं बदलती है, ऐसी की ऐसी ही...

श्री ओम जोशी (फलौदी): मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह जो महानुभाव वहां विराजे हैं उनको किसी एक स्थान पर रहना चाहिए, वहां पर 125-26 साल की परम्परा हो, जहां पर एक आवाम हो, जहां पर एक सोच हो, जहां पर बलिदान हो, जहां बलिदान देने की प्रवृति हो उनके सामने आपका टिकना बड़ा मुश्किल है। इसके साथ-साथ...

श्री उपाध्यक्ष: बहुत कुछ कह दिया आपने उसमें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): हम लोग, हमारे नेता, खून देने वाले हैं और आप +++ हो। हमने, हमारी पार्टी के नेताओं ने इस देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, आप ठीक समझते हो कि ऐसे शब्द रिकार्ड पर जाने चाहिए, तो जाएं। नहीं, अगर आप ठीक समझते हो।

श्री उपाध्यक्ष: असंसदीय शब्द निकाल दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम +++ हैं, हम +++ हैं और आप सन्त हैं, अगर आप ठीक समझते हो तो ...(व्यवधान) कराओ, दर्ज कराओ।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं-नहीं, असंसदीय शब्द हैं उनको निकाल दें। देखिये ओमजी, अपनी भाषा संयत रखिये। हंसी मजाक में भी भाषा संयत होनी चाहिए।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो पहली बार आया हुआ सदस्य हूं, आप तो सभी वरिष्ठ हो और काफी बार आकर लंबा चौड़ा अनुभव प्राप्त करके बोल रहे थे, माननीय कटारिया साहब जब अभिभाषण पर बोल रहे थे तो सभी बिन्दुओं को नकार रहे थे, नकारते-नकारते उनकी वाणी इस कदर चली गई कि +++ पर आ गए। +++ पर आ गए, तो +++ शब्द जब आ सकता है....

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना भाषण समाप्त करो।

श्री ओम जोशी (फलौदी): मैं तो यही कहना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष: कोई त्रुटि करें तो अपने को नहीं करनी।

श्री ओम जोशी (फलौदी): मैं स्कूल को बूचड़खाना नहीं कहूंगा। तत्कालीन शिक्षा मंत्री कह सकते हैं, मैं स्कूल को बूचड़खाना नहीं कहूंगा और मैं +++ शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी परम्परा शानदार रही है, हमारी सोच शानदार रही है। हमने आम आदमी के लिए काम करने का एक संकल्प लिया है और उसी संकल्प को हम पूरा करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री रामहेत सिंहजी।

श्री ओम जोशी (फलौदी): दो मिनट मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए कह रहा हूं, मैं बात को पूरी कर देता हूं। उसके बाद समाप्त।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कृपा करें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जब 2008-09 का बजट पेश किया था। (व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृपा करेंगे, विधान सभा क्षेत्र के लिए कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): विद्युत कनेक्शन की बात कही थी और प्रतीक्षा सूची को ...(व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): विधान सभा क्षेत्र के लिए कह रहा हूं, आप उनको बिठाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब उनको बुला लिया तो क्या कर सकता हूं मैं ... (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): दिसम्बर 2009 तक बिजली कनेक्शन...(व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): फलौदी को जिला बनाने के लिए आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बैठ जाओ अब आप, आ गई।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आज तक 31 दिसम्बर तक के ही कनेक्शन दिए हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में किसानों को 75 हजार कृषि कनेक्शन देने की बात कही है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2008-09 में भी आपने यह कहा था कि 31 दिसम्बर, 2009 तक जो प्रतीक्षा सूची है वह समाप्त हो जाएगी और आज हालत यह है 31 दिसम्बर, 2009 तक के ही प्रतीक्षा सूची के कनेक्शन दिए गए हैं और उसमें कहा था कि पांच साल तक हम कोई कृषि का विद्युत बिल है उस पर किसी तरह की रेट नहीं बढ़ाएंगे, आपने रेट तो नहीं बढ़ाया लेकिन गली निकाल दी किसानों का शोषण करने के लिए। आपने एक तत्काल आओ, बूंद-बूंद योजना चालू कर दी और उसमें ट्रान्सफार्मर चार्जेज 80 हजार रुपये कर दिए।

(श्री रामहेत सिंह)

इस तरह से अलवर जिले में 990 कनेक्शन किये गये, जिनमें डेढ़ लाख से लेकर तीन लाख तक की राशि वसूल की। उसकी टैरिफ है दो रुपये पैंतीस पैसे, जो किसानों की सामान्य टैरिफ है 90 पैसे, उससे आप किसान का शोषण करके, राजस्थान का किसान पीड़ित है, अकाल-ग्रस्त है, ऐसी हालत में मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी, कि अलवर जिले के जो 990 कनेक्शन बूंद-बूंद योजना में दिये हैं, जिसकी टैरिफ भी है, जो राशि सरकार ने बेक-डोर से किसानों से वसूल की है, उसको उसके बिलों में समायोजित करें और टैरिफ को सामान्य केटेगरी में इन हजार कनेक्शनों को डाला जाए। यही नहीं, आपने कहा कि 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर दे देंगे। अलवर जिले की हालत तो यह है कि पिछले 4 साल के अन्दर 5 हजार एफ.आई.आर. ट्रांसफार्मर चोरी की दर्ज हुईं। किसान मारा-मारा फिरता है। उसकी फसल फुंक जाती है। उसके पढ़ने वाले बच्चे परेशान रहते हैं। यही नहीं हुआ, लगभग 40 करोड़ की बिजली विभाग की सम्पत्ति चोरी हो गयी और राजस्थान की पुलिस ने सारी एफ.आई.आर. पर एफ.आर. लगा दीं। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि इतना बड़ा नुकसान हो गया। कानून-व्यवस्था की बात करते हैं। पांच हजार एफ.आई.आर. पर पुलिस विभाग एफ.आर. लगा दे। चोर पकड़े नहीं जाएं तो यह कानून-व्यवस्था है क्या। इसी हालत में किसानों के जो कनेक्शन थे, आपने 75 हजार की बात कही है। पिछले साल जो आपने बजट में किसानों के कृषि कनेक्शन का प्रावधान रखा था, उसके तो डिमाण्ड नोटिस भी इन्होंने जनवरी में जारी किये हैं। वह नवम्बर में, दिवाली के बाद कहीं जाकर के उनकी प्रायोरिटी बनेगी और अगला बजट सैशन आने से पहले भी पिछले साल के कनेक्शन नहीं होंगे। तो यह किसानों के साथ मैं मानता हूं कि धोखा है। इस तरह के लुभावने नारे देकर वोट, चुनाव नजदीक हैं, इसलिये मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट के माध्यम से प्रयास किया है।

पैरा नम्बर 40 का मैं हवाला देना चाहता हूं। हमारे जिले के जयसमंद बांध में चम्बल का पानी आयेगा। पिछली बार के बजट में अलवर जिले को यमुना का पानी लाने की बात कही थी। वह यमुना के पानी की स्कीम क्या बनी। राज्य सरकार ने क्या पैसे खर्च किये? दिल्ली से कितने पैसे आये? इस योजना को भी एक लोक-लुभावना नारा देकर, इस बजट में, कि अब चम्बल का पानी अलवर आएगा और यहां के किसानों को पीने और सिंचाई के लिये मिलेगा। मैं मानता हूं कि यह भी अलवर जिले के साथ एक तरह से छलावा

(श्री रामहेत सिंह)

है, सिर्फ वोट के लिये इस तरह के लुभावने नारे दिये जाते हैं। अब यमुना का पानी, दिल्ली हमारे नजदीक है, हमसे 30-40 किलोमीटर दूरी पर यमुना बहती है। वहां से तो आप पानी नहीं ला पाये और 600 किलोमीटर दूर चम्बल से अलवर जिले को पानी और वह भी दिल्ली योजना भेजेंगे। इसमें बजट नहीं रखा। कोई बजट रखा होता कि यह पैसे खर्च होंगे। यह स्कीम कब तक चालू हो जाएगी। यमुना का पानी जयसमंद में कब तक आ जाएगा। यह इसमें व्यवस्था, मैं मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा कि जब जवाब दें तो यह सुनिश्चित करें कि यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी और राज्य सरकार का कितना हिस्सा बजट का इस योजना के लिये है।

अभी कांग्रेस के बहुत सारे मित्रों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि नरेगा ऐसी योजना है जिसमें हमने राजस्थान के गरीब को, झौंपड़ी वाले को सौ दिन रोजगार दिया, हमने डेढ़ सौ दिन रोजगार दिया। बहुत सारी बातें, गरीबो में विकास आया है, सम्पन्नता बढ़ी है, बहुत सारी बातें कही हैं। मैं कहना चाहता हूं अलवर जिले में पिछले चार सालों के अन्दर नरेगा में 322 सड़कें स्वीकृत हुईं और उसमें से जब मैंने यह प्रश्न के माध्यम से पूछा कि कितनी सड़कें अपूर्ण रह गयीं तो 218 सड़कें हैं जो आज की डेट में अपूर्ण हैं और मात्र 6 करोड़ रुपये ही उन सड़कों पर खर्च हुए हैं। अभी पी.डबल्यू.डी. ने कह दिया कि नरेगा की सड़कें बनी हैं, उसका जो ग्रेवल है वह स्टैण्डर्ड का नहीं है, हम उसको नहीं मानेंगे। अलवर जिले की हालत यह है कि पिछले 3 सालों में जिन सड़कों में मिट्टी का नरेगा में काम हुआ था, ग्रेवल के मैटेरियल का काण्ट्रेक्ट नहीं हो पाया, किसी ने टेण्डर उसमें नहीं लिये और आज हालत यह है कि 17 करोड़ रुपये उस फण्ड में पड़े हैं। न सरकार उसको निरस्त कर रही है, अगर सरकार नरेगा से उसको ट्रांसफर पी.डबल्यू.डी. में कर सकती है तो उस पैसे को ट्रांसफर करे ताकि नरेगा की सड़कें बन सकें, ऐसी हालत है। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि ग्राम सड़क योजना, ढाई सौ से पांच सौ की बात कही। मैं दावे से कहता हूं कि अलवर जिले में पिछले वित्त वर्ष में जो घोषित ग्राम सड़क योजनाएं हैं, एक सड़क जिस पर डामर हो गया हो, मुख्य मंत्रीजी उसको अपने जवाब में बता दें। अभी बहुत सारी सड़कों का, मेरे विधान सभा की 22 सड़कों का तो आज तक टेण्डर ही नहीं हुआ, जो ढाई सौ से पांच सौ हैं। टेण्डर कब होगा, उसकी अप्रैल की डेट तय कर रखी है। फिर नेगोसिएशन करेंगे, वर्क आर्डर जारी करेंगे। सिंगल टेण्डर आ जाएगा, वह निरस्त हो जाएगा। इस तरह से ऐसी हालत है। आप प्रोविजन करते हैं विशेष फण्ड। अब

(श्री रामहेत सिंह)

पिछली बार तो आपने दो साल के लिये 16 किलोमीटर एम.एल.ए. को कहा, रिकमण्डेशन से। अब आपने उसको भी खत्म कर दिया। आपको वोट चाहिए। पांच सौ करोड़ का विशेष बजट सड़क के लिये रखा है। जिसको चाहिए, गांव में जाएंगे, छुट-भइये नेता जाएंगे, बड़े नेता को बुलाएंगे। आपको सड़क दे देंगे, आप दाम दे दो, वोट की गारण्टी लेंगे, एफेडेविट लेंगे, कांग्रेस को वोट देना। लेकिन जनता आपके विचारों को जानती है। आपके स्वभाव को जानती है। चार बजट जो आपने दिये हैं, वह एक भी पूरे नहीं हुए तो इन सड़कों के छलावे में नहीं आएगी। नीतिगत निर्णय करें मुख्य मंत्रीजी, यह पांच सौ करोड़ रुपये किस सड़क पर लगेंगे। कौन-कौनसी सड़क बनने वाली है। यह जन-प्रतिनिधियों से आवेदन मांगेंगे, उनकी अनुशंषा पर करेंगे या स्वयं मुख्य मंत्रीजी अपने विवेक से निर्णय लेंगे। निर्णय कर लें, साल भर में तो निर्णय नहीं हुआ। बजट रखा है और बजट रखकर इस पर कांग्रेस की मुहर लगकर डामर करने का प्रयास करोगे तो जनता इस भुलावे में नहीं आने वाली है। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तो यह तय करें कि कौन-कौनसी सड़क बनने वाली है। एक लिस्ट बहुत बड़ी बना दी। बी.ओ.टी. के अन्दर बहुत सारे प्रस्ताव भेज दिये। मैं कहना चाहता हूं कि बी.ओ.टी. है क्या। बी.ओ.टी. में तो कोई बाहर का व्यक्ति आएगा। उसको लगेगा कि प्रोफिट का काम है, सड़क से फायदा हो जाएगा, इसको व्यापार समझेगा और व्यापार समझ करके जो सड़क उसको उपयोगी लगेगी उसको काम में लेगा, बाकी के टेण्डर नहीं भरेगा। ऐसे ही अलवर जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र में किशनगढ़ बास से कोटपूतली को जोड़ने की एक सड़क बनाई है जिसमें बी.ओ.टी. का लिखा है। मैं कहना चाहता हूं, भिवाड़ी जाओ, टोल-टैक्स लगता है, बांदीकुई जाओ, टोल-टैक्स लगता है, बहरोड़ जाओ, टोल-टैक्स लगता है। राजगढ़ जाओ, टोल-टैक्स लगता है। एक छोटी सी जगह थी जो किशनगढ़ से लेकर बानसूर जाती थी, कोटपूतली, इस पर भी टोल-टैक्स लगाने की सरकार की योजना है। तो आप वैसे ही टोल टैक्स लगा दें ना। आप सड़क न बनाएं, जो सरकारी सड़क है उस पर तय कर दें कि राजस्थान में जब तक गहलोतजी की सरकार है कोई सड़क पर साइकिल लेकर जाएगा तो उससे भी पैसे लेंगे, कोई पैदल जाएगा तो उससे भी लेंगे, यह जजिया कर लगा दें ना। क्या फायदा। आपने इसमें कहा कि इतनी सड़कें बनेंगी, इनकी दुर्दशा क्या होगी। मैं कहना चाहता हूं, मंत्रीजी को, एक साल पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में गढ़ी-बौलनी चौक तक, सैण्ट्रल रोड फण्ड और इण्टर स्टेट के माध्यम से 30 किलोमीटर सड़क बननी थी।

(श्री रामहेत सिंह)

माननीय केन्द्रीय मंत्री और राजस्थान सरकार के सात मंत्री उद्‌घाटन कर आये। बहुत बड़ा पत्थर लगवा आये। आज उसकी हालत क्या है कि उसका टेण्डर आज डेट तक फाइनल नहीं हुआ, काम शुरू नहीं हुआ। मैं मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा, जब जवाब दें, ऐसे मंत्रीजी ने जिस टाइम उद्‌घाटन कर दिया, पत्थर लगा दिया तो उद्‌घाटन करने से पहले उसके वर्क आर्डर को क्यों नहीं देखा। उसके टेण्डर कम्पलीट हुए कि नहीं, उसके आदेश हुए कि नहीं, ठेकेदार वहां है कि नहीं। यह सब चीजें तय करनी चाहिए थीं। इसलिये आपकी पत्थर लगाने की स्कीम है। जगह-जगह कह दोगे कि यह हमारी गीता, बाइबल है, इसमें आपने तय कर दिया, यह बनेंगी और पत्थर लगाकर जीतने का वापस प्रयास कर रहे हो। जनता आपके लोक-लुभावने नारों में नहीं आने वाली है।

आपने कहा कि भवन निर्माण व अन्य श्रम निर्माण कल्याण मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिये एक करोड़ रुपये हर जिले को दिये जाएंगे कि निर्माण श्रमिकों के बच्चे पढ़ सकें। मैं चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी जब अपना रिप्लाई दें तो क्या कौनसी जमीन में बनेगा, आप घोषणा कर देते हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एस.सी; एस.टी. छात्रावास की घोषणा 2009-10 में की। 7-7 लाख पी.डबल्यू.डी. के अकाउण्ट में चला गया। वहां के उप-खण्ड कार्यालय अधिकारी, एस.डी.एम. और तहसीलदार आज तक भूमि अलाट नहीं कर पाये।

अब दबाव बना है तो पहाड़ के पास जहां सरकारी रास्ता नहीं है, वहां पर उसको अलाट कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे उप-खण्ड कार्यालय कोटकासिम में जो अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास है वह तो साहबी नदी के पेटे के बीच में कोई छोटा सा सिवाय चक देखकर, वह 96 लाख का हास्टल बनने वाला था, भूमि अलाट कर दी। पी.डब्ल्यू.डी. ने कह दिया कि हम इस पर अपनी नौकरी नहीं खराब करेंगे। हम इस हास्टल को नहीं बना सकते। जो सरकारी जमीन है वहां पर तो आपके भू-माफियाओं ने, आपके कांग्रेस के नेताओं ने सरकारी सम्पत्ति पर, भूमि पर कब्जा कर लिया। गरीब जिससे आप वोट चाहते हो यह नारा देकर, मैं चाहता हूं कि बजट में जो भी छात्रावास एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., माइनोरिटी का, देवनारायण योजना का, किसी भी योजना में मुख्य मंत्री घोषणा करे तो उसकी भूमि कौन देगा, कितने दिन में काम शुरू हो जाएगा? पूर्व में जो घोषित है, उसमें जो अधिकारी

(श्री रामहेत सिंह)

दोषी है उनको इसी सत्र में इसका जवाब लेकर पनिशमेंट दें ताकि गरीब के साथ आप न्याय कर सकें, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

इसी तरह से आपने पिछले बजट में ग्रेटर भिवाड़ी की बात कही मेरे सवाल के जवाब में। आपने देखा कि नेशनल पाल्यूशन बोर्ड ने जो हिन्दुस्तान की 88 औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र छांटे हैं, जो हाइली पाल्यूटेड है एयर और वाटर दोनों तरीकों से, उसमें भिवाड़ी ग्रेटर का आपका चार साल का रिजल्ट है, आपकी महिमा है, आपका यह कीर्तिमान है कि आप छठे पायदान पर हैं। हिन्दुस्तान के सबसे प्रदूषित, जल दूषित, वायु दूषित जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें छठे नम्बर पर है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को सदन में कहना पड़ा कि हाई पावर कमेटी बनाएंगे। मैं सदन के माननीय नेता से कहना चाहता हूं कि आज बजट का रिप्लाई दे तो यह सुनिश्चित करें, उन्होंने वादा किया है, यहां सदन में आश्वस्त किया है कि किसान के खेत में गंदा पानी नहीं जाएगा। किसी के हैण्डपम्प में जहरीला पानी नहीं आएगा। किसी की गाय, भैंस, बकरी गंदे पानी में घुसने से, तेलीय पानी होने की वजह से नहीं मरेगी। ऐसी हालत के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए की तो व्यवस्था करें। जो उद्योग है, हमको पांच हजार उद्योग की आवश्यकता नहीं, चाहे दो हजार, चाहे एक हजार उद्योग ही हो या चाहे पांच सौ उद्योग यहां पर काम करें लेकिन यहां के निवासियों की गर्दन काट कर, लोगों को जहर पिला कर, लोगों को कैंसर जैसी बीमारी देकर, अस्थमा का रोगी बनाकर, टीबी का रोगी बनाकर उद्योग की हमको आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें। एक भी व्यक्ति को स्थानीय उद्योगों में रोजगार नहीं मिलता। आज आप घोषणा करें। रिप्लेसमेंट की घोषणा करें ताकि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया आप थोड़ा शार्ट करिए क्योंकि आपको मेरा जहां तक ख्याल है 18 मिनट हो गए हैं इसलिए मैं अर्ज कर रहा था। थोड़ा शार्ट करें और अपनी कांस्टिट्यूएंसी वाली बात भी कहें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): पांच-सात मिनट और बोलूंगा। अभी सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर से कहा कि अल्पसंख्यकों की बड़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं। मैंने अभी कहा कि हमारे यहां पर मेवात विकास बोर्ड है, पिछले चार साल में मेवात विकास बोर्ड का कोई अध्यक्ष यह सरकार नहीं बना पाई। कोई मेवात का माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं हुआ कि कांग्रेस के राज में चार साल में कोई ऐसी प्रतिभा नहीं

(श्री रामहेत सिंह)

दिखी इनको, जिनके वोट के आधार पर यह सरकार में आए थे, जिनके वोट के आधार पर लोक सभा में यहां के जन प्रतिनिधि चुनकर गए, उनको किसी को भी मेवात विकास बोर्ड का चेयरमैन बना दें और...(व्यवधान) उसका कारण है कि आपने चार साल में 59 करोड़ रुपए तय किए और 29 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। उसमें से 15 परसेंट खर्च हुए। हमारे टाइम यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी के टाइम में जो खर्चा तय किया बजट में, उससे ज्यादा खर्च किया और 105 परसेंट बजट हमने खर्च किया।

श्री उपाध्यक्ष: अब कृपया आप समाप्त करें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): इसी तरह से आवासीय विद्यालयों की दुर्दशा हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप पांच मिनट का समय मुझे और दें। हरियाणा और राजस्थान में डीजल, पैट्रोल पर वैट ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, पांच मिनट नहीं। क्योंकि आज रिप्लाई है सदन के माननीय नेता का।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): जिस महंगाई, आप जानते हो कि खुले रूप से राजस्थान में जितने भी सीमावर्ती पैट्रोल और डीजल पम्प हैं वे सब बंद पड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): राजस्थान में वैट है, माननीय मुख्य मंत्रीजी घोषणा करें कि राजस्थान में पैट्रोल, डीजल पर वैट, जो रेट बढ़े हैं पिछले तीन साल में और जिस पर टैक्स लगा है उसको कम करेंगे।

आखिर में दो बात मैं कहना चाहता हूं कि जिले का सर्वांगीण विकास जब होगा जब राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर फैसले होंगे और मैं कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिए-विराजिए। माननीय बंशीधरजी।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): एक मिनट का समय दीजिए, मैं समापन कर रहा हूं।

मैं चाहता हूं कि मेरे यहां पर पूर्व में घोषित हरसौली को उप तहसील बनाएं, भिवाड़ी को तहसील बनाएं। कोटकासिम में मुन्सिफ कोर्ट नहीं है, कृषि उपज मण्डी नहीं है, किशनगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलें। नगरपालिका खैरथल में बालिका आवासीय विद्यालय खोलें। खैरथल से सीधा अलवर को

(श्री रामहेत सिंह)

जोड़ा जाए। किसानों को हरियाणा पैटर्न पर भूमि का मुआवजा मिले। स्थानीय उद्योगों में रोजगार मिले। पी.डब्ल्यू.डी. का एक्स.ईएन. और पी.एच.ई.डी. का एक्स.ईएन. आफिस किशनगढ़ बास में खोलें और इन सबके विकास के लिए,... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद-धन्यवाद। माननीय बंशीधरजी, आपको बोलना है?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): तहसील किशनगढ़ बास, तहसील तिजारा और नव सृजित भिवाड़ी तहसील बने। मुण्डावर, नीमराना, बहरोड, कोटकासिम को जोड़कर के, कोटकासिम का सर्वे में सबसे ऊपर नाम आया है, आज ही इस बजट में घोषणा करें कि कोटकासिम को नया जिला बनाया जाएगा। आपने बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बंशीधरजी, आप एक मिनट में कहें। एक सैकण्ड तो नहीं कह सकता लेकिन आप एक लाइन में अपनी बात कहें।

सूचना

माही बांध की मुख्य नहर में डूबे खण्डेला के दो युवक

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि बांसवाड़ा के अन्दर माही बांध से घाटोल जाने वाली मुख्य नहर में मेरे विधान सभा क्षेत्र के, मेरे गांव के दो लड़के नहाते समय डूब गए। उनका दोनों का नाम है- भागीरथ पुत्र हरदेव सिंह, सुल्तान पुत्र झूथाराम। तो मुख्य नहर को तुरन्त बंद करवाकर उनको ढूंढवाने की व्यवस्था कीजिए। मैं आपसे यही आश्वासन चाहता हूं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री अर्जुन सिंहजी बामनिया। (अनुपस्थित)

श्री करण सिंहजी। (अनुपस्थित)

माननीय श्री जगसीराम जी। (व्यवधान) सदस्य तो बराबर का है, चाहे इस पक्ष का हो या चाहे उस पक्ष का, जो लिस्ट देते हैं वह है। जगसीरामजी।

श्री जगसीराम (रेवदर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा-पत्र के अन्दर जो बातें दर्शाई हैं, उसमें चिकित्सा विभाग की ओर से 'मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना' जो लागू की है और 'मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना', इसमें सरकार ने ऐसी काफी योजनाएं पिछले बजट में भी दोहराई थीं और इस बजट में भी दोहराई हैं। नि:शुल्क दवा योजना को लागू किया है उसमें मैं समझता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर और आबू रोड के अन्दर जो दवाई देने वाले, दो दिन पहले विधान सभा में भी जब डाक्टर्स की बात आई थी तो मैं समझता हूं कि रेवदर और आबू रोड में सारे चिकित्सालय खाली हैं, दवाई देने वाला कौन मिलेगा? जो दवाई डाक्टर्स लिखते हैं तो ऐसी दवाई देते हैं ताकि उनको तीन -तीन बार इलाज करवाना पड़ता है और उन दवाइयों से वह ठीक नहीं हो पा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आबू रोड, सिटी है, वहां हास्टिपल की जो व्यवस्था है, वह बिलकुल सही नहीं है। कई बार सरकार को अवगत कराने के बावजूद भी आज तक उसकी दशा सम्भल नहीं पाई है। रेवदर क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, वहां पर पशु धन, पशु-पालक ज्यादा रहते हैं और मैंने कई बार सरकार को अवगत करवाया है कि पशु धन के लिए सरकार ने जो मुख्य मंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा और नि:शुल्क जांच और डाक्टर्स के लिए भी कई बार लिखा है लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक भी इसकी क्रियान्विति नहीं हुई है। यह जब घोषणा की है, उसमें बजट घोषणा में सारे जो पुलिंदे दर्शाए हैं तो मैं समझता हूं कि ये खाली हैं। सरकार से भी मेरी यह मांग रहेगी कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पशु चिकित्सक लगायें ताकि आने वाले समय के अन्दर मवेशियों के लिये डाक्टर लगे, जिससे उनको सुविधा हो सके।

शिक्षा विभाग में भी कई योजनाएं ऐसी लागू की हैं जैसे मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा योजना। इसमें पहले बजट घोषणा के अन्दर कक्षा एक से आठवीं तक पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। जब बालक की धरातल की नींव ही कमजोर हो जायेगी तो आने वाले समय में शहर का बालक आगे बढ़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र का बालक आगे नहीं बढ़ेगा। एक तरफ सरकार कह रही है कि एस.सी., एस.टी. और ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को शिक्षा से जोड़ेंगे और

(श्री जगसीराम)

उनको बढ़ावा देंगे और दूसरी तरफ मेरे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय हो रहा है।

रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर विशेष तौर से उपखण्ड कार्यालय स्तर पर आज तक कई बार हमने इस विधान सभा में यह बात दोहराई है, लेकिन आज तक अध्यापकों के जो रिक्त पद पड़े हैं, उनकी भरपाई नहीं कर पाये हैं और एक तरफ सरकार ने लाखों, करोड़ों, अरबों रुपये की बजट में शिक्षा के क्षेत्र में घोषणा की है। रेवदर उपखण्ड कार्यालय होने के उपरान्त भी महाविद्यालय नहीं है। रेवदर के आसपास 80 किलोमीटर के दायरे में बालक को पढ़ने के लिये सिरोही या आबूरोड जाना पड़ता है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इस बजट घोषणा में नहीं है, जब आप उत्तर दें उसमें रेवदर में महाविद्यालय के लिये घोषणा करें और साथ ही आबू रोड को भी बालिका महाविद्यालय के लिये सरकार से मेरी मांग रहेगी।

इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में आबू रोड ग्रामीण क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र के अन्दर जो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय खोले हैं, वहां पर उनकी दशा एकदम खराब है। कई बार हमारे द्वारा शिकायत करने के उपरान्त भी उनकी आज तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसकी आप जांच करायें और दिखवायें ताकि ग्रामीण ट्राइबल के जो आदिवासी छात्र-छात्रा हैं, वह अध्ययन में आगे बढ़ें, यही मेरी प्रार्थना रहेगी।

ऊर्जा विभाग की जब बात आती है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर सभी ढाणियों को सरकार ने घोषणा पत्र के अन्दर बताया है, पर मैं समझता हूं कि कई क्षेत्र ऐसे हैं, वहां पर रेवदर और आबू रोड ग्रामीण ट्राइबल क्षेत्र में कई ऐसी ढाणियां हैं जो आज तक विद्युतीकरण से वंचित हैं और हम लोगों ने कई बार इसकी मांग भी की है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि आप उनका पुन: सर्वे करवाकर उनको विद्युतीकरण से जोड़ने का प्रयास करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बालक-बालिका हैं, वह शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रहें।

किसानों के यहां जो विजिलेंस वाले जाते हैं, वह पांच हार्स पावर की जो मोटर है, काश्तकार के कुए पर जाते हैं और सीधे-सीधे उसकी शीट भरते हैं, पांच की दस बताते हैं और दस की बीस बताते हैं और किसानों का गला घोंटा जा रहा है और उसके आधार पर नुकसान किया जाता है। सरकार उनको पाबन्द करे। उसकी कुए से जो मोटर लेकर आया है, बिल के आधार पर आई

(श्री जगसीराम)

एस आई मार्का की मोटर है, डुप्लीकेट मोटर न होने के उपरान्त भी उनकी शीटें भरी जाती हैं तो सरकार उनको पाबन्द करे और किसानों के साथ अन्याय नहीं करे।

रेवदर विधान सभा क्षेत्र में मण्डार में ए.ईएन. कार्यालय जो खोला है, उसके अन्दर मण्डार सैक्टर पूरा जे.ईएन. और ए.ईएन. वहां पर बैठते हैं और पावर कटौती जो होती है, वहां पर सही मैनेज नहीं हो पा रहा है। वहां पर उसमें पावर के हिसाब से बड़ी मशीनरी की आवश्यकता है। सरकार से हमारी मांग रहेगी कि किसानों को बिजली छह घंटे मिल रही है, वह भी कटौती के अन्दर मिल रही है। बार-बार कटौती होना, सरकार से मेरी मांग रहेगी कि बिजली का सही रूप से संचालन करने के लिये बड़ा ट्रांसफार्मर लगाये ताकि वहां पर किसानों को फायदा मिले।

पेयजल के लिये बजट घोषणा के अन्दर, क्योंकि मैं सारे आंकड़े नहीं दोहराना चाहूंगा और मैं मेरे क्षेत्र की ही बात विधान सभा के अन्दर रखना चाहूंगा कि सरकार ने पेयजल के लिये जो बड़ी-बड़ी योजनाएं दर्शाई हैं, लेकिन सिरोही जिले के अन्दर और रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया है। मैं रेवदर क्षेत्र के अन्दर जो आबू रोड, रेवदर और मण्डार, जो पुराने कस्बे हैं, इनमें जो बरसों पुरानी पाइप लाइन बिछी हुई है, उसमें सरकार से मेरी मांग रहेगी कि उन पुरानी पाइप लाइनों को बदलवाने के लिये ऐसी कोई योजना बनाये ताकि शहरवासियों को राहत मिले और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो हैण्डपम्प लगे हैं, यहां पर मात्र दो मिस्त्री ठीक करने वाले हैं। ए ईएन कार्यालय के अन्दर लिखवाने के बाद भी एक-एक, दो-दो महीने तक वह हैण्डपम्प ठीक नहीं होते हैं, तो आने वाले गर्मियों के समय के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

जल संसाधन विभाग, नर्मदा के पानी के लिये हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने यह योजना बनाई थी, उसमें 750 करोड़ रुपये की जो योजना बनाई थी, और सरकार परिवर्तन होने के बाद में पुन: इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जालौर में और पूरे जिले के अन्दर नर्मदा का पानी जा रहा है तो सिरोही जिले के साथ में यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? दो दिन पहले विधान सभा में मैंने और सिरोही से आने वाले विधायकजी ने भी इस

(श्री जगसीराम)

बात को रखा था। सरकार से हमारा आग्रह रहेगा कि जब आप जवाब दें उस समय में नर्मदा परियोजना के पानी से सिरोही और रेवदर को जोड़ें।

इसी तरह माउंट आबू का सारा पानी गुजरात में बहकर चला जाता है। बनास नदी बहुत बड़ी नदी है। उसका सरकार सर्वे करवाकर देखे कि वाकई में वाजिब है या नहीं है। सरकार एक बार सर्वे करवाकर देखे कि माउंट आबू का सारा पानी, जो बहकर गुजरात में चला जाता है, तो उसको बनास नदी पर रोका जाये ताकि आबू रोड क्षेत्र की जनता को सीधा-सीधा फायदा मिल पायेगा। माउंट आबू में सालगांव डेम बड़ी पुरानी परियोजना बनी हुई है, उसको भी इस योजना के अन्दर जोड़ा जाये ताकि सिरोही जिले की जनता को सीधा-सीधा लाभ मिले। यह सारे प्रदेश की जो स्कीमें बनी हैं, मैं समझता हूं कि सिरोही जिले के लिये ऐसी कोई भी बड़ी योजना नहीं बनी है, इसलिये सरकार से मेरी मांग रहेगी कि सालगांव डेम और आबू रोड नदी पर बांध बांधा जाये ताकि उससे आने वाले समय के अन्दर उनको राहत मिले।

(14.47 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

दूध उत्पादन के लिये सरकार ने अभी किसानों के लिये प्रति लीटर 2 रुपये के भाव से जो राहत दी है, मैं समझता हूं कि सिरोही जिले और रेवदर तहसील के अन्दर दूध उत्पादन में पूरे सिरोही जिले का आप सर्वे करवा लो, दूध के उत्पादन के हिसाब में रेवदर तहसील का जो किसान है, वह सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है। सारा दूध गुजरात के अन्दर प्राइवेट डेयरियां खरीदकर ले जाती हैं। सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि सिरोही जिले के अन्दर आपने 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उनको राहत दी है, लेकिन दूध की डेयरी सिरोही जिले के अन्दर नहीं है। तो, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से, मंत्रीजी से मेरी मांग रहेगी कि आप अपने जवाब के अन्दर बतायें कि सिरोही जिले के अन्दर दूध की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है और वहां से हजारों-लाखों लीटर दूध गुजरात के अन्दर जाता है और कौड़ी के भाव में बिकता है तो सरकार को सीधा-सीधा यह मुनाफा मिलेगा। राजस्थान सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि सिरोही जिले के अन्दर दूध की डेयरी खुलवाने की घोषणा करें ताकि किसानों को और क्षेत्र की जनता को यह लाभ मिले। नहीं तो घोषणा पत्र के अन्दर यह जो दर्शाया है कि प्रति लीटर के हिसाब से 2 रुपये लीटर उनको लाभ मिलेगा, वह लाभ तो क्या, कुछ नहीं

(श्री जगसीराम)

मिलने वाला है। इसलिये सरकार से मेरा यही आग्रह रहेगा कि वहां पर दूध की डेयरी खोले।

परिवहन विभाग की जो बात आ रही है, उसमें पिछले घोषणा पत्र के अन्दर बसों को परिवहन विभाग के द्वारा प्रत्येक पंचायत से जोड़ने का दर्शाया है। मैं समझता हूं कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र और आबू रोड ट्राइबल जो है, ग्रामीण क्षेत्र में दूरदराज से प्राइवेट टैक्सियों से और प्राइवेट वाहनों से क्षेत्र की जनता का गला घोंटा जा रहा है। सरकार से हमारी मांग रहेगी कि प्रत्येक पंचायत से जोड़ने का आपने आग्रह किया था तो प्रत्येक पंचायत से जोड़ने की बात पर हम निश्चित रूप से उम्मीद करेंगे कि आप जवाब देंगे तो प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को जोड़ने की जो घोषणा आपने पूरे राजस्थान में की थी, लेकिन रेवदर विधान सभा क्षेत्र में आज तक क्रियान्विति नहीं हुई है। सरकार से यह भी हमारी मांग रहेगी।

इसी तरह सावर्जनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का जाल फैलाने की बात जो कही गई है, वह ठीक बात है लेकिन आबू रोड और रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कृषि उपज मण्डी नहीं होने के कारण हमको एक भी सड़क का लाभ नहीं मिल रहा है, किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। सुमेरपुर, ऊंझा मण्डी और गुजरात में किसानों का सारा माल जाता है। पाथावाड़ा में भी उनका माल जाता है इसलिए सिरोही जिले के किसानों का सारा माल अन्य स्थानों पर जाता है। कृषि मण्डी की जो सड़कें बनाई जाती हैं, वह नहीं होने के कारण किसानों को फायदा नहीं मिल पाता है। कृषि उपज मण्डी वाली सड़कों का भी सरकार प्रावधान बनाये।

कृषि मण्डी में मैंने कई मांग की है। आज भी शून्य काल में दिया था लेकिन नम्बर नहीं आया। कृषि मण्डी के लिए मैं सरकार से मांग करूंगा, आप सर्वे करवा लें, सिरोही जिले का किसान अग्रणी श्रेणी में काम कर रहा है। वहां बरयाली, टमाटर, अरण्डी की खेती ज्यादा होती है। टमाटर के लिए कोल्ड स्टोरेज की तो सरकार हमेशा मना करती आयी है। किसानों का टमाटर आये दिन कौड़ी के भाव बिकता है। उनके लिए सरकार कोल्ड स्टारेज की घोषणा करे या परियोजना बनाये ताकि फायदा मिल सके।

इसी तरह कई ऐसी बातें हैं जिनको सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा। आबू रोड में गांधीनगर के ओवरब्रिज का जो जिक्र किया गया है, शहर के आवागमन को देखते हुए बाइपास रेलवे चौराहे से लेकर गांधीनगर चौराहे

(श्री जगसीराम)

पर इसको मिलाया जाए। बजट घोषणा पत्र में जो दर्शाया गया है बाइपास ओवरब्रिज को जोड़ा जाए ताकि शहर की जनता को इसका सीधा-सीधा फायदा मिलेगा और देश-विदेश के पर्यटकों को भी इसका फायदा मिलेगा। सारे लोग वहां से आते जाते हैं। आबू रोड के शहरवासियों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बाइपास रेलवे चौराहे से गांधीनगर चौराहे तक बनाया जाना ठीक रहेगा।

इसी तरह आबू रोड शहर को सीवरेज में लिया है। एक तरफ तो शहर के लिए अच्छी बातें बतायी हैं। माउन्ट आबू का सारा कचरा, होटल्स का, शहर का, वह ट्रकों के द्वारा आबू रोड़ शहर के बीचों बीच होते हुए सांतपुर की तरफ जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में डाला जाता है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सीवरेज वाली जो स्कीम बनायी है इसी तरह माउन्ट आबू के लिए भी सरकार कोई चिन्ता करे ताकि वहां पर प्रदूषित गन्दगी नहीं फैले। उससे बचने के लिए माउन्ट आबू के लिए भी कोई ऐसी योजना बनायें ताकि वहां पर जाने वाले पर्यटकों को सीधा-सीधा फायदा मिले।

कहने के लिए तो काफी कुछ है। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री करण सिंहजी।

श्री करणसिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो बजट पेश किया गया उसके समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद मुख्य मंत्रीजी द्वारा सदन में बजट पेश किया गया। बजट के पेश होने के बाद लगातार तीन दिन से उसके ऊपर बहस चल रही है। उस बहस के बाद हम यह देखते हैं कि इस बार जो बजट हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है, इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी गयी जो कि राजस्थान की विधान सभा के माननीय सदस्यों की भावना का ध्यान नहीं रखा गया हो।

गत वर्ष जब मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया था तब हमने कुछ बातें मांगी थीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के हमारे साथियों ने कुछ सुझाव दिये थे। चाहे इस सदन में इधर से उधर आरोप प्रत्यारोप लगाते हों, पर जब हां पक्ष या ना पक्ष लाबी में चाय का दौर चलता है तब अच्छी-अच्छी बातें सामने आती हैं। उसमें जो सुझाव आये उनको हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पूरी तरह से

(श्री करणसिंह)

देखा है और देखकर इस बजट में हमारी इच्छाओं के अनुरूप राजस्थान की जनता का ध्यान रखते हुए यह कल्याणकारी बजट पेश किया है।

सरकार पहले कांग्रेस की भी रही है और बीजेपी की भी रही है। आजादी के 64 साल बाद उस गांव के गरीब के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। उस गांव की झौपड़ पट्टी में रहने वाला जब वह बीमार होता था, उसका बच्चा बीमार हो जाए, उसकी मां बीमार हो जाए, उसका पिता बीमार हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका इलाज कराने की व्यवस्था आज तक किसी ने सोची? राजस्थान और हिन्दुस्तान के किसी नेता ने उस गरीब के बारे में सोचने का प्रयास नहीं किया जो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सोचने का प्रयास किया। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई गांव से जीत कर आता है, कोई शहर से जीत कर आता है। ट्रैफिक बढ़ रहा है और आये दिन एक्सीडेंट होते हैं, जेब में पैसा नहीं हो, आप जानते हो कि एक्सीडेंट होने के बाद इलाज कराने के लिए कितना उसको संघर्ष करना पड़ता है। उसको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, उसको ब्याज पर पैसे उधार लेने पड़ते थे। बहुत बड़ा सार्थक काम हुआ है, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया है। हम बजट भाषण को पढ़ कर उनकी प्रशंसा नहीं करें या धन्यवाद नहीं दें तो मुझे लगता है कि हमारी आत्मा दुःख पायेगी। जो धन्यवाद देना नहीं चाहते हैं उनको भी जनता माफ नहीं करेगी क्योंकि जो काम अच्छा होता है उसके लिए कहना चाहिए।

मेरे साथी शंकरजी ने कल कहा था जो भी बोलो सच बोलो, मन से बोलो। उन्होंने कुछ नरक की भी बात कही थी कि वह नरक में जायेगा। अलग-अलग बातें की हैं। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हम सब जनता से चुन कर आते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, हम जब जनता के बीच में जाते हैं तब गांव की गरीबी को देखते हैं और देखने के बाद दुःख होता है। उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है। बीमार होने पर इलाज की उसके पास व्यवस्था नहीं है। बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं है। उसके पास फीस की व्यवस्था नहीं है। उसके बारे में कौन सोचेगा। उसके बारे में अगर सोचने की बात की है तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने की है। मैं 25 साल का था, छात्र जीवन से राजनीति कर रहा हूं और झौंपड़ पट्टी में जाने का काम मैंने भी किया है। उनको देखने के बाद उनके हालात को बदलने के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए उनके बच्चों का लालन-पालन करने के लिए, उनको आगे पढ़ाने के लिए और उनको सुदृढ़ करने

(श्री करणसिंह)

के लिए यदि किसी ने काम किया है तो कांग्रेस की सरकार और हमारे मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत ने किया है।

मैं बार-बार डिबेट में सुन रहा हूं कि झूठ का पुलिन्दा है। आरोप लगाना अलग बात है। कमियां निकालना ठीक है। कोई योजना बनती है उसमें कमी रह सकती है। कमी रहने पर उसको ठीक करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। डिबेट इसीलिए होती है कि दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उसमें हम क्या ठीक कर पायें। उसके बाद सरकार उसको पूरा ठीक करने का प्रयास करती है।

मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। सड़कें आपने भी बनायी हैं। बिजली आपने भी पैदा की है। प्रोजेक्ट आपने भी लगाये हैं। जो भी सरकार आती है वह अपनी जिम्मेदारी निभाती है मगर जो काम अशोकजी गहलोत ने किया है वह काम आपने आज तक नहीं किया। मुफ्त इलाज, जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसका नाम लोग अभी तक ढंग से लेना नहीं जानते, 'जननी शिशु सुरक्षा योजना'। कई बार हमसे भी भाषण में उल्टा-सीधा नाम निकल जाता है। इस तरह की योजनाएं बनाना उनकी सोच जैसी किसी और नेता की उपज है? हमारे अशोक गहलोतजी की है। राजीव गांधी विद्युत योजना बनाकर गांव-गांव में बिजली पहुंचाना, उसका मुफ्त मकान बनाना। मकान जो उनको दिया, राजस्थान के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र में साढ़े छह हजार मकान बने हैं, उन मकानों में कुछ कमियां रही होंगी, हम उसको कम्पलीट कराने जा रहे हैं। साढ़े छह हजार मकानों के अन्दर हम जब जाते हैं, जब उनको देखते हैं तब हमारी आत्मा प्रसन्न होती है।

हमारी सरकार और हमारे नेता ने जो काम किया है वह आज तक किसी ने नहीं किया। मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं, हम इस सदन में जीत कर आते हैं, हमारी सोच गरीब जनता के प्रति ठीक होनी चाहिए। हमारी सोच हाईटेक नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच ऐश आराम की नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच गरीब के प्रति दु:ख-दर्द की होनी चाहिए। जनता हमको सदन के अन्दर चुनकर भेजती है तो हमारा धर्म बनता है कि हम उनकी सेवा करें लेकिन हम लोग क्या करते हैं विधान सभा में आकर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे की डिबेट में व्यवधान पैदा करते हैं आप पत्थर फेंको तो ठीक है, हम पत्थर फेंकें तो बुरा लगता है। आज मैं पत्थर फेंकने का काम नहीं करूंगा क्योंकि डिबेट में हर बार व्यवधान होता है। मेरे भाई राजेन्द्र जी

(श्री करणसिंह)

भी आज शांत तरीके से बैठे हैं इसलिए आज भाटा फेंकने का काम नहीं करूंगा क्योंकि तीन दिन से सदन में भाटे फिक रहे हैं। सब एक दूसरे को जानते हैं कि आप क्या हैं और हम क्या हैं। आपके बारे में जनता जानती है और अशोक गहलोतजी के बारे में जानती है। हमारे जो फैसले हुए हैं, बन्द कमरे में फैसले नहीं हुए, सभापति महोदय।

(15.00 बजे)

जनता की भावना के और चुने हुए विधायकों की भावना के अनुरूप हमारे मुख्य मंत्री ने सारे फैसले किये हैं। हमारे फैसले कहीं बंद होटल में नहीं हुए हैं, हमारे फैसले कहीं क्रिकेट के पवेलियन में नहीं हुए हैं, हमारे फैसले पांच सितारा होटलों में नहीं हुए हैं हमारे फैसले जनता की भावना के अनुरूप और जनता के बीच हुए हैं। इसलिए हमारा एक भी फैसला ऐसा नहीं है जिसको आप नकार सकते हैं। 50 आदमी विपक्ष के इसको ढकोसला बता सकते हैं बजट को, साठ या सत्तर आदमी ...(व्यवधान)

पहलवान जी, आप तो मेरे मित्र हो। आपने कल खूब आरोप लगाये, इतने आरोप लगाये, पूरा सदन शर्मिंदा हुआ उसके लिए और उसके लिए फिर हमने आपको टोका नहीं। हम लोग आपको जानते हैं इसलिए आपके आरोप की हम चिंता नहीं करते। आपको इस सदन में मेरी बात को सुनना पड़ेगा।

एक बात मेरी यह है कि इस बजट के अन्दर जो बताया है, आप एक भी चीज उठाकर देख लीजिए, इसमें क्या खराबी है? कम से कम उधर बैठने वालों को थोड़ा तो धन्यवाद देना चाहिए। क्या मुफ्त इलाज बेकार है क्या? सदन में एक साथी बोला कि साढ़े छह रुपये की मेडिसन मिलती है, भाई, साढ़े छह रुपये की मेडिसन तो मिल रही है, पहले एक रुपये की मेडिसन मिलती थी क्या? गांव में जिस गरीब को बुखार आता था, उसको कोई मैटासिन की गोली देता है तो गांव का गरीब आदमी बुखार उतरने के बाद उस गांव का जो आर.एम.पी. डाक्टर होता है, झोला छाप डाक्टर होता है उसके पैर छूने के लिए आता है तूने मेरी बुखार उतार दी, तूने मेरा इलाज कर दिया। यह सरकार ने कम बात करी क्या? आप इस बात को एक मजाक बनाकर के, जनता के बीच में हमने जो एक सुविधा उपलब्ध करायी है उस सुविधा को आप गलतफहमी पैदा करके उस इलाज की व्यवस्था को खराब करना चाहते हो। जो लाखों, करोड़ों रुपये डाक्टर कमा रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं, मेडिकल दवाइयों के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास किया है। अगर आप ऐसी बात करेंगे

(श्री करणसिंह)

तो गरीब लुटते रहेंगे और हम, आपकी सदन में आने की गारंटी हो चाहे नहीं हो पर गरीब को लुटने से बचाने के लिए हमको सबको बोलने की आवश्यकता है।

इसलिए आप ऐसा भ्रामक प्रचार मत करिये, गोली खराब है, पता नहीं कौनसी कम्पनी की दवाई खरीद ली, पता नहीं कहां से छांट कर ले आये, किस के कहने से ले आये और ऐसी दवाइयां बांट रहे हैं जिससे इलाज नहीं हो रहा। ऐसी बातें आपको सदन में शोभा नहीं देती हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक गांव में गया था, वहां भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य की बहू के डिलेवरी हुई और वो डिलेवरी करा करके के पांच किलो घी ले गया और पांच किलो घी ले जाकर के उसकी बहू ने लड्डू खाये, वो 1400 रुपये लेकर गया और बाहर आकर बोलता है, कांई न मिलै। वो मेरे सामने ले गया और बाहर जाकर बोल रहा है, यह सब झूठमाट, नकली घी है यह। तुम खा भी रहे हो और गालियां भी दे रहे हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यह योजना कोई कांग्रेस के लिए नहीं है, यह जो योजना बनी है यह भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सारी जनता के लिए होती है।

चलिए जो योजना आपकी बनी है उसकी हम तारीफ करते हैं। आपकी एक योजना शानदार थी एक्साइज डिपार्टमेंट की, आपने अच्छी योजना बनायी, तारीफ होती है उसकी। उसमें जो भू-माफिया, शराब माफिया थे उनको आपने दूर करने का प्रयास किया। गवर्नमेंट की राजस्व आय भी बढ़ी और उसका रिजल्ट ठीक आया। उसको हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी इम्प्लीमेंट किया। एक थोड़ी कमी थी उसको हमने ठीक किया। आप शराब दस बजे तक पिलाते थे, हमने इसको आठ बजे कर दिया।

एक काम और आपके टाइम में गलत था। आपके यहां जयपुर में मैं होटलों में देखता था कि हुक्का चलता था। जब मैं जीत कर आया तो कि हुक्का क्या होता है? बच्चे आते हैं और गुल गुल गुल हुक्का। मैंने कहा, गांव का आदमी हूं, भाई, हुक्का कहां से आ गया? हमारे गांव में बूढ़े-बूढ़े हुक्का पीते हैं, हुक्का पीने वाले कौन आ गये? कि, साहब, लड़के, लड़कियां हुक्का पीते हैं। हमने मुख्य मंत्रीजी से कहा। यहां की होटलों में हुक्का चलता था और वो हुक्का क्या था, जो फाइव स्टार कल्चर के लोग हैं वो जानते हैं हुक्का क्या है। हमारे तो बाप-दादा ने नहीं देखा हुक्का क्या होता है। पहलवानजी, फाइव स्टार का कल्चर है हुक्का।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं तो पीता हूं।

श्री करणसिंह (छबड़ा): पीते हो तो आप बिगाड़ोगे देश को। आप बिगाड़ दोगे पूरे बच्चों का। उस हुक्के में, पहलवान साहब, नशा होता है, जाने कौनसा, मुझे तो मालूम ही नहीं। मेरे बच्चे से मैंने पूछा क्या था, बोला, पापा हुक्का अच्छा है, टेस्टी है, आप भी लो, फ्लेवर अच्छा आता है। मैंने कहा, कौनसा फ्लेवर? यह कहां का संस्कार है, यह कौनसी सभ्यता है? कहां ले जाना चाहते हो देश को? यह कौनसी परम्परा है? सारे कल्चर को नष्ट करके सत्यानाश करने वाली बातें थीं। अगर इसको कंट्रोल किया है तो हमारे मुख्य मंत्री ने किया है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसी तरह से आप ले लीजिए, मकान के बारे में मैंने आपको बताया। बी.पी.एल. के लिए एक रुपये किलो गेहूं, यह कितना बड़ा फैसला है। एक रुपये किलो का गेहूं, माननीय सभापति महोदय, भिखारी एक रुपया लेना पसंद नहीं करता है, दो रुपये भी देते हैं तो भिखारी फेंक देता है बल्कि आजकल तो पांच का नोट फेंक देता है। एक रुपये किलो में गेहूं, इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जायेगा माननीय मुख्य मंत्रीजी का। चुनाव प्रचार में जायेंगे, सदन से बाहर निकलकर जाने वाले हैं हम, जाने के बाद प्रचार करेंगे, बात करेंगे। एक रुपये किलो में गेहूं उस गरीब तक पहुंचाने का काम किया है तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया है। सदन में डिबेट में लोग बोले थे और यह कहा था कि ...

श्री सभापति: आसन इस बात का निर्देश देता है कि सम्माननीय सदस्य, करण सिंहजी के अलावा और किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री करणसिंह (छबड़ा): सदन में आरोप लगे, 35 किलो गेहूं की जगह 25 किलो कर दिये, इस सरकार ने इधर का पैसा इधर कर दिया, अब एक रुपये किलो कर दिया, अब क्या आरोप लगाओगे, अब क्या कहोगे? सच को तो सच कहना पड़ेगा। उस गरीब के पास 25 रुपये में 25 किलो आटा, पांच रुपये किलो में आटा और एक रुपये किलो में गेहूं, यह सरकार के फैसले हैं। आप इसके रिजल्ट देखना। भविष्य में सरकार आपकी रहे, हमारी रहे, कम से कम हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बजट में जो फैसले लिये हैं इनको लागू कर दोगे तो भगवान आपको भी दुआ देंगे। अगर आपने भी इसको लागू कर दिया ... (व्यवधान)

मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा फिर भी कहीं, डेमोक्रेसी सिस्टम है और मान लो इनको राज मिल जाए तो सद्बुद्धि दे इनको

(श्री करणसिंह)

इसलिए मैं पहले से कह रहा हूं, एक विधायक ने कहा था कि हम भी राज में आ जाएं तो सद्‌बुद्धि से काम करेंगे। (व्यवधान)

राज नहीं मिलेगा, यह आप जानो।

तो एक रुपये किलो का जो गेहूं है, यह आपने सोचा था क्या? आपका सोच ही नहीं था यह। आपका सोच तो फाइव स्टार कल्चर, हाइटेक, इसको क्या बोलते हैं, आजकल एक नया नाम चल गया है रियल एस्टेट, मैं जब जीत कर आया तो कि रियल एस्टेट, हमारे गांव में रीयल एस्टेट कोई जानता नहीं है, दारू को जरूर जानते हैं रायल स्टैग, रियल एस्टेट बिजनस प्रोपर्टी डीलरों का, भू-माफियाओं का, जगह-जगह सरगने, यह मैंने देखा। कहां गये चार साल से रियल एस्टेट? एक भू-माफिया नहीं, कानून बन गया, सरकार ने थाने बना दिये जगह-जगह, पकड़ो, बंद करो। कोई गलत फैसले नहीं, कोई बेइमानी नहीं, पूरी पारदर्शिता हमारे मुख्य मंत्रीजी ने दी है। जनता को दिखा कर ...(व्यवधान)

आपको पता नहीं क्या हो गया? आज आप मेरे व्यवधान पैदा कर रहे हो, आज राठौड़ साहब चुपचाप बैठे हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, आज पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रहे हो?

तो यह रियल एस्टेट और रायल स्टैग, दोनों का मैं फर्क बता रहा हूं क्योंकि मैं गांव से आता हूं न, आदिवासी लोगों को मालूम नहीं कि रियल एस्टेट क्या होता है। यह रियल एस्टेट कहां गये? 90 बी की कार्यवाही के माध्यम से सौदे होते थे, कितना क्या हुआ? खैर, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं।

मैं तो अपनी बात कहना चाहता हूं कि अगर एक रुपये गेहूं देने की सोच रखी है तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने रखी है। इस गरीब के बारे में सोचने का प्रयास किया चार साल के अन्दर। इलाज को ले लो, गेहूं को ले लो, रोटी कपड़ा और मकान और चार साल बेमिसाल।

रोटी कपड़ा और मकान, दो साड़ी और एक कम्बल। अब साड़ी बांटेंगे, सदन में बोलते हैं कि साड़ी क्यों दी जा रही है? उस गरीब को साड़ी तो दो। मैं गांव में जाता हूं, माननीय सभापति महोदय, किसी शादी में अगर एक दुपट्‌टा भी पहरावनी कर देता हूं न तो गांव का आदमी रिश्ता निभाता है, कि पहरावनी करने आया है करण सिंह, एक दुपट्‌टा पहनाने में गांव का आदमी व्यवहार मानता है और आप तो शाही परिवार के हो, आप जानते हो रिश्ता

(श्री करणसिंह)

निभाना। मुझे मालूम है, हमारा सम्बन्ध है इस चीज का। एक लूगड़ी ओढ़ा कर देखो किसी बहन को, भाई-बहन का रिश्ता हो जाता है। हम दो-दो साड़ी पहनायेंगे और ठंड लगेगी तो कम्बल ओढ़ायेंगे। ऐसी चुनरी पहनायेंगे और चुनरी पहले की नहीं चलेगी, पहले भी आयी थी परिवर्तन यात्रा में, वो चुनरी नहीं चलेगी। रंग बदलना, चुनरी बदलना, वो काम नहीं, हमारी चुनरी सादा होगी, खादी भण्डार की चुनरी होगी शानदार और ऐसी पहनायेंगे कि उसका रिश्ता भी बना रहेगा और कम्बल भी देंगे ठंड से बचाने के लिए। यह सरकार की योजना है? आपने क्यों नहीं बनायी?

जननी शिशु सुरक्षा योजना है, डिलेवरी होते ही कितनी माता, बहनें मर जाती थीं, आप बताइये। मेरा खुद का जन्म गांव में हुआ है, माननीय सभापति महोदय, और जब गांव में मेरा जन्म हुआ तो एक +++ परिवार की, हमारे यहां +++ बोलते हैं +++ परिवार को, उस +++ ने, डग्गू +++ नाम था उसका, उसके यहां जन्म हुआ मेरा, उसने मेरी मां का पेट दबाया होगा और करण सिंहजी पैदा हो गये। अब करण सिंहजी बच गये इसलिए करण सिंहजी हो गये। मेरे दो-तीन परिवार के भाई मरे हैं। कोई सुविधा नहीं थी, कितनी माताएं मरती थीं और कितने पेट के बच्चे मरते थे और कितने आदमी बीवी मरने के बाद +++ हो जाते थे और जो आदमी +++ होता है न उसको रोटी नहीं मिलती, राठौड़ साहब, सुबह शाम को, जिसके घर में लक्ष्मी नहीं होती है, बीवी नहीं होती है उसको चाय भी नहीं मिलती है। कई बार मेरे पायजामे में नाड़ा नहीं होता है ...

श्री सभापति: एक मिनट। अगर यह शब्द असंसदीय हो तो अपलोपित कर दें।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मेरे शब्दों में कोई गलत नहीं है। मैं महिलाओं के बारे में बोल रहा हूं, मैं महिला के सम्मान की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य को शांति से सुनिए और अपना ज्ञानवर्धन करिये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं कहना चाहता हूं महिलाओं के बारे में, कितनी महिलाएं मर जाती थीं हास्पिटल जाने तक, बच्चा मरता था और मां मर जाती थी। घर बिगड़ जाता था उसका, उसको बचाने का काम हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया है, 108, 104 यह चार साल पहले थीं क्या? एक भी योजना नहीं थी चार साल पहले। मुफ्त इलाज नहीं था, जननी सुरक्षा योजना नहीं थी,

(श्री करणसिंह)

एक रुपए किलो गेहूं नहीं था। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, सहरियाओं के लिए दो किलो दाल, कभी सोचा था क्या फ्री सहरियाओं ने, एक किलो देशी घी, दो किलो तेल और पैंतीस किलो गेहूं और गरीब परिवारों का लालन-पालन करने के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो काम किया है, गरीब परिवारों को टच करने का काम किया है।

इस दुनिया में दुःखी कौन रहता है, धन्ना सेठ कोई दुःखी नहीं रहता है। वो इलाज करा लेंगे पहलवान साहब, आपके पास कार, बंगले खड़े हैं, गरीब के पास बीमार होने पर कुछ नहीं है, उसको इन चीजों की जरुरत है। आपको और हमको जरुरत नहीं है। आपको सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सरकारी हास्पिटल में इलाज कराने की आवश्यकता नहीं है, उसमें तो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उनको सरकारी योजना का लाभ चाहिए। उनके लिए योजना बनने दीजिए और उनको लाभ उठाने दीजिए और गरीब का भला होने दीजिए। यह काम अगर किया है तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया है। अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में किसी का बच्चा पढ़ता है क्या? कौनसे एम एल ए साहब का पढ़ता है, सारे कान्वैंट में पढ़ते हैं बच्चे एम एल एज के, आई ए एस अफसरों के, कलक्टर्स के इनके। गरीब का बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि उस गरीब के लिए अगर कोई योजना बनाई है, उसके बारे में सोचा है तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सोचा है।

इसी तरह से आपकी भावना थी उस विधवा के बारे में, हम जगह-जगह जाते थे, माननीय सभापति महोदय, वह विधवा महिला जिसका बेटा पच्चीस साल का होता था, सबसे बड़ी दशा अगर खराब थी तो उस माता की थी। हम जाते हैं गांवों में, कैम्प लगता है, मीटिंग होती है तो डंडा टेक-टेक कर बूढ़ी माताएं हमारे पैर पड़ जाती थीं, हमारी पेंशन बांध दीजिए। हमारे बेटा-बहू हमको खाना नहीं देते, हम पड़े हैं, सड़ रहे हैं, हमारे बारे में कौन सोचेगा। चार साल से हमारे मुख्य मंत्री से हम लगातार कहते रहे और आपके सदस्य भी बार-बार बोलते रहे कि मुख्य मंत्रीजी से कि यह काम तो करा ही दो, यह काम तो करा ही दो। हमने कहा कौनसा काम करा दो कि साहब विधवाओं की पेंशन तो बंधवा ही दो। धन्य हो मुख्य मंत्रीजी, एक आदमी ने नहीं कहा, एक सदस्य ने धन्यवाद नहीं दिया उन विधवा माताओं के लिए। यह नहीं कहा मुख्य मंत्रीजी आपने अच्छा काम कर दिया। यह तो असत्य का पुलिन्दा है, हर चीज

(श्री करणसिंह)

असत्य का पुलिन्दा है। यह घाट की गूणी बन गयी, वह भी असत्य का पुलिन्दा है क्या? इधर से घुसो उधर से निकलो। इधर से घुसो लाइट चकाचक, उधर से घुसो लाइट चकाचक। मैट्रो ट्रेन दिख नहीं रही क्या, असत्य का पुलिन्दा है? शर्म आनी चाहिए आपको, सदन में असत्य बोलते हो। यहां भी असत्य बोलोगे और जनता में भी असत्य बोलोगे। यह काम कब तक चलेगा, यह चलने वाला नहीं है।

करण सिंह यहां असत्य बोलेगा, यह डिबेट अखबारों में छपेगी। यह पत्रकार लोगों को कहना चाहता हूं मैं, आप इन झूठी-सच्ची बातों को मत छापा करो। झूठमाट बनी बनाई बातें लाते हैं यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है सभापति महोदय, कई ऐसी व्यवस्थाएं माननीय अध्यक्ष महोदय ने दे रखी हैं कि सदन में कोई भी माननीय सदस्य प्रेस गैलेरी को सीधा सम्बोधित नहीं कर सकता और माननीय सदस्य कह रहे हैं पत्रकारों को इंगित करते हुए कि आप यह छापो, नहीं छापो। इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन में नई परम्परा नहीं पड़े और माननीय सदस्य ने प्रेस गैलेरी को इंगित करके जो कुछ कहा है उसको डिलीट किया जाए।

श्री करणसिंह (छबड़ा): राठौड़ साहब मेरे बड़े भाई भी हैं और सीनियर हैं, मैं इनसे सीखूंगा। मेरी गलती हुई इस बात की और इससे मुझे अनुभव हुआ, चार साल में मैं क्या सीख जाऊंगा। मुझे सीखना पड़ेगा, विधान सभा की परम्पराओं, नियम कानून को मुझे समझना पड़ेगा।

श्री सभापति: एक मिनट माननीय सदस्य। आदरणीय सचेतक महोदय, यह भी अंकित करवाऊं या नहीं करवाऊं, वह कह रहे हैं कि आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, कराऊं अंकित या नहीं कराऊं? (व्यवधान) विराजें, आप फरमाओ।

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सदस्य महोदय मेरे को ज्ञान देना नहीं चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरी व्यवस्था पर क्या व्यवस्था ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी व्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं तो ज्ञान लेना चाहता हूं अब वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं यह इनसे पूछ लो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं मेरी क्लास का टाइम इनको बता दूंगा उसके बाद इनको ज्ञान दे दूंगा।

श्री सभापति: लेकिन मैं आप दोनों से यह बात पूछना चाहता हूं कि जो बात आपको इस सदन से बाहर करनी चाहिए आप सदन में क्यों कर रहे हैं?

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका सम्मान करते हुए अपनी बात चालू करूंगा।

श्री सभापति: आप कन्क्लूड करें। तीन से चार सदस्यों को और बोलना है फिर नेता ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, बहुत से सदस्यों को बोलना है। समय का ध्यान रखें, समय बहुत ज्यादा हो रहा है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, जो काम इनको करना चाहिए था, धर्म के नाम पर ठेकेदारी, धर्म के पुजारी। जब राम मन्दिर बना था उस टाइम पर सड़कों पर जलजला उठा और जब सड़क पर पब्लिक निकलती थी तो हम लोगों को छिपना पड़ता था। ऐसा हुजूम था राम मन्दिर बनने का और पूरी जनता ने आस्था के नाम पर पैसा दिया लाखों, करोड़ों रुपया। मेरी माता को मैंने मना किया कि तू मत देना पैसा, खा जायेंगे यह, पर मेरी मां नहीं मानीं। मेरी मां ऊपर चली गयी। लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने मंदिर के नाम पर इकट्ठा किया और इस तरह करके ऐसे नाटकबाजी करते हैं। और शाम को यह क्या करते थे...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एक भी पैसा बता दें यह हाउस में ...(व्यवधान) राम मन्दिर का पैसा, उस पैसे को किसने खाया, यहां स्पष्ट करो ...(व्यवधान) तो यह इस तरह के असत्य आरोप सदन में नहीं लगेंगे। एक पैसा तो बता दो, मैं कहता हूं कोई आ जाओ ...(व्यवधान) एक पैसा भी ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): मेरी मां ने मुझसे कहा था...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आसन पांवों पर है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): असत्य बातें कहकर सदन को गुमराह ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): मेरी मां ने मुझसे कहा था माननीय सभापति महोदय, उस बात को मैं सदन में दोहरा रहा हूं।

श्री सभापति: मैं आदरणीय आप से भी निवेदन करूंगा, आप स्वयं ही अपने श्रीमुख से यह फरमा चुके हैं कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे सदन में उत्तेजना आए। कृपया अपने शब्दों को ध्यान रखकर आप अपनी बात कहें।

श्री करणसिंह (छबड़ा): आपके आदेश की पालना करके अपनी बात चालू करता हूं। मुफ्त तीर्थ यात्रा पच्चीस हजार लोगों की...

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य का कहा हुआ जो वक्तव्य है उसका जब वरबैटम आप अध्यक्ष महोदय के सामने पेश कर दें, ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात होगी तो अपलिखित कर दी जाएगी।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैंने आरोप नहीं लगाया। पूरे हिन्दुस्तान की जनता ने देखा है और सबने दिया है पैसा, इस बात को दोहरा रहा हूं मैं। तो उस समय मुझे दिखता था माननीय सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: कन्क्लूड करें अब आप।

श्री करणसिंह (छबड़ा): शाम को सड़क पर जब मैं निकलता था तो दिन में लगता था बच्चा-बच्चा राम का और शाम को जब लोग हमको मिलते थे कि बच्चा-बच्चा राम का और क्या प्रोग्राम है शाम का। ऐसी बातें करके, जनता से छिपी हुई बातें नहीं हैं यह। मैं आपको कहना चाहता हूं मुफ्त तीर्थ यात्रा पच्चीस हजार लोगों को हमारे मुख्य मंत्री ने चालू की है। यह धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ बिन्दु है। हमने मुख्य मंत्रीजी से कहा था, मुख्य मंत्रीजी गये थे दिग्विजय सिंहजी के बैठने। मैंने कहा +++ वहां पर क्या करता है एक तो कन्यादान और एक तीर्थ यात्रा।

श्री सभापति: मैं पुन: निवेदन करूंगा कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसका कृपा करके आप नाम न लें और न ही ऐसा कोई वक्तव्य दें कि जिससे आसन को कठोर निर्णय लेने पर आप बाध्य करें।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैंने शिवराज सिंहजी चौहान साहब की जो योजना थी मुफ्त तीर्थ यात्रा, उसको मुख्य मंत्रीजी को बताया और मुख्य मंत्रीजी ने उस योजना को लागू कर दिया तो गुनाह क्या कर दिया, पूरी जनता को लाभ मिलेगा इसका। धार्मिक यात्रा है, बूढ़े-ठेड़े जिनके पास यात्रा के पैसे नहीं होते हैं, यात्रा करेंगे। उस काम को आप नहीं करें पास, उसको हम करेंगे। इसमें बताने की जरुरत कहां आयी, इसमें घबराने की बात कहां आयी, इसमें रोने-धोने वाली बात क्या आयी। मैंने कौनसा आरोप लगा दिया? शिवराज सिंह

(श्री करणसिंह)

चौहान ने चालू की थी उसको मैंने मुख्य मंत्रीजी को बता दिया। उसी तरह की योजना हमने बताकर लागू कराई जिसको आपकी सरकार ने लागू नहीं की।

कैलाश पर्वत की यात्रा पच्चीस हजार नहीं एक लाख...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप कन्क्लूड करें।

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, हमारा समय बचा हुआ है। यह हमारे सचेतक महोदय देवासीजी, प्लीज आप सभापति महोदय जी से कहिए पांच मिनट समय दीजिए। मेरा बड़ी मुश्किल से नम्बर आया है।

श्री सभापति: पच्चीस मिनट बोल चुके हैं आप।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ओनली फाइव मिनट प्लीज। मैं किसानों के सम्बन्ध में बात बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: घड़ी आप स्वयं देख लें 3 बजकर 20 मिनट हो चुके हैं।

श्री करणसिंह (छबड़ा): एक भी बात नहीं करूंगा, जो बात करूंगा अच्छी करूंगा। सभापति महोदय, मेरे यहां पानी बहता है हर क्षेत्र में, नदियां बहती हैं, नदियां बहकर पानी निकल जाता है और पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर पानी की योजना बननी चाहिए। इस बजट के अन्दर जो पानी की योजना बनी है, मैंने पिछली बार भी बोला है सारी नदियां हमारे वहां से हैं पार्वती, कालीसिंध, चम्बल, दुनिया भर की नदियां और हजारों एम सी एफ टी पानी बहकर के समुन्द्र में चला जाता है। उसके लिए योजना बननी चाहिए, सैण्ट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से बननी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से बननी चाहिए।

मैं बार-बार मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कम से कम इस पर ध्यान दिया जाए। यह जनता के लिए फायदे वाली बातें हैं।

दूसरा मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, किसानों को जमीनों का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। पिछली सरकार के समय भी हमारे किसान लुटे, चाहे थर्मल पावर प्लांट बना, चाहे लासी डैम बना, किसानों को लूट लिया गया। मगर अभी मेरे क्षेत्र में आपकी परवन सिंचाई योजना आने वाली है। मेरे किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं।

किसानों के लिए बिजली के कुछ सुझाव देना चाहता हूं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को। किसानों के लिए योजना बननी चाहिए।

(श्री करणसिंह)

एक ऐसी योजना जो किसानों के लिये लाभदायक होती है। थ्री फेस का कनेक्शन टैम्प्रेरी किसानों को देना चाहिये। थ्री फेस 5 हार्स पावर का, 10 हार्स पावर का, 20 हार्स पावर का और स्थायी कनेक्शन उनको देकर टैम्प्रेरी पैसा उनसे लेना चाहिये। थ्री फेस पर 3 हजार, 5 हार्स पावर पर 5 हजार, 10 हार्स पावर पर 10 हजार और 20 हार्स पावर पर 20 हजार, तीन-चार महीने किसानों के बिजली काम आती है और किसान से बारह महीने बिजली का पैसा वसूल किया जाता है। तीन-चार महीने किसान के बिजली काम आती है उसके लिये टैम्प्रेरी कनैक्शन देकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि किसान दर-दर ठोकर नहीं खाएं। यह मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है।

ओलावृष्टि प्रभावित एरिया के बिजली के बिल तुरन्त माफ होने चाहिये...

श्री सभापति: आप घड़ी की तरफ भी देखते रहें।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं दो-तीन बातें, आपकी तरफ देखकर ही बोल रहा हूं मैं। बड़ी मुश्किल से नम्बर आता है मेरा, आता भी नहीं है।

धनिये के समर्थन मूल्य पर टैक्स हटाया है, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। किसानों को 4 सौ रुपये, 5 सौ रुपये क्विंटल का फायदा होगा। गेहूं का समर्थन मूल्य 50 रुपये क्विंटल जो बढ़ाया है उससे महंगाई का जो असर किसान पर पड़ा था उससे वह बच गया। एक किसान पर डीजल, खाद की मार 5 सौ रुपये बीघा पड़ी थी, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 50 रुपये देकर उसको 5 सौ रुपये का बैनिफिट एक बीघा पर दे दिया इसलिये विपक्षी बातों को नकारते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना का स्वागत करता हूं...(व्यवधान)

हाड़ौती को ट्यूरिज्म दर्जा दिलाया जाए। हाड़ौती क्षेत्र हमारा सब तरफ से आगे है पानी से, बिजली से, इण्डस्ट्री, शिक्षा से, सब जगह से फर्टाइल एरिया है पर हाड़ौती क्षेत्र में ट्यूरिज्म का कोई डवलपमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि आज बजट की लास्ट डिबेट है इसलिये मैं अपनी बात को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहा हूं और जिस तरह से सरकार ने काम किये हैं उसकी मैं तारीफ करता हूं।

सड़कों का जाल ले लीजिये आप झालावाड़, बारां में। आप देखिये प्रत्येक जिले के अन्दर 20-20, 25-25 सड़कें कभी बनीं क्या? हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सड़कें बिछाने का काम किया है। मेरे क्षेत्र में 88 करोड़ रुपये की

(श्री करणसिंह)

सड़क दी हैं। 52 किलोमीटर की 188 करोड़ रुपये की एक सड़क दी है। पूरा झालावाड़ जो वसुन्धरा जी का एरिया है, 52 गांवों में झालरापाटन के अन्दर सड़क पहली बार बनने जा रही है। माननीय सभापति महोदय, आपके थ्रू कहना चाहता हूं। पहले सड़कें नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी। झालावाड़ की स्थिति जाकर देखी है, दो-तीन एम एल ए बैठे हैं, बड़ी स्थिति खराब है। कच्चे मकान, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं। जो काम आपने नहीं किया वह काम हमारे मुख्य मंत्रीजी झालावाड़ में अब करा रहे हैं इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मन्दिरों का हमने जीर्णोद्धार किया है। यात्रा हमने करायी। पशुओं का इलाज हम करा रहे हैं। डिलीवरी का पैसा हम दे रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। सारी योजनाएं हमारी शानदार हैं। यह असत्य का पुलिन्दा कहने वाली हमारी माताजी जोधपुर से आती हैं। चुप-चुपकर मुख्य मंत्रीजी से मिल जाती हैं। मेरा यह काम कर देना, मेरा यह काम कर देना और यहां बैठकर ऐसी दवाई दे दी जोधपुर में...(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) असत्य बातें करके, मनगढ़ंत ऐसी बातें पैदा करते हैं जो मुझे तो समझ भी नहीं आया अगले जन्म में भगवान आपको माफ भी नहीं करेगा।

मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं सभापति महोदय, और मेरी बात से इस बार किसी को ठेस नहीं पहुंची होगी।

लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूं। सदन में कटारिया साहब को इधर से उधर बैठा दिया। एक को बाहर निकाल दिया, परमानेण्ट बाहर... (व्यवधान) यह बजट में नहीं, कब बोलूंगा भाई। एक ब्राह्मण पंडित उन्होंने टुनटुनी बजा दी मंदिर में जाकर, उन्होंने मंदिर में जाकर घण्टी बजा दी है और पता नहीं वह किसका घण्टा बजायेंगे। यही कहता हुआ मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। सम्माननीय सदस्य, धन्यवाद। श्री बहादुर सिंहजी

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय सभापतिजी 2013-14 के बजट पर बोलने का मौका दिया, 2013-14 का जो बजट घोषित किया है, अभी हमारे एक भाई बोल रहे थे, यह असत्य की पोटली नहीं है तो क्या है? अब तक 2012-13 का बजट था, 2011-12 का बजट था, 2013-14 के बजट में बार-बार वही घोषणाएं हैं।

(श्री बहादुर सिंह)

हमारे भरतपुर जिले के अन्दर जब महारानी वसुन्धराजी की सरकार थी तब विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज की घोषणा हुई थी...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, प्रजातन्त्र में महाराजा और महारानी, है क्या अभी व्यवस्था? यह व्यवस्था का प्रश्न है माननीय।

श्री बहादुर सिंह (वैर): है। विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज स्वीकृत हुआ। सरकार हमारी बदल गयी, वह 4 साल से ढीले बस्ते के अन्दर पड़ा हुआ है। हर साल घोषणा पत्र में उसको बार-बार कह देते हैं विश्वविद्यालय भरतपुर में बनेगा। मेडिकल कालेज भी भरतपुर में बनेगा। अभी तक उसकी नींव भी नहीं लगी और न ही उसके लिये कोई बजट सैंक्शन किया गया है। अभी भरतपुर में कृषि महाविद्यालय की घोषणा हुई है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज तो अभी तक बना नहीं, कृषि महाविद्यालय क्या बनायेंगे? जैसे हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी पर दवाब पड़ता है तब वह कहते हैं महंगाई मेरे से कम नहीं होगी, कोई जादू की छड़ी नहीं है। सभापति महोदय, जो बजट के अन्दर घोषणाएं की हैं, हमारे मुख्य मंत्री तो जादूगर हैं, उनके पास क्या जादू की छड़ी है यह इन 5-6 महीने के अन्दर इन घोषणाओं को उस जादू की छड़ी से पूरा कर देंगे ?

जब हमारी सरकार थी तो भरतपुर जिले को सम्भाग बना दिया गया। सम्भाग के अन्दर जो सुविधाएं होनी चाहिये, आफिस होने चाहिये वह सुविधा और प्रशासन नहीं हैं। आज आप भरतपुर में जाओगे तो देखोगे भरतपुर की सड़कें टूटी-फूटी, आम रास्ते खराब, पीने के लिये चम्बल का पानी अभी आने लगा है। माननीय सभापति महोदय, आप भरतपुर के अन्दर जाओगे, सम्भाग तो बन गया मगर सम्भाग जैसी सुविधा नहीं है। आप भी वहां जाकर सोचोगे यह कोई बड़ा गांव है, भरतपुर सम्भाग नहीं है। क्योंकि 4 साल से भरतपुर जिले को इतना पिछड़ा कर दिया कि वह गांव बनकर रह गया है।

राजस्थान में झीलों के लिये पैसा बजट में दिया है। भरतपुर की सुजान गंगा नहर ऐतिहासिक है। हमारे पूर्वजों की बनायी हुई है। वह सुजान गंगा नहर पूरी सड़ी हुई है। हर साल उसमें बजट जाता है। अब की बार सुजान गंगा की सफाई के लिये, दीवार बनाने के लिये बजट नहीं दिया गया है। सभापति महोदय, जैसे डीग, कुम्हेर के अन्दर महल हैं, वैर, बयाना में महल हैं, बल्लभगढ़ के अन्दर महल है, वैर में ऐसे ही नहर किले के चारों तरफ है।

(श्री बहादुर सिंह)

पहले आपके पत्थर लगा आये, हम इसकी सफाई और चारदीवारी करायेंगे। वह बीजक और पत्थर अभी तक लगा हुआ है। उसके लिये कोई भी बजट नहीं है। उसमें अतिक्रमण हो रहा है और नहर लोग दबाये जा रहे हैं। उसके लिये भी बजट दिया जाये।

श्री सभापति: इस सदन का सदस्य नहीं है और नाम किसी सदस्य ने लिया है तो वह अंकित नहीं होगा।

श्री बहादुर सिंह (वैर): सभापति महोदय, मैं यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भरतपुर जिले के अन्दर चम्बल का पानी डीग, कुम्हेर, नगर, कामां, पहाड़ी, सैपल व रूपवास में 721 करोड़ का बजट दिया है...

(15.29 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

भरतपुर जिले के अन्दर बयाना, वैर और नदबई को भी जोड़ा जाये क्योंकि वहां पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। बयाना, वैर, भुसावर, नदबई के अन्दर जब बिजली नहीं आती है तो 4-4, 5-5 दिन तक पानी नहीं आता है। आम आदमी वहां परेशान होता है। मेरा आपसे निवेदन है वैर, बयाना, भुसावर और नदबई को चम्बल परियोजना से जोड़ा जाये।

सभापति महोदय, अभी मेरे भाई कह रहे थे हमने किसानों के लिये बहुत बड़ा फायदा किया है। सौ रुपये से लेकर डेढ़ सौ रुपये अपने बजट के अन्दर हमने बोनस दिया है।

सभापति महोदय, किसान की भाषा और परिभाषा तो जानते ही नहीं हैं। किसान की क्या स्थिति है? जब फसल पैदा होती है तो सरकारी खरीद पर 5-5, 6-6 दिन तक किसान को रुकना पड़ता है जब किसान फसल को बेचता है क्योंकि किसान को जरूरत होती है। वह 5-6 दिन तक नहीं रुक सकता है, उसको व्यापारी को फसल बेचनी पड़ती है। उसको 1000 रुपये में, 1100 रुपये में व्यापारी को बेचकर जाना पड़ता है। वह सरकारी खरीद में नहीं बेच पाता है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर किसानों को फायदा ही पहुंचाना है, किसानों की यह सरकार ज्यादा हमदर्द है तो पूरे राजस्थान के अन्दर सरकार वेयरहाउस बनाये। 1000 और 1100 रुपये में जो व्यापारी खरीदता है, उससे 100 रुपये 200 रुपये कम करके सरकार उसको पैसा दे, तब उसकी रेट बढ़े। आज गेहूं की रेट 2000 रुपये, 2200 रुपये है/

(श्री बहादुर सिंह)

तब किसान को फायदा मिलेगा। बाकी किसान के लिये 50 रुपये, 100 रुपये बढ़ाने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। राजस्थान के अन्दर या देश के अन्दर अगर किसान को फायदा ही पहुंचाना है तो इस प्रकार से उसको फायदा पहुंच सकता है। जब किसान को जरुरत पड़े तभी वह वेयरहाउस से निकालकर उसको बेचे और बढ़ी हुई कीमत मिले।

सभापति महोदय, राजस्थान की सीमा हरियाणा से लगी हुई है, पंजाब से लगी हुई है। आम आदमी को, किसान को बजट में आपने सब कुछ दिया। हमने हर आदमी के लिए सोचा, गरीब के लिए सोचा, किसान के लिए सोचा। मगर किसी के लिए नहीं सोचा तो जो डीजल और पैट्रोल हरियाणा और पंजाब के अन्दर 4 रुपये और 5 रुपये सस्ता मिलता है और वही राजस्थान में महंगा मिलता है। किसान पर सबसे ज्यादा जो मार पड़ती है वह डीजल की पड़ती है। आम आदमी पर मार पड़ती है तो डीजल और पैट्रोल की पड़ती है। उस डीजल और पैट्रोल पर सरकार वैट कम करती तो वाहवाही लूटी जाती। यह वैट तो बिलकुल ही कम नहीं किया।

सभापति महोदय, जो किसान मरा हुआ है वह मरा हुआ है, मजदूर जो मरा हुआ है वह मरा हुआ है व्यापारी मरा हुआ है तो मरा हुआ है। मगर सरकार ने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा।

सभापति महोदय, अभी मंदिरों के लिए सरकार ने घोषणा की है कि हम एक मंदिर से दूसरे मंदिर को जोड़ेंगे। पिछले साल भी घोषणा की थी कि हम इस मंदिर को सड़क से जोड़ेंगे। अभी तक आपके शासनकाल के 4 साल के अन्दर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में झीलकावाड़ा, कैला देवी का मंदिर है। वहां साल में 2 बार मेला लगता है। काली सिंध से तालीमपुर तक की रोड अभी तक नहीं जुड़ी। आम आदमी, यात्री को परेशान होना पड़ता है। ऐसे ही वल्लभगढ़ से जहाज, भगवान देवनारायण का मेला लगता है। उसमें करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, यूपी, मध्य प्रदेश तक के लोग भगवान देवनारायण के मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं। मगर वह रोड 5 फीट की ही है। आये दिन वहां पर एक्सीडेंट होते हैं। लाखों की तादाद में वहां लोग आते हैं। आम आदमी वहां पर परेशान होता है। इस रोड का पिछली बार भी मैंने 295 में मामला उठाया था। मगर सरकार ने उस रोड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

(श्री बहादुर सिंह)

सभापति महोदय, अभी सरकार ने मिसिंग लिंक के बारे में घोषणा की। उस बारे में और भी सदस्य बोले। वह मिसिंग लिंक रोड 500-1000 करोड़ की बनायी जायेंगी। अब वह कहां बनायी जायेंगी, किस जगह बनायी जायेंगी? मेरा मिसिंग लिंक रोड के बारे में निवेदन है कि वह मिसिंग लिंक विधायकों की अनुशंसा के आधार पर बने। इससे आपको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा, क्योंकि विधायक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाते हैं। विधायक को मालूम होता है कि कहां रोड की जरूरत है और कहां रोड बनानी है। मेरा आपसे निवेदन है कि मिसिंग लिंक विधायकों की अनुशंसा पर बनायी जायें।

सभापति महोदय, यह गेहूं की बात कर रहे हैं। गेहूं 2 रुपये से 1 रुपये कर दिया। 8 रुपये 10 पैसे से आटा हमने 5 रुपये किलो कर दिया। यह भ्रष्टाचार की जड़ मजबूत करने के लिए है। इसमें भ्रष्टाचार होगा। यह गरीब तक ना गेहूं पहुंचेगा, ना गरीब तक आटा पहुंचेगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बयाना, वैर, नदबई 3 महीने, 4 महीने से गेहूं नहीं पहुंचा। वह गेहूं फ्लोर मिलों में जाता है। कोई गरीब के घर पर नहीं जायेगा। इससे तो भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होंगी। इससे गरीब का कोई भला होने वाला नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक कमेटी बने, उसमें विधायक भी हो, एसडीएम भी हो, तहसीलदार भी हो, उसके बाद तहसील के अन्दर या विधान सभा क्षेत्र के अन्दर चाहे आटा आये, गेहूं आये या कैरोसिन आये तो वह उसके अनुसार आये।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं, विराजें माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): विजिलैंस कमेटी ब्लाक लेवल पर भी बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी विजिलैंस कमेटी बनी हुई है। जिसमें आप और माननीय सांसद, जिला प्रमुख, प्रधान सब मैम्बर हैं। पंचायत लेवल पर भी है ...(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह (वैर): हमसे तो किसी ने पूछा नहीं। किसी विधायक से पूछो ...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अब कोई नहीं जाये तो उसका कोई ...(व्यवधान) बाकी सभी जगह बनी हुई हैं ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, मंत्रीजी टाइम खराब कर रहे हैं और लोगों को भी बोलना है...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप मुझे जहां भी शिकायत है पर्टिकुलर ...(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह (वैर): 4 महीने से वैर, बयाना, नदबई गेहूं नहीं गया।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): कौन से महीने का नहीं गया?

श्री बहादुर सिंह (वैर): भरतपुर जिले का।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): कौनसी केटेगरी का नहीं गया?

श्री बहादुर सिंह (वैर): कोई सा भी गेहूं नहीं गया।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): यह हो ही नहीं सकता..(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मंत्रीजी और लोगों को बोलना है ...(व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): आप जाकर के देखें जो...(व्यवधान) वहां आपका गेहूं पहुंचता है। आपका जो आटा है वह होटलों पर पहुंचता है। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं। आप मेरे साथ चलिये। मैं आपको आज ही पकड़वा कर बताता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बीच में मत बोलो, विराजो ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मंत्री महोदय, जोधपुर जिले में 3 महीने से नहीं मिल रहा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, मुझे और भी सदस्यों को टाइम देना है ...(व्यवधान) श्री जाकिर हुसैन गैसावत ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य बिलकुल सही कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): सभापति महोदय, बजट भाषण 2013-14 के अन्दर बोलने का मौका दिया ...(व्यवधान) मैं आपका बहुत आभारी हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप जहां की भी बतायेंगे, मैं कल ही जांच करवा लूंगा ...(व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): मंत्री महोदय, मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): बीपीएल का गेहूं तो कूपन से मिलता है ...(व्यवधान) आप मीटिंगों में जाया करो जिलों की में, तब पता चलेगा ...(व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): सभापति महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने 6 तारीख को राजस्थान का पांचवां बजट पेश किया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो माननीय सदस्य, मुझे औरों को भी टाइम देना है ...(व्यवधान) मैं इनको भी ज्यादा टाइम नहीं दूंगा ...(व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): अपना बजट भाषण 2 घंटे 51 मिनट ...(व्यवधान) राजस्थान के युवा, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक सभी समुदाय के लोगों को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराज जाओ ...(व्यवधान) मैंने इनको अलाउ किया है ...(व्यवधान) आपका अंकित नहीं होगा।

श्री बहादुर सिंह (वैर): ×××

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): ×××

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): सभी तरह की योजनाएं कभी भी इस तरह से बजट भाषण में नहीं हुई। मुख्य मंत्रीजी ने मुफ्त दवा से लेकर बीपीएल मकान तक की जो घोषणाएं की हैं, वह किसी से छिपी हुई नहीं हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी जब बजट भाषण पढ़ रहे थे तो हर पैरे पर तालियां बज रही थीं। हरेक के दिल खुश हो रहे थे। हर विभाग, हर वर्ग के लोगों को इसमें कई सौगातें दी गयी हैं।

हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने जो एक रुपये किलो गेहूं देने की घोषणा की है, बहुत ही सराहनीय है। हमारे पूर्व वक्ता सही कह रहे थे कि आजकल एक रुपया तो भिखारी भी नहीं लेता और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने बीपीएल परिवार वालों को एक रुपये किलो में गेहूं देने की घोषणा की है जो बहुत ही अच्छी बात है। एपीएल के लिए जो 860 रुपये में गेहूं के आटे की बोरी आती थी उसको 500 रुपये किया, यह भी बहुत ही अच्छी सौगात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे नागौर जिले के अन्दर हमारी जो सबसे बड़ी समस्या थी इन्दिरा गांधी कैनाल फेज सैकण्ड, वह पूरी की है। उसके अन्दर 6 तहसीले हमारे नागौर की और उसमें सम्मिलित हुई हैं, इसके द्वारा 890 गांवों को पानी सुचारु रूप से मिलेगा।

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

इसके लिये जाइका से 2212 करोड़ रुपये का लोन लिया गया है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं तहेदिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्दर बहुत ही अच्छा कार्य किया, उन्होंने मुख्य मंत्री सहायता कोष से पहले जो 60 हजार रुपये एक व्यक्ति को मिला करते थे उनको 1 लाख रुपये करने की घोषणा की है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आय प्रमाण पत्र को भी 60 हजार से 1 लाख रुपये कर दिया, यह भी बहुत सराहनीय है, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग हमारे राजस्थान में बहुत हैं, जो कोई लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, दुर्लभजी या एस्कोर्ट वगैरह में उनको एक लाख रुपये हार्ट या वाल्व के लिए देने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है जो बहुत ही सराहनीय है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुफ्त दवाओं की जो योजना चलाई है, जहां पहले 400 प्रकार की दवाएं अस्पतालों में मिलती थीं, अब 600 प्रकार की दवाएं अस्पतालों में मिल रही हैं इससे लाखों की तादाद में गरीबों को फायदा हो रहा है। हास्पिटलों के आउटडोर और इन्डोर चार गुना बढ़ गये हैं। यह सारा का सारा गरीब परिवारों का फायदा हो रहा है, यह बहुत ही सराहनीय काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। इस 7 अप्रैल से विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर नि:शुल्क जांच योजना भी प्रारम्भ कर रहे हैं, इसके लिए भी जो नि:शुल्क जांचें होंगी उससे भी गरीबों को फायदा मिलेगा, उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

इस बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 50 सीएचसी और 50 पीएचसी से सीएचसी और 600 नई पीएचसी और 1 हजार शैयाओं में बढ़ोत्तरी की, बहुत ही सराहनीय है, हम लोग गांवों में जाते हैं तो हमेशा वहां डिमाण्ड रहती है कि हमारे यहां सीएचसी खोली जाए, पीएचसी खोली जाये या बैडों की संख्या बढ़ाई जाये इसलिए सभी माननीय सदस्यों को इसका फायदा मिलेगा और आम किसान को इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वृद्धावस्था, विधवा पेंशन में 25 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य नहीं होने की शर्त हटाने का जो निर्णय लिया है यह बहुत ही सराहनीय है। इससे बहुत सारी वृद्ध माताओं, हमारे बुजुर्ग हैं उनको फायदा मिलेगा। विधवाओं को इसमें पेंशन का अच्छा लाभ मिलेगा, यह बहुत ही सराहनीय कदम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उठाया है।

सामूहिक विवाह आयोजन के लिये वधू को साढ़े चार हजार से बढ़ाकर दस हजार रुपये देने का जो फैसला किया है बहुत ही सराहनीय है क्योंकि

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

सामूहिक विवाह जो होते हैं, गरीब परिवारों की बच्चियों के ज्यादा होते हैं, इसमें दस हजार रुपये करने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है यह बहुत ही अच्छी बात है। आयोजन करने वालों को 1500 से 2500 रुपये देने की जो घोषणा की है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अच्छा कदम उठाया है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो कार्य किये हैं, बहुत ही सराहनीय है। प्रदेश के अल्पसंख्यक बालक-बालिकाओं के अलग-अलग छात्रावास खोले जायेंगे उसमें 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोलने की जो घोषणा की है यह बहुत सराहनीय है। अल्पसंख्यकों की जो बच्चियां होती हैं उनको रहने के लिए हास्टल मिलेगा और हमारे अल्पसंख्यक क्षेत्र के अन्दर जो हमारी बच्चियों को बाहर नहीं भेजते हैं ज्यादा तो हमारे क्षेत्र के अन्दर यह हास्टल खोलेंगे तो उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारी भावनाओं को रूप दिया, मैं उनका बहुत-बहुत तहेदिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में 10 करोड़ रुपये वक्फ बोर्ड को देने की घोषणा की है, बहुत सराहनीय है क्योंकि वक्फ बोर्ड की हालत खराब है, वहां आय का कोई संसाधन नहीं है तो 10 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसे देने की घोषणा की है, बहुत-बहुत धन्यवाद पेश करना चाहता हूं।

5 करोड़ रुपये में जो हज हाउस बनाने की घोषणा की है, पिछली सरकार ने तो खाली इसमें एक झगड़े की स्थिति पैदा कर दी थी, न तो हज हाउस बना सके न कोई और क्योंकि उनकी ऐसी सोच नहीं थी। मुख्य मंत्रीजी ने इसका शिलान्यास भी कर दिया और 5 करोड़ रुपये हज हाउस को देने की घोषणा की है इसके लिए मैं सभी अल्पसंख्यक भाइयों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए 12 क्लास पास होने के बाद 60 प्रतिशत जिसके मार्क्स आयेंगे उसको स्कूटी देने का उसका जो सपना साकार किया है, यह बहुत ही सराहनीय है और यह कोई मामूली बात नहीं है। अल्पसंख्यकों की बच्चियां जो गरीब परिवारों की होती हैं उनको इस प्रकार से वह स्कूटी मिलेगी, बहुत ही अच्छी बात है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने देवस्थान के लिये भी बहुत अच्छी-अच्छी घोषणाएं की हैं। कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने 20 हजार रुपये से एक लाख रुपये देने की जो घोषणा की है

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

और 25 हजार श्रद्धालुओं को मुफ्त यात्रा के लिए वह भी बहुत ही सराहनीय है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुसलमानों के अन्दर तीर्थ यात्रा मक्का मदीना है इसलिए जिस तरह 20 हजार रुपये से 1 लाख रुपये प्रति व्यक्ति को कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आपने जो घोषणा की है बहुत ही सराहनीय है, मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूं, मुसलमानों के लिए भी मक्का मदीना के लिए आप मानदण्ड कीजिये, जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, जो हज नहीं कर सकते, हमारे समाज के धर्म में है कि जो पैसे वाले हैं, या जो ऋण लेकर नहीं जाना चाहते, जिनकी अच्छी हालत है वही हज कर सकते हैं। तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि बीपीएल परिवार वालों को जो रिटायर्ड हैं, बुजुर्ग हैं उन बीपीएल परिवार वालों को आप हज के लिए अनुमति दें। एक-एक विधान सभा क्षेत्र से कम से कम दो-दो भी लें तो बुजुर्ग या उसकी पत्नी या बाप के साथ बेटे को तो यह बहुत अच्छा मैसेज जायेगा। अल्पसंख्यकों के लिए जो एक सपना है, बीपीएल परिवार वालों को हज करने के लिए यह बहुत अच्छी बात है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने हर बजट भाषण में मकराना को हमेशा प्रायोरिटी दी है, हर बजट भाषण में मकराना को तीन-तीन, चार-चार सौगातें हमेशा देते आये हैं। इस बजट भाषण में भी हमारी नगरपालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने का जो निर्णय लिया है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोकजी गहलोत और हमारे नगरीय विकास मंत्री धारीवालजी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने गच्छीपुरा को उप तहसील का दर्जा दिया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी का इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीय हेमारामजी, जो राजस्व मंत्री हैं, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे जल संसाधन मंत्रीजी, जितेन्द्र सिंहजी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने शहरी जल परियोजना में निकाय हस्तारण में मकराना, नागौर को शामिल किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र विकास के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा उसमें मकराना को शामिल किया है, उसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

27.4.12 के दिन हमारे मकराना के लिये हाई कोर्ट का ऐसा फैसला आया था, वह मकराना के इतिहास में काला दिवस से कम नहीं था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मकराना के लिये हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें हमारे पक्ष में राज्य सरकार की ओर से एसएलपी पेश की और हमारी खानों को बंद होने का जो फैसला था, वहां पर हमें स्टे मिला। सड़क वाली खानों के लिये, सीबीआई जांच के लिए क्योंकि इतना गलत फैसला आ गया था हमारे लिये, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमने पूरा कोर्ट का सम्मान किया। कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से एसएलपी पेश हो गई, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारी पैरवी की इसके लिए मैं बहुत-बहुत तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, डिमाण्ड पर बोलना आप। कई माननीय सदस्यों को बोलना है, प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे, सदन के नेता बोलेंगे। कृपया आप समाप्त करें।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारी बरसों से जो मांग चली आ रही है, दो-तीन मांगें रखनी हैं। हमारे मकराना में राजकीय महाविद्यालय नहीं है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 15 कालेज इस बजट भाषण 2013-14 में खोलने की घोषणा की है तो 15 में से 1 कालेज हमारे मकराना में भी खोला जाये ताकि हमारे अल्पसंख्यक, एससी, एसटी का जो मकराना क्षेत्र है तो कालेज की वहां आवश्यकता है। वहां पर आज 2500 से 3000 बच्चे बारहवीं क्लास पास करने के बाद मकराना के बाहर नहीं जाते, 300-400 ही बाहर पढ़ने जाते हैं, शिक्षा का वहां अभाव रहता है इसलिए वहां कालेज खोलने की घोषणा करें। हमारे मकराना में एडीजे कोर्ट नहीं है। हमारे एडीजे कोर्ट लगती है परबतसर और परबतसर एडीजे कोर्ट में 80 परसेंट मामले मकाराना के चलते हैं तो आप एडीजे कोर्ट मकराना खोलने की घोषणा करें ताकि हमारे वहां के लोगों को उसके लिए सुविधा मिले। तीसरी मांग मैं हमेशा उठाता आ रहा हूं, जो हमारी रायल्टी के अन्दर 12 इंच से छोटा माल है, जो कि वेस्टेज के अन्दर निकलता है, पूरे प्रदेश भर में रायल्टी 195 रुपये लगती है और हमारे तैयार माल की 300 रुपये रायल्टी लगती है, यह 30 परसेंट वेस्टेज होता है, छोटा माल रायल्टी का निकलता है, इस रायल्टी को मुफ्त करायें।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य मंत्रीजी का।

श्री सभापति: श्री सूरजभान धानका।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण 2013-14 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष की कई दिनों से सुनते आ रहे हैं तो सदन में सदस्य आकर अगर झूठ बोलते हैं तो पाप लगता है। यह वाहवाही कर रहे हैं, यह जो बुराई कर रहे हैं, हम बीच वाले हैं, जो हकीकत को हकीकत कहेंगे।

सबसे बढ़िया मुख्य मंत्रीजी ने चिकित्सा के बारे में जो काम किया है, वास्तव में सराहनीय रहा है। नि:शुल्क दवाई, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रकार की योजनाएं भी लागू हो जाएंगी। जो गरीब आदमी इलाज के अभाव में तिल-तिल कर मरता था, आज वह बेधड़क जाकर अपना इलाज करवा लेता है। मुख्य मंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, एक गरीब आदमी अपना गहना, अंगूठी गिरवी रखकर इलाज करवाता था या नहीं करवा पाता था, उसके अभाव में मर जाता था, आज जीवन रक्षा कोष में गरीब हास्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा लेता है। जो अधिकतम राशि 60 हजार से बढ़ाकर एक लाख की है, बहुतों को, ऐसों को यहां सहायता दिलवाई है जो सक्षम नहीं थे, जिनसे उनके प्राण बचे। अभी जो सीएचसी, पीएचसी बढ़ाई हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन एक कमी बहुत भारी है, दवाइयां नि:शुल्क कर दीं लेकिन वहां लिखने वाले डाक्टरों की कमी है तो मैं चाहूंगा कि डाक्टरों की भर्ती करें जिससे अधिक से अधिक नि:शुल्क दवाइयों का और इसका फायदा हो।

राजस्थान जननी सुरक्षा योजना, वास्तव में हमने देखा है, पैसे के अभाव में माताएं व बहनें दम तोड़ दिया करती थीं लेकिन आज उनको गाड़ी वहीं से लाती है और गाड़ी घर छोड़कर आती है, पैसे भी देती है और बच्चों के लिए जो टैस्ट वगैरह एक महीने के लिए, वह भी फ्री हैं तो इसमें मुख्य मंत्रीजी पुण्य के भागीदार हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। डाक्टरों की कमी है, अभी कहीं आपरेशन थियेटर हैं तो डाक्टर, सर्जन नहीं हैं या जहां सर्जन बैठे हुए हैं, वहां थियेटर नहीं हैं तो इन चीजों का एडजस्टमैंट करके इसकी व्यवस्था करें ताकि इसका और लाभ मिले।

(श्री सूरजभान धानका)

अब मैं मेरे क्षेत्र की बात कर लूं। लक्ष्मणगढ़ सीएचसी आबादी से 4 किलोमीटर दूर है, छोटी-मोटी बीमारियों के लिए, मतलब इमरजेंसी में कोई साधन नहीं होता है तो जो पुराना हास्पिटल था, उसको डिस्पेंसरी के रूप में विकसित किया जाए। राजगढ़ सीएचसी जो कि हाई-वे पर है, आए दिन एक्सीडैंट होते हैं तो वहां सर्जन, एनेस्थिसिया के डाक्टर की व्यवस्था हो। अलवर 50 किलोमीटर तक जाने में मरीज की जान खतरे में होती है।

शिक्षा, वैसे तो हमारे कच्चे मकान पर पक्का मकान बनाया जा रहा है, जिस दिन राइट टू एजुकेशन आया था, मैंने उस दिन इस चीज का विरोध किया था, आठवीं में तो बच्चा रोटी रबड़ी खाकर घर चला जाता है, वहां से पढ़ कर आ जाता है, शिक्षा तो आगे होती है महंगी। उस टाइम तो आदेश हैं कि कोई फेल नहीं होगा, फेल नहीं होगा तो आगे नवीं, दसवीं में जाकर क्या करेगा वह? बोर्ड में क्या करेगा? तो इसलिए इसमें अगर परिवर्तन होता है खाली सर्टिफिकेट देने से कि आठवीं पास होगा तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हम जाकर स्कूलों में पूछते हैं, इंग्लिश और हिन्दी पढ़ना मुश्किल होता है इसलिए इसमें सुधार हो। अभी जो विद्यालय खुल रहे हैं, उसी अनुरूप में मास्टरों की भी, अध्यापकों की भी भर्ती करें। मेरा राजगढ़ आदिवासी क्षेत्र है, काफी दिन से वहां गर्ल्स महाविद्यालय की जो एक डिमाण्ड है और मुख्य मंत्रीजी पिछले कार्यकाल में गये थे, उन्होंने वहां यह भी वादा किया था कि एक भी कालेज खोलूंगा तो मैं राजगढ़ में खोलूंगा तो यह ध्यान रखकर हमारे आदिवासी क्षेत्र की लम्बी मांग को देखते हुए वहां पर जो 15 महाविद्यालय खोल रहे हैं, उनमें से एक महाविद्यालय मेरे क्षेत्र को भी देवें। लक्ष्मणगढ़ गर्ल्स स्कूल, पहले कई ऐसे भवन में चलते थे, नजूल सम्पति में आज इसको असुरक्षित घोषित कर दिया गया है तो उन लड़कियों को कहीं पढ़ने की जगह नहीं है, एक हाल है जिसमें चारदीवारी देकर तो वहां कोई जाकर साइकिल भी खड़ी करे तो ऐसी जगह नहीं तो, लक्ष्मणगढ़ के लिए गर्ल्स स्कूल के लिए भवन की व्यवस्था करें। रैणी स्कूल, गर्ल्स स्कूल, उसमें 8 कमरे हैं जिसमें दो कमरों के अलावा, बाकी सबके दरार आई हुई है। होशियार बच्चों को लैपटाप दिये जा रहे हैं, छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की गई है, विद्यार्थी मित्र, शिक्षा मित्र, इनकी बहुत दिनों से लम्बी मांग आ रही हैं, अध्यापकों की लम्बी मांग को देखते हुए इसका नियमितीकरण करने का श्रम करें।

परिवहन, राजगढ़ सब-डिपो 1995 में खोला गया था लेकिन अच्छी आय के होते हुए गत वर्ष इसका कार्य संचालन अलवर से कर दिया गया

(श्री सूरजभान धानका)

जिसमें कोई बारात या पार्टी के लिए उसको किराये पर लेता है तो उसका चार्ज अलवर से लगता है, यह गरीब जनता पर भार पड़ता है। मैंने प्रश्न लगाया था, उसका भी गलत जवाब दिया है कि यह जो राजगढ़ के निर्धारित परिचक्रों का संचालन राजगढ़ यूनिट से किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, यह गलत सवाल का जवाब दिया है। राजगढ़-टहला रोड पर जो आये दिन जाम लगता है, ओवरब्रिज की जरूरत है।

कृषि, कहते हैं हरी खेती ग्याबण धीणा मुख पड़े जब की आस, अभी कुछ दिन पहले किसान खुश हो रहे थे, अच्छी बारिश हो रही थी लेकिन ईश्वर की, प्रकृति की मर्जी मेरे क्षेत्र में कई जगह पर सौ-सौ ग्राम के ओले पड़े जिससे 80-90 परसेंट फसल नष्ट हो गई तो ओलावृष्टि की सही गिरदावरी करवाकर उनको राहत, पूरा नुकसान तो नहीं भरा सकता लेकिन कुछ राहत प्रदान करें। गेहूं की खरीद आती है, बाजरे की खरीद आती है उस टाइम कहते हैं, बोरी नहीं है, हमारे पास बारदाना नहीं है तो किसान जो है उसको गेहूं बेचने प्राइवेट दुकानदारों के पास जाना पड़ता है।

(16.00 बजे)

बिजली कनेक्शन समय पर दिये जाएं, ट्रांसफार्मर्स का काफी अभाव रहता है, बार-बार लोग टेलीफोन करते हैं, बड़ी पीड़ा होती है कि जब पकी-पकाई खेती सूखने के कगार पर आती है। खेतों में जिसने ढाणी बना ली वहां गैर आबादी समझकर कनेक्शन नहीं दिये जाते जबकि आज लाइट, पानी की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, लास्ट में नम्बर लिया है।

पशुधन किसानों का साइड बिजनस है, उसमें मुख्य मंत्रीजी ने फ्री दवाई कर बहुत पुण्य किया है। उसमें चल चिकित्सा इकाई का किया है। आदमी तो हास्पिटल में साइकिल पर चला जाए, मोटर साइकिल पर कोई ले जाए, गाड़ी में चला जाए लेकिन पशु नहीं जा सकता। वहां एक कम्पाउण्डर अगर जाता है तो कम से कम 400-500 पर पड़ता था तो चल इकाई की भी व्यवस्था की। दो रुपये दूध वालों को एड दी, उसके लिए धन्यवाद।

सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता में छात्रवृत्ति की बढ़ोतरी की गई है। विकलांगों के लिए मैंने पहले भी कहा था कि यह जो राइडर लगा रखा है कि मां नहीं हो, बाप नहीं हो....

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य, जल्दी है। यह डिमांड्स पर बोल देना।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): एक मिनट साहब। इसको रिमूव कर दिया जाए। 25 वर्ष की जो वृद्धावस्था पेंशन पर बाध्यता थी उसको हटा दिया गया है इसके लिए बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं।

हमारा समाज पीड़ित समाज है। 1976 में हमारे समाज को एस.टी. का दर्जा दिया गया था और उसी टाइम से सर्टिफिकेट बनते आ रहे थे लेकिन पिछले वर्ष केन्द्र से चिट्ठी आने की वजह से हमारे सर्टिफिकेट बनाने बन्द कर दिये गये हैं।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): जबकि कोर्ट में जो भी जा रहे हैं, सब जीतकर आ रहे हैं। तो, यह तो सही है कि हमारा हक कहीं नहीं जा सकता लेकिन ये अड़ंगा डालने वाली बातें हैं। मुख्य मंत्रीजी से मेरी प्रार्थना है कि इस चीज पर गौर फरमायें और हमें न्याय दिलवायें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण 2013-14 का आज अंतिम दिन है और आपने मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा देना, जल्दी कर देना क्योंकि माननीय प्रतिपक्ष के नेता को बोलना है, फिर सदन के नेता को बोलना है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): प्रारम्भ में ही मुझे टोक रहे हो तो मुझे लगता है कि शायद मुझे पूरा नहीं करने देंगे।

सभापति महोदय, आज मैं पक्ष और प्रतिपक्ष सब का भाषण सुन रहा हूं और सुनकर मुझे बड़ा अचरज हुआ। अचरज इस बात का हुआ कि राजस्थान में भूख, भय, भ्रष्टाचार, आतंक, बलात्कार का आगाज हो रखा है, चारों तरफ त्राहि-त्राहि मच रही है और हमारे पक्ष के माननीय सदस्य मुख्य मंत्रीजी के गान पर गान किये जा रहे हैं, बखान किये जा रहे हैं। इनको ऐसा प्रतीत होता है कि सारे राजस्थान की इन्होंने काया पलट दी है। लेकिन अफसोस है कि इन्होंने केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही दिखाये हैं। विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा किया है। 2008 से लेकर 2013 चार साल तक इन्होंने खाली थोथी घोषणाएं कीं और आज भी आप चाहें किताबों में देख लीजिये, पत्र-पत्रिकाओं में देख लीजिये, 14 ऐसे विभाग हैं जिनमें अभी तक 50 प्रतिशत भी क्रियान्विति नहीं हुई है। सभापति महोदय, यह झूठ का

(श्री हरिसिंह रावत)

पुलिंदा जनता समझती है और आने वाले समय में बता देगी। सभापति महोदय, आज पूरे राजस्थान में समस्याओं का अंबार पड़ा है और जनता दु:खी है। आज शिक्षा की दृष्टि से देखें तो हमारी पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया थीं जब वो 2003 में मुख्य मंत्री बनीं तो उन्होंने महसूस किया कि राजस्थान में 100 में से 70 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है और जब तक मैं गांवों का विकास नहीं करूंगी तब तक देश का विकास होना सम्भव नहीं है।

(16.05 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

वसुंधराजी ने कुछ नियम बनाये कि शिक्षा का विकास ही सब विकास की जननी होती है तो उसी के अनुरूप शिक्षा को महत्व देते हुए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी स्कूल खोले और स्कूलों के साथ-साथ उन्होंने कई योजनाएं लागू कीं। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ, कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने पूरा पक्षपात शुरू कर दिया। न तो अभी तक इन्होंने शिक्षकों की भर्ती की, चार साल तक रोज झूठ के पुलिंदे खोलते रहे और अंतिम वर्ष का जब समय आया तो उन्होंने पुलिंदा खोल दिया कि मैं इतने शिक्षकों की भर्ती करूंगा, यह करूंगा, वो करूंगा और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाना चालू कर दिया लेकिन जनता सब समझती है। अध्यक्ष महोदय, आज इन्होंने जो घोषणाएं की हैं उनकी क्रियान्विति होते-होते मई आ जाएगा और मैं समझता हूं कि ये हसीन सपने केवल ख्वाबी पुलाव बनकर रह जाएंगे। आज शिक्षा पर ध्यान दें तो स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, सीनियर स्कूल हैं वहां प्रिंसिपल नहीं हैं, सब्जैक्ट टीचर नहीं हैं और प्राइमरी स्कूलों में 100-100 बच्चों पर एक-एक शिक्षक है। केवल झूठे आश्वासन देकर सरकार कब तक काम चलायेगी। मैं समझता हूं कि अगर इस देश का उद्धार करना है तो नारी शिक्षा को महत्व देना पड़ेगा। नारी शिक्षा के महत्व को समझते हुए हम चाहते हैं कि 12वीं तक के बच्चों की शिक्षा नि:शुल्क की जाए। गांवों के ज्यादातर स्कूलों में शौचालय नहीं हैं और शौचालय हैं तो सामूहिक है। शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है सामूहिक शौचालय की जगह बच्चे-बच्चियों का अलग-अलग बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि बच्चियों के लिए अच्छा होगा। आज स्कूलों में ज्यादातर बच्चियां इसलिए ड्राप-आउट हो जाती हैं कि वहां बच्चियों के लिए शौचालय नहीं हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अलग-अलग शौचालय बनाये जाएं ताकि बच्चियां भी स्कूल में जाएं।

(श्री हरिसिंह रावत)

दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों-शिक्षकों के अनुपात में शिक्षकों की जो कमी है वो भी पूरी की जाए। शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत राइट टू एजुकेशन जो इन्होंने लागू किया है, मैं समझता हूं कि यह हमारे देश के साथ कुठाराघात है। आपको ध्यान होना चाहिए, यह योजना लागू की, अच्छी बात है लेकिन हमारी जब पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें गुलाबचन्द जी कटारिया शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक योजना लागू की थी कि मिडल स्कूल में भी हम बोर्ड लागू करेंगे। उससे बच्चों में कम्पीटिशन भावना पैदा होती थी। लेकिन मैं समझता हूं शायद कांग्रेस ने षड्यंत्रपूर्वक यह कदम उठाया है और इस कदम के अन्तर्गत बच्चा चाहे पढ़े या न पढ़े, बच्चे को आप वैसे ही पास कर दो तो शिक्षक भी बेपरवाह हो गया और बच्चा तो नादान है, उसको क्या पता कि आखिर मेरा भविष्य क्या होने वाला है। इस दृष्टि से अगर देखें तो हालत यह होंगे कि बच्चा आठवीं में फेल हो जाएगा, आगे पढ़ नहीं सकेगा तो वो बच्चा क्या करेगा कि आवारा होगा, बदमाशी करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा। इसलिए इसको मैं भारत के बच्चों के भविष्य के अंधकार का जरिया समझता हूं। मेरा आपके माध्यम्म से यह निवेदन है कि मिडल स्कूल में बोर्ड का निरस्त किया है उसे पुन: लागू किया जाए ताकि बच्चों का स्वावलम्बन हो सके और कम्पीटिशन की भावना पैदा हो सके।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की दृष्टि से अभी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हर पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर कालेज खोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पीपीपी मोड पर जो स्कूल खोलने की आप लोगों ने बात की है वह करें अच्छी बात है लेकिन जो जगह ऐसी है जहां गरीब तबका है, जिस क्षेत्र में ऐसे कोई बड़े धन्ना सेठ नहीं हैं वहां तो कम से कम राजकीय महाविद्यालय खोले जाएं। उसी के अन्तर्गत मेरी देवगढ़ पंचायत समिति भी आती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां देवगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोला जाए क्योंकि मेरा देवगढ़ क्षेत्र तीन जिलों का संगम है। एक तरफ पाली है, दूसरी तरफ भीलवाड़ा और राजसमन्द है। मेरा निवेदन है कि वहां राजकीय महाविद्यालय खोलेंगे तो मैं समझता हूं वहां पर हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा।

दूसरा, भीम में जो राजकीय महाविद्यालय है। उसके लिए आपने बहुत घोषणाएं कीं और शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैंने उनसे भी निवेदन किया था कि मेरे कालेज में वाणिज्य और विज्ञान संकाय खोला है। अध्यक्ष

(श्री हरिसिंह रावत)

महोदय, मुझे चिल्लाते-चिल्लाते हुए यह पांचवां बजट हो गया लेकिन उसकी क्रियान्विति अभी तक नहीं की गई है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे यहां पर विज्ञान और वाणिज्य... अध्यक्ष महोदय, अभी तो कुछ श्रीगणेश ही नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आपके बाद पांच मिनट का समय बचेगा केवल एक सदस्य के लिए, फिर नेता प्रतिपक्ष को बोलना है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां तो बहुत समस्या है। चिकित्सा की दृष्टि से अगर देखो तो चिकित्सा में हालात ऐसे हैं। यहां भी मंत्रीजी ने खूब नये-नये सपने दिखाकर कि हम भर्ती कर रहे हैं, हम भर्ती कर रहे हैं, आज पांच साल पूरे हो गये अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे यहां कोई भी सीएचसी ले लीजिये या पीएचसी ले लीजिये, चाहे जिला स्तर का अस्पताल ले लीजिये। मैं आज हमारे राजसमन्द अस्पताल की बात करूं, जहां 60 डाक्टर्स के पद स्वीकृत हैं, वहां केवल 14 डाक्टर्स काम कर रहे हैं। सीएचसी देवगढ़, सीएचसी भीम, जहां पर 14-14 डाक्टर्स की पोस्ट हैं लेकिन वहां पर 3-3, 4-4 डाक्टर्स हैं तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, यह मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे राजस्थान में यही हालात है। ये सामने बैठे हुए सदस्य मेरा मुंह ताक रहे हैं लेकिन इनको भी मालूम है कि वास्तव में हमारे यहां भी डाक्टर्स नहीं हैं। अगर डाक्टर्स की कमी आप पूरी करेंगे... (व्यवधान) यह मेरे नहीं, आपके चेहरे से मालूम पड़ रही है कि वास्तव में वहां पर डाक्टर्स नहीं हैं जिसकी वजह से यह स्थिति हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या बोलूंगा? मुझे बहुत कुछ बोलना है, मुझे बार-बार टोका जा रहा था। ओपनिंग बहुत खराब कर दी।

श्री अध्यक्ष: चलिये, श्री शंकर सिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अब मैं पंचायती राज की बात पर आता हूं। पंचायती राज में मेरे यहां बहुत समस्या है।

श्री अध्यक्ष: अब दो मिनट में समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): शंकरसिंहजी, एक मिनट। धन्यवाद।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आपने राजस्थान में गरीब के नाम पर जिस प्रकार संवेदनशील, पारदर्शी, और ईमानदार गांधीवादी सरकार देने का वादा किया है और इस सदन के अन्दर सब कुछ वह भाषण सुनाये जा रहे हैं, हमारे भी सुनते-सुनते कान बहरे होने लग गये हैं।

श्री अध्यक्ष: आपके पास सिर्फ तीन मिनट हैं। केवल जिला आपका ब्यावर और पानी, ये दो समस्याएं प्रमुख हैं आपकी, उसी तक ले लो आप अपनी बात।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): जिले के नाम पर तो आपकी वाणी निकल रही है, तो वैसे ही सफल हो जायेगा। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा बजट में जो झूठ का पुलिंदा हमारे सामने रखा गया है इस सदन के अन्दर, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। राज करने का अगर कहीं तरीका सीखना है तो महारानी वसुन्धरा राजेजी से सीखना चाहिए और उनके उस राज के अन्दर जब वे शासन छोड़कर गये थे तो 10 रुपये किलो गेहूं था, आज आपने 20 रुपये किलो कर दिया, शक्कर 15 रुपये थी, आपने 45 रुपये कर दिया, दाल 28 रुपये किलो थी, आपने 100 रुपये किलो कर दिया, तेल 50 रुपये था, आपने 100 रुपये कर दिया, डीजल 30 रुपये था, आपने 51 रुपये कर दिया, पेट्रोल 50 रुपये था, आपने 80 रुपये कर दिया। यह राजस्थान का विकास किया है। यह गरीब के साथ बहुत उत्थान का काम किया है। नगर परिषद और नगर निगम में विधायकों को आपने सदस्यता से हटाया। राजीव गांधी स्कूल, राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायतों के अन्दर बनाकर, सब जगह राजीव गांधी का नाम रखा जा रहा है। मैं तो यह कह रहा हूं कि धीरे-धीरे आपका बस चले तो इस राजस्थान के नाम के ऊपर भी राजीव गांधी राजस्थान, ऐसा करने के लिए शायद आप प्रयास करेंगे। ऐसा मैं समझ रहा हूं। इससे राजस्थान का विकास नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से विद्यार्थी मित्र बाहर भटक रहे हैं, वह भी देख रहे हैं कि हमारा भी कहीं नम्बर आये लेकिन महारानी वसुन्धरा राजे जी आयेंगी आठ महीने के बाद में, तभी आपका नम्बर आयेगा।

जिस प्रकार जवाजा को हमने तहसील मांगा और सरकार ने टाडगढ़ को तहसील दिया, हम कहना चाहते हैं, हम जो मांग रहे हैं कम से कम वह तो दें और अभी भी टाडगढ़ के पास में हमने जवाजा की जो तहसील मांगी है, उसमें गिरदावर क्षेत्र काबरा, राजियावास, तारागढ़, सूरजपुरा, रावतमल, लोटियाना और जवाजा को मिलाकर भी जवाजा को तहसील बनाने के लिए

(श्री शंकर सिंह)

हमने मांग की थी। ब्यावर को जिस प्रकार से जिला बनाने का मामला हमेशा से इस सदन में गूंजता रहा है और राजस्थान का सबसे बड़ा उपखण्ड ब्यावर है। राजस्थान में 20 जिले ऐसे हैं जो ब्यावर से कम रेवेन्यू दे पा रहे हैं, जो 500 करोड़ तक की भी वार्षिक रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं और ब्यावर केवल 1800 करोड़ रुपये की वार्षिक रेवेन्यू दे रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की ऐसी कौनसी मजबूरी है जिसके कारण मुंह दबाकर बैठी हुई है और ब्यावर को जिला घोषित नहीं किया जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत इस सरकार को, इस गूंगी-बहरी सरकार को, ऐसा इनके कानों के अन्दर जायें और ब्यावर को जिला घोषित करे। इस प्रकार की मेरी मांग रही है।

आज ये कह रहे हैं कि हमने गरीबों का उत्थान किया है। कल हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि पशु भी बोलेगा तो वह भी अशोकजी जिंदाबाद बोलेगा। अशोकजी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि गाय को इस देश के अन्दर गौ-माता कहा जाता है और गाय इस सरकार के नाम पर प्लास्टिक की थैलियां खा-खाकर अपना पेट भर रही है। आपने उसके ऊपर कहीं कोई विचार किया होता, कुछ सोचा होता तो कोई न कोई वाहवाही लगती। हम सोचते हैं कि आप प्रत्येक पंचायत के ऊपर अनुदान केन्द्र खोलेंगे। वह बिना झोली का साधु है और उसको प्यास भी लगेगी तो आपको बोल नहीं पायेगी, कहां से वह पानी पीयेगी? उसको गौ-माता कहा जाता है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। आपने उसके लिए किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं रखा। उसमें अनुदान रखने के लिए हर ग्राम पंचायत के ऊपर एक पशु केन्द्र खोलना चाहिए, गौशाला खोलना चाहिए और गौशाला के लिए नि:शुल्क चारा डिपो खोलनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।

आज इस सरकार में पीडब्ल्यूडी की सड़कें बनाने का काम हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पीडब्ल्यूडी का असली नाम क्या है, मुझे समझ में नहीं आता, पैचवर्क डिपार्टमेंट। दो महीने पहले ब्यावर के अन्दर सीसी सड़क बनी है इस पीडब्ल्यूडी के द्वारा। हमारे यहां सुशासन की यात्रा शुरु करने वाली हैं महारानी वसुन्धरा राजेजी। उसकी यात्रा का जैसे ही पता लगा कि ब्यावर में भी यह यात्रा आयेगी तो पीडब्ल्यूडी की जो सीसी सड़क बनी हुई है, उसके पूरे कंकर निकल गये। डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पता लगा तो वहां पर डामर से पुताई करना चालू कर दिया। मैंने जाकर पूछा कि भई, ये क्या कर रहे हो?

(श्री शंकर सिंह)

तो कहा कि, यात्रा आने वाली है। मैंने कहा कि एक महीने के अन्दर सड़क खतम हो गई? यह इतना भ्रष्टाचार इस सरकार के अन्दर हो रहा है, उसे सरकार को रोकना चाहिए। ये सड़कें आज भी... भई जिले का नाम बोल दिया, अध्यक्षजी ने बोल दिया, आप क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। अध्यक्षजी ने ही अभी बोल दिया तो मुख्य मंत्रीजी तो बोलेंगे ही बोलेंगे। वे ब्यावर जिले के लिए नहीं बोलेंगे तो किस जिले के लिए बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अगर कोई थोड़ी बहुत शर्म की बात होगी तो निश्चित बोलेंगे। मेरा सिर्फ यह कहना है, इस पीडब्ल्यूडी में जिस प्रकार की रोड बनाई जा रही हैं और माननीय मंत्रीजी को मैंने कहा कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपके पास में भी कोई लगाम होनी चाहिए। हमने आपके लिए सुना है, बहुत अच्छे और ईमानदार हमारे मंत्रीजी हैं। नीचे के ये अधिकारी कह रहे हैं कि हमारा तो ऊपर तक जाता है बजट, ये कहां भेजते हैं और अगर ऊपर तक आ रहा है तो आप लोगों को ऐसे अधिकारियों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए। मैंने छह महीने से कह रखा है कि इस प्रकार की बात है तो आप ऐसे अधिकारियों की क्यों नहीं बदली करते हो, उनको संरक्षण देने के लिए आप उनका सहयोग कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार आज यह सरकार में पीडब्ल्यूडी का और जो-जो बजट आया है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट लूंगा। बिजली डिपार्टमेंट के अन्दर लिखा है कि 45 लाख मीटर खरीदे गये हैं 2009 से लगाकर 2011 तक। 45 लाख मीटर खरीदे गये हैं और उपभोक्ता टोटल हैं 29 लाख, फिर भी मीटरों की कमी आ रही है। अब यह आखिर बजट जा कहां रहा है, मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि आखिर ये मीटर गये कहां?

इसलिए मेरा तो यह निवेदन है कि आज माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक कोष के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, उसको भी रोका जाना चाहिए और इस शासन के अन्दर ब्यावर...

श्री अध्यक्ष: चलिये, आप समाप्त करें। प्लीज समाप्त करें। आपके नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): दो मिनट, सिर्फ, दो मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष: दो-दो मिनट करते आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): विधायक कोटे से जो सुलभ काम्प्लेक्स बनाया गया है, उसको भी आज तक यह सरकार शुरु नहीं कर पाई है और जगह की जहां तक बात है, नगर परिषद में जगह इधर है, उधर है और उसके कारण से रोड़ा अटकाया जा रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे सदन के नेता भी पधार गये हैं और आपके माध्यम से मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो ब्यावर को जिला बनाने की घोषणा करेंगे, आप उसमें थोड़ा जोर से बोलना ताकि हम सबका कलेजा एकदम बढ़िया हो जाये। उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय कटारियाजी। विराजो विराजो। नेता प्रतिपक्ष खड़े हो गये हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): क्योंकि मुझे मालूम है कि राजस्थान में 20 ऐसे जिले हैं... (व्यवधान) अभी आप करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद साहब। जय हिन्द, जय भारत।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जिले का नाम राजीव गांधी जिला रखेंगे, राजीव गांधी जिला। राजीव गांधी जिला रखेंगे, ब्यावर जिला नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष खड़े हो गये हैं। (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष खड़े हो गये हैं। नियमों का ध्यान रखिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, बजट वर्ष 2013-14, मैं अधिकांश समय सदन में उपस्थित रहा और माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी भावना इस बजट के बारे में रखी लेकिन मैं कह सकता हूं कि वर्ष 2013-14 का बजट कैसा है, इसमें 95 प्रतिशत केन्द्रबिंदु केवल अगले वर्ष का बजट क्या है, इस पर गया है जबकि सामान्यत: बजट का जो विश्लेषण होता है एक्चुअल बजट जो खर्च किया हमने 2011-12 में, उसकी पोजीशन क्या है, रिवाइज्ड जो इस साल का हमने 2012-13 का बजट पास किया था उसमें हम कहां स्टैण्ड करते हैं और आगे आने वाली हमारी योजना क्या होगी, यह तीन पार्ट में बजट का वास्तव में विश्लेषण होना चाहिए। हम यह करेंगे, हम यह करेंगे, इसमें तो कोई एक कौड़ी लगती नहीं। जो किया उसके बारे में जब तक ध्यान नहीं जायेगा तो हम आगे क्या करने वाले हैं इसका स्पष्ट चित्रण जनता के सामने पेश नहीं होगा। मुझे इस बात का तो गर्व है कि इस सरकार के आने के बाद यह जो पांचों बजट पेश किये गये हैं, उनकी जो टोटल बनी है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वह 1 लाख 57 हजार 960 करोड़ रुपये, यह अपने आप में एक बहुत ही संतोष देने वाला फीगर है, अगर मैं इसको दो सौ विधायकों में बांटू तो इन पांच साल के बजट में प्रत्येक विधायक को लगभग 790 करोड़ रुपये आते हैं।

अब मैं आप सभी माननीय सदस्यों से कहता हूं कि जो बजट पांच साल में आपने पास, चार पहले का, एक अभी का, यह 790 करोड़ रुपये में से आपके अपने विधान सभा क्षेत्र में कितने करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होकर कितना काम किया है, इस पर एक निगाह डालें और निगाह डालने के बाद फिर ईमानदारी से कहो कि वास्तव में मैंने बजट तो बहुत बड़ा पास किया लेकिन वास्तव में मैं और मेरे क्षेत्र को क्या मिला, इसका जब विश्लेषण करें तो समझ में आयेगा कि स्थिति क्या है। मैं हर बार इस बात को इंगित कर रहा हूं कि जो बजट घोषणाएं कांग्रेस राज में होती हैं उस बजट की पालना नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के समय में जो प्लान हमने पेश किया वह प्लान हमने पूरा ही किया, पूरा ही नहीं किया तो हमने प्लस में किया और आपका चाहे पिछला रिकार्ड देख लें, माननीय मुख्य मंत्री आज हैं वह भी उस समय ही मुख्य मंत्री थे, उनके पांच साल के बजट का विश्लेषण करें तो कोई भी योजना पूरी नहीं हुई। यानि एक तरह से माइनस में गये आप, जितनी घोषणाएं कीं और उसके बाद जब हमने बजट सम्भाला तो हमारा जो बजट था यह 1998-99 से लेकर 1999-2000 में हम माइनस में थे, माइनस 1421, प्लान को पूरा नहीं कर पाये और उसके बाद यह फिर आपका आ गया माइनस 1400 वाला, फिर 2001 में भी माइनस 423 करोड़, फिर 2001 में भी माइनस 177 करोड़, फिर 2002-03 में भी माइनस 729 करोड़ अर्थात पिछली सरकार के समय में आपका बजट जो हाउस में पेश किया और जिस पर आपने वाहवाही लूटी उसमें 3217 करोड़ रुपये, जो बजट प्लान का पेश किया उसमें कम खर्च हुए। उसके बाद हमने जब 2004-05 से बजट रखा तो हमने, पहले साल में हम भी माइनस थे 206, दूसरे साल में भी माइनस थे, माइनस 650, उसके बाद प्लस हुए 468, फिर उसके बाद हुए 2007-08 में 2156 और उसके बाद 2008-09 में हुए 1656 । सारा मिलाकर प्लस, माइनस हमने उतना पांच साल में 3424 करोड़ रुपये का प्लान से भी अधिक खर्चा करके इस राज्य को बीमारू राज्य से निकालने का प्रयास किया। फिर उसके बाद आपका राज शुरू हो गया जिसकी आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इस बात को भी देखें कि आखिर जो प्लान

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमने पेश किया वह पूरा क्यों नहीं होता है। क्या उसमें दुविधा होती है जिसके कारण से नहीं, अब आप उठाइये 2009-10 में आप माइनस 1187 करोड़ रहे, जो प्लान आपने पेश किया 18635 करोड़ का, उसकी जगह खर्च हुए 17448 करोड़। उसके बाद 2010-11 में आपने प्लान पेश किया 23562 करोड़ का, खर्च हुए आपके 20859 करोड़ अर्थात माइनस 2703 । फिर उसके बाद 2011-12 में आपने बजट जो पेश किया वह 29261 करोड़ का पेश किया, खर्च हुआ आपका 25039 करोड़, माइनस 4222 करोड़ रुपये। कोई सामान्य नहीं है।

यानी जितना बजट आपने पेश किया और अभी जिस बजट को अपन रिवाइज्ड बजट के रूप में आये हैं, यह मैंने 13 जनवरी तक के आंकड़े लिये, 13 जनवरी तक का जो खर्चा आपके बजट में हुआ, आपने इस रिवाइज्ड एस्टीमेट में 2012-13 का जो 3300 करोड़ का आपने बजट पेश किया था 33400 करोड़, उसकी जगह रिवाइज्ड एस्टीमेट में आये हैं 36363 करोड़ का। खर्च कितना हुआ है 13 जनवरी तक, केवल 19920 करोड़, माइनस कितना बचा आज की तारीख में आपके डेढ़ महीने के इस दरम्यान में, आपके पास 16443 करोड़ रुपये पोते पड़ा है। यह अतूना में ही लगना है क्योंकि जिस ढंग से इसकी छीना-झपटी होगी और जिस ढंग से बजट का दुरुपयोग होगा, हम गली इसीलिए छोड़ते हैं कि लोगों को कैसे टांका लगाने का मौका मिल जाय और सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग हो। यही ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों में बजट के इस हेराफेरी के कारण से होता है और इससे भी दुःख की बात यह है, कोई मानिटरिंग करना ही नहीं चाहता। मैं बार-बार एक बात कहता हूं कि केवल आलोचना कर देने से अपने मन को संतोष हो जायेगा लेकिन हम धरातल पर आयें कि वास्तव में जो बजट हम पेश करते हैं उसका उपयोग कितना होता है। अब आपके सामने यह 2012-13 का इस समय 36363 करोड़ का जो बजट है इसमें कृषि का जो व्यय है आपका, वह आपका रिवाइज्ड एस्टीमेट था 2324 करोड़, खर्च कितना हुआ 1206 करोड़, मात्र 51 प्रतिशत। मेरे पास यह सारे डिपार्टमेंट के हैं, ग्रामीण में आपका 52 प्रतिशत खर्च हुआ, विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम में 72 प्रतिशत ही खर्चे का है। सिंचाई में 58 प्रतिशत, ऊर्जा में मात्र 53 प्रतिशत और उद्योग और खनिज में जिसके लिए आप कहते हैं कि इससे रोजगार उपलब्ध होता है, बच्चों को कुछ मिलेगा, राजस्थान का विकास होगा, उसकी तो दुर्गति यह है कि 23 प्रतिशत। हमारे पास उद्योग का खर्चा करने का था वह था 277 करोड़ और मात्र खर्च कितना कर पाये, 64 करोड़। कोई इसको देखने के लिए भी तैयार नहीं है कि आखिर हमारे पास

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पैसा उपलब्ध है, फिर आखिर यह पैसे का उपयोग होता क्यों नहीं है। साल के अंत में जाने के बाद भी, इसी तरह से आपको दिखाऊं, वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान- 45 करोड़ हमारे पास था, केवल 10 करोड़ खर्च किया, 22 प्रतिशत। उसके बाद सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं का 57 प्रतिशत खर्च कर पाये, आर्थिक सेवा में 72 प्रतिशत खर्च कर पाये, सामान्य सेवा में 54 प्रतिशत। सारा जो वर्ष का बजट है उसमें केवल 54 प्रतिशत हम अपने बजट का खर्चा कर पाये 13 जनवरी, 2013 को। अब इस पर ताली पीटना हो तो पीट दें और आपको खुशी मनाना है तो मना दो। लेकिन हकीकत और यह बजट स्टडी का जो पेज नम्बर 48 और 50 है, अगर आपके अधिकारियों को फुर्सत हो तो इस पेज को उठा कर देखें, जो डाकुमेंट आपने दिया है, इसी में से यह जो राजस्व प्राप्तियां हैं अपनी, राजस्व प्राप्तियों में 2010-11 से लेकर 2013-14 तक जो बढ़ोतरी आ रही है वह 68 प्रतिशत आई है। अच्छी बात है कि हमने अधिक पैसा अर्न किया लेकिन इस अर्न को जब अपन कर भिन्न राजस्व में दे दें, नान टैक्स रेवेन्यू में देखते हैं तो यह ज्यादा से ज्यादा नान टैक्स रेवेन्यू में हमको उपलब्धि हुई है। नान टैक्स रेवेन्यू जो हमारा 2010-11 में 6294 करोड़ रुपये था वह अब हो गया है 12654 करोड़ रुपये, 101 प्रतिशत की बढ़ोतरी है और इसमें भी आप किसके लिए खुश हो रहे हैं, आपका कुछ नहीं है, यह तो धरती माता में पैट्रोल मिल गया न, डीजल मिल गया और आपको, जिस बात के लिए उसको धन्यवाद देओ, आपकी मेहनत से कुछ कमा कर निकाला हो तो समझ में आ सकता है कि आपकी और आपकी सरकार की एफिसिएंसी दिखे, यह तो धरती के गर्भ में छिपा हुआ था इसको आपने निकाल करके इसका एक्सप्लायटेशन किया। आपको आश्चर्य होगा कि पैट्रोलियम से हमको 2010-11 में 1630 करोड़ की प्राप्ति हुई थी जो इस साल आपके, अभी आपने रिवाइज्ड एस्टीमेट में जो बनाया वह है 5500 करोड़ रुपये यानि एकदम 1600 से 5500 अर्थात 237 प्रतिशत अधिक पैट्रोल की आमदनी के कारण से हमारा यह जो सारे का सारा जिसको हम कह रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़ी है, इसमें आपने क्या किया, आपके अधिकारियों ने क्या मेहनत की, क्या नया पैट्रोल पैदा किया था धरती में जिसको निकालकर के आपने कहा है। जो वस्तुस्थिति है, जहां-जहां से हमको अर्न करना था उसको अगर हम देखें तो हमारी स्थिति संतोषजनक नहीं है।

अब यह सकल घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत देखें। आप ही कहते हैं कि एफआरबीएम एक्ट के तहत अब हम 3 प्रतिशत से,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमारे जीडीपी से हमारा जो कर्जा है वह राजकोषीय घाटा है वह उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब आपका घरेलू उत्पाद जो है 2004-05 में जो हमने लिया था तब हमारे पास भी यह जो आपका यह 3 प्रतिशत था उसके साथ 4.8 प्रतिशत का हमारा यह जो आता था राजकोषीय घाटा अधिक था। हमने इसको कम करना शुरू किया और 2005-06 में 3.6 पर ले आये और उसके बाद 2006-07 में 2.3 पर ले आये और उसके बाद 2007-08 में 1.7 पर ले आये और 2008-09 में हमारा समय और आपका समय दोनों का मिलकर के वापस 3.1 हो गया। उसके बाद फिर 2009-10 में 5.5 हो गया, फिर 2010-11 एक ऐसा साल है जिसमें आपका यह एकदम डाउन होकर के 1.9 पर आया। उसके बाद फिर बढ़ा, फिर आपका जो है वह 3.37 हो गया और 2012-13 में 3.6 हो गया। तो फिर एफआरबीएम एक्ट का क्या मतलब निकला? जीडीपी से हमारा जिस प्रकार का राजकोषीय घाटा है वह तो बढ़ रहा है और उसके बढ़ने के बाद जो है अब कर्ज की हालत, मैंने पहले भी बताया था कर्ज लें कोई एतराज नहीं। लेकिन कर्ज को कहीं प्रोडक्टिविटी में डाले तो स्टेट की आमदनी बढ़ेगी लेकिन आपका कर्जा लेने का जो तरीका है और जिस प्रकार का काम है। मैं आपको पिछली सरकार के समय भी बता रहा हूं कि जब हमने 1998 में जब सरकार छोड़ी थी तब हमारे यहां वित्त मंत्री थे चन्दनमल बैद। उन्होंने हमारे भैंरोसिंहजी पर एक श्वेत पत्र जारी किया कि आपने कर्जे में डूबो दिया राजस्थान को। यह श्वेत पत्र जारी हुआ है, बहुत बहस हुई उस समय था 24 हजार 169 करोड़ का कर्ज और जब आपने सरकार वापस हमको दी तब आपका कर्जा हो गया 54 हजार 903 करोड़ रुपया अर्थात 30 हजार 734 करोड़ रुपया का कर्जा आपने उन पांच सालों में लिया। उसकी बढ़ोतरी कितनी हुई? 120 परसेंट कर्जे में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद हमारे पास सरकार आई, हमने इसको वहां से शुरू करके 78 हजार 114 करोड़ रुपये कर्जे में राजस्थान को आपको सुपुर्द किया और जिसको निकाले तो 23 हजार 211 करोड़, 42 प्रतिशत की ग्रोथ थी हमारे कर्जे में। अभी वापस आपने जो कर्जा, जब से हमने छोड़कर के आपको दिया है, आज की तारीख में यह जो बजट है, यह बजट 2013-14 का मिलाकर 1 लाख 31 हजार 345 करोड़ का कर्जा हो जाएगा। जो 78 हजार 114 करोड़ में हमने सुपुर्द किया था यह कर्जा आपका बढ़ेगा 53 हजार 231 करोड़ अर्थात आपकी ग्रोथ वापस आ गई, 68 परसेंट की ग्रोथ हो गई कर्जे में। यह कर्जा लेकर के आप बता रहे हो कि हमने यह कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिया, चलो कोई बात नहीं, कर्जा लेने के बाद भी अगर इसका विकास में व्यय होता है तो उसको भी बरदाश्त किया जा सकता है। लेकिन विकास का जो फीगर आ रहा है, जो कर्जा लिया उसकी तुलना में जो आपका परसेंटेज आ रहा है, हमने कर्जा लिया था 2004-05 में वह 6 हजार 773 करोड़ लिया और उसके अगेंस्ट में हमने जो असैट्स तैयार किए वह 3 हजार 488 करोड़ अर्थात 51 परसेंट। उसके बाद 2005-06 में 68 परसेंट उसमें ग्रोथ हुआ, फिर 2006-07 में 101 परसेंट। जितना कर्जा लिया हमने 4 हजार 738 करोड़ लिया, 4 हजार 809 करोड़ का हमने असैट तैयार किया। उसके बाद 2007-08 में 109 परसेंट। कर्जे के अगेंस्ट में जितना कर्जा लिया उससे भी ज्यादा असैट तैयार किया और उसके बाद 2008-09 में जब आपको सुपुर्द किया तो यह वापस घटकर के आ गया 82 प्रतिशत असैट में। फिर उसके बाद 2009-10 में आ गया 68 परसेंट, फिर उसके बाद 2010-11 में आ गया 67 परसेंट, फिर उसके बाद 2011-12 में एक ऐसा साल निकला जो 77 परसेंट पर आ गये। अर्थात आप वापस 100 परसेंट जितना आपने कर्जा लिया, उतना असैट तैयार करना चाहिए, वह असैट आप तैयार नहीं कर पाये और 2012-13 में भी रफली अभी तो क्योंकि एस्टीमेटेड सारा है लगभग यह 82 परसेंट के आसपास पहुंचेगी हमारी असैट। तो कर्जा लेकर के अगर हम कोई विकास के काम में इसको डालते हैं और कोई असैट तैयार करते हैं तो शायद वह कर्जा भी हमको इतना बुरा नहीं लगेगा।

अब यह विकास पर जो व्यय हुआ आपका पांच साल का, इसका भी कहीं फीगर निकालें कि वास्तव में आपने पांच साल में विकास का व्यय, परसेंटेज क्या निकाला? जब पहली बार आपकी गवर्नमेंट थी 1999 से लेकर 2003 तक तो जितना भी आपने पैसा खर्च किया, उसमें विकास पर खर्च हुआ 60 परसेंट और 40 परसेंट गैर विकास पर और उसके बाद हमने उसको बढ़ाते-बढ़ाते 66 परसेंट विकास पर और 34 परसेंट गैर विकास पर। उसके बाद वापस आपकी 2009 से लेकर अभी 2013 तक सरकार है फिर से वापस आपका विकास पर 64 परसेंट है और गैर विकास पर 36 है। लेकिन कोई इसको देखने की कोशिश ही नहीं करता है। इतना कौन माथा मारे? क्या लेना देना, हो तो बहुत अच्छा, अपने तो क्या है कि यह फ्री मिल रहा है, वह फ्री मिल रहा है, साड़ी फ्री मिलेगी, फिर कम्बल फ्री मिलेगा। क्योंकि अब रात को नहीं बांटनी पड़ेगी, सरकार के पैसे से ही वोट मिल जाएंगे ना। क्या दुर्भाग्य है इस देश का? क्या दुर्भाग्य है पहले हम दिन में प्रचार नहीं करते थे, रात में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रचार करके और किसी को कुछ बांटते और कर आते थे। अबकी बार आपने हमारे खजाने पर ही टांका लगाकर के दो साड़ी देकर के अपने वोट पक्के करने के लिए बजाओ ताली, क्या कमाल है, कमाल की बात है वाह? और सबसे बड़ी चुनौती पूर्ण बात, मैं चुनौती पूर्ण बात कह रहा हूं आपको, मैं भी उसमें जिम्मेदार हूं और मेरी सरकार भी उसमें जिम्मेदार है। खाद्यान्न की दृष्टि से हमने क्या राजस्थान में कीर्तिमान स्थापित किया है? खाद्यान्न का जो उत्पादन है उसमें कहां हैं और जब तक किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, आप लाख कोशिश कर लो, भले ही आप कितनी ही मैट्रो ऊपर दौड़ा दो, जो गरीब किसान खेती करता है ना, उसके घर के झोंपड़े पर जब तक केलू हटकर के पक्का नहीं बनता ना, तो आप और हम भले ही 64 साल से कुछ भी +++ मारते रहे। कौन देखता है उसकी पीड़ा, कौन समझने की कोशिश करता है? हम तो सोने की परेडीं यहां लगाएंगे, बहुत नारे लगाये थे ना कांग्रेस ने। +++, लकड़ी नहीं है, क्या परेडीं की बात करते हो? आज की तारीख में हल बनाने की लकड़ी उस गरीब के पास नहीं है केवल अब कपड़े उतारने बाकी रहे हैं। 64 साल में देश के सब कर्णधारों को तो ऐसा लगता है कि वह किस तरह से कमाता है और किस तरह से खाता है? किस परिस्थितियों में वह अपनी खेती पकाता है और पकाने के बाद जैसा वह लूटता है ना, दुनिया में ऐसा कोई आदमी है? सौ में से पैंसठ परसेंट आदमी इस राजस्थान का जिस जमीन के ऊपर अपनी मेहनत करके जिंदा है उसकी लंगोटी को अभी तक हम बड़ी नहीं कर पाये हैं और हम कहते हैं हमने काम किया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा 2003-04 में भी राजस्थान का जो खाद्यान्न था उसका उत्पादन 18 हजार 9 मैट्रिक टन था और आज 2012 में भी 17 हजार 838 मैट्रिक टन है। वहीं का वहीं घूम रहे हैं मतलब कहीं भी खेती की पैदावार बढ़े। हमने सिंचाई एरिया बढ़ा दिया, हमने यह कर दिया, हमने बीस दे दिये, हमने मुफ्त ब्याज दे दिया, हमने यह फलां कर दिया, +++ कर दिया तो वह जमीन पर भी तो आये? जमीन पर क्यों नहीं आ रहा है? इसकी मानिटरिंग कौन करता है? इसके बारे में किसी को यह पीड़ा होती है क्या कि आखिर वह किसान आपसे कुछ मांगता तो है, मेहनत का फल ही तो मांगता है और हम यह डालते हैं तो ऐसा लगता है। मैं सोचता हूं किसान तो इसमें बरबाद है, बचा-खुचा आपका मजदूर है। जिसको नरेगा में अपन ने लगा रखा है। मैंने पिछली बार भी यह आंकड़े दिए थे, कोई इसको टटोलने की कोशिश करे। जिस मजदूरी का सबसे बड़ा अगर कहीं आधार है आज की तारीख में तो नरेगा की मजदूरी के कारण से गरीब आदमी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को कम से कम 100 दिन की मजदूरी मिलने के कानून का एक प्रावधान मिला है उसको कि कम से कम रोटी तो खा सके। उसके बारे में भी हमने कभी चिंता नहीं की कि उसकी पूर्ति कैसे हो? मजदूरी के पेटे हमने 2008-09 में 4 हजार 271 करोड़ रुपया दिया था मज़दूरों को और आज की तारीख में आपने 2012-13 में 1 हजार 505 करोड़ रुपया दिया है। कहां 4200 करोड़ और कहां 1500 करोड़ मजदूरी? इसी तरह से आपने जितना भी व्यय किया सामग्री और बाकी सारा मिलकर के जो व्यय हुआ वह 6 हजार 175 करोड़ रुपया हुआ था 2008-09 में, आज की तारीख में हुआ है 1 हजार 998 करोड़ रुपया। हम वन थर्ड पर आ गये, कितने परिवारों को कार्य दिया? हमारे टाइम पर हमने 63 लाख परिवारों को काम दिया और आज की तारीख में आपने 39 लाख परिवारों का काम दिया है। उससे भी कम नीचे आओ, औसत कार्य दिवस। कितने दिन का काम किया इस राजस्थान के मजदूर ने इस नरेगा में तो हमारा फीगर था एवरेज में 75 दिन का काम किया था। आपके समय में इसमें 2012-13 में आ गया 37 दिन और उससे भी दुखदायी काम कि सौ दिन की मजदूरी कितने लोगों ने पूरी की? फिगर तो देखें कम से कम घोषणा करने से पहले, हम 150 दिन की मजदूरी देंगे। झक मार के देनी पड़ेगी क्यों? क्योंकि लोक सभा में घोषणा की थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 दिन की मजदूरी आपको देंगे। जिसके आधार पर आपने लोगों से वोट लिया था, अब वापस जाओगे तो पूछेगा वह 200 दिन की मजदूरी कहां है? इसलिए आपने क्या तरीका निकाला? हमारे टाइम पर 25 लाख 94 हजार 224 लोगों ने 100 दिन की मजदूरी की थी और आपका इस समय का 2012-13 में 1 लाख 3 हजार 820 लोगों ने मजदूरी की है।

कहां पच्चीस लाख और कहां एक लाख लोगों ने सौ दिन की मजदूरी की। यह आंकड़ा क्या बताता है और अभी आपने बजट के पच्चीसवें पैरे में यह घोषणा की और वो भी आप शायद 125 बोल गये थे तो दूसरे दिन करक्शन कराया आपने कि 150 दिन की मजदूरी बाकी बचा हुआ 50 दिन का पैसा हम अपनी जेब से देंगे। क्या देंगे? जो आपके पास पैसा है उसका ही उपयोग नहीं कर रहे हो, उसका ही उपयोग कर लो। केवल लोगों को झुनझुना मत पकड़ाओ जिसके कारण से आप अपनी वाहवाही और थपथपी करा दो तो ये नरेगा की आपने दुर्गति बनाकर रखी है।

दुर्भाग्य देखो इस राजस्थान का किसान मर गया, मजदूर मर गया और बचा-खुचा ये पढ़ा-लिखा नौजवान मर गया। हर बजट में आपने कहा,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पचास हजार की भर्ती होगी, चालीस हजार की होगी, इतनी होगी, इतनी भर्ती होगी। मैं आंकड़ा देता हूं 2009-10 में आपने कहा कि 65,897 लोगों की भर्ती होगी। क्या हुआ? 2010-11 में आपने 6,736 लोगों की भर्ती की बात कही थी। 2011-12 में 92,167 लोगों की भर्ती के आंकड़े जो आपने अपने इस बजट भाषण में, ये सारे बजट भाषण मैं लेकर आया हूं और मैंने इसकी एक-एक लाइन पढ़कर के निकाला कि आपने कहां-कहां, क्या-क्या लगाने की घोषणा की, उनको जोड़ा और उसके बाद 2012-13 में 81,188 लोगों को आपने नौकरी देने का वादा इसमें किया। इसके बाद अब यह झुनझना और पकड़ा दिया क्योंकि आपका हींग लगे न फिटकरी, जब आप बारह महीने में से ग्यारह महीने काम नहीं कर सकते हो तो अब तीन महीने में क्या आसमान उतार दोगे, उतार सकते हैं? आपने घोषणा की है।

मैं माननीय सदस्यों, आप सबके प्रति बहुत सम्मान रखते हुए कि हमारा काम करने का तौर-तरीका, वह नौजवान आपकी तरफ देखता है। जिसके घर में दोनों टाइम की रोटी नहीं होती न वह बड़ी मुश्किल से बच्चे को एम.ए. पास कराता है और एम.ए. पास कराने के बाद भी आपकी इन घोषणाओं को रोज देखता रहता है आज नहीं कल, आज नहीं कल और उसको जब नहीं मिलती है तो या तो ट्रेन के आगे कूद कर मरता है या जहर खाकर मरता है या फिर अपराधी बन करके आपका और हमारा खोपड़ा तोड़ता है और कोई चारा नहीं है उसके पास। उसके कारण से आपने फिर घोषणा कर दी कि 1 लाख 54 हजार 552 लोगों की भर्ती इस 2013-14 के बजट में होगी। ये सारा मिला करके आपने 4 लाख 540 लोगों की भर्ती के आंकड़े इन बजट की किताबों में दिये हैं। आप बता दो ये 34 हजार मास्टरों की भर्ती के अलावा छोटी-मोटी भर्ती और हुई होगी उसको आप और जोड़ लो। अभी आपने हमको एक आंकड़ा दिया कि हमने इतने सालों में 1 लाख 43 हजार 820 लोगों की भर्ती की, ये सब बेकार है। आप सच में डिपार्टमैंट वाइज भर्ती निकालो। आप प्राइवेट भर्तियों को भी इसमें जोड़ रहे हो, वो नहीं, जो आपकी बजट घोषणाएं हैं चार लाख की उसमें से आपने कितने लोगों की भर्ती की? तो, समझ में आ सकता है और आपने बाकी तो और भी कई भर्तियां, आपने आज ये जो किया है मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि चार लाख बच्चे पढ़े-लिखे ऐसे हैं, जो अण्डर एम्प्लायमेंट हैं। अण्डर एम्प्लायमेंट ऐसा कि वो जहां नौकरी कर रहा है, जिस बी.एड. कालेज में पढ़ा रहा है वहां तनख्वाह सात हजार मिल रही है, वो जिस इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ा रहा है वहां तनख्वाह दस हजार मिल रही है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वो जहां प्राइवेट किसी हास्पिटल में नौकरी कर रहा है वहां तनख्वाह पांच हजार मिलती है और जिन प्राइवेट स्कूलों की आज बहार हो गई सारे राजस्थान में वहां जो मेरी बच्ची या मेरा बच्चा नौकरी कर रहा है न वो 1,500 से लेकर के 2,500 के बीच में नौकरी कर रहा है। उससे भी दुःख का समय मुझे जो लगता है वो यह है कि हमारे यहां शिक्षा मित्र पांच-पांच साल से झक मार रहा है उसकी तनख्वाह 3,400 हुई है। कोई अपने बच्चे को उसमें भर्ती कराओ और भर्ती कराने के बाद जब शाम को वह लौट कर आता है जिसके एक टाबर भी हो गया फिर उससे पूछे कैसा हालचाल है। सच में न हम किसान को बचा सकते हैं, न हम मजदूर के हितों की पैसा होते हुए भी रक्षा कर सकते हैं।

हमारे पास पद और बजट होने के बाद भी वह पढ़ा-लिखा नौजवान भटकता रहता है और हम से सवाल पूछता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरी उदयपुर यूनिवर्सिटी में 18 फोर्थ क्लास की पोस्ट निकली थी और आनलाइन फार्म कितने आये, पांच हजार। उन फार्मों का विश्लेषण करके राजनेताओं, कुछ देखने की कोशिश करो। उसमें वो आपका एम.ए., बी.एड. किया हुआ बच्चा है, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का उसमें है, एम.बी.ए. किया हुआ लड़का उसमें है। वो सोचता है कि कहीं तो एक बार टिकूं, नहीं तो ओवरएज हो जाऊंगा तो मेरे जीवन का क्या होगा। क्या हम इस पर कोई निर्णय नहीं कर सकते। हम यहां बैठ करके क्या तर्क-वितर्क करते हैं। यानी कम से कम हमारी नीतियां कहां गलत हैं, कहां बदलने की आवश्यकता है हमको, हम उसको बदलें और बिलकुल ताकत के साथ बदलें। हम कोई पूंजीपतियों के एजेंट बनकर यहां नहीं आते हैं। हम गरीब के वोट से यहां आकर इस लोकतंत्र की रक्षा का काम करते हैं।

हमारा पहला उद्देश्य उस गरीब की कैसे मदद की जाए यह हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है पर कोई चिन्ता ही नहीं आपकी इस बारे में। ये तीनों श्रेणी मैंने बता दीं और उसके बाद बचा-खुचा आपकी इस महंगाई ने जो कमर तोड़ी है न जिसके घर में कुल ही छह-सात हजार रुपये मेहनत मजदूरी या कहीं झाड़ा-बुहारा निकालती होगी न वो मां जब कमा कर लाती होगी न उसके बाद इस महंगाई से जो उसका पाला पड़ता होगा न, आप इस पर एक शब्द नहीं बोलते हो। जब चुनाव लड़ते हो तब तो घोषणा पत्र में लिखते हो कि सौ दिन में महंगाई कम कर देंगे इसलिए कांग्रेस को वोट दो। कहां गये आपके सौ दिन? कहां गया वो नारा 'इन्दिरा गांधी आएगी, नयी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रोशनी लाएगी', 'इन्दिरा जी आएंगी, गरीबी मिटाएंगी'। थैला लेकर खड़े हो जाना, ऊपर से नोट पड़ेंगे तब भर लेना। भर लिया, भरा क्या है, कितना कष्ट होता है लोगों को कि हम इन नारों के आधार पर हिन्दुस्तान की जनता को गुमराह कर अपना राजनीतिक स्वार्थ कब तक सिद्ध करेंगे। कभी देश की एकता और अखण्डता का नारा लगा करके जैसे देश हमने तोड़ा होगा। आजादी के 59 साल तक देश पर राज आप करो और तोड़ने का आरोप ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) नहीं अपने-आप तो होता है लेकिन आप तो बहुत समझदार हैं, वरिष्ठ हैं। इन्दिरा गांधी का नाम, अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा का अवतार कहा था इन्दिरा गांधी को। आपको खुद सोचना चाहिए इस देश की महान नेता का नाम ले रहे हो आप यहां पर।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) यह हकीकत है। आप बैठिये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जो इस दुनिया में नहीं है अब और अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में कहा था दुर्गा का अवतार है वो। आप क्या चीज हैं फिर। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) आपका ये ...(व्यवधान) नहीं है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): वहां +++ के चक्कर में लोक सभा में वाक आउट हुआ ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर ये नारा 1980 में नहीं लगा हो और अगर दीवारों पर कहीं पुताई नहीं हुई हो तो आज भी जाकर के पढ़ लो। देश की गरीबी मिटाने के नाम पर हम चुनाव नहीं लड़े थे। हमने 1984 का चुनाव लड़ा देश की एकता और अखंडता की रक्षा करो। देश को जलाया किसने? देश को तोड़ा किसने? हम जैसे चुनावी नारे लगाते हैं वैसे ही माननीय सदस्यों, बहुत सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं आपने 2013-14 के बजट में ये कर देंगे, ये कर देंगे, टाइम कहां हैं? तीन महीने तो कुल बाकी हैं। केवल लोगों को झुनझुना पकड़ा करके अगर आप भ्रमित करके वोट लेना चाहते हो तो देश की जनता अब इतनी पागल नहीं है कि किसने तो सोने की पनड़ी से हलफवाया और किससे लकड़ी की भी पनड़ी नहीं मिलती वो अब जानता है। इसलिए बहुत ज्यादा भ्रम में नहीं रहना चाहिए कभी भी। अगर ये ही था न तो मैं आपका बजट भी लाया हूं और आपका जो लास्ट बजट था

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

2003-04 का, जो आपने पेश किया था उसमें भी इसी प्रकार की घोषणा करके आपने सोचा, 156 से 56 रह गये थे अभिमान मत करो, अभिमान मत करो कम से कम काम करो और जनता जिसको चुनेगी हम उसका स्वागत करेंगे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उससे लेकिन जब केवल चुनाव लड़ना हो तब लोगों को कुछ भी कह दो आप। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी घोषणाएं, किस तरह से जनता को कैसे अपन हमारी ओर करें ये आपने '104. बढ़ती जनसंख्या व आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी की समस्या समूचे देश में व्याप्त है तथा राजस्थान भी इसका अपवाद नहीं है। राज्य में बी पी एल परिवार इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अत: राज्य सरकार ने बी पी एल परिवारों के पढ़े-लिखे बेरोजगार बच्चों को मासिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है।' कब? +++ क्या बात है, क्या चीज है ये? सवाल यह नहीं है सवाल यह है कि ये मन का दर्द है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): किसकी मौत आ रही है, +++ ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, क्या है ये? क्या है ये? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): +++ ...(व्यवधान) +++ आ रही है। (व्यवधान) +++ ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जब चुनाव छाती पर आता है न ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): +++ ...(व्यवधान) किसी की +++ नहीं आएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम भी बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): पता नहीं किसकी +++ आएगी। +++ (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सच्चाई से दूर मत भागो सच्चाई को स्वीकार करो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) इनको नियंत्रित करो नहीं तो हम भी बोलेंगे। (व्यवधान) नहीं तो हम भी बोलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सच्चाई को स्वीकार करो, गलती हुई तो स्वीकार करो। लोकतंत्र का तरीका ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) वाकई +++ घोषित हो गया ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्षजी, या तो इनको बंद करो नहीं तो नेता भी बोलेंगे फिर। (व्यवधान)... इनको बंद करो, नहीं तो नेता को हम नहीं बोलने देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उसके बाद आपके बजट की दूसरी लास्ट बजट की घोषणा, 'अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावासों में अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से गैर सरकारी अथवा अन्य संगठनों द्वारा 100 नये छात्रावास स्थापित किये जाएंगे।' अब ये किस वोट को किधर ले जाना है इसके लिए आप ये जो घोषणा करते हैं न इस घोषणा का कोई अर्थ नहीं है। मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है। मैं समझता हूं कि आपके मन में भी वो पीड़ा है लेकिन कहीं न कहीं हमारे काम करने के तौर-तरीके में वो हमारी निगाह में नहीं रहता है जिसके लिए हम राज करते हैं। हमारी निगाह में बड़े-बड़े आदमी रहते हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां रहती हैं, बड़े-बड़े सेठ रहते हैं और वो जमीन पर रो रहा है वो हमारी निगाह से निकल जाता है। इसलिए नीतियां बनाते समय हमारा दिमाग कौनसी जगह जाता है, हम 65 साल तक राज कर रहे हैं और उसके बाद आज भी हम कहें कि हम अन्न देंगे, हम दवाई देंगे, हम ये करेंगे तो ये कमी किसकी रही? कौन है इसका दोषी। आप 65 साल के बाद विश्लेषण करके ताली पीट रहे हो कि हम एक रुपये में अन्न देंगे। भूखे किसने मारे, ये तो बताओ, किसने मारे? इन सवालों का जवाब देना होगा आपको जनता को।

अभी आपने मुफ्त दवाइयों के बारे में बहुत ढोल पीटे, मैं आज भी आपको कह रहा हूं, जो अधिकारी आपका यहां बैठा हो उसको मेरी चुनौती है, क्या बी पी एल को दवाई मुफ्त नहीं मिलती थी? साल में कितने पैसे की दवाई लगती थी? फाइनेंस सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, निकालकर बता देना कि कितना पैसा बी पी एल के खाते में दवाई के पेटे आपकी सरकार का जाता था। राज्य कर्मचारी को कितना पैसा जाता था और इन दोनों को जोड़ने के बाद बता देना। हमने उस समय भी कहा था कि यह जो दवाइयां बेचने वाली कम्पनियां हैं यह एक का चार पैसा लेती है। अगर आप सीधा कम्पनी से खरीदोगे ¼ पैसे में आपको दवाई मिलेगी। 5 रुपए की दवाई का 50 रुपया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लगता है और उस गरीब का पेट कटता है, आपका को-आपरेटिव स्टोर भी उसको बेच कर करोड़पति बनने का काम करता है। उस सिस्टम को आपने तोड़ा, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन इस ओर तो झांको कि हमने किया क्या है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो वरिष्ठ नागरिक है, उसमें चाहे पेंशनर है या कोई भी उसमें कवर हो रहा है लेकिन आज भी, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब यहां बैठे हैं, यह मुझे जरूर बता दें कि क्या 7000 रुपए वेतन पाने वाले कर्मचारी का आज भी 130 रुपए प्रतिमाह नहीं कटता है? क्या 7100 से लेकर 13000 रुपए तक का 220 रुपए प्रतिमाह नहीं कटता है? क्या 13000 से 21000 तक का 325 रुपए नहीं कटते हैं? क्या 21000 से अधिक वाले का 445 रुपए प्रतिमाह नहीं कटता है? यह सारा मिलाकर जो पैसा कटता है यह अमाउंट 244 करोड़ रुपया होता है, उसको भी वही मुफ्त दवाई है। आपने यह पैसा इधर से उधर घालमेल करके मिला दिया और दे ताली, दे ताली। गांठ का गोपीचन्द कितना गया, यह बताओ। फीगर बताना ताकि कम से कम हमारे मन को संतोष रहे कि आपने इस मुफ्त दवाई योजना में अपनी सरकार की कमाई का कितना पैसा उसमें मिलाया, तब जाकर हमको समझ में आयेगा कि वास्तव में हमने काम किया है। अच्छा काम किया है, मैंने तो यहां हाउस में तारीफ की है आपकी, क्योंकि गरीब के बच्चे को बीमारी के समय 10 रुपए की दवाई भी मिलती है तो वह उसके लिए वरदान है, भगवान हो जाता है। उसके जीवन में जितनी खुशहाली आती है, वह अपने बच्चों को लेकर जब हास्पिटल आता है और बाद में जाकर अपनी घड़ी गिरवी रखकर 200 रुपए की दवाई लाता है, कम से कम उस पीड़ा से उसको मुक्ति मिल गई, इससे बड़ा और कौनसा काम हो सकता है। पर यह भी तो देखो कि आखिर हमने इस नाटकबाजी में, केवल बजाओ ताली, बजाओ ताली, इससे कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है।

बिजली, मैंने उस समय भी कहा, मैं शुरू से बिजली मंत्रीजी से लगातार कह रहा हूं जब से मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, आज सदन के नेता आप स्वयं उपस्थित हैं, मेरी आज भी चुनौती है कि आपने अपनी सरकार, दिसम्बर 2008 से लेकर अब तक आपने यूनिट स्थापित की हो, बिजली पैदा करके राजस्थान को दी हो तो उस प्रोजेक्ट का नाम बता दो। मैंने इसीलिए क्वेश्चन से पूछ कर, यह जितने प्रोजेक्ट हैं, 2005 के, 2006 के, 2007 के, आपके दो प्रोजेक्ट थे 2002 का और 2003 का। दो प्रोजेक्ट जो आपने स्वीकृत किये थे, जो प्रोसेस में चल रहे थे वह एक तो 4 फरवरी, 2010 को पूर्ण हुआ और एक 31.3.2010 को पूर्ण हुआ। यह दोनों प्रोजेक्ट 200 मेगावाट के, आरएपीपी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इकाई-5 और आरएपीपी इकाई-6 यह 220-220, 440 मेगावाट की बिजली पैदा की इसने, पर इसमें हमारा शेयर कितना है? दोनों में मिलाकर हमारा शेयर मात्र 87.74 मेगावाट है। यह है जो आपने 2002 और 2003 की बिजली पैदा की, बाकी जो भी आपने किया, प्राइवेट सैक्टर में 1200 मेगावाट बिजली पैदा की उसमें आपकी गांठ का क्या लगा? अगर आपने विंड से बिजली पैदा की उसमें आपका क्या लगा? अगर आपने सौर ऊर्जा से पैदा की उसमें आपका क्या लगा? हमने आपको बजट का 36 परसेंट से लेकर 48 परसेंट पैसा बिजली में दिया और उसके बाद भी बिजली की उपलब्धि क्यों नहीं है, यह सवाल जनता आपसे, मुझसे, सबसे पूछती है। मेरे घर पर बिजली आती क्यों नहीं है, मेरे खेत पर पहुंचती क्यों नहीं है। मैं एक-एक साल का डिमांड नोट जमा कराने के बाद भी उस आफिस के रोज धक्के क्यों खाता हूं। कम से कम इतना कष्ट का निवारण उसका कर दो तो समझ में आयेगा कि वास्तव में आपने बिजली की इन योजनाओं का लाभ उस गरीब को दिया है।

यही नहीं, फोकट का पैसा हमको अंतरराष्ट्रीय जो विभिन्न योजनाओं में मिला, कोई देखता ही नहीं, कोई मोनेटरिंग ही नहीं करता है कि वास्तव में हमारी योजनाओं की गत क्या बिगड़ रही है। मैं आपके सामने रख रहा हूं, वर्तमान में चल रही अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषित परियोजनाएं। यह 9 परियोजनाओं का चार्ट मेरे पास है। अपन को बाहरी सहायता मिली उसमें से लघु सिंचाई व्यवस्था विकास के लिए 2005 से 2014 तक के लिए हमको 612 करोड़ रुपया मिला है। इसमें से केवल 31 परसेंट खर्च हुआ है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन के नेता महोदय के जवाब तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय सदन के नेता महोदय के जवाब तक बढाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 9 वर्ष में यह पैसा खर्च करना था, 7 वर्ष हम पूरे कर चुके हैं और अभी मात्र 31 परसेंट हम खर्चा कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पाए हैं बाकी पैसा पड़ा है। इसी तरह शहरी क्षेत्र बुनियादी सुविधा विकास मंत्री महोदय, इसके लिए राज्य को 1883 करोड़ रुपया मिला था और यह प्रोजेक्ट था 2008 से लेकर 2014 तक। अब अपने पास सवा-डेढ़ साल और बचा है, अभी तक केवल 39 प्रतिशत खर्चा हुआ है। पैसा हमारे पास होते हुए भी हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से दक्षिणी राजस्थान की गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही 415 करोड़ रुपए की परियोजना में चार वर्ष बीत जाने के बाद, यह 2008 में शुरू हुई 2014 में समाप्त होगी, 6 वर्ष की योजना है, मंत्री महोदय मालवीयजी, चार वर्ष पूरे हो जाने के बाद मात्र 15 परसेंट खर्चा हुआ है, क्या है? मतलब कोई योजना का नाम भी जानता है कि नहीं जानता है। इनके कागज भी समझ पाया, या नहीं समझ पाया। कोई देखता भी है या नहीं देखता है कि कौन-कौन से फंड में कौन-कौन सा पैसा पड़ा हुआ है। कोई देखने की कोशिश नहीं करता है, इस तरह की स्थिति है।

जनजाति उपयोजना, यहां के महामहिम राज्यपाल ने राज्यपालों की मीटिंग में अपने मन का दर्द रखा, उसको अपन को समझना चाहिए कि एक सर्वोच्च पद पर रहने वाली महिला ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ट्राइबल एरिया में जितना बजट हमको मिलता है उसका हम 33 परसेंट बजट भी खर्च नहीं कर पाए। 2008 से लेकर 2011 की आडिट में जो पैरा बने हैं, जो सामान्य बातें हैं, सामान्य काम के लिए जो आपको पैसा मिला है, चिकित्सा विभाग के माध्यम से जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए आयोडिन नमक वितरण के लिए आपको 4 करोड़ 12 लाख रुपए मिले, उसमें से व्यय हुआ 1 करोड़ 51 लाख, 36 परसेंट। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण योजना के अन्तर्गत सहरिया विकास हेतु सहायता में 17 करोड़ 61 लाख रुपया मिला जिसमें से खर्च हुआ 12 करोड़ 6 लाख, 68 परसेंट। जनजाति युवाओं को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, इसमें तो कोई जोर नहीं लगता है, प्रशिक्षण तो कराया जा सकता है, आपको मिला था 2 करोड़ 14 लाख उसमें से खर्च हुआ है मात्र 76 लाख, मतलब 35 परसेंट। जनजाति बालिकाओं को पोषण हेतु 10 करोड़ रुपया मिला उसमें मात्र 3.8 करोड़ रुपया, 37 परसेंट खर्च हुआ। जनजाति क्षेत्रीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिए आपको 3.27 करोड़ रुपया मिला, 1.8 करोड़ रुपया आपने खर्च किया, 55 परसेंट। इन सारी योजनाओं पर जो आपका खर्चा हुआ वह केवल 53.56 करोड़ खर्च हुआ। यह आडिट पैरा है और आडिट पैरा के बाद में भी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का अधिकारी अगर इसमें चहल-पहल नहीं करता है, आडिट पैरा तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

2011 तक का था, हमारी प्रोग्रेस क्या हुई कोई यह तो बताए। हमने यह घोषणा की, बहुत अच्छा, हम यह घोषणा करेंगे, कीजिए, बहुत अच्छी बात है कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक कदम पीछे मुड़ कर भी देखो कि जो हमने किया है उसमें हम कहां तक पहुंचे हैं।

बजट घोषणाएं जो आपने की हैं, मैं कुछ नमूने गिना रहा हूं क्योंकि इतना अधिक समय भी नहीं है। यह मैं 2012-13 का ही पढ़ रहा हूं, बाकी सारा नहीं पढ रहा हूं। अगर कोई 2009 से उठाकर स्टडी करे तो आपकी 2009 की घोषणाएं आज भी पूरी नहीं हुई हैं, यह मेरा दावा है। घोषणा आपने कर दी लेकिन उसकी मोनेटरिंग नहीं हुई। कृषकों को अनुदान देकर 2200 सौर ऊर्जा आधारित पम्प सैट स्थापित करने की बात कही गई लेकिन विभाग में इसकी प्रगति की कोई जानकारी अभी तक नहीं है। रिकार्ड पर नहीं है कि यह 2200 सौर ऊर्जा आधारित पम्प सैट कहां पर लगे। पशुपालन विभाग, 400 नये पशु चिकित्सा उप केन्द्र शुरू करने की घोषणा की थी, इसमें से मात्र सवा सौ उप केन्द्रों के सम्बन्ध में प्रशासनिक घोषणाएं जारी हुई हैं और 275 केन्द्रों की फाइलें अभी तक चली ही नहीं। इसी तरह से वन और पर्यावरण, नाबार्ड के सहयोग से राज्य को 17 जिलों में 988 करोड़ रुपया परियोजना चलाकर सघन पौधारोपण और जल ग्रहण क्षेत्र विकसित किया जाएगा। लेकिन 11 माह गुजर जाने

(17.00 बजे)

के बाद मात्र जल ग्रहण विकास परियोजना की स्वीकृति हो पाई है लेकिन योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है। 988 करोड़ रुपये हरा-भरा राजस्थान, इतना तो अपन ने उसके पोस्टर छपाये उतना ही ध्यान देते तो उतने पेड़ तो लग जाते। यह पिछले साल की घोषणा थी। उदयपुर में राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय संचालन प्रारम्भ नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी आपने आरएसएमएम पर थोप दिया, 50 करोड़ वह देगा। अभी तो जमीन ही तय नहीं हुई कि बनेगा कहां। मतलब एक साल में जमीन तय करने में अपने को समय लगता है तो प्रशासनिक कितनी एफिशियंसी है यह तो जनता को समझ में आ जाती है, अपने को समझ नहीं आता है क्योंकि अपने तो सबके चश्मा चढ़ा हुआ है। आप अपनी भाषा बोलोंगे, मैं अपनी भाषा बोलूंगा लेकिन जनता तो आपको भी देखती है और मुझे भी देखती है, वह पूछेगी कि क्या हुआ। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, राज्य में 13 मंदबुद्धि गृह और 6 वृद्धाश्रम का संचालन प्रारम्भ किया जाना बाकी है। अनुसूचित जाति छात्रों को दस छात्रावास, 2569 गांव ढाणियों के अलावा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

7920 जनजाति अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है, मात्र 10 प्रतिशत ढाणियों में पेयजल उपलब्ध हुआ, 90 परसेंट आज की तारीख में खाली है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज, सभी ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर देकर हाइटैक करेंगे लेकिन 11 माह भी योजना कागजों से बाहर ही नहीं निकली। कोटा, भरतपुर और बीकानेर में 2 करोड़ की लागत से नये पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की, भूमि पहचान से आगे बढ़े ही नहीं।

चार साल में 10 लाख मकान बनाने की घोषणा फाइल के बीच ही फंस गई है। यह चार साल में 10 लाख मकान बनाने की घोषणा, वर्ष 2011-12 में फिर घोषणा, 4 लाख 37 हजार से ज्यादा मकान बनाने की घोषणा तो कर डाली लेकिन 50 परसेंट भी अभी तक क्रियान्विति उसमें से नहीं हुई। 2012-13 में फिर 2 लाख 91 हजार गरीब परिवारों को आशियाना उपलब्ध कराने के सपने दिखाये। सच्चाई यह है कि ग्रामीण विकास विभाग के पास इस घोषणा पर अमल की कोई जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। मतलब किस तरह से डिपार्टमेंट चलते हैं, किस तरह से हम देखते हैं, केवल अपनी-अपनी राग अलापना चाहो तो करो भई। राज्य में 32 आरओबी स्थापित करने की घोषणा की, 6 आरओबी बने। 32 में से 6 बने, 26 अभी भी अधूरे हैं। गत बजट में चार जिलों में 10 आरओबी और निर्माण नहीं हुआ। प्रदेश में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में दो वर्ष की अवधि में 20 हजार सफाई कर्मचारी की भर्ती होगी, कहीं एक हुई हो तो उसका नाम बता दें, 20 हजार सफाई कर्मचारी की जगह। वह बच्चा किस आशा से बैठा रहता होगा कि सरकार ने घोषणा की है तो कहीं न कहीं मैं नौकरी पर लगूंगा। कागजों पर कागज फंसते जाते हैं, फाइलों पर फाइलें फंस जाती हैं। सभी 33 जिलों में से 3 जिलों में ही धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र खोले जा सके, बाकी आज दिन तक नहीं खोली, 33 में से 3 ही। शिक्षा विभाग का तो भगवान ही मालिक है। केवल थर्ड ग्रेड मास्टर के अलावा किसी की भी भर्ती नहीं हुई और आपने घोषणा क्या की थी, 2009-10 के बजट में आपने की कि चूंकि गांवों में साइंस नहीं पढ़ सकता बच्चा इसलिए 500 विद्यालयों में विज्ञान विषय खोलेंगे। कहां खुले और खुले तो व्याख्याता कहां है? 2009-10 का कह रहा हूं। मेरे प्रश्न के जवाब में एक भी व्याख्याता, पिछली बार का व्याख्याताओं का आपका जो हमने एडवरटाइजमैंट निकाला था वह एडवरटाइजमैंट के व्याख्याता जरूर भर्ती हुए हैं, उसमें कुछ सैकण्ड ग्रेड के भी भर्ती हुए हैं। आपकी सरकार आने के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बाद, विज्ञापन निकालकर एक व्याख्याता भी आपने इस स्कूल शिक्षा में भरा हो तो उसका नाम बता देना। अकेले थर्ड ग्रेड में 1 लाख 70 हजार की घोषणा की थी। आपने कहा था हर साल 10 हजार अध्यापकों के पद रिक्त होते हैं, इस बजट में भी कहा है। इसलिए जितना उस डिपार्टमैंट को हमने अधिकार दे दिया कि अब यह जितने स्थान रिक्त होते हैं आप इसे भर लो। यह इस फाइल में तो अच्छा लगेगा लेकिन यह भरे जाएंगे क्या ? कुछ नहीं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, 100 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 3 हजार नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलना अभी बाकी है। 3 हजार उप स्वास्थ्य केन्द हेतु एएनएम और 210 नेत्र सहायकों की भर्ती अभी तक नहीं हुई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज्य में 3796 करोड़ रुपये की पेयजल योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की लेकिन सभी परियोजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी के सहयोग से नागौर लिफ्ट योजना की 617 करोड़ रुपये के कार्य करवाने के विरुद्ध परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। यह तो मैंने कुछ नमूने के लिए लिये हैं, अगर इन सबका हिसाब करें ना तो हमें लगेगा।

मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, कोई आलोचना करने के लिए और न आलोचना से मेरा कोई परपज पूरा होगा। मैं और आप यहां जिस कामन आदमी के लिए आए हैं, जिस गरीब आदमी के लिए आए हैं उस गरीब आदमी को जब तक राज का फायदा पहुंचाकर, उसको जब तक पैरों पर खड़ा नहीं करोगे, बैसाखियों के भरोसे उसको कितने साल और चलाओगे? उसकी बैसाखी हटाकर उसको अपने आप खड़ा करने के लिए हमको अपनी नीतियां, अपने काम को बदलना पड़ेगा। किसान को हमें स्ट्रेन्थन करना पड़ेगा। उसकी फसल का दाम 100-150 भी है स्वागत योग्य, अगर उसको 250 रुपये भी करना पड़े तो करिये। कम से कम किसान को उसकी मेहनत का दो पैसा तो जाएगा। दूसरे लोग लूट खा रहे हैं इस देश को, उस गरीब के पास जाएगा तो उसका बच्चा कम से कम रोटी तो खाएगा। क्या तकलीफ है? यह सरकार का खजाना, 40 हजार करोड़ की एक-एक एमएलए के पाती, इस साल के बजट में कितने आते हैं, 200 करोड़ एक-एक एमएलए का। आप इसके दो टुकड़े करो और जितनी भी प्लानिंग आगे भविष्य में बनाओ, जिला स्तर पर प्लानिंग बनाओ। जिले की प्रायोरिटी क्या है। मेरे यहां मेवाड़ को जितना आपने घाटा दिया ना इस 1 लाख 57 हजार करोड़ में, मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने फीगर मिला देना, मेवाड़ को 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं मिला, जो तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जोधपुर ही अकेला कितनी यूनिवर्सिटियां ले गया होगा। यह कोई न्याय है, यह हमारे साथ जस्टिस है? 28 एमएलए देते हैं, सरकार हमारे भरोसे चलती है। मेरा दुर्भाग्य है कि हमारा कोई भी एमएलए बोलता नहीं है। 28 एमएलए जिताने के बाद भी 22 हजार करोड़ रुपये के मालिक हम होने चाहिए। आपके इस 1 लाख 57 हजार करोड़ के बजट में हमारा 22 हजार करोड़ रुपये का एक शेयर बनता है। आपने न हमारी पानी की व्यवस्था, केवल घोषणा कर दी कि माही से पानी लाएंगे। दो ही काम आप कर दो कि जो साबरमती का पानी बहकर समुन्द्र में जा रहा है उसको रोको और रोककर पानी को डायवर्ट करो और उसमें जितना लगे सारा पैसा उसमें लगाइये। इसी तरह से आपका माही का ग्रेविटी से पानी आता है जाखम के नागलिया डैम में। सर्वे किया हुआ है और नागलिया डैम का पानी आप नीचे सिंचाई में दे दो धरियावद के लोगों को और आपका जो ऊपर डैम बना हुआ है जाखम, उस जाखम से टनल से सीधा पानी जयसमन्द में आता है और जयसमन्द को भरा जा सकता है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अब इसमें आपको किसी ने कहला दिया कि माही का पानी राजसमन्द में आ जाएगा, कहां से आ जाएगा, कभी किसी ने टोपोग्राफी पढ़ी है। किस लेवल पर राजसमन्द है और किस लेवल पर हम हैं। हां लिफ्ट करके ले जा सकते हो तो आपकी इच्छा है ले जाओ। लिफ्ट का काम बहुत महंगा पड़ता है, वह करना सम्भव नहीं होता है। हमारे पास पूरी की पूरी साबरमती बेसिन का पानी सरप्लस पानी है उस पानी को हम जहां से भी रोक सकें, रोककर पानी को डाइवर्ट करें, राजसमन्द को भेजे । केवल यह योजना बन जाएगी तो मेवाड़ में तो पीने के पानी की कम से कम 50 साल तक तकलीफ नहीं होगी, इसकी गारंटी है। जो पानी सीधा का सीधा बहकर गुजरात जा रहा है और हमारे पानी का नर्बदा में जो हक है, हमने नर्मदा का जो प्रोजेक्ट बनाया था, नर्मदा का प्रोजेक्ट जब हमने बनाया था तब हमारा समझौता यही था कि हम माही के पानी और कडाना के पानी का उपयोग हम करेंगे और इस पानी का देंगे। आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बजट भाषण पर जनरल डिबेट पर हमारे करीब 45 साथियों ने, पक्ष और विपक्ष के साथियों ने भाग लिया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। साथ में कहना चाहूंगा कि अपनी भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया जो उन्होंने अनुभव किया। यह परम्परा रही है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यही अवसर आता

(श्री अशोक गहलोत)

है जब सरकार को फीडबैक भी मिलता है, उसकी आलोचना भी होती है और जो बजट प्रस्ताव है उस पर चर्चा भी होती है। मुझे खुशी है कि सबने अपनी बात जिस तरीके से कही है और जिसमें, जब हम बोलते हैं तो क्योंकि राजनीतिक प्राणी है इसलिए राजनैतिक पुट तो उसमें आ ही जाता है, किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष महोदय क्योंकि भावुक हैं और जब यह बोलते हैं तो मैं समझता हूं कि शब्दों का प्रयोग करते-करते चूक जाते हैं। पिछली बार भी जब इन्होंने कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए थे तो मुझे कुछ बात कहनी पड़ी। मैंने इनको खुद को भी कहा है कि जब आप बोलते हैं तो कृपा करके थोड़ा ध्यान रखें।

जब आपके सामने कैमरा होता है तो आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आपको खुद को नहीं मालूम होता है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अन्दर से बोलते हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यही बात मैं देखता हूं, इस सदन में देख रहा हूं कि गरीब की झौंपड़ी, उसकी कच्ची झौंपड़ी, उनकी तकलीफ गरीब की, किसान की, मजदूर की व्यथा प्रकट करना अच्छी बात है। यह बात ठीक कही गयी है। मैंने भी कई बार कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हम सब अगर ईमानदारी की बात करें तो जो जन-प्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जब एम.एल.ए. बनता है, एम.पी. बनता है तो जनता के ट्रस्टी के रूप में उसको अपना व्यवहार करना चाहिए। उसी भावना को केन्द्र बिन्दु बना करके हम लोगों को सारे फैसले करने चाहिए।

यह कहना कि 65 साल में क्या किया, यह पालिटिकल मुहावरा है। यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई अगर देखें तो आप भी जानते हैं, पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, लम्बा अनुभव है, कि आजादी के वक्त में यह मुल्क क्या था। 33 करोड़ आबादी थी, आज 125 करोड़ आबादी है। लोग समझते नहीं थे कि बिजली होती क्या है। राजस्थान जैसे प्रदेश में करीब 8 मेगावाट बिजली थी सिर्फ, 8 मेगावाट, आज 11 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। 8 मेगावाट बिजली राजा-महाराजाओं के महलों में टिमटिमाती थी खाली। लोग समझते थे कि सावन-भादों में बिजली कड़कड़ाती है, तो लोग उसको बिजली समझते थे। वहां से शुरूआत करते-करते आज हम कहां पहुंचे हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। कहां सड़कें थीं, कहां शिक्षा थी, कहां स्कूल थे, कहां अस्पताल थे, कहां स्वास्थ्य सेवाएं थीं। 25-30 लाख लोग मर गये थे जब अकाल-सूखा पड़ा बंगाल के अन्दर।

(श्री अशोक गहलोत)

किसे कहते हैं 25-30 लाख लोग मरना। वह जमाना और था जब न पानी, न बिजली, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न सड़कें थीं। बाकी बातें तो छोड़ दीजिए। आई.आई.टी. की बात छोड़ दो, आई.आई.एम. की बात छोड़ दो, निफ्ट की बात छोड़ दो, एम्स की बात छोड़ दो। वह सोच में नहीं था। जहां निफ्ट बना हुआ है, जहां एम्स बना हुआ है दिल्ली के अन्दर वहां जंगल था। तो तमाम हालात से गुजरते-गुजरते 65 साल के अर्से में अगर कांग्रेस की सरकारों ने शासन किया तो दूरदृष्टि से किया। महात्मा गांधी का जमाना था। पंडित नेहरू थे, मौलाना आजाद थे। नीतियां बनाईं, सिद्धान्त प्रतिपादित किये, कार्यक्रम दिये, लम्बा सफर तय किया और आज आधुनिक भारत कहलाता है। दुनिया की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। विज्ञान में, टेक्नोलोजी में राजीव गांधी ने कहा था कि हम चाहेंगे कि नई शताब्दी में हम जाएं तो विकसित राष्ट्रों के साथ खड़े होकर हम उनका मुकाबला कर सकें। आज उस पर बहस चल रही है देश और दुनिया के अन्दर। तो कहना बड़ा आसान है, कुछ नहीं किया। पर जो कुछ किया उसका दुनिया लोहा मानती है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मोबाइल फोन, इंटरनेट, ई-मेल, अब तो दुनिया बिलकुल जुड़ गयी आपस के अन्दर। इसलिये जो कुछ भी किया इस मुल्क में, तो आप लोगों ने क्या किया। आपने राम मंदिर की बात की। चाल, चरित्र, चेहरे की बात की। धारा 370 हटा लेंगे, कामन सिविल कोड लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यह बातें आपने जरुर कहीं। उस कारण से एक बार तो आप सत्ता में आ ही गये, उसके कारण आ गये। 8 साल तक राज देख लिया। इंडिया शाइनिंग, फील गुड, ऐसा धराशायी हुआ वह इंडिया शाइनिंग, फील गुड, गरीब की झौंपड़ी की बात आप करते थे, अभी कर रहे हैं। वास्तव में गरीब ने ही आपको हरवा दिया कि कहां शाइनिंग हो रहा है। मैं तो अभी तक भूख मर रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक बार इसी बात की इस सदन में चर्चा हो जाए दिन भर कि हमने क्या किया और आपने क्या किया तो ज्ञानवर्द्धन ही हो जाए। कम से कम पता तो लगे।

एक माननीय सदस्य: हम इसके लिये तैयार हैं, कल ही आ जाओ।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): इसलिये मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस रूप में आपने बातें कही हैं, यह बजट के और फाइनेंशियल मैनेजमैंट के दावे सभी सरकारें करती हैं कि हमारा प्रबन्धन बहुत शानदार था। हम तो स्वीकार करते थे। उसका आपने मुहावरा बनाया हमारे खिलाफ। हमने कहा वास्तव में वित्तीय संकट है हमारे सामने। अकाल ऊपर से एक के बाद एक

(श्री अशोक गहलोत)

पड़ते गये। एक बार, दो बार, तीन बार। दुनिया जानती है, फिर भी हमारा अकाल-सूखे में मैनेजमैंट बहुत शानदार रहा। आप भी स्वीकार कर रहे हैं। सड़कें पहली बार अच्छी बनीं राजस्थान में, आपको स्वीकार करना चाहिए। बिजली का उत्पादन, उस वक्त में भी, अभी आप गिना रहे थे कि कहां आपने एक मेगावाट बिजली पैदा कर दी। आपने खाली घोषणाएं कीं। आपने पत्थर रखे होंगे, आपने सैंक्शन किये होंगे। सरकार चली गयी, काम तो पूरे हमने किये हैं। आज 4140 मेगावाट के आंकड़े दे रहे हैं, ऐसे ही दे रहे हैं क्या। 1500 मेगावाट प्राइवेट सैक्टर में आ गया, मान लीजिए थर्मल का आ रहा है, मान लो प्राइवेट सैक्टर में। आपकी की हुई घोषणाएं, काम हम पूरे कर रहे हैं। दिल्ली का सहयोग सबको मिलता है, आपके वक्त भी मिलता था। तो यह कहना कि 4 साल में, 5 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं समझता हूं अच्छी बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। जो कुछ भी, उस वक्त में जब संकट था तब भी हमारी प्रायोरिटी रही। पूरे देश के अन्दर 1750 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर नम्बर-एक पर राजस्थान रहा उस संकट के वक्त में भी। 1600 मेगावाट से पश्चिम बंगाल रहा सैकिण्ड नम्बर पर। आप पिछले बजट को गिना रहे हो यहां बैठ करके। इस बजट को लेकर के आपने और आपके नेताओं ने कोई कमी नहीं रखी, आप लोगों ने क्या-क्या नहीं कहा। संकट हमारे ऊपर नहीं था। एन.डी.ए. गवर्नमेंट खुद ही संकट में थी। उनकी ही नीति गलत थी। एन.डी.ए. गवर्नमेंट के वक्त में तमाम राज्य सरकारें देश की, वह संकट में थी, वित्तीय रूप से, कोई अपनी सरकारी बिल्डिंग्स मोरगेज कर रहा था, कोई बेच रहा था तन्ख्वाह चुका रहा था। बिहार में तो 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी। हमने एक दिन डिले नहीं किया यहां पर तनख्वाह का। एक तारीख को तनख्वाह मेन्टेन की हम लोगों ने। उस वक्त भी उस वक्त के हिसाब से शानदार फाइनेंशियल मैनेजमैंट हम लोगों ने किया। उस कारण से मैनेजमैंट सूखे का हो, बिजली का उत्पादन हो, सड़कें हों, बन सकीं। फिर भी हम मानते हैं कि हम जो योजनाएं लाना चाहते थे, इस बार हम एक के बाद एक ला रहे हैं जिसको लेकर आपको ईर्ष्या हो रही है। मैं समझता हूं उस वक्त हम ले नहीं आये थे, मैं इसको स्वीकार करना चाहता हूं।

इसलिये मैं कहना चाहूंगा, उस वक्त में और इस वक्त में रात-दिन का फर्क है, यह मैं खुद स्वीकार करता हूं। पर आपने उसका राजनीतिक लाभ खूब उठाया। अगर मैं वाजपेयीजी के पास गया तो उन्होंने मुझे सहयोग किया। मैं गेहूं लेकर आया, यहां बांटा। गरीबों के घर तक पहुंचाया, आपको खुशी होनी

(श्री अशोक गहलोत)

चाहिए। आप तो गरीबों के हितैषी हैं, भावुक हैं। उसके लिये मुझे इस बात की तो बहुत तसल्ली है, संतोष भी है। पर आप लोगों ने क्या कहा, आपके नेता ने क्या कहा, राजस्थान का मुख्य मंत्री दिल्ली की सड़कों पर भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है गेहूं मांगने के लिये। गेहूं मैं खुद खाता, मैं अपने लिये लाया था? उसको आपको एप्रिशिएट करना चाहिए था कि कम से कम राजस्थान की 6 करोड़ जनता की भूख मिटाने के लिये, अगर मैं गेहूं का भीख का कटोरा लेकर फिरूं, तो मुझे गर्व है कि मैं अपनी जनता की भूख मिटाने के लिये यह कर रहा हूं।

मैंने कहा था कि भूख से मरने की बात छोड़ो, यह राजनीतिक जुमला बोला जा रहा है, एक व्यक्ति को मैं भूखा नहीं मरने दूंगा, छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दूंगा, यह मेरा वादा था।

इसलिये मैं कहना चाहूंगा आपके वक्त माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपने 11वीं पंचवर्षीय योजना बनाई 71732 करोड़ की। आप अभी आंकड़े दे रहे थे आपके 07-08 के बजट के, 13795 करोड़ रुपये आपने रखा बजट के अन्दर, प्लानिंग बजट के अन्दर रखा। 2008-09 में 14932 करोड़ रखा। दो बजट आपने पेश किये, 28718 करोड़ होते हैं। हम लोगों ने जो जम्प दिया आने के बाद में, आप कह रहे हो, पूरा नहीं हो पाया। पूरा नहीं होने के बावजूद भी, पूरा नहीं होने के कारण मैंने हाउस में बताये हैं। हमने 51 प्रतिशत रख दिया पावर सैक्टर के लिये और नो-गो-एरिया घोषित हो गया केन्द्र सरकार का। उस कारण से हम लोग टाइमली अपनी प्लानिंग के अनुसार बिजली पावर प्लाण्ट को आगे नहीं बढ़ा पाये। हम स्वीकार कर चुके हैं हाउस के अन्दर। आप यह तो मानेंगे कि हमारी प्लान साइज इतनी बढ़ाई गई थी 2009-10 के अन्दर 18 हजार, आपका 14 हजार था, उसमें 18023 करोड़ रुपये। फिर 2010-11 में 21540 करोड़ रुपये, फिर 2011-12 में 27523 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 67086 करोड़ रुपये होते हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने किया 28718 करोड़, 67086 करोड़ हम लोगों ने तीन साल में प्लान साइज दी। कुल मिलाकर होता है 95804 करोड़। जो आपके वक्त में प्लान साइज थी 71732 करोड़ थी उसके अगेंस्ट में हम सबको गर्व होना चाहिए, यह तो वास्तविक खर्चे हैं। जो हमने प्लान साइज दी उसमें हजार करोड़, पांच सौ करोड़ कम हो गए, बिजली घर नहीं बन पाया,

(श्री अशोक गहलोत)

वह अलग बात है। तो आज 24072 करोड़ रुपए हमने, आपकी प्लान साइज दी हुई थी 71732 करोड़ रुपए की, उससे बढ़कर हमने खर्च किए हैं इलेवेंथ प्लान में वह आप समझ लीजिए कि 24072 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए हैं। इस प्रकार से यह प्लान साइज बन गई पूरी, वास्तविक आकार यह बना है, वह 95804 करोड़ का खर्च हुआ है, यह तो मानेंगे हम लोग? यह हमारी प्लान साइज बढ़ाकर ही हमने इसको 95 हजार करोड़ रुपए तक ले गए हैं। 95804 करोड़ रुपए तक ले गए हैं।

और अब आपको खुशी होनी चाहिए कि अब जब हम बारहवीं पंचवर्षीय योजना लेकर आए हैं, जो वास्तविक खर्चा आपके वक्त में जो प्लान 71 हजार करोड़ का, हमने बढ़ाकर 95804 करोड़ किया है, उससे डबल से अधिक, डबल से अधिक का मतलब है 1,96,922 करोड़ रुपए का प्लान हमने मंजूर करवाया है ट्वैल्थ प्लान का। ट्वैल्थ प्लान के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): योजनाएं तो हर साल ही बढ़ती हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): और 2012-13 का जो प्लान बजट हमने एप्रूव करवाया प्लानिंग कमीशन से, 33,500 करोड़ रुपए का था और संशोधित अनुमान जो रखे गए हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, वे 36,364 करोड़ रुपए के रखे गए हैं। अब तो आप यह मानेंगे कि यह जो आंकड़े आप मुझे बता रहे थे यह आंकड़े तो दिसम्बर के अलग होते हैं, जनवरी के अलग होते हैं। घनश्याम तिवाड़ीजी बैठे हुए हैं, यह भी एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं हाउस के अन्दर लास्ट टाइम। तब भी हमने कहा था कि आपकी सरकार का भी दिसम्बर तक का खर्चा जो है वह हमसे कम ही हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ था परसेंटेज के हिसाब से। हर सरकार में दिसम्बर तक के खर्चे अलग होते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। अकाउंटिंग मिलाने के अन्दर आगे बढ़ने में टाइम लगता है। यह जो आपने आंकड़े बताए, यह कोई सच्चाई नहीं है। आप अपनी सरकार के आंकड़े देख लीजिए, दिसम्बर के सब मिला लीजिए, मालूम पड़ जाएगा कि सच्चाई क्या है यह मैं आपको कहना चाहूंगा।

अब हम वर्ष 2013-14 के बजट को, 40,139 करोड़ का हमने प्लान बजट पेश किया है, इसके लिए हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं और यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। 20 मार्च को प्लानिंग कमीशन में हम लोग जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर प्लान साइज मंजूर होगी, उस पर डिस्कसन करेंगे। सदन की जो भावना आपने व्यक्त की है, पक्ष और विपक्ष ने उस

(श्री अशोक गहलोत)

भावना के आधार पर जहां तक सम्भव होगा, हम रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारी पूरी प्लान साइज मंजूर हो, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े तो बदलते रहते हैं क्योंकि जो सिस्टम है कण्ट्री में उसके अन्दर पहले तो एडवांस एस्टीमेट बनते हैं, क्विक एस्टीमेट बनते हैं और प्रोविजनल एस्टीमेट बनते हैं। 2010-11 के अन्दर सदन को जानकार खुशी होगी कि इस देश के अन्दर राजस्थान स्थिर मूल्यों के आधार पर राज्य की विकास वृद्धि दर, जी.डी.पी. की दर 15.28 रही है, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा सदन के माननीय सदस्यों को। इसको माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप क्या कहना चाहेंगे, आप समझ लीजिए कि पूरे देश के अन्दर नम्बर-1 पर राजस्थान रहा और नम्बर-2 पर महाराष्ट्र रहा और नम्बर-7 पर गुजरात था। इस प्रकार से यह जो आंकड़े बदलते हैं, उन आंकड़े बदलने की हेरा-फेरी में हम लोग नहीं जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि यह तो मैं आपको 2009-10 की, 2010-11 की बात मैं कर रहा हूं।

इसी प्रकार से फिस्कल पैरामीटर में भी अगर हम बजट की बात करें तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट की विशेषता यही कही जाएगी कि जहां एक ओर हमने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करने की घोषणा की है, जिस पर आशंकाएं व्यक्त की हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने।

वैसे तो आप भी जानते हैं, सरकार में रहे हैं, 100 परसेंट योजनाएं पूरी हो नहीं पाती हैं, कार्यक्रम लागू हो नहीं पाते हैं, मैं मंजूर करता हूं, स्वीकार करता हूं। परन्तु उसके बावजूद भी आप निश्चित रहें कि जो घोषणाएं सदन में की गई हैं उनको हम लागू करके दिखाएंगे और आप खुद देखेंगे, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। यह कोई कम बात नहीं है। जैसा मैंने कहा कि विशेषता इस बजट की यही है कि एक तरफ तो विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं और दूसरी तरफ वित्तीय मानकों में, जो पैरामीटर्स फाइनेंशियल, वह लगातार चौथे वर्ष सरप्लस बजट पेश किया जा रहा है राजस्थान के अन्दर, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा। कहां तो हम लोगों ने जब शुरूआत की थी माननीय अध्यक्ष महोदय, 2008-09 में हमारी रेवेन्यू डेफिसिट थी 2009-10 में 4747 करोड़ रुपए और उसके बाद में 2009-10 में, 2011-12 के अन्दर हम लोग वापस रेवेन्यू सरप्लस में आए 3357 तो फिर लगातार हम लोग रेवेन्यू सरप्लस का बजट पेश कर रहे हैं, यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री अशोक गहलोत)

फिस्कल डेफिसिट में भी माननीय अध्यक्ष महोदय, 13वें वित्त आयोग ने जो मापदंड तय कर रखे हैं 3 परसेंट तक की सीमा का डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट रहना चाहिए जी.डी.पी. का। सदन को जानकर यह खुशी होगी कि हमने मेनटेन किया है 2012-13 के अन्दर भी 2.34 का और 2013-14 के फिस्कल डेफिसिट के जो अनुमान लगाए गए हैं वे करीब 2.48 रहेंगे, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा। सीमा के अन्दर हमारा फिस्कल डेफिसिट है और इस फाइनेंशियल डिसिप्लीन को हमने मेनटेन किया है जो कि 13वें वित्त आयोग में बताया गया है।

इंटरेस्ट पेमेंट लायबिलिटी जो है वह भी सस्टेनेबल रहना है क्योंकि हम 15 परसेंट जो ब्याज चुकाते हैं, उसकी राजस्व प्राप्तियों की 15 परसेंट सीमा में रहने के लिए, 13वें वित्त आयोग की जो सीमा है, उसके बजाए रेवेन्यू रिसीट के मुकाबले में 12.4 परसेंट पर हम लोगों ने मेनटेन किया है और 2013-14 के अन्दर भी 12 परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है जो हमने आपके सामने पेश किया है। जबकि यही आंकड़े आपकी सरकार के वक्त में, 2003-04 से लगाकर 2007-08 तक की अवधि में 31 से लगाकर 19 परसेंट तक का रहा था। इंटरेस्ट पेमेंट लायबिलिटी आपके वक्त में 31 से लगाकर 19 परसेंट तक रही थी। जो ब्याज चुकाया गया था। हमारे वक्त में 12.4 परसेंट और अब यह 12 परसेंट रहने की उम्मीद जताई जा रही है।

राज्य पर कुल ऋण भार, जिसका जिक्र आपने अभी किया, उसमें 38 परसेंट तक, फाइनेंस कमीशन ने जो आकड़े दिए हैं, एफ.आर.बी.एम. एक्ट आपके वक्त में बना है, उसके अन्तर्गत 38 परसेंट तक कुल ऋण भार का, जी.डी.पी. का लोन ले सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए भी उसी को आधार बनाकर ही अभी तक जो ऋण सीमा है, उसको हम लोग मेनटेन कर रहे हैं और 13वें वित्त आयोग ने राज्य में फिस्कल, 2012-13 में कुल ऋण भार 38.3 परसेंट की सीमा निर्धारित की थी, जिसकी तुलना में हमारा ऋण भार 24.6 परसेंट ही है। वर्ष 2013-14 में भी 25 परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है। जबकि आपके वक्त में वर्ष 2004-05 में 47.1 परसेंट, 2005-06 में 46.7 परसेंट, 2006-07 में 41.6 परसेंट, 2007-08 में 39.6 परसेंट और 2008-09 में 36.4 परसेंट रहा था। इसलिए फाइनेंस कमीशन ने जो हमें गाइड लाइन्स दी है, उसके अकोर्डिंग ही हमने मेनटेन किया है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री अशोक गहलोत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय ने और हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं पर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि नियुक्तियों को भी आप चैलेंज कर रहे हैं, उसका मैं क्या कर सकता हूं? नियुक्तियों के आंकड़े 1,43,820 पदों पर नियमित नियुक्तियां दी गई हैं। 51 हजार से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है, यह तो आप मानेंगे अभी पूरे राजस्थान के अन्दर और वर्ष 2013-14 में 1,65,689 पदों पर नियुक्तियों का प्रावधान किया गया है।

अब आपकी आशंका मेरी समझ के परे है। आप किस रूप में इन आंकड़ों को चैलेंज कर रहे हैं? किस रूप में चैलेंज कर रहे हैं, मेरी समझ के बाहर है कि जब आंकड़े आपके सामने रखे जा रहे हैं। आप चाहेंगे तो मुझे खुशी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, यह आंकड़े तो ऐसे हैं जो आप कोई भी देख सकते हैं। यह तो हर विभाग के आंकड़े होते हैं। आंकड़ों के आधार पर सदन के अन्दर प्रस्तुत किये जाते हैं। इसलिये उसमें मैं नहीं समझता कि आपने किस हिसाब से और किस विश्वास से कहा कि नहीं हमारे तो खाली टीचर भर्ती किये गये हैं, बाकी कोई भर्ती हुई नहीं है। वाहवाही हम लोग लूट रहे हैं। वाहवाही लूटने की बात नहीं है, यह सच्चाई है कि जिस रूप में बड़े स्केल पर नौकरियां लगी हैं और एक लाख से ज्यादा नौकरियों की बात मैंने अभी आपके सामने रखी, 1 लाख 65 हजार 689, यह आंकड़े कम नहीं होते हैं, 1 लाख 65 हजार 689 हर विभाग के अन्दर नौकरियां लगेंगी, यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा।

आपने कहा आर.ओ.बी. के लिये, आर.ओ.बी. स्वीकृत किये गये 36, रिडकोर, आर यू आई डी पी, पी डब्ल्यू डी, यू आई टी आदि एजेन्सियां काम कर रही हैं। 29 आर.ओ.बी. का कार्य शुरू हो चुका है, 16 आर.ओ.बी. का कार्य अगस्त, 2013 तक पूर्ण हो जायेगा। 9 नये आर.ओ.बी. का कार्य करवाना प्रस्तावित है। आपने भावुक होकर भावना बता दी कि साहब पता नहीं जो घोषणाएं हुई हैं, वह खाली घोषणाएं ही रह जायेंगी। बहुत चिन्ता व्यक्त की आपने। पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह घोषणाएं खाली घोषणाएं नहीं रहने वाली हैं। घोषणाएं इतनी शानदार हैं, उससे विपक्ष बौखला गया है। वह समझ नहीं पा रहा है कि प्रतिक्रिया क्या व्यक्त करे। आज आप बोल रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की है कम से कम आपकी पार्टी के कुछ विचार हमारे सामने आये हैं। हमें खुशी इस बात की है। आपने तो फिर भी मीडिया को फेस किया है, उनसे बात की और उनको अपनी बात बताई, अपनी प्रतिक्रिया दी।

(श्री अशोक गहलोत)

पिछले बजट के वक्त तो सब लोग घर चले गये थे और शाम को बीजेपी के दफ्तर से बजट की प्रतिक्रिया के लिये बीजेपी के आफिस से खाली प्रेस नोट जारी हो, ऐसी दुर्गति मैंने कभी आज तक देखी नहीं थी। इस बार भी आपके कई नेताओं ने तो पता नहीं वह कहां थे, राजस्थान में तो थे नहीं, फिर भी उन्होंने छह लाइन का प्रेस नोट जारी किया है। गोलमाल प्रतिक्रिया दी गयी। कुछ नहीं किया सरकार ने, चुनाव आ रहे हैं इसलिये सब घोषणाएं हो रही हैं। हमारा चार साल का बजट इतना शानदार रहा। कहने के लिये आपको कोई मौका मिला नहीं और उसी रूप में जो घोषणाएं इस बार भी हुई हैं, मैं समझता हूं कि आम जनता ने उसको बहुत एप्रिशियेट किया है। क्या 25 वर्ष की जो शर्त थी बच्चों की, जिससे पेंशन रूक जाती थी, या मिलती नहीं थी, क्या उसको हटाकर हमने गलत काम किया? उससे आपको खुशी नहीं होनी चाहिये। पाली के माननीय विधायक पारख साहब बैठे हुए हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मुझे खुशी है कि पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्य मुख्य मंत्री सहायता कोष से, जिन्होंने मुझे लिखकर भेजा है, हमने किसी को इंकार नहीं किया है, बल्कि अब की बार तो 55-56 लाख रुपया अकेले पाली क्षेत्र के लिये लिये होंगे आपने। हमने किसी को मना नहीं किया है। कोई भेदभाव नहीं किया गया है और अब तो डेढ़-दो हजार करोड़ का भार पड़ेगा, मैंने उस दिन भी कहा कि जो भावना सबकी थी, उसके आधार पर हमने इतना बड़ा फैसला किया है और इसका सब लोगों ने वैलकम किया है। अब उसके बाद में भी आपको तकलीफ हो रही है, मेरी समझ के बाहर है क्यों तकलीफ हो रही है।

इसी तरह दुर्घटना में मृत्यु होने पर आपके वक्त में पहले 10 हजार रुपये थे। आप भी कर सकते थे, हमारी सरकार बनते ही हमने सी.एम. रिलीफ फण्ड से एक्सीडैंट होने पर जो पहले 10 हजार रुपये मिलते थे, आपके वक्त में 10 हजार ही मिलते थे, हमने आते ही 20 हजार किये और अब हमने उसको बढ़ाकर 50 हजार कर दिये। मुख्य मंत्री सहायता कोष, जिसका अभी मैंने जिक्र किया आप सबके लिये 60 हजार की आय सीमा को बढाकर एक लाख किया गया और 60 हजार की मदद को बढ़ाकर एक लाख किया गया। अब इसके अन्दर हमने क्या बुरा किया?

विशेष आवास योजना लागू की गयी। जहां पर झोंपड़ी जल जाती थी या बाढ़ आ जाये, तकलीफ हो जाये तो पहले 1500-2000 रुपये मिलते थे, अब 50 हजार रुपये मिलेंगे। उसका पक्का मकान बन जायेगा। विशेष योग्यजन को, नि:शक्तजनों के लिये रोस्टर बिन्दु निर्धारित किये नौकरी के

(श्री अशोक गहलोत)

अन्दर। माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिये भरण-पोषण के नियम राजस्थान के अन्दर लागू किये।

नि:शुल्क दवा योजना की आपने आलोचना की, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने बड़े आंकड़े बताये कि कितना पैसा कटता है और आपने क्या बहादुरी कर दी? पूरे राजस्थान में नहीं, राजस्थान के बाहर से पांच-छह राज्यों के लोग तो आ चुके हैं। कल-परसों महाराष्ट्र के 15-20 पत्रकार आये। इस स्कीम को समझने के लिये वह मुझसे भी आकर मिले। डब्ल्यू.एच.ओ. की पूरी टीम सात दिन के लिये राजस्थान आ रही है। आज एक डाक्टर तो उनका आ चुका है। वह तो बुला रहे हैं राजस्थान के लोगों को समझने के लिये, कि आपने इतनी बड़ी योजना लागू की, उसको हम समझना चाहते हैं। कल दिल्ली के अन्दर अवार्ड मिला। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने हमारे अधिकारियों को कल अवार्ड दिया और आप एकमात्र हैं, जो कहते हैं कि यह क्या योजना लागू कर दी। जिसकी तारीफ मैं समझता हूं पक्ष-विपक्ष सब लोग कर रहे थे। फिर पता नहीं आपने यह बात क्यों कही?

हमने ट्रांसपेरेंसी के लिये प्रयास किये। आप सबके सहयोग से हाउस में स्पेशल कोर्ट बिल पास करवाया। उस पर राष्ट्रपति महोदय की छाप लग गयी। मैं समझता हूं बिहार के बाद में राजस्थान एकमात्र है जिसने यह एक्ट बनाया है।

सिंगल विण्डो सिस्टम उद्योगों के लिये लागू किया। उसकी तो सब जगह तारीफ हो रही है। लोक सेवा गारण्टी एक्ट लागू किया गया है। राइट टू हियरिंग, सुनवाई का अधिकार एकमात्र राजस्थान राज्य है देश के अन्दर, कानून बनाकर यह अधिकार दिया गया है। राजस्थान के अन्दर ट्रांसपेरेंसी एक्ट लागू किया गया है। प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान बहुत कामयाब रहे राजस्थान में। मंत्रियों की, अधिकारियों की सम्पत्ति घोषित की गयी वैबसाइट पर। पिछली बार सरकार थी तब शेखावत साहब थे नेता प्रतिपक्ष, तब भी मैंने कहा था कि आपका विचार हो तो जितने विधायक जीतकर आते हैं, एम.एल.ए., एम.पी., चाहे कोई पार्टी के हों, सबको चाहिये वह अपनी सम्पत्ति की घोषणा कर दे वैबसाइट के अन्दर, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो जमाना वैबसाइट का है। ई-फाइलिंग रिटर्न, ई-पेमेंट, ई-रजिस्ट्रेशन, ई-रिफण्ड, उसका बड़ा असर पड़ा राजस्थान के अन्दर।

अध्यक्ष महोदय, कुछ संस्थाएं हमने नई क्रिएट कीं। स्टेट डायरक्ट्रेट आफ रेवेन्यू इंटेलीजैंस, पहली बार लागू किया गया। सदन को जानकर खुशी

(श्री अशोक गहलोत)

होगी कि 100 करोड़ रुपये का राजस्व उसके माध्यम से एकत्रित हो चुका। तीन करोड़ की मांग कायम हो गयी है व्यापारियों पर, सब लोगों पर। राजस्थान मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन बनाया जिसके माध्यम से स्कीम चल रही है। अब 7 अप्रैल से जांच फ्री होने जा रही है। उसके बारे में तो आपने एक शब्द भी नहीं कहा।

पशुओं की दवाओं के लिये भी राजस्थान वेटेनरी सर्विस कार्पोरेशन की घोषणा मैंने अभी इस बजट में की है। राजस्थान सिविल सप्लाई कार्पोरेशन, राज प्रोडक्ट...(व्यवधान) ओम बिरला जी खुद यही काम करते हैं। राज आटा, राज चाय, राज नमक, फोर्टिफाइड आटा और मसाले बनाने का हम सोचते हैं कि राजस्थान एक्स-सर्विसमैन सर्विस कार्पोरेशन बनाया तो अब और बुकिंग हो रही है लोगों की। पावर फाइनेंस कार्पोरेशन बनाया हम लोगों ने। विशेष योग्यजनों के लिये अलग से निदेशालय बनाया गया है। राजस्थान स्किल डवलपमैंट की घोषणा की गयी, जो गठन किया गया है, जिसके माध्यम से आपने कहा कि युवाओं को नौकरी देने के बड़े वायदे किये गये हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि एक साल में यह सम्भव नहीं होता है। हमने 2 लाख 70 हजार को कैसे प्रशिक्षण मिले, करीब 23 कम्पनियों से एम.ओ.यू. साइन हो चुके हैं, 600 जगह केन्द्र खुलेंगे और 6-7 हजार लोगों को अभी तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है, उनकी नौकरियां लग चुकी है।

इस प्रकार से इस काम को हम आगे बढ़ायेंगे। यह हमने बजट में वादा किया है। लोक सेवा निदेशालय की घोषणा की है, स्थापना की है जिसके माध्यम से लोक सेवा गारंटी एक्ट जो बना है और सुनने का अधिकार मिला है। राजसमंद का तो, ये हमारी बहिन बैठी हुई हैं, राजसमन्द से आने वाली विधायक का, जो प्रयोग वहां हुआ उसकी सभी जगह तारीफ हुई कि किस प्रकार से सुनवाई के अधिकार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास हुआ। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से हमने 180 पोस्ट दी हैं वहां पर विभाग को। पूरे प्रदेश के अन्दर इस काम को आगे और बढ़ाया जाएगा।

होम्योपैथ और यूनानी के अन्दर दो नये डायरेक्ट्रेट बनाये गये हैं। आपने कहा कि महंगाई के लिए कुछ नहीं किया गया, गरीब आदमी पिस रहा है, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने सारे वैट समाप्त कर दिए। गेहूं, चावल, दाल, गेहूं का आटा, फोर्टिफाइड आटा, मैदा, सूजी कर मुक्त कर दिये। साबुन,

(श्री अशोक गहलोत)

जीरा, सौंफ, हल्दी, सूखी मिर्ची, धनिया, मेथी, अजवाइन वैट मुक्त कर दिया। यह किसके लिए किया? व्यापारियों के लिए किया, यह आम जनता के लिए किया हम लोगों ने, आप समझ सकते हैं। अगर हमने चालीस लाख परिवारों को दो रुपये किलो की बजाय एक रुपया किलो गेहूं देने का निश्चय किया है तो क्या गलत काम किया? पांच रुपये किलो फोर्टिफाइड आटा, दस रुपये किलो चीनी हम लोग देंगे। इसमें गलत क्या हुआ? मेरी समझ के परे है। जो स्कीम्स ऐसी हैं जो इमिजिएट लागू हो सकती हैं। इसमें आशंका किस बात की है? आशंका के बारे में आप मुझसे और मेरे मंत्रीमण्डल के साथियों से बात कर सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि हम आप लोगों को कन्वींस करके चलें।

53 लाख काश्तकारों को आजादी के बाद पहली बार इनपुट सब्सिडी, जब 2009-10 में भयंकर अकाल पड़ गया था पूरे देश के अन्दर तब 857 करोड़ रुपया स्माल मार्जिन फारमर्स को पहली बार बांटे गये। इनपुट सब्सिडी, जो बीज खराब हो गया, खाद खराब हो गया, उसका पैसा लग गया बुवाई के अन्दर। क्या गलत काम कर दिया? आजादी के बाद पहली बार यह हुआ। 600 करोड़ रुपये अभी हमने पन्द्रह दिन पहले ही मंजूर किए हैं। इनपुट सब्सिडी के रूप में 25 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। उस वक्त 53 लाख किसानों को फायदा मिला। पाला और शीतलहर का फैसला हम लोगों ने पहली बार करवाया। उसका भी मुआवजा मिलेगा।

इस प्रकार के फैसले किये गये हैं। दो हजार वैट कर की चैक पोस्ट समाप्त की गई। इमारती पत्थर, रेत, बजरी, ईंट पर बिक्री कर समाप्त करने की दो हजार चैक पोस्ट को हटाना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था। उसके अन्दर कितने लोगों को तकलीफ होती थी। चैक पोस्ट्स पर आप जानते हो कि कितना करप्शन होता था, उसको समाप्त करने का काम किया।

जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाने पर दस रुपये स्टाम्प की फीस लगती थी। दस रुपये का स्टाम्प मिलता नहीं था। पचास रुपये, चालीस रुपये पता नहीं कितने रुपये का मिलता था, मुद्रांक शुल्क समाप्त कर दिया गया। क्या गलत काम कर दिया हम लोगों ने?

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा आपको कि जब हमारी ट्रस्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, हर साल होती है, उसमें ज्यादा सुझाव आये ही नहीं क्योंकि अधिकांश मांगें हम लोग पूरी कर चुके हैं। इस प्रकार से गुड

(श्री अशोक गहलोत)

गवर्नेंस देने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से शानदार फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ। जिसके लिए प्रधान मंत्रीजी को और आरबीआई को कहना पडा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत शानदार है, डिसिप्लीन के अन्दर है।

ड्रिप इर्रिगेशन में आज पूरे देश के अन्दर हम प्रथम हैं। इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए थी। नकद रूप में हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं ड्रिप इर्रिगेशन में। 11.5 लाख हैक्टेयर में सक्षम सिंचाई के साथ राजस्थान आज देश में प्रथम है। फर्टिगेशन आधारित ड्रिप खाद को मिलाकर ड्रिप इर्रिगेशन करने के लिए हमने 15 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है। फल, सब्जी की विक्रय मण्डी के अन्दर पहले कम्पनी की व्यवस्था थी, उसको हमने समाप्त किया इस बार। इसको आपको वैलकम करना चाहिए।

सोलर पावर हेतु दस हजार नये पम्प लगाये जाएंगे, बड़ा कामयाब रहा। 1644 तो लग चुके हैं पम्प सोलर आधारित। इस बार हमने दस हजार पम्प लगाने की घोषणा की है। एग्रो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश की 25 करोड़ की सीमा हटा दी गई है। इससे सबको लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को समझ सकते हैं।

मुख्य मंत्री ब्याज मुक्त फसलीकरण योजना दस हजार करोड़ का ऋण जो आपके वक्त में ढाई हजार करोड़ का मिलता था, हमने उसको बढ़ाकर पिछली बार दस हजार करोड़ रुपये किया था, करीब 25 लाख किसानों को फायदा हुआ। अब हमने घोषणा की है कि पन्द्रह हजार करोड़ का ऋण मिलेगा और एक लाख रुपये की बजाय डेढ़ लाख रुपये, ऋण लेने वाले का भी पूरा ब्याज माफ होगा समय पर चुकाने पर। क्या गलत घोषण कर दी? वह तो सौ रुपये बढ़ाकर डेढ़ सौ कर दिया। पिछली बार 20 लाख मीट्रिक टन अनाज का प्रोक्योरमेंट किया गया और साढ़े चार सौ करोड़ रुपये रखे गये। पिछली बार 200 करोड़ रुपये रखे गये थे। नेता, प्रतिपक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस रूप में राजस्थान का रिकार्ड बना है, अकाल पड़ते रहते थे, रेगिस्तानी इलाके थे और आज भी हैं, इसके बावजूद भी पहली बार अगर राष्ट्रीय स्तर पर दलहन में, तिलहन में एक साल राष्ट्रपति महोदय ने, और दूसरे साल प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्री और कृषि मंत्रीजी को दो बार बुलाकर सम्मानित किया गया। मैंने उस दिन भी कहा कि राजस्थान के किसानों को श्रेय जाता है, जो कि कृषि के कारण हमें पुरस्कार मिला है एक करोड़ रुपये और 25 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। जिस प्रकार से आपने कहा कि उत्पादकता के अन्दर कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कहते हुए यह दु:ख है कि

(श्री अशोक गहलोत)

राजस्थान के अन्दर खाली उत्पादन ही नहीं बढ़ा है, उत्पादकता भी बढ़ी है, इस बात को जानकर आपको भी खुशी होनी चाहिये।

नर्मदा क्षेत्र में स्प्रिंकलर को कम्प्लसरी किया गया, उसका बड़ा इम्पेक्ट है वहां पर। देवास द्वितीय चरण की योजना, आपका जो प्यारा प्रोजेक्ट है, आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। आप खुद दु:खी थे मन ही मन के अन्दर, खाली वह प्रोविजन कुछ 20-30 करोड़ रुपये का कर दिया गया था। हमारे वक्त में एक फेज तो पूरा हुआ ही है। दूसरे फेज के लिये मैं वहां पर जाकर आया हूं अभी। जाकर वहां पर मैंने देखा है और कहा है कि उसका सर्वे का काम जल्दी शुरू करो। उसके अन्दर आपका कोई सुझाव होगा तो मैं इस फ्लोर पर आपको विश्वास दिलाता हूं उस सुझाव को माना जायेगा। हम चाहेंगे देवास का तीसरा-चौथा जो फेज है, उसका मोहनलाल सुखाड़िया के नाम से नामांकरण किया है। उसमें आप जैसे हमें गाइड करोगे, सरकार आगे बढ़ेगी। यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

जैसलमेर के अन्तिम छोर तक आई जी एन पी का पानी पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कहां तो जैसलमेर के धोरों में इंदिरा गांधी कैनाल का पानी अन्तिम छोर तक पहुंच गया है हमारे वक्त में सरकार आते ही, और कहां आपके वक्त में रावला-घड़साना में इसको लेकर गोलियां चलीं। किसान लोग रोते रहे और पानी वहां तक भी नहीं पहुंचा। हमने जैसलमेर तक पहुंचा दिया। इसकी तो आप तारीफ करोगे।

1,274 करोड़ रुपये की लागत से चम्बल सिंचाई तंत्र को मजबूत करने का काम अभूतपूर्व पहल है हमारी। माही परियोजना के भूगड़ा नहर से खमेरा नहर, सात हजार हैक्टेयर से करीब 100 करोड़ की लागत की स्वीकृति मिली है। जायका के माध्यम से लघु सिंचाई सुधार परियोजना को चार वर्षों में गति प्रदान कर लगभग 225 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

इस प्रकार से प्रयास जो किये गये हैं उसमें आपका सोच हो सकता है कि पानी नहीं पहुंचेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। परन्तु मैंने जो बजट में घोषणा की है, मैं समझता हूं कि विभाग द्वारा पहले सर्वे किया गया है। हमें विश्वास करना चाहिये कोई कमी-बेशी होगी तो उसको हम दूर कर लेंगे। चाहे इंदिरा गांधी कैनाल के मरम्मत की बात हो, नई जल नीति, 2010 लागू करने की बात हो। बनास नदी का पानी व्यर्थ बहकर जा रहा था, ईसरदा बांध बनाकर उसको बांधने की बात हो। यह कुछ प्रस्ताव हमने रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री अशोक गहलोत)

आपको कहना चाहूंगा और सदन को विश्वास दिलाऊंगा कि जो प्रस्ताव रखे गये हैं, सरकार उनको बहुत गम्भीरता से लेगी और उनको पूरा करने का प्रयास करेगी, यह मैं कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पशुओं के लिये जैसा कि मैंने आपको कहा, पशुधन भी हमारी आजीविका का साधन है और उसी रूप में हमने प्रायोरिटी दी है और पशुओं के लिये दवाइयां फ्री की गयी हैं और मोबाइल यूनिट्स लागू की जा रही हैं। दूध उत्पादकों को 2 रुपये लीटर का अनुदान दिया गया है, जिसका बहुत वैलकम हुआ। इसको तो मैं समझता हूं कि आपको एप्रीशिएट करना चाहिये था। आपके वक्त में खाली 2,300 करोड़ रुपये का दूध का उत्पादन होता था, जो आज 5,000 करोड़ रुपये का दूध का उत्पादन होने लग गया है राजस्थान में। यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

नेता प्रतिपक्ष महोदय, पिछली बार भी आपने कहा था कि राजस्थान में सर्वे के अनुसार औद्योगिकीकरण में कमी आई है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि वास्तविकता कुछ और है। उद्योग जगत की धुरी में जो एम.एस.एम.ई. है, माइक्रो स्माल मीडियम एण्टरप्राइजेज, पांच वर्षों के अन्दर राजस्थान में करीब 5 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव हुए हैं। और दो लाख 66 हजार लोगों को रोजगार मिला है। यह तो मिला है आपके वक्त में। आपके वक्त में, पांच साल में पांच हजार करोड़ के निवेश के साथ में दो लाख 66 हजार लोगों को मिला था। आपके वक्त में पांच साल में, हमारे चार साल के अन्दर आठ हजार 600 करोड़ का निवेश और तीन लाख 76 हजार लोगों को रोजगार मिला है।

सी.आई.ए. ने जो रिपोर्ट दी है 2009 से लेकर 2012 तक की उसमें राज्य को 77 हजार 200 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव राजस्थान को प्राप्त हुए हैं। भारतीय वाणिज्यिक मंत्रालय इण्डस्ट्रियल पालिसी एण्ड प्रमोशन विभाग के आंकड़े आधारित हैं सी.आई.ए. की रिपोर्ट। अब आप बता दीजिए कि आपके वक्त में आपने कैसे कह दिया कि सर्वे के आंकड़े के अन्दर कमी आ गयी है?

आपने राजस्थान रिसर्जेंट का आयोजन तो किया था वाइब्रेंट गुजरात की तरह 1 लाख 22 हजार करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट की बातें करी थीं, मैंने पिछली बार भी कहा, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूंगा, सारे फ्लाप हुए, कोई रिसर्जेंट राजस्थान कामयाब नहीं रहा और मामूली इन्वेस्टमेंट आकर रह गया बाकी सब लोग गायब हो गये थे। फिक्की और प्रचार सलाहकार बैंक्स एण्ड

(श्री अशोक गहलोत)

कम्पनी यू.एस.ए. की है, इसने देश के विभिन्न राज्यों द्वारा जिन बैस्ट प्रैक्टिसेज को चिह्नित कर अनुकरणीय माना है। यह अमेरिका की एजेंसी है बैंक्स एण्ड कम्पनी और फिक्की है, आप जानते हैं फिक्की के बारे में तो, बेस्ट प्रैक्टिसेज को चिह्नित कर अनुकरणीय माना है। उसमें राजस्थान में, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगल विंडो प्रणाली एवं आई.टी. के प्रयोग द्वारा वैट के अन्दर हमने जो सरलीकरण किया है उसको उन्होंने प्रमुखता दी है, एप्रिशिएट किया है। यह मैं कहना चाहूंगा।

साथ ही राजस्थान के बिजली के प्रबन्धन को सराहनीय माना गया है राज्यों की तुलना में पावर डैफिसिट...

आप पूरी बात सुनिये, कोई बात नहीं ...(व्यवधान)

मैं बात करूं इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर पीक समय पर, पीक समय पर अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान पावर डैफिशिएंट न्यूनतम रहा। यह आंकड़े उनके हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं यह। यू.के. की फर्म जो हैविएट एसोसिएट है उसने टैलेंट सोर्सिंग एण्ड एम्प्लायमेंट कास्ट, स्किल के बारे में और प्रतिभाओं के बारे में राजस्थान के बारे में देश में अव्वल माना राजस्थान को। यह मैं आपको कहना चाहूंगा।

यह तो राजस्थान की प्रतिभाओं का सम्मान है, इसमें ताली बजाओ सब मिलकर के, इसमें कंजूसी क्यों कर रहे हो? राजस्थान की प्रतिभाओं की, पूरे प्रदेश की प्रतिभाओं की, उनके कौशल की तारीफ की गयी है उसी कम्पनी द्वारा, हैविएट एसोसिएट द्वारा, उसके लिए तो कम से कम सदन को एक मत से ताली बजाकर खुशी जाहिर करो, उत्साह बढ़ाओ। (व्यवधान)

रिफाइनरी की दूर की सोच साहस और विश्वास का परिचय दिया सरकार ने, आपकी सरकार ने तो जवाब ही नहीं दिया था ओ.एन.जी.सी. को। हम लोगों ने जो प्रयास किये उसके कारण से आज रिफाइनरी का सपना साकार होने जा रहा है, इसमें तो सदन एकमत होना चाहिए, इसमें भी आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए हम लोगों को। और रिफाइनरी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, 9 मिलियन, पहले तो साढ़े चार मिलियन क्षमता की रिफाइनरी की बात हो रही थी अब यह लगेगी 9 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता की। नम्बर वन। जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, कहां साढ़े चार मिलियन टन और कहां 9 मिलियन टन। नम्बर वन। नम्बर दो, 37 हजार 229 करोड़ की लागत की होगी और

(श्री अशोक गहलोत)

इक्विटी 15 से 26 परसेंट के बीच में राजस्थान सरकार की होगी। जमीन की जो कीमत होगी उसमें 200 करोड़ रुपये तक का इक्विटी में परिवर्तन होगा, हमारी जमीन की इक्विटी और मैं समझता हूं कि चार वर्ष में योजना, से मिलने वाले लाभ जो हैं, वह तो आने वाला वक्त बतायेगा पर कम से कम सवा लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में। अध्यक्ष महोदय, सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें रिफाइनरी के साथ पैट्रो कैमिकल का उद्योग लगाने का विनिश्चय कर दिया गया है, इसीलिए इसकी कास्ट भी बढ़ी। इसलिए पाइप्स, आटो ग्रीस, इण्डोर टायर्स, गैस किट, आटोमोबाइल, आटोमोटिव पार्टस, यह सब तमाम तरह की बाटल्स, बकेट्स, फिल्म्स, इन्सुलिन, इस तरह से रिफाइनरी के साथ में पैट्रो कैमिकल इण्डस्ट्री भी साथ लगेगी, यह मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत बड़ा प्रोजैक्ट यह हमारे लिए आधारभूत संरचना के लिए बहुत बड़ा काम साबित होगा।

राजस्थान में सड़कों का काम मैं आपको बता चुका हूं बजट के अन्दर, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो-जो आधारभूत संरचना है, रतलाम-डूंगरपुर रेलवे लाइन का सर्वे ही नहीं हुआ बल्कि अब टैण्डर होने लग गये हैं। इण्डस्ट्रियल कारीडोर का काम आगे बढ़ रहा है। आर.ओ.बी. का मैंने आपको बता दिया। सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के टैण्डर वापस आमंत्रित किये गये हैं, रेट कम आयी है पिछली बार से करीब हजार करोड़ रुपये, यह तमाम है। पानी की बड़ी योजनाएं जो चम्बल की, भीलवाड़ा की है 728 करोड़ की, नागौर लिफ्ट की 2938 करोड़ की।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आपको कुछ इस मौके पर कहने के लिए तो इतना था मुद्दा, आपने ऐसे-ऐसे पाइंट कहे हैं कि उसका मैं अभी जवाब देता रहूंगा। इसके बजाय यह है कि कृपा करके आपकी जो भावना है उसकी तो मैं कद्र करता हूं कि गरीब का या किसान का कैसे भला हो, तो कृपा करके आप विश्वास रखें कि जो प्रस्ताव रखे गये हैं उसको सरकार पूरा करेगी और उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आयेगी।

अब गरीब को साड़ी देने की बात पर आ गये आप लोग, तो कच्चे मकान, झौंपड़ी की चिंता आपने कर ली, नरेगा की मजदूरी की बात कर ली आपने, नरेगा के आपने आंकड़े दे दिये। (व्यवधान)

नरेगा के बारे में आपने जो कहा, अध्यक्ष महोदय, नरेगा के बारे में जो कहा गया है नेता प्रतिपक्ष महोदय द्वारा, यह बात मैं पहले कह चुका हूं,

(श्री अशोक गहलोत)

पिछली बार भी जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में घनश्याम तिवाड़ी जी ने यहां पर अपनी बात उठायी थी तब भी यह सवाल आया था कि नरेगा के अन्दर संख्या कम हुई है, तो उस पर मैं जवाब दे चुका था। यह कोई राजस्थान में हुई, ऐसा नहीं है राजस्थान में हुई हो, पूरे देश के हर राज्य में संख्या कम होती जा रही है चाहे वो किसी पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार हो। उसका कारण भी हो सकता है, जिस रूप में नरेगा योजना एक शानदार मिसेज सोनिया गांधी ने, जो चेयर पर्सन हैं यू.पी.ए. की और एन.ए.सी. के माध्यम से जो लागू करवायी डा. मनमोहन सिंहजी से और जिस रूप में यह पापुलर हुई थी और उस वक्त आपकी सरकार थी यहां पर, आपने बड़े जोश-खरोश में अपने आंकड़े बताये कि कैसे आपने अपने बजट को, प्लान मन्जूर करवाया, कैसे आपने पूरे किये, कृपा करके इस बात को जहन में रखें। उस वक्त में यू.पी.ए. गवर्नमेंट बन चुकी थी, आपका सौभाग्य था कि यू.पी.ए. गवर्नमेंट दिल्ली में बन गयी, एन.डी.ए. गवर्नमेंट रहती तो आपकी दुर्गति होती। ऐसी इसलिए बनी कि उसके बाद में जो डिवोल्यूशन हुआ है दिल्ली का, वो फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमण्डेशन की थी, अनुमान लगाया आपको, उससे ज्यादा डिवोल्यूशन केन्द्र सरकार की जो मदद मिलती है राज्यों को, वो मिलने लग गयी थी, इस कारण से आप कम्फर्टेबल रहे हो वरना आपकी बहुत हालत खराब होने वाली थी। मैं अब कहना चाहूंगा आपको, नरेगा की योजना जब आयी थी तो 6 हजार करोड़ की बातें हम कर रहे हैं, खुशी होती हम लोगों को भी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में ढाई-ढाई लाख लोग लगते हैं, हमने सोच-समझकर 150 लोगों को लगाने की बात करी है। हम जानते हैं कि मजदूर कम आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि परिसम्पत्तियां डवलप हों, पैसा वैस्ट नहीं जाए। आज अगर मान लो बार्गेनिंग कास्ट बढ़ गयी मजदूर की, फैक्ट्री में मजदूर पहले मिलता था 80 रुपये, 100 रुपये के अन्दर, आज 200 रुपये में नहीं मिलता है। आज फार्म हाउसेज के अन्दर मजदूर नहीं मिलता है 250-300 रुपये के अन्दर भी, यह बात हमें मन्जूर करनी पड़ेगी। तो हमने यह कहा है, कोई मजदूर काम मांगेगा, जो भी कानून में लिखा हुआ है, अगर सरकार ने उसको मजदूरी नहीं दी मांगने पर, तो घर बैठे हुए उसको पैसा मिलेगा। यह कानून बना हुआ है। अभी पिछले दिनों जब हाउस के अन्दर भी बात चली थी, हाउस में नहीं चली थी, हमारे एक एन.जी.ओ. की मीटिंग में

(18.00 बजे)

किसी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, दस हजार मजदूर ऐसे हैं जिनको मांगने पर काम नहीं मिला। मैंने उस वक्त भी कहा था आप मुझे उनकी संख्या दे

(श्री अशोक गहलोत)

दीजिए, नाम दे दीजिए, जांच करवाऊंगा। मैं खुद उनको घर बैठे पैसे दिलवाऊंगा, यह मैं खुद जिम्मा लेता हूं। सवाल इस बात का है कि क्या कोई काम मांग रहा है और वहां पर उसको काम नहीं दे रही, सरकार का कोई मुलाजिम वहां पर बी डी ओ या एस डी ओ या कोई अधिकारी, बताइये आप। वह तो एक ऐसा मानवीय काम है अगर आप बतायेंगे तो मैं समझता हूं हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। अगर कोई काम मांगता ही नहीं, काम मिल रहा है और कहीं उसको ...(व्यवधान) काम मिल रहा है तो काम मिलने दो, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सरकार ...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरे बहरोड़ में ...(व्यवधान) पंचायत है। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपको मैं फिर कहना चाहूंगा, नरेगा योजना कानून के अन्तर्गत बनी है। कृपा करके इस योजना को कामयाब करने का मायने यह हुआ कि जो काम मांगता है उसको काम मिलना चाहिए। हमने कई योजनाएं बनाई हैं जिससे कि कैसे अधिक से अधिक अनुमत कार्य में शामिल हों। अगर अण्डरपास भी हैं रेलवे के, नरेगा के माध्यम से बनें। हमने कहा है कि मेटेरियल कम्पोनेंट का पैसा हम देंगे और हम चाहेंगे पक्के काम हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ घोषणाएं करना चाहूंगा क्योंकि जो सुझाव मेरे पास आए हैं उसके आधार पर सदन में गत दिनों सम्पन्न हुई चर्चा एवं विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वर्ष हेतु मैं निम्नानुसार अतिरिक्त घोषणाएं प्रस्तावित करता हूं।

अजमेर में रूपनगढ़ से जिला सीमा तक सड़क के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य करवाया जाएगा।

चौमूं, महला वाया रेनवाल जोबनेर सड़क पर आसलपुर रेलवे फाटक पर आर ओ बी का निर्माण किया जाएगा।

सावर, मेहरूकलां, कादेड़ा, कादोलाई सड़क का उच्चीकरण किया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

धीरेरा जगदेवाला सम्पर्क मार्ग तथा पीपेरा रेलवे स्टेशन पर अण्डर ब्रिज के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाएगा।

थाना मेवाड़ से गुजरात राज्य सीमा की सड़क को जोड़ने वाली चौड़ाई पैंतालीस करोड़ रुपये की लागत से बनाकर इस सड़क को दो लेन में क्रमोन्नत कराना प्रस्तावित है।

पंचायत सादी से हमीरगढ़ भीलवाड़ा बार्डर तक सड़क का डामरीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

जैतारण शहर की रिंग रोड के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाएगा। रिंग रोड के निर्माण पर लगभग पांच करोड़ रुपए की लागत आएगी।

राजकीय भवनों एवं सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र राजस्थान क्वालिटी कण्ट्रोल आथोरिटी की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूं।

बजट में मैंने जोधपुर में रूफ टाप पावर जनरेशन स्कीम लागू करना प्रस्तावित किया था। अब मैं जोधपुर के अतिरिक्त जयपुर एवं अजमेर शहरों में भी रूफ टाप पावर जनरेशन स्कीम लागू करने की घोषणा करता हूं।

कोटड़ी नदी पर पन्द्रह करोड़ रुपए की लागत से बांध का निर्माण कर सीकर जिले के खण्डेला शहर तथा उसके आसपास के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

बजट में नर्मदा नहर से गुढ़ामालानी एवं शिव तहसील के 345 समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी थी। इस परियोजना में तहसील रामसर के गांव भी सम्मिलित होंगे।

टोंक जिले की टोडारायसिंह पंचायत समिति के गांव ढिबरू में बांध की दो करोड़ पचास लाख रुपये की लागत से ऊंचाई बढ़ाई जाएगी जिसके परिणामस्वरूप 120 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित होगी।

जाखम परियोजना के नहरों की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु पचास करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।

जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति रावतभाटा में स्थित मण्डेसरा बांध का नब्बे लाख रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

गोरधा बिसुन्दरी, लसाड़िया एवं पारा बांधों का बारह करोड़ पचास लाख रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा।

माही नदी पर हनुमान मंदिर के पास चिबुड़ा पंचायत समिति सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में पच्चीस करोड़ रुपए की लागत से एनीकट का निर्माण करवाया जाएगा।

मोरन नदी पर खिरेश्वर महादेव मंदिर के पास खडगदा एवं लोनेश्वर महादेव मंदिर के पास पंचायत समिति सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में सात करोड़ पचास लाख रुपए की लागत से एनीकटों का निर्माण करवाया जाएगा।

डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर तहसील में लोडवाल, पादरडी, मौताली एवं धरतीमाता तलैया में चार एनीकटों का निर्माण चार करोड़ सत्तर लाख रुपये की लागत से करवाना प्रस्तावित है।

जिला डूंगरपुर के सोमकमला अम्बा बांध की रायकी लिफ्ट परियोजना से दो हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में बत्तीस करोड़ रुपये की लागत से स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

जाखम नदी पर गोल, खुदरडा एवं कानोडिया एनीकटों का सत्ताइस करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जाएगा।

बारां जिले की महत्वाकांक्षी परवन वृहद सिंचाई एवं पेयजल योजना की क्रियान्विति हेतु लगभग सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। इस परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने का प्रयास किया जाएगा।

वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा के अनुसरण में स्थापित किये जा रहे तीन हजार उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाएगा, जिसकी लागत लगभग बावन करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त प्रतापनगर जोधपुर में स्थित डिस्पेंसरी को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है।

अब ताली बजाओ वरना टिकट कट जाएगा।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ...(व्यवधान) उनको परमानेंट कर दो, वो बाहर ...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): जोधपुर सूरसागर से आने वाली विधायक महोदय को कहना चाहूंगा ...(व्यवधान) अगर ताली बजा दी तो टिकट कट जाएगा आपका।

(श्री अशोक गहलोत)

जोधपुर में मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों के चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के आवास निर्माण हेतु दस करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कक्षाओं, कम्प्यूटर सेंटर व पुस्तकालय तथा छात्रावासों के निर्माण हेतु आगामी वर्ष आठ करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

बजट में घोषित शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत देय राशियों को एक हजार रुपये से बढ़ाकर 2 हजार 100 रुपए तथा दो हजार रुपये से बढ़ाकर 3 हजार 100 रुपये किया जाएगा। यह राशि जननी शिशु सुरक्षा योजना के अन्तर्गत देय राशि के अतिरिक्त होगी।

आर्थिक रूप से पिछले ई बी सी लोगों के लिए 200 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज लागू करने की मैं घोषणा करता हूं। इस पर तो आप भी साथ दो, आपके वक्त में कानून बनाया है असेम्बली के अन्दर ई बी सी और एस बी सी के लिए, एस बी सी का लागू करने का हम प्रयास कर रहे हैं, आपको मालूम है सबजूडिस है पर ई बी सी के लिए जब कानून आगे बढ़ नहीं पा रहा है, कानून की दृष्टि से आपको मालूम है तो हमने उनके लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए का अलग से पैकेज घोषित करने की मैं घोषणा करता हूं। इस पैकेज के अन्तर्गत उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम हाथ में लिए जायेंगे।

राज्य में भरतपुर सम्भाग के अलावा सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर बालिका गृह संचालित है। अत: मैं भरतपुर सम्भागीय मुख्यालय पर भी एक करोड़ रुपए की राशि से वर्ष 2013-14 में बालिका गृह की स्थापना किए जाने की घोषणा करता हूं।

ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ बनाने के साथ-साथ स्वच्छकारों की दशा में सुधार करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के सहयोग से घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु सौ करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त एक हजार गांवों में पचास करोड़ रुपये की लागत से नालियों का निर्माण, हैण्डपम्पों पर पशुओं हेतु खेलियों एवं सोख्ता गड्ढों (सोक-पिट) का निर्माण किया जाएगा।

बजट में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत परिसम्पत्ति निर्माण निधि के अन्तर्गत पारम्परिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार के कार्य कराना प्रस्तावित किया

(श्री अशोक गहलोत)

गया था। अब इस निधि का उपयोग नरेगा योजना के अन्तर्गत आर यू बी एवं अन्य अनुमत कार्यों हेतु भी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए करना प्रस्तावित है।

बांसवाड़ा में आनन्दपुरी, भरतपुर में डीग एवं अलवर में रामगढ़ के पंचायत समिति भवनों का एक करोड़ पचास लाख रुपये की लागत से पुनरुद्धार करवाया जाएगा।

अजमरे जिले में केकड़ी में सहायक निदेशक, कृषि विस्तार कार्यालय खोला जाएगा।

राज्य में संचालित कृषि विभाग की विभिन्न प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 171 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषि उपज मण्डी समितियों के विभिन्न श्रेणी के 650 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

वर्ष 2012-13 के बजट में कृषि क्षेत्र में कृषकों द्वारा लगाई जाने वाली प्रसंस्करण इकाइयों के प्रोत्साहन हेतु सहायता देने की योजना लागू की गई थी। इससे पूर्व लागू योजना वर्ष 2010-11 में ही समाप्त हो गई थी। अब यह प्रस्तावित है कि वर्ष 2011-12 की अवधि में स्थापित पात्र प्रसंस्करण इकाइयों को भी पूर्व में लागू योजना के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

आगामी वर्ष राज्य में 500 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन प्रस्तावित है। इन सहकारी समितियों को कार्यालयों एवं गोदामों के निर्माण हेतु दस-दस लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही टी एस पी क्षेत्र में स्थापित होने वाली लैम्प्स समितियों को सीड कैपिटल हेतु भी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

गौशाला से जुड़ी हुई विभिन्न संस्थाओं ने मुझसे मिलकर, अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में गौ सेवा की रक्षा के सम्बन्ध में अपनी भावनाओं से अवगत कराया है, आपने भी अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कहा था। विभिन्न संगठनों के ज्ञापन भी हमें प्राप्त हुए हैं। गौ रक्षा के लिये पृथक से योजना संचालित करना आवश्यक प्रतीत होता है जिसके अन्तर्गत चारा उत्पादन को बढ़ावा देना एवं चरागाहों का विकास शामिल है...(व्यवधान) ठीक है ? अत: इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रदेश में गौ सेवा निदेशालय स्थापित करना प्रस्तावित करता हूं। इस निदेशालय के माध्यम से गौ रक्षा एवं गौ वंश के संवर्धन के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 25 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

भीलवाड़ा सहकारी डेयरी में 20 करोड़ रुपये की लागत से दूध के पाउडर का प्लाण्ट स्थापित किया जायेगा।

प्रदेश में वन एवं वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर में सेंटर आफ एक्सीलेंस फार फारेस्ट एण्ड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट स्थापित किया जायेगा। तथा इसका एक उप केन्द्र रणथम्भौर में भी खोला जायेगा।

साइबेरियन क्रेन जो कि विश्व की दुर्लभ प्रजातियों में से एक है, के संरक्षण हेतु केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सेमी–केप्टिव एक्जीबिट सेंटर बनाया जायेगा।

वन विभाग के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से संवेदनशील रेंजों हेतु 144 वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा रेंजर्स के 90 पद सहायक वन रक्षकों में एवं 33 सहायक वन रक्षकों के पदों को उप वन संरक्षक में क्रमोन्नत किये जायेंगे।

जोधपुर नगर निगम को शहरी यातायात सुगम बनाने हेतु 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जायेगी।

प्रदेश में डूबने जैसी घटनाओं के समय बचाव करने की दृष्टि से सभी सम्भागीय मुख्यालयों में 10-10 गोताखोर नियोजित किये जायेंगे। इसके साथ ही आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था भी की जायेगी। इस हेतु आगामी वर्ष 7 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

जैसलमेर के सोनार किले में सीवरेज एवं टेलीफोन तथा बिजली के तारों की डक्टिंग, इत्यादि कार्यों हेतु 2 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

मकराना नगर परिषद् तथा शाहपुरा (भीलवाड़ा) एवं पीपाड़ नगर पालिकाओं के भवनों के निर्माण हेतु 1-1 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त स्वायत्त शासन भवन के विस्तार हेतु 2 करोड़ रुपये एवं डीडवाना कस्बे में ड्रेनेज के कार्य हेतु 1 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

गत दिनों शहरों में सफाई व्यवस्था हेतु जे एन एन यू आर एम कार्यक्रम के अन्तर्गत लगायी गयी शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए यूजर चार्जेज वसूल करना प्रारम्भ किया गया था। अब मैं इसके अभी समाप्त करने की घोषणा करता हूं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): कालीचरणजी, धन्यवाद तो दे दो। कालीचरणजी, क्या हुआ?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अलवर में किशनगढ़ बास, दौसा में महुआ, बून्दी में हिण्डौली, कोटा में इटावा में पंचायतों के स्थान पर नयी नगर पालिकाएं स्थापित की जायेंगी। दौसा जिले के सिकन्दरा में शिल्प पार्क बनाया जायेगा...(व्यवधान) बैठो भाई।

गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवकों को वर्तमान देय 220 रुपये प्रति दिवस ड्यूटी भत्ते को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति दिवस करने की मैं घोषणा करता हूं।

वर्तमान सेवा नियमों के अन्तर्गत पुलिस उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमाण्डर के पदों से पुलिस निरीक्षक एवं कम्पनी कमाण्डर के पदों पर पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से की जाती है। इस प्रक्रिया की व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए यह प्रस्तावित है कि भविष्य में ये पदोन्नतियां वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समितियों की अभिशंसा के आधार पर की जायेंगी।

सरदार बल्लभ भाई पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर के अधीन 'सामाजिक सुरक्षा एवं जेंडर अध्ययन केन्द्र' स्थापित किया जायेगा। इस केन्द्र के माध्यम से बालक-बालिकाओं की सामाजिक सुरक्षा एवं जेंडर संवेदनशीलता के विषयों पर शोध के साथ-साथ पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

आगामी वर्ष सम्भागीय मुख्यालय भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी।

बजट में की गयी घोषणा के अतिरिक्त निम्नानुसार पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा, नवीन थाने तथा चौकियां स्थापित की जायेंगी:-

चौकियों से थानों में क्रमोन्नयन- झुन्झुनूं में पचेरी, भीलवाड़ा में मंगरोप, जयपुर में पणियाला (कोटपूतली), उदयपुर में टीडी, जोधपुर ग्रामीण में चाखू एवं सवाई माधोपुर में बाटोदा।

नये थाने- जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में पर्यटक पुलिस थाने एवं बाड़मेर ग्रामीण पुलिस थाना, जयपुर में मैट्रो पुलिस स्टेशन, तूंगा एवं कोटखावदा तथा उदयपुर में बदलवाड़ा।

चौकियां- श्रीगंगानगर में भातिवाला एवं मोकमवाला, हनुमानगढ़ में बशीर गांव (टिब्बी), कोटा ग्रामीण में मोईकलां, जयपुर ग्रामीण में गोरधनपुरा

(श्री अशोक गहलोत)

(कोटपूतली), सरूंड (कोटपूतली) एवं चतरभुज, करौली में सलेमपुर, गंगापुर मोड़ एवं सिंघणपुर, अजमेर में पीपलाज, उदयपुर में कस्बास (आसीन) एवं जावद (सराड़ा), सवाई माधोपुर में अमरावरा एवं कस्बा लहसौड़ा (खण्डार), भीलवाड़ा में फुलियाकलां, स्टैण्ड गुलाबपुरा एवं बस स्टेण्ड आसीन्द तथा चित्तौड़गढ़ में मन्डेसरा, पुठोली एवं रावड़दा जोगणियां माता।

निम्नानुसार थानों को निरीक्षक स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा :-

आयुक्तालय जयपुर के जवाहर सर्किल, प्रतापनगर, मुहाना मण्डी, करधनी, करणी विहार, शिवदासपुरा, कानोता, कालवाड़, सेज, महिला थाना पूर्व एवं महिला थाना पश्चिम, बीकानेर में महाजन, लूणकरणसर एवं जयनारायण व्यास कालोनी, जोधपुर में बाप, झुन्झुनूं में बुहाणा, भीलवाड़ा में आसीन्द, चित्तौड़गढ़ में सदर थाना, अलवर में भिवाड़ी फेज तृतीय एवं एन बी ई। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी 38 महिला थानों को निरीक्षक स्तर पर क्रमोन्नत किया जायेगा।

आगामी वर्ष झुन्झुनूं में बुहाना, भीलवाड़ा में आसीन्द एवं चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा में नये वृत्त खोले जायेंगे। इसके साथ ही जालौर में भीनमाल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोला जायेगा।

केकड़ी में जिला परिवहन कार्यालय स्थापित किया जायेगा।

दौसा में रामगढ़ पचवारा, अजमेर में सावर, अलवर में गोविन्दगढ़ एवं बाड़मेर में समदड़ी तथा गीड़ा उप तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

निम्नानुसार नयी उप तहसीलें स्थापित की जायेंगी:-

झुन्झुनूं में सिंघाना, श्रीगंगानगर में समेजाकोठी, हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील, टोंक में दूनी, दत्तवास, सवाई माधोपुर में मित्रपुरा तथा भावरा, उदयपुर में झालरा, जैसलमेर में फलसूण्ड, दौसा में बहरावण्डा, अजमेर में अरड़का, भीलवाड़ा में बड़लियास, शम्भूगढ़, रायला, पण्डेर, बूंदी में कापरेन, बारां में सीसवाली, जयपुर में अमरसर, अलवर में हरसौली तथा टहला एवं नागौर में नीम्बी जोधा, भकरी।

देशी एवं विदेशी पर्यटकों, व्यवसायियों और आम नागरिकों को इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवायें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मैं यह घोषणा करता हूं कि जयपुर शहर में 50 स्थानों पर वाई-फाई हाट स्पाट विकसित किये जायेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

विभिन्न सरकारी सूचनाओं एवं सेवाओं की पहुंच आम नागरिकों तक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं मोबाइल टेलीफोनी का एकीकरण कर विभिन्न विभागों की कम से कम एक सेवा प्रदेशवासियों को मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध करवायी जायेगी।

मैंने वर्ष 2011-12 में राज्य में स्टील उद्योग की मांग पर एवं इनके अन्तरराज्यीय विक्रय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टेनलैस स्टील शीट्स तथा सर्किल्स पर लगने वाले कर दर को घटाकर 1 प्रतिशत किया था तथा वर्ष 2012-13 में स्टेनलैस स्टील शीट्स तथा सर्किल्स के विनिर्माण में उपयोग में आने वाले स्टेनलैस स्टील फ्लैट्स पर लगने वाले कर दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया था। अब इसी क्रम में, मैं राज्य में स्टेनलैस स्टील बर्तनों पर वैट की वर्तमान दर 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किये जाने की घोषणा के साथ-साथ इसके अन्तरराज्यीय कारोबार को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से स्टेनलैस स्टील बर्तनों पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत लगने वाले कर दर को भी 1 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं।

मान्यवर, 2011-12 के बजट में बिजली की बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एलईडी लैंप पर कर दर 14 परसेंट से घटाकर 5 परसेंट किया था। इसका दायरा बढ़ाते हुए अब एलईडी टार्च, एलईडी फोक्स लाइट, एलईडी इमरजेंसी लैंप तथा एलईडी लालटेन पर भी कर दर 14 परसेंट से घटाकर 5 परसेंट घटाने की घोषणा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राज्य में पुलिस कैन्टीनों में बिकने वाले सामान हेतु वैट में रियायत देने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे। कर में छूट सम्बन्धी घोषणाएं अधिसूचना जारी करने की तिथि से प्रभावी होंगी।

अध्यक्ष महोदय, अंत में एक बार पुन: तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ में मैं यह कहना चाहूंगा कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की थी आज हाउस में, पुलिस और वकील समुदाय के बीच में जो माहौल बना, अधिवक्ताओं की जो हड़ताल, 6 तारीख को बजट के दिन जिस प्रकार से उनका प्रोसेशन आ रहा था और उसमें जो घटनाएं हुई हैं। उसके बाद में जो डवलपमेंट हुए वह सभी सदस्यों को मालूम हैं, उनके डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूंगा।

(श्री अशोक गहलोत)

लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि यह पूरे सदन के लिए चिंता का विषय है। इस प्रकार की घटनाएं होनी नहीं चाहिए राजस्थान के अन्दर। कभी हमारे यहां इस तरह की परम्परा रही नहीं हैं। मैं समझता हूं कि जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन तो इन्तजार किया जाता है कि हमारे दिये हुए ज्ञापन पर क्या घोषणाएं होंगी और क्या घोषणाएं नहीं होंगी। उसके पहले या उसके बाद में प्रोसेशन निकलते हैं, धरने दिये जाते हैं। मैंने हमारे एडवोकेट एसोसिएशन के साथियों को भी कहा कि उस दिन प्रोसेशन निकालने का कोई कारण मुझे नजर नहीं आता है कि किस कारण से निकाला गया और क्यों निकाला गया। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटीं। यह भी आप सबके सामने है।

जिस प्रकार से हमारी अनुशासित फोर्स है उसके अन्दर भी नाराजगी दर्ज की गयी विभिन्न तरीकों से। मैं और मेरे तमाम सदन के साथी कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई पुनरावृत्ति हो और ऐसा कोई मन में भाव पैदा हो। डिसिप्लीन्ड फोर्स प्रदेश वासियों का इकबाल कायम रखती है कानून व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के। अगर उनमें इस प्रकार की भावना पैदा होती है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

हम सभी अपील करते हैं कि चाहे वह अधिवक्ता एसोसिएशन के, बार कौंसिल के साथी हों, चाहे वह पुलिस विभाग के कोई भी साथी हों या कर्मचारी, अधिकारी हों। सब मिलकर के जो राजस्थान की महान परम्पराएं हैं उनका वह ख्याल रखें। हमारे यहां हमेशा प्रेम, मोहब्बत, भाईचारे की भावना रही है प्रदेश में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह छुटपुट घटनाएं तो हर प्रदेश में होती हैं लेकिन पूरा मुल्क जानता है कि आज राजस्थान में कानून-व्यवस्था की स्थिति सबसे बेहतर रहती है। वह हम कायम रखें। यह हम सबका प्रयास रहना चाहिए। उनसे वार्तालाप भी चल रही है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कोई हल निकलेगा जिससे कि यह पूरा डिफ्यूज हो। हम सब मिलकर वापिस अपने काम को आगे बढ़ायें। यही मैं आपको इस मौके पर कहना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 2013 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.23 बजे बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 2013 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

गैर खातेदारी भूमि पर बसी कालोनियों की नियमन दर

204. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक : प.5(3) न.वि. वि/3/99 दिनांक 4 अक्टूबर, 2002 के द्वारा गैर-खातेदारी भूमि में बसी कालोनियों के सम्बन्ध में नियमन दरें खातेदारी भूमि के समान ही लागू होंगी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश अभी लागू हैं? यदि हां, तो फिर नगरीय विकास एवं आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक : प. 3 (54) निविवि/3/2011 दिनांक 29 जनवरी, 2013 के द्वारा यह सुविधा किन कारणों से वापिस ले ली गई?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त आदेश द्वारा की गई खातेदारी कृषि भूमि को सरकारी भूमि मानकर नियमन दरें तय की गई हैं? क्या सरकार 2002 के आदेश को वापस लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि खातेदारी कृषि भूमि को सरकारी भूमि मानकर नियमन दरें तय की गई हैं। वर्तमान में विभागीय आदेश वर्ष 2002 को वापस लागू किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बस्सी के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु व्यय राशि

206. श्रीमती अंजू खन्गवाल (बस्सी) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिये गत तीन वर्षों में कितनी राशि के क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये और उनमें से कौन-कौन से कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में नई का नाथ महादेव हिन्दू धर्म के लोगों का आस्था स्थल है और प्रत्येक सोमवार एवं सावन के महीने में हजारों तीर्थ यात्री दर्शनों के लिये आते हैं? यदि हां, तो इस धार्मिक स्थान के विकास के लिये सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त धार्मिक स्थान पर पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार पानी की आपूर्ति के लिये व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में राज्य योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बस्सी स्थित माधोगढ़ को ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित किये जाने हेतु राशि रु. 50.00 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत कर सर्किल पर स्टोन दासा, रैलिंग फर्श, क्लेडिंग, स्टोन बैंच एवं किले के कच्चे रास्ते पर कोबल स्टोन का कार्य करवाये गये हैं, जिस पर राशि रु. 44.56 लाख व्यय हुए है।

(2) जी हां। नई नाथ महादेव मंदिर के विकास हेतु पर्यटन विभाग में वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) उक्त धार्मिक स्थल में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नईनाथ सेवा ट्रस्ट, बांसखोह तथा अन्य विभिन्न धार्मिक समाजों के स्तर पर श्रद्धालुओं हेतु ट्यूबवैल के माध्यम से पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को अनुदान/पारितोषिक के मानदण्ड

207. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के खिलाड़ियों को अनुदान और पारितोषिक दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो किस-किस प्रकार के एवं उसका आधार क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अनुदान और पारितोषिक सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सीधे ही दिये जाते हैं अथवा खेल परिषद, खेल संघों के माध्यम से?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव रखने वाले खिलाड़ियों को अनुदान नहीं देने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो इसका क्या आधार है और यह निर्णय किस स्तर पर हुआ है? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार खिलाड़ियों के आर.एस.एस. से जुड़ाव का प्रमाणीकरण किस आधार पर करेगी? इस हेतु प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 2012 के तहत प्रदेश के खिलाड़ियों को अनुदान और पारितोषिक दिये जाने का प्रावधान है। नियम की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 2012 के तहत राशि खिलाड़ियों को स्वीकृत की जाती है। जिसका भुगतान राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के माध्यम से किया जाता है।

(3) जी हां। राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 1986 के आधार पर सक्षम स्तर पर निर्णय लिया गया है।

(4) राजस्थान क्रीड़ा अनुदान नियमों में अनुदान दिये जाने से पूर्व राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा प्रस्तावों का प्रमाणीकरण किया जाता है, जिस पर प्रथक से कोई राशि व्यय नहीं की जाती है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

थानागाजी के स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पद

208. श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) थानागाजी के स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों व अन्य के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के रिक्त सभी पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कस्बा थानागाजी मुख्यालय पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी संचालित है। उक्त चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के कुल 38 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में 11 पद रिक्त हैं। चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) कनिष्ट विशेषज्ञों के पदौन्नती के पदों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है, पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिये राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से लिखित परीक्षा उपरान्त उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है। जिसकी वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाकर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त सूची में से यथासम्भव प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जायेंगे।

महिला स्वास्थ्य दर्शिका के पदौन्नती के पदों को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है, पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं फार्मासिस्ट के रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कर दिनांक 01.03.2013 से आनलाइन आवेदन चाहे गये हैं।

वार्ड बाय के रिक्त पद को भरने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

परिशिष्ट-अ

कस्बा थानागाजी मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी थानागाजी में चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, थानागाजी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	1	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग)	1	—	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	1	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	1	—	चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध कार्यरत
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (बीसीएमओ)	1	—	
	चिकित्सा अधिकारी	3	2	
	चिकित्सा अधिकारी (लीव रिजर्व)	1	1	
	नर्स श्रेणी-प्रथम	1	—	
	नर्स श्रेणी-द्वितीय	6	—	
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	
	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	
	फार्मासिस्ट	1	—	

1	2	3	4	5
	रेडियोग्राफर	1	—	
	लैब टैक्नीशियन	2	—	
	वरिष्ठ लिपिक	1	—	
	कनिष्ठ लिपिक	1	—	
	वाहन चालक	1	—	
	वार्ड बाय	2	1	
	सफाई कर्मचारी	2	—	
राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी थानागाजी	चिकित्सा अधिकारी	1	1	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	3	—	
	फार्मासिस्ट	1	1	
	वार्ड बाय	2	—	
	सफाई कर्मचारी	1	—	
	कुल योग	**38**	**11**	

पाली जिले के अग्निकांड पीड़ितों को सहायता

209. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में गत दो वर्षों में किस-किस आग दुर्घटना में किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि की सम्पत्ति का नुकसान पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से किस-किस पीड़ित को कितनी-कितनी सहायता राशि सरकार द्वारा दी गई है एवं किस-किस पीड़ित को किन-किन कारणों से सहायता राशि नहीं दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अग्नि दुर्घटना में हुये नुकसान के विरुद्ध बहुत ही कम सहायता राशि पीड़ित को दी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि बढाने का विचार रखती है? हां, तो कितनी व नहीं, तो किन-किन कारणों से?

उत्तर

(1) 145 आग दुर्घटनाओं में पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में राशि रुपये 61.43 लाख का नुकसान बताया गया। व्यक्तिवार सूची परिशिष्ट-"अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) 89 अग्निपीड़ितों को राशि रुपये 4.73 लाख की सहायता स्वीकृत की गयी। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। 56 प्रकरणों में एसडीआरएफ मापदण्डानुसार पात्र नहीं होने से सहायता राशि नहीं दी गई। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) सहायता राशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। अत: इसे बढ़ाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर हेतु चिन्हित भूमि

210. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो, कब व किस आदेश के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अलवर में उक्त विश्वविद्यालय के लिए जिला प्रशासन अलवर द्वारा कितनी भूमि कहां चिन्हित की गई है? भूमि की जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय जिला मुख्यालय पर राजऋषि महाविद्यालय अलवर की जगह खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जिला प्रशासन अलवर द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी हेतु सरकार को प्रेषित किया गया है? यदि हां, तो कब व प्रेषित प्रस्ताव की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा अलवर में उक्त विश्वविद्यालय बनाये जाने हेतु स्वीकृति दे दी गई है? यदि हां, तो कब व किस आदेश/परिपत्र के तहत? आदेश/परिपत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वार्षिक बजट 2012-13 के बजट में अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी।

(2) उक्त विश्वविद्यालय हेतु ग्राम डडीकर, तहसील अलवर में 48.18 हेक्टेयर भूमि आबंटित की गई है। भूमि की जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल परिशिष्ट 'अ' के रूप में संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त विश्वविद्यालय को भूमि आबंटित की जा चुकी है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। दिनांक 23.8.2012 को "मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अध्यादेश, 2012" प्रख्यापित कर दिनांक 24.8.2012 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा विधान सभा में विधेयक पारित होने के बाद दिनांक 14.8.2012 को महामहिम राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त कर दिनांक 17.10.2012 को "मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012" राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सरदारशहर नगरपालिका क्षेत्र में व्यावसायिक निर्माण

211. श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका सरदारशहर के क्षेत्राधिकार में वर्ष 2009 से 2012 की अवधि में कितने व्यावसायिक निर्माण हुए एवं उनमें से किन-किन की स्वीकृति नगरपालिका द्वारा जारी की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये हुए व्यावसायिक निर्माणों के लिए कौन अधिकारी दोषी है एवं सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किन-किन व्यावसायिक इमारतों में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है एवं सरकार द्वारा यातायात नियंत्रण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? इमारतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अग्निशमन की व्यवस्था किस-किस व्यावसायिक काम्पलेक्स में नहीं है एवं सरकार इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका, सरदारशहर के क्षेत्राधिकार में वर्ष 2009 से 2012 की अवधि में हुए कुल 123 व्यावसायिक निर्माण के प्रकरण नगरपालिका को प्राप्त हुए। उनमें से 61 प्रकरणों की स्वीकृति नगर पालिका द्वारा प्रदान की गई है। प्राप्त प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर एवं जारी की गई स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया।

(2) प्रकरण की जांच करवाई जायेगी। जांच पश्चात यदि कोई अधिकारी दोषी होगा, तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(3) प्रश्न के भाग संख्या एक के उत्तर में संलग्न सूची "अ" में उल्लेखित व्यावसायिक भवनों में से क्र.सं. 4, 14, 19, 24, 25, 30 एवं 50 से सम्बन्धित भवन लगभग 250 वर्गमीटर से 500 वर्गमीटर के मध्य भूखण्ड क्षेत्रफल में है तथा इनमें भवन निर्माता द्वारा पार्किग की सुविधा भवन विनियमों के अनुसार 75 वर्गमीटर एफएआर क्षेत्र/ईसीयू के नियम अनुसार स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। शेष भवन छोटे क्षेत्रफल की दुकानों के है जो कि व्यावसायिक काम्प्लेक्स के रूप में न होकर एक-एक दुकान के रूप में है जिनमें कि भवन विनियमों के अनुसार पार्किंग की आवश्यकता नहीं है। यातायात नियंत्रण के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा सम्बन्धित कार्यवाही की जाती है। जिन निर्माणों में पार्किंग का प्रावधान आवश्यक था और निर्माणकर्ता नें पार्किंग की व्यवस्था नही की है ऐसे प्रकरणों की जांच सम्बन्धित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

(4) भवन विनियमों के अनुसार बहुमंजिला भवन अर्थात 15 मीटर से ऊंचे भवन में अग्निशमन व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है, उक्त समस्त भवन 15 मीटर से कम ऊंचाई के होने के कारण नियमानुसार अग्निशमन सम्बन्धी सुविधा अनिवार्य नही है तथापि नगर पालिका द्वारा ऐसे व्यावसायिक भवनों का निरीक्षण पश्चात अग्निशमन बाबत विस्तृत कार्य योजना बनाकर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नदबई में पटवारियों के रिक्त पद

212. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) एवं तहसील

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा')
रूपवास एवं ब्लाक सेवर में पटवारियों की पदोन्नति की गई है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कितने पटवारियों को पदोन्नत किया गया है? पदोन्नति के उपरान्त इनके कितने पद रिक्त हुए हैं एवं रिक्त हुए पदों को सरकार द्वारा कब तक भर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के अन्तर्गत तहसील नदबई में 3, रूपवास में 2 एवं ब्लाक सेवर (भरतपुर) में 1 पटवारी को पदोन्नत किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में 6 पद पटवारियों के रिक्त हुए हैं।

वर्तमान में पटवारियों को पटवार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण उपरान्त आशार्थियों को रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जायेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित जिला कार्यक्रम प्रबन्ध इकाइयां

213. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कितने जिलों में जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई तथा कितनी पंचायत समितियों में पंचायत कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई का गठन किया गया? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा जिला व पंचायत स्तर पर किन-किन पदों पर कितनी नियुक्तियां की जा चुकीं और कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के सभी जिलों में 34 जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों का गठन किया गया। पंचायत स्तर पर प्रबन्धन इकाई गठित नहीं हैं, परन्तु खण्ड स्तर पर 249 ब्लाक प्रबन्धन इकाइयों का गठन किया गया है जिनका जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयां में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला लेखा प्रबन्धक, जिला आशा कार्डिनेटर, जिला पीसीपीएनडीटी कार्डिनेटर, जिला आईईसी कार्डिनेटर तथा जिला मानिटरिंग एवं मूल्यांकन अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। पंचायत स्तर पर प्रबन्धन इकाई गठित नहीं हैं, परन्तु खण्ड स्तर पर गठित ब्लाक प्रबन्धन इकाइयों पर ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक, ब्लाक लेखाकार, ब्लाक आशा फेसिलेटेटर, ब्लाक डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद सृजित हैं। जिला प्रबन्धन इकाईयों एवं ब्लाक प्रबन्धन इकाइयों पर स्वीकृत, नियुक्त, कार्यरत एवं रिक्त पदों की रिक्ति दिनांक सहित सूचना परिशिष्ट-ब (1 व 2) तथा स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु व्यय राशि

214. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 1996 में केन्द्र सरकार/ उच्चतम न्यायालय को एक शपथ पत्र दिया था, जिसमें उसने राजस्थान में बंधुआ श्रमिक नहीं होने की बात कही थी? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से हर तीन साल में बंधुआ श्रमिकों का सर्वे करने के लिए धनराशि मिलती है? यदि हां, तो विगत 10 वर्षों में राज्य को कितनी राशि केन्द्र से मिली व कितनी व्यय की? वर्षवार प्राप्त राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत 10 वर्षों में उक्त सर्वे कार्य किन-किन जिलों में आयोजित किया गया व कितने बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गई तथा कितने बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास किया गया? वर्षवार/जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीमान् मुख्य सचिव द्वारा 10.01.1997 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में प्रदेश की बंधक श्रम स्थिति के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त शपथ में टौंक में 1 व राजसमन्द में 1 बंधक श्रमिक चिन्हित माना गया था। (परिशिष्ट-अ)

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

(2) श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी मैन्युअल के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष में बंधक श्रमिकों के सर्वे हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2001-02 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के 9 जिलों क्रमशः अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा को प्रति जिले राशि रुपये 2.00 लाख की दर से राशि रुपये 18.00 लाख आबंटित की गयी थी जिसमें से राशि रुपये 16.83 लाख व्यय की गयी। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है। वर्ष 2001-02 के बाद किसी भी प्रकार की राशि सर्वे हेतु प्राप्त नहीं हुई है।

(3) गत 10 वर्षों में राज्य के 9 जिलों में बंधक श्रमिकों का स्पेशल सर्वे कराया गया जिसमें कोई बंधक श्रमिक नहीं पाया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीबीरानी (अलवर) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

215. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में बीबीरानी के राजकीय व निजी विद्यालय, महाविद्यालय व आस-पास के विद्यालयों व अन्य संस्थानों सहित 15,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत होने के बावजूद चिकित्सा सुविधा के नाम पर केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध हैं?

(2) क्या यह सही है कि बीबीरानी के आस-पास की 14-15 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण भी उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से ही चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं?

(3) क्या सरकार अध्ययनरत विद्यार्थियों व ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार बीबीरानी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्राम बीबीरानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है।

(2) बीबीरानी क्षेत्र के आस-पास की ग्राम पंचायतों के ग्रामीण उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीबीरानी पंचायत समिति कोटकासिम जिला अलवर के अन्तर्गत आती है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्ष 2011 की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति कोटकासिम में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता के विरुद्ध 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटकासिम एवं हरसौली स्वीकृत है। इसलिए उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

चम्बल नदी की दायीं व बायीं नहर की वितरिकाओं का जीर्णोद्धार कार्य

216. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल की दांई व बांई नहरें व वितरिकाओं के जीर्णोद्धार का कार्य प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों व उन पर खर्च होने वाली राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जीर्णोद्धार को कब तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है तथा वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है व उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बारां जिले की परवन वृहद सिंचाई एवं पेयजल योजना की स्वीकृति वन मंत्रालय व केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त होना शेष है? यदि हां, तो स्वीकृति प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले प्रयास तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किया गया पत्र व्यवहार, प्रजेंटेशन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चम्बल की दांई व बांई नहरें व वितरिकाओं के जीर्णोद्धार का कार्य प्रक्रियाधीन है। सिंचाई वृत, सीएडी, कोटा के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों व उन पर खर्च होने वाली राशि का विवरण परिशिष्ट "अ' पर संलग्न है।

जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार जल संसाधन संभाग, कोटा के अन्तर्गत चम्बल की दांयी मुख्य नहर की किमी. 15.20 से 15.61 एवं किमी. 32.00 से किमी. 35.35 तक जीर्णोद्धार का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसके अन्तर्गत मुख्य नहर की लाइनिंग एवं मिटटी

(सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री)

का कार्य करवाया जाना है। उन पर खर्च होने वाली राशि की अनुमानित लागत 15.23 करोड़ रुपये है।

(2) सिंचाई वृत, सीएडी, कोटा के अन्तर्गत चम्बल की बांई व दांई नहरों, वितरिकाओं व माइनरों के जीर्णोद्धार हेतु 6 वर्षो में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में प्रथम चरण में भाग-ए के 12 पैकेज कार्यो की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी हाने के उपरांत निविदाएं आमंत्रित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इन कार्यो पर अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

जल संसाधन विभाग द्वारा चम्बल की दांई नहर के जीर्णोद्धार के कार्य को माह अप्रैल, 2013 में प्रारम्भ कर अक्टूबर, 2014 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान मे उक्त कार्य की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। उक्त कार्य पर कोई राशि व्यय नहीं हुई है।

(3) जी हां। केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा माननीय जल संसाधन मंत्री भारत सरकार को अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 10.09.2012 एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से 1835 है. भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा माननीया राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती जयन्ति नटराजन को पत्र दिनांक 10.09.2012, 02.11.2012, 13.12.2012 से शीघ्र स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया है। प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, राज. द्वारा सचिव, वन मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र दिनाक 28.12.2012 द्वारा एवं सचिव, जल संसाधन मंत्रालय को दिनांक 25.10.2012, 08.01.2013 एवं दिनांक 19.02.2012 द्वारा शीघ्र स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया है। (प्रति संलग्न है)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दांतारामगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

217. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दातारामगढ़ उपखण्ड क्षेत्र के गरीब विद्यार्थियों को 50 से 55 किमी. सीकर या 80 किमी. दूर जयपुर सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययन हेतु जाना पड़ता है?

(श्री अमराराम)

(2) क्या सरकार दांतारामगढ़ उपखण्ड मुख्य़ालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। दांतारामगढ उपखण्ड क्षेत्र में सभी वर्ग के विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु 15 महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित हैं (संलग्न परिशिष्ट-1)।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के कारण वर्तमान में दांतारामगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट-1

दांतारामगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर निम्नलिखित महाविद्यालय गैर अनुदानित क्षेत्र में संचालित हैं :—

1. इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय दांतारामगढ़ सीकर सत्र 2004
2. श्री कृष्ण माधव महिला महाविद्यालय रानोली, दांतारामगढ़, सीकर सत्र 2004
3. बाबा श्याम ऋषि संस्कृति महिला महाविद्यालय प्रज्ञानगर, दांतारामगढ़, सीकर सत्र 2004
4. बन्धु बालिका महाविद्यालय, खाटू श्यामजी तह. दातारामगढ़, सीकर सत्र 2006
5. वीर तेजा महिला महाविद्यालय खूड तह., दांतारामगढ़, सीकर सत्र 2010
6. संस्कार बालिका महाविद्यालय दांता तह., दांतारामगढ़, सीकर सत्र 2011
7. महर्षि परशुराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दांतारामगढ़, सीकर सत्र 2002-03
8. सरदार पटेल महाविद्यालय लोसल दातारामगढ़, सीकर सत्र 2004
9. आर्यन महाविद्यालय, दांतारामगढ़, सीकर सत्र 2006
10. भरतराज महाविद्यालय, पलसाना, दांतारामगढ़, सीकर सत्र 2006
11. मोहरी देवी माधव महाविद्यालय पलसाना, दांतारामगढ़, सीकर सत्र 2006
12. श्री रघुनाथ महाविद्यालय, नावां रोड, दांतारामगढ़, सीकर सत्र 2007
13. आदर्श महाविद्यालय, घीगपुर पं. स. दांतारामगढ़, सीकर सत्र 2007
14. शेखावाटी ग्रामीण कालेज बाई पं. स. दांतारामगढ़, सीकर सत्र 2008
15. नवीन भारती महाविद्यालय, ग्राम पोस्ट खूड तह. दांतारामगढ़, सीकर सत्र 2011

रैनबसेरों/आश्रय स्थलों हेतु आबंटित एवं व्यय राशि

218. डा. [श्रीमती] परम नवदीप सिंह (संगरिया) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कितने स्थाई एवं अस्थाई रेनबसेरा आश्रय स्थल संचालित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रैनबसेरों/आश्रय स्थलों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है एवं क्या-क्या सुविधाएं किस-किस विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्थलों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या दिशा-निर्देश राज्य सरकार को जारी किये हैं एवं राज्य सरकार द्वारा इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) रैनबसेरों के संचालन के लिए सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में कितनी राशि का प्रावधान किया तथा कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश की नगरीय निकायों में संचालित स्थाई एवं अस्थाई रेनबसेरा का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नगरीय निकाय क्षेत्रों में आश्रयविहिन लोगो को सर्दी, गर्मी व बरसात के मौसम से बचाने हेतु स्थाई/अस्थाई आश्रय स्थलों रेनबसेरों में आधारभूत सुविधाएं यथा बिस्तर रजाई, गद्दे, कम्बल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, पुरुषों एवं महिलाओं को अलग-अलग शौचालय, स्नानाघर, तापने के लिए लकडी व कौयला, कमजोर वृद्ध एवं बीमार व्यक्तियों को जीवन रक्षक दवाइयां पेयजल नि:शुल्क उपलब्ध कराने तथा नगरीय निकायों द्वारा स्वयं के स्तर पर अथवा सामाजिक/परमार्थिक संस्थाओं के सहयोग से नि:शुल्क/रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया गया है।

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 196/2001 पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य प्रकरण में राज्य में बेसहारा एवं आश्रयविहिन व्यक्तियों को सामान्य मानदण्डों के अनुरूप आश्रय स्थल उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं। निर्देशों की पालना में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी

(स्वायत शासन मंत्री)

निर्देश/परिपत्रों के प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) रेनबसेरों के संचालन के लिए सरकार द्वारा विगत पांच वर्षो में कोई राशि का प्रावधान नहीं किया गया परन्तु वित्तीय वर्ष 2011-12 में 50 स्थायी आश्रय स्थल (रेन बसेरा) निर्माण हेतु 17 नगर निकायों की राशि रुपये 10.00 करोड एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 में 70 स्थायी आश्रय निर्माण हेतु 57 नगर निकायों को राशि 14.00 करोड़ आबंटित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों को रेन बसेरों (आश्रय स्थल) में वर्ष पर्यन्त रियायती दर पर/नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में राशि रुपये 844.61 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डीग-कुम्हेर में अवार-सोगर माइनर से जलापूर्ति

219. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर स्थित अवार-सोगर माइनर बनकर तैयार हो गई है? यदि हां, तो कब तैयार हुई और इसकी निर्माण लागत क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अवार-सोगर माइनर तैयार होने के बाद से अभी तक भी उसके द्वारा किसानों को पानी नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अवार-सोगर माइनर से किसानों को शीघ्र पानी सप्लाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। डीग कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र स्थित अवार-सोगर माइनर वर्ष 2012 में पूर्ण की जा चुकी है तथा इस परियोजना पर राशि रुपये 229.80 लाख व्यय किये गये हैं।

(2) जी नहीं।

(3) सरकार अवार-सोगर माइनर से किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

धोद का पंजीरी वितरण प्रकरण

220. श्री पेमाराम (धोद) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धोद में दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 2011 तक पोषाहार (पंजीरी) वितरण में निर्धारित दूरी से अधिक का भुगतान दिया गया है? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन दोषी है? क्या सरकार अधिक भुगतान की गई राशि वापस वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे एवं कब तक?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धोद में जिस वाहन (पिकअप) से पोषाहार वितरण दर्शाया गया है, उस वाहन में 40 क्विंटल से कम वज़न उठाने की क्षमता है? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में पोषाहार का क्या ठेकेदार को दोगुनी दर से भुगतान दिया जाना प्रतीत नहीं होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2011-12 से पूर्व इसी रूट चार्ट पर 625 किमी. से ज्यादा का भुगतान दिया गया है? यदि हां, तो 1 जनवरी, 2009 से 2011 तक वर्षवार कितना अधिक किमी. का भुगतान दिया व किस-किस केन्द्र पर कितनी मात्रा में पंजीरी भेजी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पंजीरी का धोद क्षेत्र में कुल कितना वज़न का वितरण हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में पोषाहार (पंजीरी) वितरण वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में बाल विकास परियोजना अधिकारी, धोद द्वारा प्रस्तुत रूट चार्टों के आधार पर हुआ है। रूट चार्ट 2009-10 के लिए 1413 किमी तथा 2010-11 के लिए 1582 किमी निर्धारित था। निर्धारित एवं अनुमोदित रूट चार्ट के अनुसार ही सम्बन्धित परिवहनकर्ता को भुगतान किया गया है।

(2) जी हां। आलोच्य वर्षों में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र धोद में जिस वाहन (पिकअप) से पोषाहार वितरण दर्शाया गया है उसकी भार क्षमता 40 क्विंटल से कम है विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 2(1)(171) पोषाहार परिवहन/लेखा/मबावि/2006 परिशिष्ट-अ के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित भार क्षमता से कम या अधिक मात्रा में पोषाहार का परिवहन करने पर आनुपातिक रूप से कम अथवा अधिक का भुगतान देय होगा। बिन्दु संख्या 7 के अनुसार शहरी परियोजनाओं में परिवहन व्यवस्था के

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

लिए जीप, ट्रोली वाहन क्षमता निर्धारित करते हुए पोषाहार परिवहन के लिए निविदाऐं आमंत्रित की जा सकती हैं। अत: पोषाहार परिवहन ठेकेदार को दोगुनी दर से भुगतान नहीं किया गया है।

(3) 2008-09 में 1413 किमी एवं 2009-10 में 1413 किमी तथा 2010-11 में 1582 किमी अनुमोदित रूट चार्ट के अनुसार भुगतान हुआ है। उक्त वर्षों में स्वीकृति एवं अनुमोदित रूट चार्ट के अनुसार ही पोषाहार परिवहन का भुगतान किया गया है। 2011-12 में 1019 किमी तत्पश्चात 625 किमी का रूट चार्ट अनुमोदित है। गत 5 वर्षों के अनुमोदित रूट चार्ट की दूरियों के सम्बन्ध में पाई गई भिन्नता/विरोधाभासों तथा परिवहन सम्बन्धी निविदाओं की जांच के लिए दिनांक 05-03-2013 इम्पावर समिति गठित की गई है। पंजीरी का केन्द्र एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जनवरी 2009 से 2011 तक वितरण हुई पंजीरी का विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर जिला मुख्यालय पर खेल स्टेडियम का निर्माण

221. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में धौलपुर जिला मुख्यालय पर खेल स्टेडियम नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार धौलपुर में खेल स्टेडियम प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या धौलपुर में स्पोर्टस स्टेडियम के लिये सागर पाडा में भूमि चिह्नित हो चुकी है? यदि हां, तो वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य कब तक प्रारम्भ करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलाये गये समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत धौलपुर में स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु रुपये 112.28 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति पत्र क्रमांक प.10(17)खेल/2005 दिनांक 02.02.2009 के द्वारा जारी की गई थी। समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 में वर्णित प्रावधानानुसार वांछित 10 प्रतिशत अंशदान राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री)

(2) जी हां। समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 के प्रावधानानुसार वांछित 10 प्रतिशत राशि प्राप्त होने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

सिरोही जिला मुख्यालय पर ट्रोमा सेंटर की स्थापना

222. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिला मुख्यालय पर ट्रोमा सेंटर भवन बनकर चिकित्सा विभाग को सुपुर्द किया गया है? यदि हां, तो कार्यकारी एजेंसी द्वारा विभाग को कब सुपुर्द किया गया? सुपुर्द किये जाने के पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ट्रोमा सेंटर भवन निर्माण कार्य पूरा होकर चिकित्सा विभाग को सुपुर्द होने के बाद से अब तक उसका जनता की किस सुविधाओं में उपयोग लिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सिरोही जिले में आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला मुख्यालय पर ट्रोमा सेंटर प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अधिशासी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जालोर के द्वारा ट्रोमा सेन्टर सिरोही के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिनांक 21.10.2010 को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सिरोही को हैण्डओवर किया गया। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उपकरण एवं मैनपावर के अभाव में ट्रोमा सेन्टर चालू नहीं किया जा सका है।

उपकरणों एवं मैनपावर हेतु दिनांक 25.04.2012 को भारत सरकार से राशि रुपये 1 करोड़ 55 लाख 38 हजार प्राप्त हुई है। उपकरण क्रय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। उपकरण क्रय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, मैनपावर की व्यवस्था कर उक्त ट्रोमा सेन्टर चालू कर दिया जावेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली जिले में शीतलहर/पाले से प्रभावित किसानों को मुआवजा

223. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली में वर्तमान में शीतलहर व पाले से किस-किस तहसील में सरसों, राईडा, गेहूं, जौ, चना, मेहंदी की फसलों का कितना-कितना नुकसान हुआ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया गया? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शीतलहर व पाले से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला पाली की तहसील पाली में केवल चने की फसल में 18 प्रतिशत खराबा हुआ है। अन्य तहसीलों में फसल खराबा शून्य है।

(2) रबी फसल 2013 की 1 फरवरी से 05 मार्च, 2013 तक गिरदावरी करवाई गई है जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

(3) 50 प्रतिशत से अधिक खराबे पर एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार पात्र कृषकों को सहायता देय है।

चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीगंगानगर में व्याप्त अनियमितताएं

224. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्रीगंगानगर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत फैशन डिजाइनिंग के तीन वर्षीय डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया था? यदि हां, तो उक्त पाठ्यक्रम में कितनी छात्राओं द्वारा आवेदन किया गया और कितना शुल्क जमा करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को तीसरे वर्ष में कालेज प्रशासन द्वारा यूजीसी से पाठ्यक्रम बन्द होने की

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

सूचना दी गई? यदि हां, तो दो वर्ष अध्ययन के पश्चात् सूचित करने के लिये कौन दोषी है तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) भविष्य में उक्त प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इस हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम ही था।

(2) जी नहीं। तीन वर्षीय पाठ्यक्रम नहीं होने से ऐसा कोई प्रश्न ही नही उठता।

(3) उक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर जिले के शहीदों के आश्रितों को देय सुविधाएं

255. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पन्द्रह वर्षों में जिला अलवर के कितने सैनिक अब तक शहीद हुये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) शहीदों की विधवाओं/आश्रितों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें, लाभ एवं संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने राजकीय भवनों महाविद्यालय/विद्यालय/चिकित्सालय का नामकरण उस क्षेत्र के शहीद के नाम पर किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन शहीदों के नाम पर किसी भी राजकीय भवन का नामकरण नहीं किया गया है, उनके नाम पर सरकार कब तक संस्था/भवन का नामकरण करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विगत पन्द्रह वर्षो में जिला अलवर के 64 सैनिक शहीद हुए हैं।

(2) शहीदों की विधवाओं/आश्रितों को केन्द्र सरकार द्वारा की सुविधायें रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देय है। राज्य सरकार द्वारा 01.04.1999 के पश्चात शहीद सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों को कारगिल पैकेज परिशिष्ट 'क' के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

(3) राज्य के 01.04.1999 के पश्चात शहीद सैनिकों में से 285 शहीद सैनिकों के नाम से राजकीय भवनों महाविद्यालयों/विद्यालय/चिकित्सालय का नामकरण उस क्षेत्र के शहीद के नाम पर किया गया है। विवरण परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

(4) 194 शहीदों के नाम पर किसी भी राजकीय भवन का नामकरण नहीं किया गया है, उसके प्रकरण पंचायत स्तर/शिक्षा विभाग के स्तर पर परीक्षण हेतु प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौकड़ी पुरानी बस्ती जयपुर का स्वामित्व प्रकरण

256. **श्री गोपाल मीणा** (जमवारामगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चौकड़ी पुरानी बस्ती, जयपुर में मकान नं 868 जिसमें शिव पंचायत सहित सत्यनारायण जी का मंदिर है? उक्त मकान नं कब एवं किसके द्वारा किस हक से कब बनवाया गया एवं उस पर विगत तीन पीढ़ियों से लेकर वर्तमान में किस-किस का कब्जा कब से कब तक एवं किस आधार पर रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मंदिर के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट-जज जयपुर की अदालत में 14 वर्षों तक वाद चला? उक्त वाद का फैसला प्रथम बार 30 मई, 1953 ई. को एवं द्वितीय बार 4 सितम्बर, 1958 ई. को हुआ? यदि हां, तो उक्त फैसले किन-किन के पक्ष में किस-किस के द्वारा दिये गये एवं उच्च न्यायालय में उक्त मंदिर सम्बन्धी वाद कब एवं किस के द्वारा लड़ा गया तथा फैसला कब एवं किसके पक्ष में हुआ? उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति सहित पूर्व (दि. 30 मई, 1953 एवं 4 सितम्बर, 1958) में हुए फैसले की प्रति तथा उक्त मंदिर की वर्तमान स्थिति का विवरण एवं सिटी सर्वे में उक्त मंदिर की स्थिति क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर के वाद के सम्बन्ध में सभी दस्तावेज श्री देवीनारायण शर्मा द्वारा जिला न्यायालय में जमा करवा दिये थे? यदि हां, तो जमा कराये गये दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मौके रिपोर्ट के अनुसार मकान जीर्ण-शीर्ण अवस्था में व ताला लगा हुआ है। मंदिर श्री शिवजी व सत्यनारायण जी चौकड़ी पुरानी बस्ती, मकान नं. 868 जयपुर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित मंदिर नहीं है। न ही राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत पंजीकृत प्रन्यास है। मंदिर के सम्बन्ध में अभिलेख देवस्थान विभाग में उपलब्ध नहीं होने से सूचना दिया जाना सम्भव नही है।

(2) वाद का उनवान अंकित नहीं होने से वर्णित निर्णयों के सम्बन्ध में सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 2 के उत्तर में निहित है।

बूंदी शहर में ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु भूमि का चयन

257. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बून्दी शहर में ठोस कचरा प्रबन्धन के लिये निश्चित स्थान हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होकर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया?

(2) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा उक्त स्थान के लिये जारी अनापत्ति को बाद में निरस्त कर देने से काम बन्द हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बून्दी में अन्यत्र स्थान पर इस प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? ताकि प्लांट का निर्माण हो सके?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। नगर परिषद, बून्दी को ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु ग्राम लोईचा की आराजी खसरा संख्या 432 रकबा 70 बीघा किस्म गै.मु. बर्डा झाड़-झंकाड़ वाले वन चरागाह हेतु भूमि ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु आबंटन की राजकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु जिला कलक्टर बूंदी के पत्रांक एफ.12-3() राजस्व/आई.टी./12/1503 दिनांक 31.01.2013 से प्रस्ताव उप शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर को भिजवाये गये हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर आबंटन की कार्यवाही संपादित की जावेगी।

जयपुर के विद्याधर नगर-मल्होत्रा नगर आवासीय योजना हेतु अनुमोदित 120 फीट सड़क मार्ग से प्रभावित भूखण्ड

258. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के अन्तर्गत गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मल्होत्रा नगर, वीकेआई, सीकर रोड, जयपुर में किन-किन भूखण्डों को नियमित कर पट्टा जारी करने हेतु पत्रावली प्राप्त हुई है एवं उनमें से किस-किस भूखण्डों के पट्टे जारी किये जा चुके हैं एवं किस-किस भूखण्डों के पट्टे किन-किन कारणों से जारी नहीं किये जा सके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मल्होत्रा नगर आवासीय योजना में विद्याधर नगर से मल्होत्रा नगर तक 120 फीट सड़क अनुमोदित है? यदि हां, तो मौके पर विगत समय से वर्तमान तक कितनी चौड़ी सड़क है एवं अनुमोदित 120

(श्री विजय बंसल)

फीट सड़क से कितने भूखण्ड प्रभावित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय कालोनी के अनुमोदित मानचित्र में हाइवे मैन रोड से मल्होत्रा नगर 80 फीट रोड अनुमोदित की गई है, ऐसी स्थिति में विद्याधर नगर से मल्होत्रा नगर तक 120 फीट सड़क जो अनुमोदित की गई है, उसका व्यवहारिक रुप से क्या औचित्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त 120 फीट सड़क चौड़ी होने से कितने भूखण्डों को शिविर में नियमन कर पट्टा जारी नहीं किया जा रहा है? क्या सम्बन्धित जोन कार्यालय द्वारा उक्त स्थिति में अंतिम निर्णय हेतु प्रस्ताव बीपीसी/एलपीसी की बैठक में रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार मल्होत्रा नगर आवासीय योजना में विद्याधर योजना से मल्होत्रा नगर तक अनुमोदित 120 फीट चौड़ी सड़क को 60 फीट चौड़ी करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन कर इसमें प्रभावित भूखण्डधरियों का नियमन कर पट्टा जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की सम्राट नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्डत आबंटियों की सूची मय समस्त दस्तावेज प्राधिकरण में जमा करवा दिये हैं? यदि हां, तो सम्राट नगर कालोनी में भूखण्ड आबंटियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के अन्तर्गत क्या उक्त आवासीय योजना का नियमन कर भूखण्डधारियों को पट्टे जारी किये हैं? यदि हां, तो उक्त कालोनी में किन-किन भूखण्डों के पट्टे जारी कर दिये हैं एवं किनके शेष रहे हैं? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के अन्तर्गत गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मल्होत्रा नगर के जिन भूखण्डों को नियमित कर पट्टा जारी करने हेतु पत्रावलियां प्राप्त हुई हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर एवं उनमें से जिन भूखण्डों के पट्टे जारी किए गये जा चुके है, उनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। जिन भूखण्डों के पट्टे जारी नही किये गये हैं उनका मुख्य कारण 120

(स्वायत्त शासन मंत्री)

फीट चौड़ी सड़क से प्रभावित होने व भूखण्ड जिनको बिल्डअप एरिया (निर्मित क्षेत्र) नहीं मिल रहा है तथा व्यावसायिक गतिविधियां एवं न्यायिक वाद है की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है ।

(2) जी हां। मौके पर वर्तमान में 40 फीट चौड़ी सड़क ही उपलब्ध है। 120 फीट सड़क से प्रभावित होने वाले भूखण्डों की सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्ना है।

(3) जी हां। हाइवे मैन रोड से मल्होत्रा नगर तक रीको की 80 फीट की सड़कें प्रस्तावित 120 फीट सडक से लिंक होती हैं तथा 120 फीट रखने का निर्णय बी.पी.सी. (एलपी) की 139 बैठक दिनांक 8.10.2009 में लिया गया है। निर्णय की प्रति परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(4) उक्त 120 फीट सड़क से प्रभावित होने वाले भूखण्डों में जिनको निमित क्षेत्रफल नहीं मिला है का पट्टा जारी नहीं किया जा रहा है। सूची परिशिष्ट "र" पर संलग्न है। जोन द्वारा कोई प्रस्ताव बीपीसी/एलपीसी की बैठक में नहीं रखा गया है।

(5) मास्टर विकास योजना 2025 में उक्त सड़क को 120 फीट प्रस्तावित किया हुआ है। मास्टर प्लान के अनुसार सड़क चौड़ाई न होने के कारण उक्त योजना का नियमन किया जाना फिलहाल प्रस्तावित नहीं है।

(6) जी हां। सदस्यता सूची परिशिष्ट "व" पर संलग्न है।

(7) जी नहीं। उक्त योजना 200 फीट एयरपोर्ट सेक्टर रोड से प्रभावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में खेलों के विकास हेतु आबंटित राशि

259. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में खेलों के विकास के लिये सरकार द्वारा बजट राशि में वृद्धि की गई है? यदि हां, तो कब एवं कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विद्याधर नगर स्टेडियम में इन्डोर गेम के लिये इन्डोर हाल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्याधर नगर स्टेडियम, जयपुर के उन्नयनीकरण एवं विकास हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चार चरणों में प्रदान की जाने वाली कुल राशि रुपये 335.00 लाख के अन्तर्गत प्रथम दो चरणों में प्राप्त राशि रुपये 200.00 लाख के विकास कार्य करवाये जा चुके हैं तथा तृतीय चरण में प्राप्त राशि रुपये 100.00 लाख से इन्डोर खेलों हेतु बैडमिंटन व टी.टी. हाल का निर्माण कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निर्माणाधीन है तथा कार्य प्रगति पर है। चतुर्थ चरण की राशि रुपये 35.00 लाख जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा और जारी की जानी है।

इसके अतिरिक्त विद्याधर नगर स्टेडियम में लैण्ड स्केपिंग एवं ट्यूबवैल के कार्य हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रुपये 35.00 लाख की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है।

(2) जी हां। विद्याधर नगर स्टेडियम, जयपुर पर राशि रुपये 100.00 लाख से इन्डोर खेलों हेतु बैडमिंटन व टी.टी. हाल का निर्माण कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्राईस्ट्रक्चर लिमिटेड के निर्माणाधीन है तथा प्रगति पर है।

जयपुर के चांदपोल बाजार चौकड़ी पुरानी बस्ती का बख्शीशनामा प्रकरण

260. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चौकड़ी पुरानी बस्ती चांदपोल बाजार जयपुर के बगरू वालों के रास्ते में मकान नं. 1438 एवं 1439 के सम्बन्ध में दिनांक 20 फरवरी, 1945 को बख्शीशनामा पंजीकरण उप पंजीयक जयपुर के यहां दिनांक 20 दिसम्बर, 1947 को पंजीकृत हुआ था? यदि हां, तो बख्शीशनामा किसके द्वारा किसके हक में किया गया? बख्शीशनामे की प्रति सहित उप पंजीयक द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त दोनों मकान सं. 1438 एवं 1439 पूर्व में किसके नाम थे? मकानों के नक्शे की प्रमाणित प्रति सहित पत्रावली संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों मकानों को पूर्व में हुये सिटी

(श्री केसाराम चौधरी)

सर्वे में सम्मिलित किया गया था? यदि हां, तो उक्त दोनों मकानों की पुरानी एवं वर्तमान स्थिति के नक्शों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में उक्त मकानों का मालिकाना हक किसके पास कब-कब से किस आधार पर रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के अनुसार जमा रिकार्ड के अवलोकन के आधार पर चौकड़ी पुरानी बस्ती चांदपोल बाजार जयपुर के बगरू वालों के रास्ते में मकान नं. 1438 एवं 1439 के सम्बन्ध में दिनांक 20 फरवरी, 1945 को बख्शीनामा पंजीकरण उप पंजीयक जयपुर के यहां दिनांक 20 दिसम्बर, 1947 को पंजीकृत नहीं होना पाया जाता है।

(2) वर्तमान में मकान नं. 1438 एवं 1439 का मालिकाना हक गृह कर रिकार्ड अनुसार श्री जगमोहन पुत्र श्री देवीनारायण के नाम सन् 1957 से अब तक चलता आ रहा है। मकान नं. के आधार पर पत्रावली संधारण नहीं की जाती है।

(3) सिटी सर्वे रिकार्ड में उक्त स्थल की शीट फटी हुई है। अत: सर्वे रिपोर्ट की स्थिति बताया जाना सम्भव नहीं है।

(4) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 2 के उत्तर में निहित है।

जयपुर सिन्धु नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना स्कीम नम्बर-16 का नियमन

261. श्री पेमाराम (धोद) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिन्धु नगर, गृह निर्माण सहकारी समिति लि. स्कीम नं. 16 का भी नियमन नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त स्कीम का नियमन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्कीम का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वे कराया जाकर नक्शा तैयार करवाया गया था? यदि हां, तो कब, नक्शे की प्रति एवं भूखण्डों की नाप सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया

(श्री पेमाराम)

नक्शे के अनुसार ही भूखण्डों का नियमन कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सिन्धु नगर, गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नं. 16 का नियमन कैम्प पूर्व में दिनांक 09 व 10.12.2002 आयोजित किया गया था, परन्तु अनुमोदित योजना मानचित्र पर तत्कालीन जोन उपायुक्त द्वारा यह अंकित किया हुआ है कि दिनांक 09 व 10.12.2002 को आयोजित कैम्प में मौके सर्वे प्लान, माननीय उच्च न्यायालय, पंच निर्णायक एवं उप रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग में प्रकरण विचाराधीन होने, अनेकों भूखण्डों के डबल आबंटन पत्र (समिति के एवं कुछ भूखण्डों के आबंटन पत्र होने पर भी भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने) के कारण योजना का कैम्प स्थगित किया गया।

(2) योजना नियमन के सम्बन्ध में मौके पर वर्तमान स्थिति की जानकारी हेतु योजना का पीटी सर्वे एवं परीक्षण विचाराधीन है। पीटी सर्वे प्राप्त होने एवं पूर्व अनुमोदित नक्शे व माननीय न्यायालय एवं अन्य न्यायिक आदेशों के प्रकाश में प्रकरण का समग्रता में परीक्षण करके ही नियमन के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) पूर्व में अनुमोदित योजना नक्शा, भूखण्डों की माप दर्शाते हुए, जो जोनल समिति की बैठक संख्या 19/2002 दिनांक 02.12.2002 से अनुमोदित है, की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। मौके पर वर्तमान स्थिति की जानकारी हेतु योजना का पीटी सर्वे करवाया जा रहा है। जिसके आदेश डेडीकेटड कन्सलटेन्ट को दिनांक 09.01.2013 को दिये जा चुके हैं।

(4) बिन्दु संख्या-2 के अनुरूप कार्यवाही प्रस्तावित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नंदपुरी (जयपुर) की क्षतिग्रस्त सड़कें

262. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अभी हाल ही में चम्बल पावर हाउस, हवा सड़क से सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर स्वेज फार्म तिराहे तक की सड़क को लिंक सड़क बनाकर जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्या यह 80 फीट चौड़ी सड़क काफी समय से क्षतिग्रस्त है?

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(2) क्या सरकार इस सड़क का डामरीकरण कर सड़क के किनारे पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस लिंक सड़क को हवा सड़क, स्वेरज फार्म एवं सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पर निकालकर चौराहा बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि नंदपुरी से एस बी विहार तक स्वेज फार्म इलाके में स्थित कालोनियों के अन्दर की सड़कों का काफी समय से डामरीकरण नहीं हुआ है? यदि हां, तो इस क्षेत्र की कालोनियों में कब तक सड़क निर्माण हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु हवा सडक से सिद्धेश्वार मंदिर स्वेज फार्म तक की सड़क काफी समय से क्षतिग्रस्त नहीं है।

(2) जी हां। इस सडक के डामरीकरण एवं प्रकाश की व्यवस्था का प्रस्ताव प्रकियाधीन है, जिसे प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जा सकेगा।

(3) जी नहीं। सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के पास चौराहा बनाये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में नंदपुरी से एस.बी. विहार तक के इलाके में सडक डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

मिथिला विहार प्रथम जगतपुरा जयपुर का भू-आबंटित प्रकरण

263. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की मिथिला विहार प्रथम, जगतपुरा-जयपुर योजना पंजीकृत है? यदि हां, तो इसके वर्तमान सदस्यों की सूची एवं योजना का मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना की 90-बी की कार्यवाही हो चुकी है? यदि हां, तो कब? 90-बी की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालीचरण सराफ)

(3) क्या उक्त योजना के पास भारतीय विमान प्राधिकरण की सीमा एवं सड़क की चौड़ाई को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कितनी व उक्त सड़क की सीमा बढ़ाने पर किन-किन कालोनियों की कितनी-कितनी जमीन अवाप्त की जाएगी? अवाप्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नाम, प्लाट सहित कालोनियों की सूची मय नक्शे का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की मिथिला विहार-प्रथम, जगतपुरा, जयपुर योजना पंजीकृत है। योजना की सदस्यता सूची परिशिष्ट-1 एवं मानचित्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त योजना की 90-बी नहीं हुई है।

(3) इस सम्बन्ध में भारतीय विमानपत्तीन प्राधिकरण/भारतीय वायु सेना से बार-बार पत्राचार किया गया है। वहां से अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। जवाब प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर नगर सुधार न्यास द्वारा कराये गये विकास कार्य

264. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत चार वर्षों में नगर सुधार न्यास/अजमेर द्वारा विभिन्न वार्डों में किस-किस मद/योजना में विकास के कौन-कौनसे कार्य करवाये गये हैं? वार्डवार, मद/योजनावार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य किसकी अनुशंसा पर कब स्वीकृत किये गये तथा कार्यादेशानुसार उक्त कार्य कब प्रारम्भ होकर कब पूर्ण हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपर्युक्त सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण हुए हैं? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो विकास कार्यों में विलम्ब हेतु दोषी अधिकारियों व ठेकदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास द्वारा विकास कार्य वार्डवार नहीं करवाये जाते हैं। नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा गत चार वर्षों में करवाये गये विकास कार्यों की मद/योजनावार सम्पूर्ण सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(3) परिशिष्ट "अ" में अंकित अधिकांश कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण हुए है। कुछ कार्य निर्धारित अवधि पश्चात् पूर्ण हुए हैं, जो परिशिष्ठ "अ" के कालम संख्या-8 व 9 के अनुसार है। विलम्ब नगर सुधार न्यास स्तर पर अपरिहार्य कारणों से होने की स्थिति में कोई कार्यवाही वांछित नहीं मानी गयी, जिन कार्यों में विलम्ब हेतु ठेकेदार दोषी रहे है, उनसे नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि वसूल की गई है। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या-10 में अंकित है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

आदर्श नगर में सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

265. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर निगम एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में विधान सभा क्षेत्र आदर्शनगर में सड़क निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से कितनी राशि के कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं तथा कितने प्रक्रियाधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2012-13 मे विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में सडक निर्माण हेतु नगर निगम जयपुर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नगर निगम जयपुर द्वारा उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्व व्यय राशि एवं कार्य की प्रगति का विवरण प्रश्न के भाग संख्या 1 के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 2 व 3 में अंकित है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत राशि के विरूद्व व्यय राशि एवं कार्य की प्रगति का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर की जानकी विहार आवासीय योजना का नियमन

266. श्रीमती अनिता सिंह (नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्यामपुरी गृह निर्माण समिति, लि. द्वारा जयपुर अजमेर रोड स्थित हीरापुरा पावर हाऊस के पीछे 'जानकी विहार' नामक आवासीय योजना बसाई गयी थी? यदि हां, तो किस-किस खसरा नम्बर में उक्त योजना बसाई गई? खातेदार के नाम सहित खसरा नम्बरों एवं नक्शों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्यामपुरी गृह निर्माण समिति, लि. द्वारा उक्त योजना का सम्पूर्ण रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करा दिया गया? यदि हां, तो कब एवं क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के तहत उक्त योजना के भूखण्डधारियों द्वारा नियमन हेतु पत्रावलियां जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-सात में जमा कराई गई? यदि हां, तो कब-कब और किस-किस भूखण्डधारी ने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना के भूखण्डधारियों द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जमा कराई गई पत्रावलियों पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा जारी घोषणा 'पट्टा लें अभियान में, बाकी सब काम बाद में' के तहत उक्त योजना 'जानकी विहार' के भूखण्डधारियों के नियमन कर पट्टा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि श्यामपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जानकी विहार आवासीय योजना सृजित की गई है। यह योजना हीरापुरा पावर हाऊस के पीछे राजस्व ग्राम गिरधारीपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 76 पर सृजित की गई है। जमाबंदी संवत् 2067-2070 में उक्त खसरा नम्बर के खातेदार कान्हा वल्द धन्ना व गोपाल वल्द मांगू कौम रेगर सा. धाउवास दर्ज है। जमाबंदी की प्रति परिशिष्ट "अ" एवं नकल नक्शा (ट्रेस) की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी हां। उक्त योजना का रिकार्ड श्यामपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 20.08.1999 को जमा कराया गया। जमा कराये गये रिकार्ड में आवेदन पत्र, प्रबन्ध कार्यकारिणी की छाया प्रति, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र की मूल प्रति, अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त शपथ-पत्र की मूल प्रति, योजना मानचित्र, सदस्यता सूची, बिचौती इकरारनामा की छाया प्रति, कान्हा व गोपाल के शपथ पत्र की छाया प्रति, जमाबन्दी संवत 2047 की छाया प्रति, नक्शा मानचित्र की छाया प्रति आदि दस्तावेज पेश किये गये है।

(3) जी हां। इस अभियान में उक्त योजना के भूखण्डधारियों द्वारा नियमन हेतु दो पत्रावलियां जोन-7 में जमा कराई है। विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) उपरोक्त योजना पृथ्वीराज नगर की अवाप्ति से प्रभावित होने के कारण एवं पृथ्वीराज नगर योजना के नियमन के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च-न्यायालय में याचिकाऐं विचाराधीन होने के कारण इस योजना के प्राप्त आवेदन पत्रों पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

(5) प्रश्न के बिन्दु संख्या-4 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा के नयापुरा खेल परिसर का वाहन पार्किंग स्थल

267. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा के नयापुरा खेल परिसर में कौन-कौनसे स्टेडियम व पैवेलियन सम्मिलित हैं? उक्त की दर्शक क्षमता कितनी-कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दर्शक क्षमता के अनुसार वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया हुआ है? सम्बन्धित पार्किंग प्लान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा के नयापुरा खेल परिसर में युवा मामले एवं खेल विभाग का कोई स्टेडियम व पैवेलियन नहीं है।

(युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री)

नगर निगम के अधीन कोटा के नयापुरा खेल परिसर में एक मात्र महाराव भीमसिंह स्टेडियम है। उक्त स्टेडियम की दर्शक क्षमता लगभग 7000 है।

(2) उक्त स्टेडियम में वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। जिसका प्लान परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(प्लान पुस्तकालय में रखा गया)

महिला शिक्षा संस्थान हेतु चारागाह भूमि का आबंटन

268. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा लोकोपयोगी कार्यों हेतु चरागाह भूमि के आबंटन पर रोक है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोक को हटाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि चरागाह भूमि को लोकोपयोगी कार्यों हेतु राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 7 में प्रावधान भी है?

(3) भू-राजस्व नियम 1963 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में महिला शिक्षा संस्थान की स्थापना हेतु चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति की शर्त पर क्या सरकार चरागाह भूमि के आबंटन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नही। लोकोपयोगी प्रयोजन हेतु चरागाह भूमि का जिला कलक्टर की अभिशंसा पर राज्य सरकार द्वारा आबंटन करने के निर्देश परिपत्र क्रमांक एफ 10(3)राज-6/2001/7 दिनांक 25.4.11 द्वारा दिये गये हैं। परिपत्र की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। निजी क्षेत्र में चरागाह भूमि का आबंटन नहीं किया जा सकता है। परिपत्र क्रमांक एफ 10(3)राज-6/2001/7 दिनांक 25.4.11 की प्रति संलग्न है।

सहाड़ा के पोटला तालाब के मगरमच्छों की सुरक्षा हेतु कार्य योजना

269. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

क्या यह सही है कि सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के पोटला के सार्वजनिक तालाब में मगरमच्छों की बहुतायत होने के कारण गांव में पशुधन एवं जनहानि होती रहती है? क्या सरकार मगरमच्छों से पशुधन को बचाने एवं मनुष्यों से मगरमच्छों के बचाव हेतु कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक?

उत्तर

जी नहीं। उक्त तालाब में मगरमच्छों द्वारा पूर्व में गांव के पशुधन एवं जनहानि का कोई कृत्य रिपोर्ट नहीं हुआ है।

उक्त तालाब में मगरमच्छ वर्षों से निवास कर रहे हैं, जो कि उनका प्राकृतिक आवास क्षेत्र है। ग्रीष्म ऋतु में तालाब सूखने की स्थिति में मगरमच्छों के पानी की तलाश में बाहर जाने पर मगरमच्छ को अथवा मगरमच्छों द्वारा पशुधन को हानि की सम्भावना हो सकती है। इस समस्या के निदान हेतु मगरमच्छ के निवास स्थल के निकट एक बडा टैंक 30 मीटर× 15 मीटर× (2+0)/2 बनाया गया है। उक्त टैंक के समीप ही नर्सरी में नलकूप बेधन कराया गया है। आवश्यकता होने पर उक्त नलकूप से मगरमच्छ हेतु बनाये गये टैंक में पानी भरा जावेगा, जिससे मगरमच्छ को पानी के अभाव में बाहर जाने से रोका जाना सम्भव होगा।

राड़ावास-बिशनगढ़ शाहपुरा सड़क की मरम्मत हेतु स्वीकृति

270. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी द्वारा जयपुर जिले में शाहपुरा तहसील क्षेत्र की 14 पंचायतों के लोगों को शाहपुरा कस्बे से जोड़ने के लिये वन विभाग की भूमि पर 17 वर्ष पूर्व राडावास से शाहपुरा वाया बिशनगढ़ होते हुए निर्मित की गई डामर सड़क की मरम्मत कार्य पर आपत्ति दर्ज करा वन विभाग द्वारा कार्य रूकवा दिया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र उक्त मरम्मत कार्य की अनुमति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बिशनगढ़ से

(वन मंत्री)

गोविन्दपुराबासड़ी वाया राडावास, धानोता, मुरलीपुरा किलोमीटर 0/0 से 18/175 तक के अपग्रेडेशन (Widening from 3 mt. width to 5.5 mt. width) हेतु 0.98 हैक्टेयर वन भूमि के प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत विभाग को प्राप्त हुए थे। उक्त प्रस्तावों में भारत सरकार के परिपत्र के अनुरूप अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने के कारण उक्त प्रस्ताव यूजर एजेन्सी को लौटाये गये। वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्ति होने पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सड़क को चौड़ी करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त प्रस्तावों को केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सड़क निर्माण कार्य सम्भव हो सकेगा।

नियमित भर्ती में अस्थाई कार्मिकों को प्राथमिकता

271. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार नवीन भर्ती प्रक्रिया में वन विभाग में कार्यरत अस्थाई श्रमिकों को नियुक्ति में प्राथमिकता देने का विचार रखती है?

(2) उक्त विभाग में ऐसे कितने श्रमिक हैं जिनको नवीन श्रमिकों के पदस्थापन पश्चात् हटा दिया गया है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) स्थाई श्रमिकों (वर्कचार्ज) के स्थान पर नवीन श्रमिकों का पदस्थापन नहीं किया जाता है एवं आकस्मिक श्रमिकों का नियोजन आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जाता है। उनके कोई पद विभाग में स्वीकृत नहीं हैं। अत: किसी श्रमिक के पदस्थापन से किसी अन्य को हटाने का प्रश्न ही नहीं है।

नकली दवा पर नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा की गई कार्यवाही

272. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या सरकार द्वारा नकली दवा पकड़ने हेतु नकली दवा नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकोष्ठ द्वारा अब तक कितनी नकली दवा पकड़ी गई एवं कितनी शिकायतें प्राप्त हुई व उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकोष्ठ द्वारा औषधियों के नमूने जांच हेतु लिये गये? यदि हां, तो उनकी जांच के परिणाम क्या-क्या आये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। औषधि नियंत्रण संगठन में नकली दवाओं के प्रचलन को रोके जाने के लिये प्रकोष्ठ का गठन वर्ष 2002 में किया गया था परन्तु इस प्रकोष्ठ के लिये अलग से पद स्वीकृत नहीं किये गये थे।

राज्य में पहली बार वर्ष 2009-10 में मुख्यालय पर नकली दवा नियंत्रण प्रकोष्ठ के लिये राज्य सरकार द्वारा सहायक औषधि नियंत्रक का नवीन (स्थाई) पद स्वीकृत किया गया प्रतिलिपि परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त पद पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.9(30)चिस्वा/ग्रुप-2/2009 दिनांक 21.09.2010 के द्वारा सहायक औषधि नियंत्रक का पदस्थापन किया गया प्रतिलिपि परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रकोष्ठ में स्थाई नियुक्ति के पश्चात अब तक कुल छः नकली दवायें चार विभिन्न प्रकरणों में पकड़ी गई जिन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

प्रकोष्ठ के नियमित गठन के बाद एक लिखित शिकायत औषधि निर्माता मैसर्स एबट इंडिया लिमिटेड, मुम्बई की ओर से टेबलेट डूफासटोन के संदर्भ में दिनांक 06.11.2012 को प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर जयपुर, उदयपुर एवं कोटा में छापे मारे गये। कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) जी हां, उक्त प्रकोष्ठ (मुख्यालय) द्वारा कुल 80 औषधियों के नमूनें जांच हेतु लिये गये, जांच के परिणाम का विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले के चिकित्सा सुविधा से वंचित ग्राम व ढाणियां

273. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जैसलमेर जिले में वंचित गांवों व ढाणियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? ऐसे कितने स्थान है जो नियमों में होते हुए भी वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं? स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 5 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण/आवश्यकता के आधार पर जैसलमेर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वर्ष 2011 की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर जैसलमेर जिले में 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 30 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार गुणावगुण/आवश्यकता के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलते समय स्थानों का चयन किया जाता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सोजत में टीकाकरण अभियान

274. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बालकों तथा बच्चों व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की

(श्रीमती संजना आगरी)

कोई योजना संचालित है? यदि हां, तो क्या इस योजना के वर्ष 2011 के आंकड़े केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं? यदि हां, तो प्रेषित रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आंकडों की सत्यता जांचने के लिये कोई प्रयास किये गये? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला पाली में कितने प्रतिशत टीकाकरण किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा बच्चों व गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किये जाने की योजना चलाई जा रही है। प्रिगनेन्सी एवं चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम (पी सी टी एस) के माध्यम से आन लाइन आंकड़े भारत सरकार को भेजे गये जिसके अनुसार वर्ष 2011-12 में राज्य में 82.47 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को टिटनस का टीका लगाया गया इसी प्रकार 90.63 प्रतिशत शिशुओं को बी सी जी का, 90.23 प्रतिशत को पोलियो, 90.54 प्रतिशत को डी पी टी एवं 86.85 प्रतिशत को खसरे का टीका लगाया गया। प्रगति रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा यूनिसेफ के माध्यम से समय समय पर टीकाकरण सत्रों का निरीक्षण करवाया गया तथा घरों में जाकर बच्चों में टीकाकरण के स्तर की जांच की गई। जांच रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

(3) जिला पाली में वर्ष 2011 में माह जनवरी से दिसम्बर 2011 तक गर्भवती महिलाओं को टिटेनस का टीका 90 प्रतिशत, शिशुओं को बी सी जी का टीका 114 प्रतिशत, डी पी टी 117 प्रतिशत, पोलियो 120 प्रतिशत, खसरा 115 प्रतिशत पूर्ण प्रतिरक्षण 121 प्रतिशत किया गया। विधान सभा क्षेत्रवार उपलब्धियां परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

निःशुल्क दवा योजना से लाभान्वित मरीज

275. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नि:शुल्क दवा योजना के तहत राज्य के चिकित्सा संस्थानों में

(श्री अभिषेक मटोरिया)

मरीजों को वितरित की जाने वाली किन-किन दवाइयों की खरीद कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी कंपनियों से की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खरीदी गई दवाइयों में से कितने मरीजों को लाभान्वित किया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा संस्थानों में मरीजों को वितरित किये जाने के लिए खरीद कर उपलब्ध करवाई गई दवाइयों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना में 2 अक्टूबर, 2011 से 31 जनवरी, 2013 तक जिलेवार लाभान्वित मरीजों की संख्या 94980793 है। जिसकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना के चिकित्सालयों पर उपलब्ध निःशुल्क दवाइयां

276. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र डेगाना के सामुदायिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सरकार कौन-कौनसी दवाइयां मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजनान्तर्गत उपलब्ध करवा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के द्वारा जिला औषधि भण्डार नागौर में उपलब्ध दवाइयों में से अपनी आवश्यकता एवं मांग के अनुसार दवाइया प्राप्त की जाकर वितरण के लिए मरीजों को उपलब्ध करवायी जा रही है, दवाइयों इत्यादि की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय सेवारत पति-पत्नी चिकित्सकों के पदस्थापन हेतु नीति

277. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार की जानकारी के अनुसार प्रदेश में कितने पति-पत्नी सरकारी सेवा में चिकित्सक हैं?

(2) क्या सरकार पति-पत्नी चिकित्सकों के एक स्थान पर पदस्थापन हेतु कोई ठोस नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जानकारी के अनुसार 695 जोड़े पति-पत्नी सरकारी सेवा में चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा पति-पत्नी चिकित्सकों के एक स्थान पर पदस्थापन किये जाने के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 03.07.2001 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर व सीकर जिलों में नये उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

278. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के क्या नियम एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? नियमों एवं मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में कितने नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलना प्रस्तावित था और उनके विरुद्ध कितने नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये?

(3) वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में जयपुर एवं सीकर जिले में कहां-कहां पर नये उप स्वास्थ्य केन्द्र कब-कब खोले गये? केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 5 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2011-12 में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित नहीं था।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट भाषण अनुसार आगामी 2 वर्षों में 3 हजार नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसरण में दिनांक 11 मार्च, 2013 तक 2698 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है।

(3) वित्तीय वर्ष 2011-12 में जयपुर एवं सीकर जिले में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति जारी नही की गई।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में जयपुर एवं सीकर जिले में स्वीकृत किये गये उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम एवं स्वीकृति आदेश के दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मेवाड़ राज्य कालीन भू-अभिलेखों के संरक्षण हेतु कार्य योजना

279. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर में प्राचीन मेवाड़ राज्य कालीन भू-अभिलेख राजपत्र एवं अन्य पुरामहत्व के अभिलेखों के भण्डारण एवं संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

(2) क्या इन अभिलेखों को जहां रखा गया है, वह भवन जर्जर है एवं उसमें पानी रिसता है?

(3) क्या मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने इन अभिलेखों को संरक्षित रखने का प्रस्ताव जिला प्रशासन एवं सरकार को दिया है? इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही हुई?

(4) क्या सरकार इन अभिलेखों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य अभिलेखागार विभाग द्वारा उदयपुर में शाखा कार्यालय खोलकर इन अभिलेखों के भण्डारण एवं संरक्षण के लिये

(पुरातत्व मंत्री)

व्यवस्था की गई है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार विभाग द्वारा वहां सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी को पदस्थापित किया हुआ है। उदयपुर जिले में सिटी पैलेस परिसर में कार्यरत कार्यालय भवन को न्यायिक निर्णय के क्रम में खाली किया गया है। वर्तमान में पुराने आर.टी.ओ. भवन, ढीकली रोड, प्रताप नगर को अभिलेखागार शाखा कार्यालय हेतु अस्थाई तौर पर उपलब्ध करवाया गया है। अभिलेखों के संरक्षण के लिये समय-समय पर वांछित रासायनिक उपचार किया जाता है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। प्रस्ताव पर कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) जी हां। अभिलेखों के भण्डारण एवं संरक्षण के लिये समुचित भवन एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यावस्था की कार्यवाही की जा रही है।

पाली जिले के बांधों पर कार्यरत कार्मिक

280. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में पिछले मानसून के दौरान किस-किस बांध में कितना-कितना पानी आया?

(2) उक्त जिले के किस-किस बॉध में से कितना-कितना पानी सिंचाई हेतु दिया गया एवं किस-किस कमांड क्षेत्र में कितने-कितने बीघा भूमि सिंचित की गई?

(3) पानी के वितरण की व्यवस्था हेतु किस-किस श्रेणी के कितने-कितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं एवं इनमें कितने पद कितने-कितने समय से रिक्त हैं?

उत्तर

(1) पिछले मानसून के दौरान पाली जिले में बांधवार पानी की आवक का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) पाली जिले में बांधवार सिंचाई हेतु दिये गये पानी की मात्रा एवं सिंचित भूमि (क्षेत्रफल) का विवरण परिशिष्ट-'अ' में अंकित है।

(3) पानी के वितरण की व्यवस्था हेतु स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ईसरदा बांध की पूर्ण भराव क्षमता हेतु कार्य योजना

281. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा वर्षा के जल के संग्रहण हेतु कोई नीति बनाई गई थी? यदि हां, तो नीति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बनास नदी में वर्षा के व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोकने के उद्देश्य से ईसरदा बांध के निर्माण की योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो कब तथा क्या बांध के निर्माण हेतु बजट आबंटित किया जा चुका है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रोजेक्ट की क्रियान्विति नहीं होने से ईसरदा बांध के जरिये जयपुर के पेयजल एवं कृषि भूमि को सिंचाई का पानी पहुंचाने हेतु योजना के तहत निर्मित काफर डैम को बांध में परिवर्तित किया जाना था? यदि हां, तो अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जन भावनानुरूप एवं बूंद-बूंद पानी उपयोग की नीति के तहत बनास नदी के व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को ईसरदा बांध के जरिये रोककर उसके उपयोग का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या चित्तौड़गढ़ जिले में बहकर निकलने वाली तथा चम्बल की सहायक ब्रह्माणी नदी के जल को बीसलपुर में डाला जाकर कम वर्षा में भी उक्त बांध को पूर्ण भराव क्षमता तक भरने तथा इससे मिलने वाले अतिरिक्त जल से ईसरदा बांध के जरिये उपयोग में लिये जाने के साथ विद्युत उत्पादन कार्य भी किया जा सकता है? यदि हां, तो किस प्रकार तथा नहीं, तो क्या सरकार अब इस बाबत सर्वे करवाया जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने फरवरी, 2010 में राज्य जल नीति जारी की है, जिसमें जल संरक्षण/संग्रहण हेतु प्रावधान लिया गया है तथा जल संग्रहण हेतु नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग के आदेश पत्रांक एफ.55 (4)पी.ए./एस.ई./डी.एल.बी/10/वजलपुर्नभ/1937-2131 दिनांक 16.04.2010 एवं समसंख्यक पत्रांक 2248-2527 दिनांक 13.05.2010 के द्वारा शहरी क्षेत्र में स्थिति 300 वर्ग की एवं उससे अधिक के क्षेत्र के भूखण्डों पर निर्मित/नये

(जल संसाधन मंत्री)

बनने वाले समस्त भवनों में छत द्वारा वर्षा जल पुनर्भरण संरचना (Roof Top Rain Harvesting Structure) प्रणाली का बनाना अनिवार्य किया गया है।

(2) जी हां। बांध के प्रारम्भिक कार्य हेतु एवं टोंक जिले को शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 36.00 करोड़ रुपये की लागत से काफर डैम का निर्माण करवाया गया है। इस परियेाजना पर वर्तमान में कोई बजट आबंटित नहीं है किन्तु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट अभिभाषण दिनांक 06.03.2013 में इस बांध का निर्माण कार्य आगामी वित्त वर्ष में प्रारम्भ कराने की घोषणा की गयी है।

(3) काफर डैम का निर्माण प्रस्तावित ईसरदा बांध परियोजना का ही एक भाग है एवं मुख्य ईसरदा बांध के निर्माण हेतु काफर डैम का निर्माण आवश्यक था। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट अभिभाषण दिनांक 06.03.2013 में इस बांध का निर्माण कार्य आगामी वित्त वर्ष में प्रारम्भ कराने की घोषणा की गयी है।

(4) जी हां।

(5) ब्राह्मणी नदी पर बांध बनाकर जल संग्रहित करने हेतु कान्सेप्ट पेपर बनाया गया है। जिससे कि इस जल का राज्य में अन्य जगह आवश्यकता अनुसार पेयजल/सिंचाई हेतु उपयोग किया जा सके। इस हेतु विस्तृत अध्ययन व सर्वे उपरान्त डी.पी.आर. तैयार होने पर परियोजना बनाने हेतु अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

जोधपुर जिले में भीषण आगजनी से पीड़ितों को मुआवजा

282. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में वर्ष 2009 से अब तक भीषण आगजनी की कितनी घटनायें घटित हुईं तथा घटना में कितना नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त आगजनी की घटनाओं में पीड़ितों को क्या-क्या राहत पैकेज एवं मुआवजा राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आकस्मिक आगजनी एवं अन्य प्राकृतिक दुर्घटना से हुई हानि का मुआवजा देने सम्बन्धी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में वर्ष 2009 से अब तक 1203 आगजनी की घटनाएं हुई तथा उक्त घटनाओं में 63,11,350 रुपये का नुकसान हुआ।

(2) सरकार द्वारा उक्त आगजनी की घटनाओं में पीड़ितों को सहायता हेतु एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मापदण्डानुसार 63,11,350 रुपये स्वीकृत किये। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर के पाला/ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा

283. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत दो माह में धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में पाला, ओलावृष्टि से किसानों की सरसों और आलू की खेती को भारी नुकसान हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि यह क्षति लगभग 90 प्रतिशत हुई है?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने अभी तक गिरदावरी के आदेश नहीं किये हैं?

(4) क्या सरकार शीघ्र गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कैसे?

उत्तर

(1) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में सरसों एवं आलू की फसल को लगभग 5 से 25 प्रतिशत नुकसान हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) रबी फसल 2013 की 01 फरवरी से 05 मार्च तक गिरदावरी की गई है।

(4) गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबे से प्रभावित पात्र किसानों को एस डी आर एफ/एन डी आर एफ मानदण्डानुसार सहायता देय है।

सीकर जिले की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/ नवीनीकरण

284. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2012 में सीकर जिले में हुई अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कें/ ग्रेवल सड़कों के कौन-कौन से प्रस्ताव जिला कलक्टर से प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर सीकर द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत/नवीनीकरण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 29 अगस्त, 2012 को 5.65 करोड़ की जारी की गई थी? यदि हां, तो इसकी अनुपालना में हुए कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिला कलक्टर (सहायता) सीकर के पत्रांक सहायता/बाढ़/अतिवृष्टि/मरम्म्त/2012/1537 दिनांक 29 अगस्त, 2012 को जारी प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2012 में सीकर जिले में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सडकों/ग्रेवल सडकों के जिला कलक्टर से प्राप्त प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस स्वीकृति के तहत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) बिन्दु। संख्या 2 के जवाब के अनुरूप।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सैटेलाइट आधारित स्थापित कम्यूनिकेशन सैटकाम की उपयोगिता

285. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर द्वारा जिला मुख्यालयों एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर सैटेलाइट आधारित कम्युनिकेशन सिस्टम सेटकाम स्थापित किए गए थे? यदि हां, तो इनमें से

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

कितने उपकरण वर्तमान में खराब हैं और कितने अनुपयोगी हो चुके हैं एवं इनमें कितने जिला मुख्यालयों व पंचायत समिति मुख्यालयों पर इन उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्टेट रिमोट सैंसिंग एप्लीकेशन सेंटर द्वारा 23 जनवरी, 1993, 4 दिसम्बर, 2000 तथा 4 जनवरी, 2006 की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर माउंट आबू का फोरेस्ट क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसमें पांच श्रेणियों में वन आच्छादन और आबादी क्षेत्र की गणना की गई थी? यदि हां, तो रिपोर्ट मय तस्वीरों के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान जिला मुख्यालयों पर 3 एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर 2 खराब सैटेलाइट आधारित कम्युनिकेशन सिस्टमों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। रिपोर्ट एवं तस्वीरें परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बायतू (बाड़मेर) में नियम-विरुद्ध स्वीकृत नवीन महाविद्यालय

286. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में वर्तमान में कितने-कितने राजकीय एवं निजी महाविद्यालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कालेज आबंटन के क्या दिशा निर्देश हैं? तद्सम्बन्धित दस्तावेज सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा निजी सार्वजनिक सहभागिता (पी.पी.पी. मोड) पर बायतू रामसर और शिव में महाविद्यालय स्वीकृत करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है?

(4) उक्त स्थानों हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? सूची मय आवेदन पत्र के सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि बायतू में दो निजी महाविद्यालयों को वर्तमान में मान्यता प्राप्त है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(6) क्या यह भी सही है कि जहां पूर्व में महाविद्यालय संचालित हैं वहां नये महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दी जाती है?

(7) उक्त क्षेत्र में किस संस्था से एम ओयू किया गया? एम ओयू की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में वर्तमान में 4 राजकीय एवं 9 निजी महाविद्यालय संचालित हैं सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) महाविद्यालय "आबंटन" करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी हां।

(4) उक्त स्थानों हेतु 15 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर (मय आवेदन पत्र) संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(5) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी नहीं।

(7) उक्त क्षेत्र में किसी भी संस्था से एम ओयू नहीं किया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां जिले के राजकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत नवीन संकाय/पद

287. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) व **श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (अन्ता-बारां) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले के राजकीय महाविद्यालय में माह दिसम्बर, 2008 से अब तक कौन-कौन से नये संकाय स्वीकृत हुए? स्वीकृति आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बारां जिले के किस-किस राजकीय महाविद्यालय में माह दिसम्बर, 2008 के बाद कौन-कौन से नये पद किस-किस श्रेणी के कितनी- कितनी संख्या में स्वीकृत हुए? स्वीकृति आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से अब तक राजकीय महिला महाविद्यालय बारां में नया विज्ञान संकाय स्वीकृत किया गया था। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विभाग के बारां जिला के राजकीय महिला महाविद्यालय बारां में माह दिसम्बर, 2008 के बाद निम्न पद स्वीकृत किये गये:- व्याख्याता-5, प्रयोगशाला सहायक-3, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-2, स्वीकृति आदेशों की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में निजी सचिव, कुलपति का वेतनमान

288. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में ''निजी सचिव-कुलपति'' के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो विश्वविद्यालयवार कितने-कितने पद सृजित हैं और उक्त पद की नियुक्ति हेतु क्यां योग्यता व अर्हता रखी गई है?

(2) प्रदेश के समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में ''निजी सचिव-कुलपति'' का वेतनमान क्या है? विश्वविद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पद के वेतनमान को अन्य विश्वविद्यालयों के समान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। "निजी सचिव-कुलपति" के विश्वविद्यालयवार स्वीकृत पदों, योग्यता एवं अहर्ताओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) निजी सचिव-कुलपति पद के वेतनमान का विवरण उक्त परिशिष्ट-अ के कालम संख्या 4 में निहित है।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरसागर में प्रस्तावित होम्योपैथी चिकित्सालय

289. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के कितने राजकीय औषधालय और अस्पताल संचालित किये जा रहे हैं?

(2) क्या सरकार सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में नये राजकीय होम्योपैथी औषधालय और अस्पताल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के राजकीय औषधालय और अस्पताल संचालित नहीं है।

(2) वर्तमान में सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में नये राजकीय होम्योपैथी औषधालय और अस्पताल खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर आवश्यकतानुसार प्राथमिकता एवं गुणावगुण के आधार पर उक्त क्षेत्र में नवीन होम्योपैथी चिकित्सालय खोलने पर विचार किया जायेगा।

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2013)

डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों की निर्धारित गाइड लाइन के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना

35. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डिब्बा बंद खाद्य पदार्थो के लिये केन्द्र सरकार द्वारा गाइड लाइन निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या? गाइड लाइन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य में उक्त गाइड लाइन को लागू कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से एवं इस बाबत क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गई है एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(3) क्या सरकार डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों से होने वाले नुकसानों से बचाव हेतु गाइड लाइन को प्रभावी रूप से लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में पूर्व में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत एवं वर्तमान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विनियम 2011 के तहत डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के लिए मानदण्ड निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के विनियम 2011 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य में पूर्व में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत एवं वर्तमान में उक्त अधिनियम के स्थान पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के विनियम 2011 जो दिनांक 05.08.2011 से राज्य में लागू हो गया है।

दिनांक 05.08.2011 से दिनांक 31.01.2013 तक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के विनियम 2011 के तहत डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के 2713 नमूने लिये गए जिनमें से 286 मिसब्रांड 205 सबस्टेण्डर्ड एवं 133 अनसेफ पाए गए। कुल 624 प्रकरणों में से 270 प्रकरणों को न्यायनिर्णयन अधिकारी/सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये हैं, जिनमें से न्यायनिर्णयन अधिकारी/सक्षम न्यायालय द्वारा मिसब्राण्ड 38 एवं सबस्टैण्डर्ड 26 प्रकरणों को निर्णित कर दोषियों के विरुद्ध पैनल्टी लगाई गई है, शेष 354 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों से होने वाले नुकसान से बचाव की कार्यवाही विभाग द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। इसके अलावा समय-समय पर विशेष अभियान भी इस प्रयोजनार्थ चलाये जाते हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2013)

जयपुर में राजस्थान पर्यटन निगम द्वारा संचालित होटल्स एवं अतिथि गृह

85. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा कौन-कौन सी होटलों का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त होटलों में अग्रिम बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है? क्या उक्त होटलों में रुकने व अन्य समारोह जैसे शादी अथवा अन्य पार्टियों के आयोजन की बुकिंग ली जाती है? यदि हां, तो दिसम्बर, 2012 से जनवरी, 2013 के मध्य किस-किस दिन की बुकिंग किस-किस व्यक्ति, संस्था, पार्टी के द्वारा कराई गई तथा उनके द्वारा कितनी-कितनी राशि अग्रिम के रूप में जमा करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त होटलों का टैरिफ क्या है? क्या किसी व्यक्ति, संस्था, पार्टी को किसी प्रकार की छूट का प्रावधान भी है? यदि हां, तो क्या-क्या, कितना-कितना तथा उसके लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित है तथा छूट देने के लिये कौन-कौन अधिकारी सक्षम हैं? तसम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 के मध्य किस-किस को किस-किस की अनुशंषा पर छूट दी गई? छूट प्राप्त करने वाले आगंतुकों के नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त होटलों में माह जनवरी, 2013 में किस दिन कितने आगंतुक आए? किस कमरे में ठहरे, किस-किस प्रकार से होटल को भुगतान किया? आगंतुक रजिस्टर और भुगतान वाउचर की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त होटलों की साज-सज्जा और रिनोवेशन के लिये जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 के मध्य किस-किस मद में कितना-कितना व्यय किया गया? किस-किस संस्था, फर्म से उक्त कार्य करवाया गया? कब-कब प्रस्ताव तैयार हुए? कब निविदा जारी हुई और कब-कब भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा निम्न चार होटलों का संचालन किया जा रहा है :-

1. होटल गणगौर
2. होटल तीज
3. होटल स्वागतम
4. दुर्ग कैफेटेरिया नाहरगढ़

(2) जी हां।

माह दिसम्बर, 2012 से जनवरी, 2013 तक निगम होटल में पर्यटकों संस्था, पार्टियों द्वारा कराई गई अग्रिम बुकिंग, जमा अग्रिम राशि का तिथिवार विवरण अनुलग्नक-अ पर निम्न प्रकार उपलब्ध है-

1. होटल गणगौर
2. होटल तीज
3. होटल स्वागतम
4. दुर्ग कैफेटेरिया नाहरगढ़

(3) उक्त होटलों का टैरिफ निम्न प्रकार है :-

होटल गणगौर, जयपुर

रूम श्रेणी	आफ सीजन सी.पी.			सीजन सी.पी.		
	डबल बैड	सिंगल बैड	एक्सट्रा बैड	डबल बैड	सिंगल बैड	एक्सट्रा बैड
सूईट	2700	2500	400	2900	2700	500
सुपर ए.सी.	1900	1700	400	2300	2100	500
ए.सी.	1700	1500	400	2000	1800	400
नोन ए.सी.	1200	1000	300	1400	1200	400
ए.सी. फैमिली रूम	2500	-	400	2900	-	500
स्टैण्डर्ड/आर्डिनरी	800	700	300	1000	850	300

(पर्यटन मंत्री)

होटल तीज, जयपुर

रूम श्रेणी	आफ सीजन सी.पी.			सीजन सी.पी.		
	डबल बैड	सिंगल बैड	एक्सट्रा बैड	डबल बैड	सिंगल बैड	एक्सट्रा बैड
सूईट	2700	2500	400	2900	2700	500
सुपर ए.सी.	1900	1700	400	2300	2100	500
ए.सी.	1700	1500	400	2000	1800	400
नोन ए.सी.	1200	1000	300	1400	1200	400
ए.सी. फैमिली रूम	2500	-	400	2900	-	500
स्टैण्डर्ड/ओरडनरी	800	700	300	1000	850	300

होटल स्वागतम, जयपुर

रूम श्रेणी	आफ सीजन सी.पी.			सीजन सी.पी.		
	डबल बैड	सिंगल बैड	एक्सट्रा बैड	डबल बैड	सिंगल बैड	एक्सट्रा बैड
ए.सी.	1300	1100	400	1600	1300	400
नोन ए.सी.	950	800	300	1200	1000	350
स्टैण्डर्ड	750	500	300	800	600	300
ए.सी. फैमिली रूम	1900	-	300	2300	-	450
नोन ए.सी. फैमिली रूम	1500	-	300	1900	-	300

दुर्ग नाहरगढ़, जयपुर

रूम श्रेणी	आफ सीजन सी.पी.			सीजन सी.पी.		
	डबल बैड	सिंगल बैड	एक्सट्रा बैड	डबल बैड	सिंगल बैड	एक्सट्रा बैड
ए.सी.	1700	1500	400	2000	1800	400

(पर्यटन मंत्री)

जी हां।

यह छूट की प्रक्रिया संचालक मण्डल के द्वारा अनुमोदित, प्रदत्त शक्तियों में निहित है। निम्न अधिकारी छूट प्रदान करने के लिए अधिकृत है :-

1. प्रबन्ध निदेशक द्वारा 50 प्रतिशत
2. कार्यकारी निदेशक द्वारा 20 प्रतिशत
3. कार्यकारी निदेशक (वित्त.) द्वारा 20 प्रतिशत
4. इकाई प्रभारियों द्वारा 10 प्रतिशत तक व्यापार प्रोत्साहन हेतु छूट दिये जाने का प्रावधान निहित है।

व्यक्ति के आवेदन/अनुरोध पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से यूनिट द्वारा छूट प्रदान की जाती है।

(4) जी हां। जनवरी 2009 से जनवरी 2013 के मध्य निगम संचालक मण्डल द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर छूट की अनुशंषा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी निदेशक/कार्यकारी निदेशक (वित्त) द्वारा की गई है, छूट प्राप्त करने वाले आगन्तुकों के नाम पते व विवरण अनुलग्नक-ब पर संलग्न है।

(5) जनवरी 2013 में आगन्तुक पर्यटकों का होटलवार विवरण अनुलग्नक-स पर उपलब्ध है।

होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों द्वारा भुगतान हेतु उपलब्ध विकल्पों में से यथा क्रेडिट कार्ड, नकद द्वारा सुविधानुसार भुगतान किया जाता है, जिसका विस्तृत विवरण अनुलग्नक-द पर संलग्न है।

(6) जनवरी 2009 से जनवरी 2013 के मध्य जयपुर शहर स्थित होटलों की साज-सज्जा और रिनोवेशन पर किये गये व्यय का विवरण अनुलग्नक-य पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-197 की प्रति)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.6(29)नवि/3/2004 **जयपुर दिनांक 27.10.2005**

परिपत्र

जयपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल/नगर विकास न्यास/स्थानीय निकायों की योजनाओं के लिये आपसी समझौते से भूमि प्राप्त करने हेतु भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में प्रक्रिया को सरल करने तथा अवाप्त की जाने वाली भूमि पर योजना का समय पर क्रियान्वयन हो सके, इस दृष्टि से भूमि के खातेदार द्वारा भूमि के नि:शुल्क समर्पित करने पर मुआवजे के रूप में 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि दिये जाने के प्रावधान किये गये। वर्तमान में भूमि की कीमतों में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण अवाप्त भूमि के बदले 15 प्रतिशत विकसित भूमि पर्याप्त मुआवजा नहीं मानते हुये किसानों द्वारा इसमें वृद्धि किये जाने की निरन्तर मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाकर अवाप्त भूमि के बदले मुआवजे के रूप में अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया। अत: पूर्व में जारी समस्त परिपत्रों/आदेशों को अधिक्रमित करते हुए निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है :—

1. भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में खातेदार द्वारा नि:शुल्क भूमि समर्पित करने पर अवाप्तशुदा भूमि के बदले अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि केवल उसी खातेदार को आबंटित की जा सकेगी, जिसकी भूमि अवाप्त की गई है। खातेदार द्वारा बताये गये अन्य व्यक्तियों के नाम से भूमि आबंटन नहीं किया जा सकेगा।
2. अवाप्त की जाने वाली भूमि के बदले विकसित भूमि खातेदार की अवाप्त की जाने वाली भूमि में से या उस योजना में जिसके लिये भूमि अवाप्त की जानी है में ही आबंटन किया जा सकेगा। यदि भूमि का आबंटन उसी भूमि/योजना में सम्भव नहीं हो तो अवाप्तशुदा भूमि का नकद मुआवजा देय होगा।
3. यदि अवाप्तशुदा भूमि के बदले आवासीय भूमि का आबंटन उसी स्थान पर किया जाता है तो प्रार्थी को निर्मित भवन का अलग से मुआवजा देय नहीं होगा। उसी योजना में किसी अन्य स्थान पर आवासीय भूमि आबंटित किये

जाने की स्थिति में निर्मित भवनों का अलग से मुआवजा देय होगा। कुआ, वृक्ष इत्यादि का मुआवजा देय नहीं होगा।

4. यह प्रावधान भविष्य में भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में लागू होंगे। जिन प्रकरणों में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड घोषित किया जा चुका है तथा मुआवजा राशि का भुगतान/न्यायालय में जमा करवाया जा चुका है अथवा 15 प्रतिशत विकसित भूमि आबंटित किये जाने का प्रावधान अवार्ड में किया जा चुका है। ऐसे प्रकरणों में ये प्रावधान लागू नहीं होंगे।

5. भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) की धारा 4 की अधिसूचना जारी करने के पश्चात् तथा धारा-6 की अधिसूचना के नोटिस जारी करने से पूर्व जिस योजना के अन्तर्गत भूमि अवाप्त की जानी है। उसका मानचित्र सम्बन्धित संस्था द्वारा राज्य सरकार एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा खातेदारों को सूचित किया जायेगा कि वह नकद मुआवजे के स्थान पर विकसित भूमि प्राप्त कर सकते है। इस सम्बन्ध में खातेदार/भू-स्वामी द्वारा अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मानचित्र खातेदार/भू-स्वामी को अवलोकन कराया जायेगा। जिससे उनके द्वारा अपना विकल्प देने में कठिनाई न हों।

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजे की राशि या अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि में से एक की ही अभिशंषा कर सकेगा। अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्था/स्थानीय निकास द्वारा कम से कम पांच अधिकारियों की आबंटन समिति गठित की जायेगी।

(i) सम्बन्धित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकास का अध्यक्ष।

(ii) सम्बन्धित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकास का सचिव।

(iii) सम्बन्धित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकास का वित्तीय एवं लेखा शाखा का प्रमुख।

(iv) नगर नियोजन विभाग का प्रतिनिधि।

7. उक्त समिति अवाप्त की जाने वाली भूमि के मूल्य को दृष्टिगत रखते हुये अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूमि आबंटन की अनुशंषा कर सकेगी। अवाप्त की जाने वाली भूमि का मूल्य उक्तानुसार आबंटित की जाने वाली विकसित भूमि के बाजार मूल्य से अधिक होने की स्थिति में विकसित भूमि कम की जा सकेगी। उक्त अनुशंषा के आधार पर

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अपने अवार्ड में प्रावधान किया जायेगा। अवार्ड अनुमोदन होने पर सम्बन्धित संस्था/स्थानीय निकाय द्वारा सम्बन्धित संस्था की समिति की अभिशंषा के क्रम में प्रस्ताव तैयार कर विकसित भूमि आबंटन करने हेतु प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जायेगा।

8. अवाप्त भूमि के बदले खातेदार/भू-स्वामी को आवंटित विकसित आवासीय भूमि आबंटन के पश्चात् प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आबंटी वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करा सकेगा।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-200 की प्रति)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(647)नविवि/3/2010		**जयपुर दिनांक 31.3.2011**

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

विषय :—राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्टस क्लब एवं क्रिकेट से जुडी गतिविधियों के लिये राजस्व ग्राम चौंप में भूमि आबंटन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्टस क्लब एवं क्रिकेट से जुडी गतिविधियों हेतु ग्राम चौंप (आमेर) जिला जयपुर में 18.16 हैक्टेयर भूमि डीएलसी दर की 10 प्रतिशत दर पर निम्न शर्तों पर आबंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :—

1. आबंटित भू-भाग पर समस्त विकास एवं निर्माण कार्य राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन द्वारा किया जावेगा, जो स्वीकृत मानचित्र एवं तसम्बन्धी शर्तो के अनुरूप होगा।
2. आबंटित भूमि का प्रयोग क्रिकेट से सम्बन्धित गतिविधियों जैसे– क्रिकेट स्टेडियम पवेलियन, प्रेसिडेन्ट/वी.आई.पी. बाक्स, कमेन्टेटर्स रूम, अंपायर रूम, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस/स्टाफ क्वार्टर्स निर्माण, क्रिकेट एकेडमी, स्पोर्टस क्लब तत्सम्बन्धित आवश्यक संरचनाओं के निर्माण के लिये किया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार इसमें डैसिंग रूम, बाथरूम, टॉयलेट्स, प्रेस व मीडिया रूम, लाज, जिम्नेजियम, नैटस, पिचें, बालिंग मशीनें, प्रशिक्षण केन्द्र वीडियो, लैक्चर, कोच लॉकर रूम्स तथा स्पोर्टस साइंस व मैडीसिन व खानपान इत्यादि की आधुनिक सुविधाएं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्ध करवाई जाएगी।
3. मुख्य उद्देश्य क्रिकेट के खेल एवं उससे सम्बन्धित अन्य गतिविधियों का विकास करना होगा।

4. आबंटन का उद्देश्य चरण-2 एवं तत्सम्बन्धित गतिविधियों के विकास एवं विस्तार के लिए है।

5. उपरोक्त संरचनाओं और उसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान देना आवश्यक नहीं होगा। आबंटित भू-भाग पर निर्मित की जाने वाली संरचनाओं का उचित रूपेण रख-रखाव राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन द्वारा किया जाएगा।

6. भूमि पर नियमानुसार नगरीय शुल्क देय होगा। 15 वर्ष पश्चात् नगरीय शुल्क में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी। नगरीय शुल्क समय पर जमा नहीं होने पर 12 प्रतिशत अथवा समय समय पर संशोधित दर के अनुसार ब्याज देय होगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन नगरीय शुल्क में छूट प्राप्त करने अथवा एकमुश्त लीज राशि जमा करवा सकने के लिये नियमानुसार आवेदन कर सकेगी।

7. निर्धारित अवधि में जयपुर विकास प्राधिकरण से निर्माण स्वीकृति के पश्चात् ही मानचित्र अनुसार निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा। तत्समय प्रथम पक्षकार को यह परिवचन पत्र (Undertaking) देना होगा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन को आवंटित भूमि का आबंटन जिस उद्देश्य के लिये किया गया है उसी उद्देश्य हेतु काम में ली जावेगी। भूमि का स्वामित्व किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति या अन्य संस्था को किसी रूप में अन्तरण योग्य नहीं होगा। राजस्थान क्रिकेट ऐसोसियेशन सेवाओं की आउट सोर्सिग कर सकेगा।

8. किसी राष्ट्रीय आपदा या किसी राष्ट्रीय प्रयोजन या राष्ट्रीय महत्व के कार्य के लिये राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर या अन्य किसी अधिकारी द्वारा भवन को आपसी सहमति से अस्थाई तौर पर उपयोग में लिया जा सकेगा। जिसके लिये राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन को पृथक से कोई किराया या क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

9. उपरोक्त शर्तों के उल्लघंन की दशा या राज्य सरकार के किसी प्रभावी आदेश या प्रपत्र जो जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत प्रभावशील नियम/विनियमों व इनमें तत्सम्बन्धी संशोधनों में से किसी के उल्लंघन की दशा में जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान क्रिकेट ऐसोसियेशन को सुधार करने के लिये पर्याप्त समय का नोटिस देगा, जिसके अनुसार राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन उचित सुधार करेगा। यदि ऐसा

सुधार नहीं किया जाता है तो सुनवाई का उचित अवसर देकर प्राधिकरण आवंटन रद्द करने की कार्यवाही प्रस्तावित कर सकेगा।

10. चरण-9 व प्राधिकरण तथा एसोसियेशन के बीच किसी भी विवाद का निपटारा Arbitration and conciliation Act, 1996 के तहत किया जा सकेगा। दोनों पक्ष अपने-अपने मध्यस्थ नियुक्त कर एवं दोनों मध्यस्थ मिलकर एक अम्पायर की नियुक्ति करेंगे। यह तीनों सदस्य ट्रिब्यूनल विवादों का निपटारा करेंगे।

11. स्टेडियम का जो प्रबन्ध मण्डल होगा उसमें सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर पदेन सदस्य होंगे।

12. राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित यदि कोई कर देय हुआ तो राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन को उसका भुगतान करना होगा।

13. खेलों के ऐसे आयोजनों में जहां शांति और व्यवस्था की जरूरत समझी जाएगी उसके लिये राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन द्वारा जिला और पुलिस प्रशासन से तत्सम्बन्धी सहयोग के लिये नियमानुसार आग्रह करके उचित प्रबन्धन सुनिश्चित करना होगा।

14. परिसर में वर्षा जल संग्रहण एवं सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु समुचित व्यवस्था की जाये। उक्त व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हो जो एक आदर्श (माडल) के रूप में स्थापित हो सके।

15. परिसर में हरियाली की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। इस दृष्टि से विशेषज्ञों की सेवाएं ली जावें।

16. आबंटन से 05 वर्ष के भीतर राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन अन्तर्राष्ट्रीय मैच कराना सुनिश्चित करेगा। तत्पश्चात् एस.एम.एस. स्टेडियम में निर्मित क्रिकेट एकेडमी का भवन जयपुर विकास प्राधिकरण को नि:शुल्क हस्तान्तरित किया जावेगा।

अत: तदनुसार भूमि आबंटन हेतु अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

ह.

(एन. एल. मीना)

उप शासन सचिव-तृतीय

परिशिष्ट-3

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं)

कोटा जिला चिकित्सालय में जननी शिशु सुरक्षा का लाभ

महोदय,

मेरे द्वारा विधान सभा के नवें सत्र में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 325 के जवाब में यह बताया गया है कि जिला चिकित्सालय कोटा में एक अक्टूबर, 2011 से 31 अगस्त, 2012 तक 49 गर्भवती महिलाओं के भ्रूण में पानी की कमी की बीमारी पाई गई और जवाब में यह भी कहा गया है कि कोटा जिले में एक भी गर्भवती महिला को इंजेक्शन एलामिन की बोतल नहीं लगाई गई तो फिर इस चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं के भ्रूण में पानी की कमी का इलाज किस दवा से किया गया। महोदय, महिलाओं को ये इंजेक्शन बाजार से अपने खर्च पर खरीदना पड़ रहा है। एक इंजेक्शन एलामिन की कीमत लगभग 500 होती है और एक महिला को लगभग तीन एलामिन इंजेक्शन लगाये जाते हैं। जिनका खर्च लगभग 1500 से 2000 के बीच होता है। लापरवाही और संवेदनशीलता की कमी के कारण जननी सुरक्षा का लाभ गर्भवती महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है।

महोदय जवाब में यह भी बताया गया है कि गर्भस्थ शिुश में पानी की कमी से पीड़ित प्रसुताओं की सूचना विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है, जो बड़े ही दु:ख की बात है। इसकी जांच होनी चाहिए। एक तरफ तो सरकार जननी शिशु सुरक्षा योजना लागू करती है और दूसरी तरफ अधिकांश गर्भवती महिलाओं में होने वाली बीमारी की सूचना संधारित नहीं की जाती।

महोदय मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस सूचना को संधारित किया जावे एवं इंजेक्शन एलामिन की उपलब्धता के लिये सरकार नीति स्थापित करे, ताकि भ्रूण में पानी की कमी की वजह से पीड़ित महिलाओं को इस योजना का पूरा लाभ मिल सके। राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर और कोटा में मेडिकल कालेज एवं जिला अस्पताल में कुल कितने एलामिन इंजेक्शन खरीदे और कितने लगाये गये, जांच कराई जावे।

चन्द्रकान्ता मेघवाल

(रामगंजमण्डी)

श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र में गंदे पानी के गड्ढों में अतिक्रमण

महोदय प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निम्न प्रकार विशेष उल्लेख प्रस्ताव करता हूं।श्रीगंगानगर नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत गुरुनानक बस्ती, पुरानी आबादी में राजकीय भूमि पर गन्दे पानी के गड्ढों में शहर की नालियों और नालों का पानी एकत्र होता है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में नगर परिषद प्रशासन द्वारा निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ लोगों को उक्त गंदे पानी के गड्ढे पर कब्जा आधारित पट्टा जारी कर दिया। इससे गंदे पानी के गड्डों पर अतिक्रमण की बाढ़ आ गई है। क्षेत्र के असामाजिक तत्वों द्वारा नगर परिषद् प्रशासन के आश्रय पर गन्दे पानी के गड्ढे के स्थान पर कब्जा करने की होड़ मच गई हैं।

महोदय कब्जा करने की होड़ में असामाजिक तत्वों द्वारा लड़ाई झगड़े किये जा रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और परस्पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। नगर परिषद प्रशासन के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब उक्त गंदे पानी के गड्ढों में प्रशासन शहरों के संग अभियान में स्टेट ग्राण्ट एक्ट के तहत पट्टे जारी कर दिये गये।

महोदय मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से श्रीगंगानगर में हो रहे इस भ्रष्टाचार के खेल पर चर्चा हेतु सदन में प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव करता हूं।

राधेश्याम गंगानगर

(श्रीगंगानगर)

सीकर जिले की स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर जिले में लम्बे समय से स्वीकृत सड़कों का कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। ना तो अधिकारियों की सही मानिटरिंग है और ना ही ठेकेदार समय पर कार्य करते हैं यहां तक कि धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें भी धोद व दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में लम्बे समय से अधूरी पड़ी हैं। जिन पर ना तो सरकार का ध्यान है ना ही अधिकारी गम्भीर है। और ठेकेदार तो समय पर काम करना नहीं चाहते हैं ऐसी सूरत में जनता को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सीकर स्थित सालासर जैसी महत्वपूर्ण सड़कें तथा पालवास-छोटी तासर, कुण्डलपुर सेताखरों की ढाणी, ताखरों की ढाणी से माण्डोली तथा अनेक धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों का कार्य ठेकेदारों की हठ धर्मिता के कारण लम्बे समय से पूर्ण नहीं हो रहा है, जिससे जनता को भारी असुविधा हो रही है।

अतः मेरा इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री से

अनुरोध है कि ठेकेदारों की हठधर्मिता पर अंकुश लगायें तथा स्वीकृति के अनुसार कार्य समय पर पूर्ण करवायें, ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

पेमाराम

(धोद)

कठूमर के खेड़ली में उप तहसील की स्थापना

महोदय,

कठूमर विधान सभा क्षेत्र जिला अलवर के नगरपालिका क्षेत्र खेडली एक बहुत बड़ा कस्बा है। खेडली में राजस्थान की बहुत बड़ी कृषि उपज मण्डी समिति है, जहां रोजाना सीजन में 30 हजार बोरी सरसों की आती है, रेलवे स्टेशन है, जहां सभी एक्सप्रेस गाड़ियां रूकती हैं। राज्य सरकार के कई कार्यालय हैं। खेडली कृषि उपज मण्डी के अलावा यहां कपड़े का व्यापार व अन्य आवश्यक सामान का बहुत बड़ा बाजार है। यहां रोज आस-पास के सैकड़ों ग्रामों के नागरिक यहां सभी कार्यों को खेडली में आते हैं। यदि यहां उप तहसील खोल दी जावे, तो यहां के व आस-पास के जनता को अपना राजस्व कार्य निबटने में बहुत बड़ी सुविधा होगी। रोजाना सैकड़ों रजिस्ट्रियां यहां होती हैं, जो सभी कार्य तो खेडली में करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रियां व अन्य राजस्व कार्यों हेतु कठूमर जाना पड़ता है। राज्य सरकार ने गत वर्ष कई छोटी-छोटी ग्राम पंचायतों में उप तहसील खोली है। ऐसे में बहुत बड़ा आबादी का कस्बा खेडली में निवास करता है, इस कारण उप तहसील खोलना बहुत जरूरी है। खेडली के आस-पास की बसी हुई ग्राम पंचायतें-खेडलीरेल, बहरामपुर, डोरोली, समूची, दांतिया, खेडा कल्याणपुर, खोकर, रोनीजाथान, जहाड, भनोखर, कालवाडी, सालवाडी, सोखर, सोंखरी, नाटोज, बसेठ, गारू व दारोदा 19 ग्राम पंचायतें हैं, जो खेडली के आस-पास बसी हैं। कठूमर तहसील में ज्यादातर कार्य इन ग्राम पंचायतों का होता है। ऐसे में खेडली में उप तहसील खोलना आम जनता के लिये अत्यावश्यक हो गया है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि बिना किसी भेदभाव के इस अनुसूचित जाति बाहुल्य की भलाई के लिये खेडली में उप तहसील खोलने के आदेश इसी बजट में जारी करावें।

बाबूलाल बैरवा

(कठूमर)

लक्ष्मणगढ़ की सड़कों का नवीनीकरण

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ एवं जिला सीकर में सड़कों

के नवीनीकरण नहीं किये जाने के विषय में राज्य सरकार एवं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अनेक सड़कें ऐसी हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, उनका नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तुरन्त प्रभाव से करवाया जाना जनहित में आवश्यक है। हमारी इस लोक कल्याणकारी सरकार ने वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 की अवधि में भी अनेक नवीन सड़कों के निर्माण तथा पुरानी सड़कों के नवीनीकरण की घोषणा भी की थी परन्तु मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जिला सीकर में तत्कालीन मंत्री महोदय द्वारा ग्राम बठोठ में दिनांक 28 अगस्त, 2011 को एक सार्वजनिक समारोह में ग्राम फागलवा से बठोठ तक सड़क नवीनीकरण करने की घोषणा के उपरांत भी आज तक उक्त सड़क के नवीनीकरण के आदेश जारी नहीं किये गये हैं, मेरे द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर यही कहा जा रहा है कि घोषणा के अनुरूप स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। यह स्थिति एक लोककल्याणकारी एवं जवाबदेह सरकार के लिए कतई उचित नहीं मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पालड़ी से खींवासर, नेशनल हाइवे नम्बर 11 से ग्राम हमीरपुरा, लक्ष्मणगढ़ शहर में पक्की प्याऊ से रेलवे स्टेशन तक, लक्ष्मणगढ़ शहर से ग्राम बासनी तक, बलारां से मिर्जवास होते हुए डूण्डलोद तक, ग्राम जाजोद से बाटड़ानाऊ तक, ग्राम सूतोद से ढाणी कृपाराम तक एवं भांकरों की ढाणी से भिलूण्डा सहित अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त अवस्था में है जिनका नवीनीकरण किया जाना निहायत जरूरी है, कई सड़कों की हालत तो बेहद खस्ता है, वाहनों के आवागमन में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतएव विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि अपनी पूर्व घोषणा के अनुरूप ग्राम फागलवा से बठोठ सड़क की स्वीकृति आज ही जारी करायें तथा मेरे क्षेत्र की उपरोक्तानुसार बताई गई क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण के आदेश जारी कर जन भावनाओं को आदर किया जाये। धन्यवाद, जय हिन्द।

गोविन्द सिंह डोटासरा

(लक्ष्मणगढ़)

शेरगढ़ उपखण्ड की वृहत् जलप्रदाय योजना

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शेरगढ़ की वृहद जलप्रदाय योजना आर.डी. 134 देवानिया-नाथड़ाऊ-कनोडिया-54 मील-चौरड़िया-शेरगढ़-चाबा के द्वितीय चरण का कार्य आदेश 10.08.2011 को 137.72 करोड़ का आई.ओ.टी. कम्पनी को दिया गया था। कार्यादेश अनुसार दिनांक 20.08.2013 तक 02 वर्ष की समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने का अनुबंध किया गया था। इस कार्यालय के तहत उक्त 52 उच्च

जलाशय, 05 M.B.R., 01 पम्प हाउस का निर्माण करते हुए करीबन 1100 किमी पाइप लाइन का नेटवर्क बिछाते हुए 195 गांवों को जोड़कर पेयजल उपलब्ध करवाना था, परन्तु आज दिनांक तक इस योजना का मात्र 20 प्रतिशत ही कार्य हो पाया है, शेष 80 प्रतिशत कार्य अभी तक बकाया है, जबकि समय सीमा 20.08.2013 तक ही है।

योजना की तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व विभाग द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वे करवाकर उच्च जलाशय का स्थान निर्धारित करते हुए डिजाइन कार्य करवाया गया व उसी के अनुरूप योजना बनाकर स्वीकृति जारी करवाई गई। तत्पश्चात् कार्य करने हेतु ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश जारी होने के पश्चात् सम्बन्धित फर्म द्वारा अपने स्तर पर सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वे कार्य विभागीय अधिकारियों के साथ रहकर उच्च जलाशयों की चयनित स्थानों के आधार पर सर्वे कार्य कर डिजाइन कार्य करवाया गया तथा सभी उच्च जलाशयों के चयनित स्थानों की भूमि के दस्तावेज विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया। फर्म द्वारा योजना की डिजाइन कर पाइप लाइन का एल सेक्शन विभाग द्वारा अनुमोदित करवाया गया। तत्पश्चात् फर्म द्वारा अनुमोदित डिजाइन व एल सेक्शन के अनुसार कार्य शुरू किया गया। इसमें 31 उच्च जलाशयों का कार्य अभी शुरू हुआ है व शेष 21 उच्च जलाशय व शेरगढ़ एम.बी.आर. का कार्य शुरू नहीं हो सका है। किशोरनगर उच्च जलाशय फाउण्डेशन के लिये जमीन खुदवाई के पश्चात कार्य बन्द करवा दिया गया है व उच्च जलाशय चाबा -द्वितीय विभागीय सर्वे अनुसार रा.उ.प्रा.वि. हनवंत जी की ढाणी के पीछे कुम्हारों व खीवसिंह सालेचो के खेत में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। उक्त पैकेज में बावकान एम.बी.आर. से रायसर गजेसिंहनगर व सुवालिया, भोमसागर, चाबा का कार्य प्राथमिकता से करवाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी नहीं होने से पेयजल का गम्भीर संकट है।

उक्त योजना में किये गये प्रावधान में ए.सी. (सीमेन्ट) पाइप लाइन के स्थान पर यू.पी.वी.सी. (प्लास्टिक) पाइप लाइन की मांग की थी, उसका समाधान भी अभी तक नहीं हो सका है व आई.ओ.टी. कम्पनी को कार्यादेश के पश्चात् 30 करोड़ का ही भुगतान हुआ, जिससे कम्पनी का कार्य धीमी गति से चल रहा है व शेरगढ़ क्षेत्र में सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद रिक्त होने के कारण योजना की उचित मानिटरिंग नहीं हो रही है, कम्पनी द्वारा कार्य को अपने मनमाने ढंग से किया जा रहा है, कार्यादेश के अनुरूप व गुणवत्ता से कार्य नहीं हो रहा है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अत: इसका अतिशीघ्र निर्णय कर योजना में प्रगति लाई जाये।

बाबूसिंह राठौड़

(शेरगढ़)

सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय

मैं, राज्य सरकार एवं माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रीजी का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना में लगभग 900 किमी डामर सड़कों का रखरखाव बाड़मेर जिले में सर्वाधिक कार्य नरेगा के तहत इस क्षेत्र में स्वीकृत होने, बाड़मेर जिले में हरित सड़क योजना के तहत 100 किमी सड़क चौड़ाईकरण कार्य स्वीकृत है। जिसमें भी सर्वाधिक 60 किमी. का कार्य सिवाना विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत है। इस क्षेत्र में ढाणियों के समूह (Habitation) को डामर सड़कों से जोड़ने के लिए 78 कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में प्रस्तावित हैं। जबकि पूरे बाड़मेर जिले में 434 कार्य प्रस्तावित हैं। अर्थात् सर्वाधिक सड़क कार्य इसी क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। इस क्षेत्र में प्रमुख चार स्टेट हाइवे गुजरते हैं। जिनकी कुल लम्बाई 137 किमी है। जिसमें से 60 कि.मी. हरित सड़क योजना में चौड़ाईकरण करना स्वीकृत है। शेष 77 कि.मी. सड़क चौड़ाईकरण करने का कार्य भी प्रस्तावित है। जो शीघ्र स्वीकृत होने वाले/प्रगति पर हैं। पूर्व में पंचायत समिति सिवाना मुख्यालय पर 1 सहायक अभियंता 4 क. अभियंता एवं 3 मंत्रालयिक कर्मचारी व 40-45 कार्य प्रभारी कर्मचारी थे। वर्तमान उपखण्ड में मात्र 2 सहायक अभियंताओं के भरोसे पूरा क्षेत्र चल रहा है एवं वित्तीय अधिकार अधिशासी अभियंता बालोतरा मुख्यालय के पास होने के कारण कभी भी ठेकेदारों व अन्य कार्यों का समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। वर्तमान में पंचायत समिति मुख्यालय सिवाना पर उपखण्ड कार्यालय भी खुला हुआ है। जिले की सभी पंचायत समितियों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय खुले हुये हैं। जबकि पंचायत समिति मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का कार्यालय नहीं खुला हुआ है। अधिशासी अभियंता का कार्यालय सिवाना हो जाने से सहायक अभियंताओं को वाहन की सुविधा सुलभ हो सकेगी। जिससे कार्यों के गुणवता में भी सुधार होगा।

अत: उपरोक्त समस्त परिस्थितियों, जनता की मांग, जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आपका ध्यान उपखण्ड मुख्यालय सिवाना पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियंता कार्यालय खुलवाने एवं कुल 4 सहायक अभियंताओं के सिवाना, समदड़ी, पादरू व सिणधरी में पदों की स्वीकृति प्रदान कर जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह करता हूं।

कानसिंह कोटड़ी

(सिवाना)

सीमावर्ती जिलों में अध्यापकों के रिक्त पद

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के कार्य प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर विशेष उल्लेख के तहत यह कहना चाहता हूं कि विद्यालयों में शिक्षकों रिक्त के विरुद्ध पदस्थापन के अभावों एवं बालिका विद्यालयों की कमी के कारण गम्भीर स्थिति है।

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करने हेतु काफी प्रयास किये जा रहे हैं। प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं। नवीन प्राथमिक विद्यालयों का सृजन किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत भी किया गया है। मेरे क्षेत्र में 5 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोला गया है एवं 9 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती भी की है। इस हेतु मुख्यमंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्री जी साधुवाद के पात्र है।

माध्यमिक शिक्षा की स्थिति यह है कि लगभग समूचे प्रदेश में विशेषकर सीमावर्ती जिलों के उच्च माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों के काफी पद रिक्त चल रहे हैं जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिस स्तर की जानकारी देश की भावी पीढी को होनी चाहिए वो प्रदेश के वर्तमान में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है। जिसका मुख्य कारण विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे विषयाध्यापकों के रिक्त पद है। इस सत्र में बाड़मेर जिले की स्थिति यह है कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा पूर्ण हो चुकी हैं एवं बोर्ड परीक्षाएं प्रारम्भ हो गयी हैं। लेकिन पद रिक्तता के कारण अभी तक आधा कोर्स भी पूरा नहीं हो पाया है। यदि विद्यालयों में कोर्स पूरा किया गया बताया गया तो वो महज औपचारिकता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों व अभिभावकों को परीक्षा की चिंता सता रही है। जिले में आधे से ज्यादा व्याख्याताओं के पद रिक्त चल रहे हैं।

जिले में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति यह है कि

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	प्रधानाचार्य	81	39	42
2	प्रधानाध्यापक माध्यमिक	334	94	240
3	प्राध्यापक	483	210	273
4	वरि. अध्यापक	2182	1105	1077
5	अध्यापक	92	87	05

कई श्रेणी के अध्यापकों की नई भर्ती की गई है लेकिन पदस्थापन के अभाव में पद रिक्त हैं। प्रधानाध्यापक रामावि के पदों पर आशार्थियों का चयन हुए महीनों गुजरने के बाद भी आदिनांक तक पदस्थापन नहीं हो पाया है। विभागीय उदासीन का खामियाजा विद्यार्थियों एवं आमजन को भुगतना पड़ रहा है। अनिवार्य एवं नि:शुल्क बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के तहत अध्यापकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्त किया जाना निषेध है। फिर भी विषयाध्यापकों को सर्व शिक्षा अभियान, सतत शिक्षा, रा.मा. शिक्षा अभियान, अन्य कई विभागों में प्रतिनियुक्त कर रखा है। प्रधानाचार्यों के पदों की स्थिति तो यह है कि उपखण्ड स्तर के उमावि बायतू, सिवाना, चौहटन, शिव मुख्यालयों के बालिका एवं बालकों के विद्यालयों में पद रिक्त हैं। जिले में बालिका के तेरह उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं दो माध्यमिक विद्यालय हैं। जिसमें प्रधानाचार्य 12 में से 09 रिक्त व्याख्याता के 65 में से 45 रिक्त इसके अलावा पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त हैं। जिले में शिव जैसे उपखण्ड स्तर एवं गडरारोड पर बालिका उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बे पाटोदी, सवाई पदमसिंह, गीडा, हीरा की ढाणी एवं बाटाडू जैसे स्थानों पर बालिका माध्यमिक स्तर का विद्यालय नहीं है।

राज्य सरकार को इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर रिक्त पदों को भरने हेतु भर्ती निकाल कर, विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया तीव्र कर, पदस्थापन करने का निर्णय लिया जाना चाहिए तथा सीमावर्ती जिलों में बालिका शिक्षा को महत्व देते हुए मानदण्डों में शिथिलता बरतते हुए बालिका विद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नत कर आमजन का राहत प्रदान करनी चाहिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी

(बायतू)

भादवाड़ी (खण्डेला) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों का अभाव

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित एक अत्यन्त गम्भीर एवं शिक्षा से जुडे मुद्दे की ओर सरकार एवं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम भादवाड़ी दिनांक 1.9.2008 को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ था। इस विद्यालय में आज करीब पिछले पांच वर्ष से कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए एक भी प्रथम श्रेणी का शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया है। एक तरफ सरकार शिक्षा का अधिकार काननू लागू कर रही है, शिक्षकों की नियुक्तियां करने का दावा कर रही है परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भादवाड़ी में कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थी आज भी द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के भरोसे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि उनके भविष्य को अंधकार की ओर ले जाने वाला कृत्य है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इस विद्यालय को प्रशासनिक स्वीकृति तो मिल गई लेकिन आज तक व्याख्याताओं एवं प्रधानाचार्य के पद ही स्वीकृत नहीं हुए हैं तथा आज तक वित्तीय स्वीकृति भी जारी नहीं की गई है। स्वीकृत द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के भी अधिकांश पद रिक्त हैं जबकि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 278 है जो कि महज 5 शिक्षकों के भरोसे यह विद्यालय चल रहा है।

अतएव इस गम्भीर एवं अति लोक महत्व के शिक्षा से जुडे अहम विषय पर मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि ग्राम भादवाड़ी में क्रमोन्नत किये गये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाये, प्रथम श्रेणी शिक्षकों के पद सृजित कर भरे जायें, रिक्त द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ के पदों को शीघ्र भरा जाकर क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को राहत पहुंचाई जाये जिससे वे अपने भविष्य को संवार सकने में सक्षम बन सकें।

धन्यवाद, जय हिन्द।

बंशीधर खण्डेला

(खण्डेला)

बूंदी से रोडवेज बसों का संचालन

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बून्दी में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लि. आगार की बूंदी से के. पाटन वाया माटून्दा रायथल, तथा बून्दी से गरडदा एवं बून्दी से डाबी बसों का संचालन नहीं होने से इन क्षेत्रों के लोगों को अवैध वाहनों में जोखिम उठाकर सफर करना पड़ रहा है तथा प्राइवेट साधनों को मुंह मांगा किराया देना पड़ रहा है।

इन सभी रूटों पर पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध है तथा जिला मुख्यालय पर आने जाने के लिये रोजाना सैकड़ों यात्री जोखिम उठाकर अवैध वाहनों में सफर कर रहे हैं। डाबी एक ऐसा कस्बा है जहां से कोटा चित्तौड़ आदि जगह के लिये तो साधन उपलब्ध है परन्तु जिला मुख्यालय के लिये कोई सीधी बस सेवा नहीं है।

अत: आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये यदि बून्दी से के. पाटन वाया माटून्दा रायथल, बून्दी से गरडदा तथा बून्दी से डाबी के लिये रोडवेज की बसों का संचालन प्रारम्भ किया जाता है तो रोडवेज की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी तथा आमजन को काफी सुविधा हो जावेगी।

अशोक डोगरा

(बूंदी)

पुजारियों को खातेदारी अधिकार

महोदय,

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो अराजकीय मंदिर है, इनकी देखरेख व पूर्जा अर्चना सैकड़ों वर्षो से विभिन्न जातियों के लोग वंशानुगत करते आ रहे हैं जिसमें सभी जातियों के लोग यथा स्वामी, संत, बैरागी, रांकावत, धनावशी, घुसाई, सेवग, पराशर, पुरोहित, ब्राह्मण, राजपूत इत्यादि के करीब 10 लाख परिवार शामिल हैं। इन पुजारियों में अधिकांश कृषि पेशे से जुडे व्यक्ति हैं जो अपने बुजुर्गों की भूमि से ही अपना भरण-पोषण करते आ रहे हैं। स्टेट टाइम से ही इन पुजारियों की पूजा करने की एवज में माफी दी गयी तथा रिकार्ड में भी भूमि मंदिर के नाम से दर्ज करवाते हुए किसानों को पुजारी दर्ज कर दिया था। जागीर उन्मूलन होने पर जागीर रिजेम्शन एक्ट 1952 की धारा 9 के तहत सभी माफी भूमियों के माफीदार को खातेदारी देने का आदेश जारी किया गया था। परन्तु उसके बाद वर्ष 1991 में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र

जारी कर देश के पुजारियों के नाम जमाबंदी से हटवा दिये गये थे, उसके बाद पुन: दिनांक 27.05.2002 को तत्कालीन सरकार ने पुजारियों की भूमि को तहसील कमेटी गठित कर एक वर्ष की काश्त हेतु नीलाम करने के आदेश दिये गये थे जिससे कई पुजारी बेदखल भी हुए, परन्तु विरोध करने पर उस आदेश को रोक दिया गया।

गत 3 वर्षों से राज्य के समस्त पुजारी परिवार न्याय प्राप्त करने के लिए अखिल राजस्थान पुजारी महासभा के माध्यम से आंदोलनरत हैं तथा अपनी जायज मांगों के लिए पुजारी महासभा द्वारा एक मंच पर एकत्र होकर दिनांक 17.12.2010 को सम्पूर्ण राजस्थान में 185 तहसीलों पर धरने, प्रदर्शन कर ज्ञापन दिये गये तथा 18 माह बाद मई, 2012 को पुन: राजस्थान के 27 जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर राज्य सरकार के नाम ज्ञापन प्रेषित किये गये थे। उसके बाद सुनवाई नहीं होने पर 17.10.2012 को करीब 15-20 हजार पुजारियों ने जयपुर में एक दिवसीय धरना दिया तथा सरकार को अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया। अब पुन: सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं करने पर 5.3.2013 से सभी जिलों के पुजारियों द्वारा उद्योग मैदान, जयपुर में विरोध स्वरूप अनिश्चित कालीन धरना तथा कार्मिक अनशन शुरू किया जा चुका है।

अत: अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के समस्त पुजारियों की वंशानुगत भूमि उन्हें वापिस दिलाई जावे तथा उनको खातेदारी अधिकार जल्द से जल्द लौटाये जायें।

अभिषेक मटोरिया

(नोहर)

भोपालगढ़ के ग्राम लेवरोकलां में पुलिया निर्माण

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम लेवरोकलां (पंचायत समिति-बावड़ी) में गांव में आम रास्ते पर आबादी बस्ती के बीच रपट बनी हुई है। जहां पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता है। लोगों को बरसात के दिनों में आने -जाने में परेशानी होती है। रपट पर पानी भर जाता है एवं इसी प्रकार गांव के किनारे सावंतकुआ कलां, बावडी जाने वाले रास्ते पर भी गहरी खाई है, जिसमें आम रास्ता होने से बरसात में पानी भर जाता है, जनता का आना-जाना बंद हो जाता है। इसी प्रकार गांव छिंडिया में जी.एस.एस. के पास नाडी के पास

पुलिया की आवश्यकता है। सरकार उक्त पुलिया निर्माण करवाने की कृपा करे, ताकि आम जनता को आने-जाने में यातायात के साधनों के आने-जाने में पुलिया निर्माण होने से राहत मिल सके। मेरे क्षेत्र में घोडावट बांध पानी का टूट चुका है। इसकी क्षमता बहुत अधिक है, यहां बरसात का पानी पूरे वर्ष भरा रहता है। उक्त बांध की मरम्मत करावें ताकि ग्रामीण जनता को पानी की समस्या से निजात मिल सके।

कमसा मेघवाल

(भोपालगढ़)